# राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

**अंक: 08] पन्द्रहवीं विधान सभा के आठवें सत्र का दूसरा दिवस [संख्या: 02**

**मंगलवार,**

**24 जनवरी 2023**

**(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे**
**राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।)**

**(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)**

## तारांकित प्रश्नोत्तर

### प्रश्न संख्या 1

**श्री अध्यक्ष**: प्रश्न। श्री पानाचन्द मेघवाल।

**(अनुपस्थित। कृपया आगे देखें।)**

श्रीमती इन्द्रा।

### विद्या सम्बल योजना में अभ्यर्थियों को देय आरक्षण

**2. श्रीमती इन्द्रा** (बामनवास): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा विगत एक वर्ष में विद्या सम्बल योजना में गैस्ट फैकल्टी के आधार पर विद्यालयों में अध्यापक लगाने हेतु विज्ञापन जारी किया गया था? यदि हां, तो उसके निरस्त करने के क्या कारण रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त योजना में एस.सी., एस.टी. के अभ्यर्थियों हेतु सीटें आरक्षित कर पुन: विज्ञापन जारी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**शिक्षा मंत्री** (श्री बुलाकी दास कल्ला): (1) जी हां। विद्या सम्बल योजना के अन्तर्गत दिनांक 17.10.2022 को विज्ञप्ति के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश जारी किये गये थे। उक्त दिशा-निर्देश की प्रति परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

उक्त योजना के तहत जारी विज्ञापन को निरस्त नहीं किया गया है, बल्कि उक्त योजना आदेश दिनांक 14.11.2022 के द्वारा आगामी आदेशों तक स्थगित की गई है। उक्त आदेश की प्रति परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है।

(शिक्षा मंत्री)

(2) जी नहीं। वर्तमान में उक्त योजना में एस.सी./एस.टी. के अभ्यर्थियों हेतु सीटें आरक्षित कर पुन: विज्ञापन जारी करना विचाराधीन नहीं है क्योंकि पूर्णतया अस्थायी रूप से शिक्षण कार्य हेतु गैस्ट फैकल्टी के रूप में प्रति कालांश एवं न्यूनतम अवधि तक सेवा में लिये जाने के कारण वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 30.03.2021 में आरक्षण सम्बन्धी प्रावधान नहीं रखे गये हैं। उक्त परिपत्र की प्रति परिशिष्ट "ग" पर संलग्न है।

**(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं।)**

**श्रीमती इन्द्रा** (बामनवास): क्या यह सही है कि कार्मिक विभाग के आदेश 20.01.2023 को प्रदेश में सभी संविदा की भर्तियों में आरक्षण का प्रावधान लागू किया गया है और क्या उसी आदेश की तर्ज पर क्या शिक्षा विभाग में भी गैस्ट फैकल्टी अध्यापकों की नियुक्ति में आरक्षण लागू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों नहीं?

**श्री अध्यक्ष**: यह तो तीसरा अलग प्रश्न हो गया। एक-एक प्रश्न पूछो।

**श्रीमती इन्द्रा** (बामनवास): पूरे प्रश्न एक बार में पूछ लूं?

**श्री अध्यक्ष**: पूरक प्रश्न नहीं, आपने एक अलग प्रश्न पूछा। माननीय मंत्री जी।

**श्री बुलाकी दास कल्ला** (शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने बताया कि गैस्ट फैकल्टी के ये लोग कोई एक कालांश, कोई दो कालांश या तीन कालांश के लिए रखे गये हैं। इसके बारे में वित्त विभाग ने परिपत्र जारी किया है, उसकी कापी परिशिष्ट 'ग' पर मैंने लगा दी है। इसमें कालेज एजुकेशन वगैरह में भी वर्षों से यह काम विद्या सम्बल योजना के अन्तर्गत चल रहा है और उसमें पर-पीरियड 300 रुपये, किसी में 350 रुपये देते हैं और उसमें भी मैक्सिमम अमाउंट है। इसके अलावा जैसे अभी रीट की भर्ती होगी, उसमें टीचर्स आ जाएंगे तो वे हट जाएंगे। केवल स्टाफ का अरेंजमेंट है जिसके कारण इसमें आरक्षण सम्भव नहीं है। ये डेढ़ महीने, कहीं दो महीने के लिए है और किसी व्यक्ति का स्थानान्तरण होकर वह वहां आ गया तो यह व्यक्ति हट जाएगा, इसलिए बिलकुल अस्थायी रूप से प्रति कालांश रखने का प्रावधान था। जो वित्त विभाग का परिपत्र है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि इस कारण से इसमें आरक्षण सम्भव नहीं है।

**श्रीमती इन्द्रा** (बामनवास): संविदा पर इस तरह से भर्तियां की जाती हैं, बहुत सारी भर्तियां पहले भी की गई थीं और लगातार वह क्रम चलता रहता

(श्रीमती इन्द्रा)

है, उनको हटाया नहीं जाता और फिर बाद में स्थायी करने की मांग भी वे लोग करते हैं। उस सम्बन्ध में फिर एससी, एसटी के आरक्षण पर कुठाराघात होता है क्योंकि उनकी सीटें इन पदों से भरी हुई होती हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि खण्ड2 में आपने बताया कि वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 30.03.2021 में आरक्षण का प्रावधान नहीं रखा गया है, तो क्या यह एससी, एसटी वर्ग के हितों के खिलाफ नहीं है? क्या सरकार उक्त परिपत्र में संशोधन करने का विचार रखती है?

**श्री अध्यक्ष**: माननीय सदस्या, आप एक मिनट बैठें। संविदा का रिजर्वेशन का प्रश्न अलग है और यह गैस्ट फैकल्टी में रिजर्वेशन का है। आप दो चीजों में कन्फ्यूज कर रहे हैं। माननीय कटारिया जी।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, विद्या सम्बल योजना में जो स्थायी पोस्ट है और जो खाली है उस पर ही लगाये जाने का प्रावधान है। आपने 04.10.2022 को एक आदेश निकाला था कि आपको 04 तारीख तक, फिर 17.10.2022 को इसमें अमेंडमेंट करके आपने इसको 07.11.2022 तक एप्लीकेशन देने का आधार दे दिया और उसके आधार पर बच्चों ने एप्लीकेशन दे दी। वह कितनी बड़ी संख्या में आई थी और आपने फिर 14 तारीख को इसको स्थगित किया। 14.11.2022 से अब अपन फरवरी में आ गये हैं, चार महीने तक इसके ऊपर निर्णय नहीं किया। एक तो स्थगित किस कारण से किया और आज की तारीख में लोगों के कितने प्रार्थना-पत्र वेटिंग में पड़े हुए हैं?

**श्री बुलाकी दास कल्ला** (शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जिस तरीके से अभी बामनवास से आने वाली माननीय सदस्या ने आरक्षण की मांग की, ऐसे अनेक लोगों ने इसमें आरक्षण की मांग की तथा सभी लोगों ने कहा कि इसमें आरक्षण रखा जाए। तब हमने डीओपी और वित्त विभाग से इसके सम्बन्ध में राय लेने के लिए पत्रावली को भेज दिया। फिर जो परिपत्र जारी हुआ है उसको हमने देखा तो इस सम्बन्ध में अतिशीघ्र निर्णय कर लिया जाएगा और हम कोशिश करेंगे कि विद्या सम्बल योजना के माध्यम से रिक्त पदों को भर लें।

**श्री अध्यक्ष**: एक मिनट, कटारिया जी।

**श्री बुलाकी दास कल्ला** (शिक्षा मंत्री): आपके बामनवास में 300 पदों की रिक्तियां हैं और कुल आवेदन 2,606 आये हैं। राजस्थान का यदि आप पूछ रहे हैं तो इसमें करीब-करीब 10 लाख 94 हजार 233 आवेदन पत्र आये हैं।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, मेरा पहला प्रश्न था जो माननीय सदस्या ने पूछा कि 'क्या यह सही है कि सरकार द्वारा विगत एक वर्ष में विद्या सम्बल योजना के तहत गैस्ट फैकल्टी के आधार पर विद्यालयों में अध्यापक लगाने हेतु विज्ञापन जारी किया गया? यदि हां, तो उसको निरस्त करने के क्या कारण रहे?' मैंने यही पूछा कि आपने जो विज्ञप्ति जारी की वह एक 04.10.2022 को की थी और एक 17.10.2022 को की थी तथा उसमें एक टाइम टेबल दिया था कि इस टाइम पर आपको एप्लाई करना है, इसमें हमारी स्क्रूटनी होगी, इसमें हमारी जांच होगी। जांच हो गई, स्क्रूटनी हो गई, पदों के ऊपर एप्लीकेशंस आ गईं और मैंने पूछा था कि कितनी आयी थीं, केवल बामनवास नहीं पूछा है, सारी गैस्ट फैकल्टी का पूछा है। फिर उसको आपने 04.11.2022 के दिन निरस्त कर दिया, तो तब से चार महीने हो गये, इन पोस्टों के ऊपर पढ़ाई की व्यवस्था क्या हो रही है?

**श्री बुलाकी दास कल्ला** (शिक्षा मंत्री): मैंने यह नहीं कहा कि इसको निरस्त कर दिया, यह स्थगित किया गया है। अध्यक्ष महोदय, स्थगित करने का कारण यह रहा कि बहुत से लोगों ने कहा कि इसमें आरक्षण होना चाहिए। फिर वित्त विभाग से राय ली गयी तो उन्होंने कहा कि स्टापगैप अरेंजमेंट है और लिखित में हमारे पास अभी तक राय नहीं आयी है और आते ही हम इस विद्या सम्बल योजना को लागू कर देंगे। जहां पर अध्यापकों की कमी है वहां कार्य व्यवस्थार्थ हमने कई जगह अध्यापकों की नियुक्तियां की हैं।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष जी, आप ही हमें प्रोटेक्ट करिये।

**श्री अध्यक्ष**: माननीय मंत्री जी, विद्या सम्बल योजना लागू करने की सरकार की मन्शा मैं समझ पाया हूं कि जहां स्कूल में पोस्टें खाली हैं वहां अस्थायी व्यवस्था करने के लिए करना था। रिजर्वेशन का इश्यू इसमें इसलिए आया कि जब आपने एप्लीकेशन इनवाइट की तो नम्बर आफ एप्लीकेंट ज्यादा हो गये। आपने एक जगह का नहीं लिखा तो हर बच्चे ने 5-5, 10-10 जगह एप्लाई कर दिया, तो संख्या आपकी दस लाख हो गई, तो जो परपज था कि जो खाली पड़े हुए हैं उनको भरकर पढ़ाई कराएं वह मानदण्ड ही डिफीट हो गया। इसलिए माननीय सदस्य का प्रश्न और माननीय कटारिया जी के प्रश्न का उत्तर सरकार को एड्रेस करना चाहिए कि आप यदि विद्या सम्बल में गैस्ट फैकल्टी करना चाहते हो तो फिर गैस्ट फैकल्टी का अधिकार स्कूल को दे दो, वह अपने आप उसमें व्यवस्था कर लेंगे। यदि संविदा में करना चाहते हो जैसे सरकार बाद में भर्ती में उनको प्राथमिकता देती है, तो फिर आरक्षण

(श्री अध्यक्ष)

का जो लाभ है उसके सम्बन्ध में नियम बनाकर करना चाहिए, लेकिन साल भर तक विद्या सम्बल नहीं होने से बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रही है। इस प्रश्न के माध्यम से आपके नोटिस में खाली यह रहे कि हम कैसे तीव्र गति से इसका निर्णय करें जिससे अध्यापकों की व्यवस्था हो सके।

**श्री बुलाकी दास कल्ला** (शिक्षा मंत्री): हम हैड आफ द डिपार्टमेंट पर ही छोड़कर प्राचार्य को यह अधिकार दे देंगे कि उनके पास प्राप्त एप्लीकेशन के आधार पर गैस्ट फैकल्टी के रूप में इनको रख लें। इस सम्बन्ध में वित्त विभाग से बातचीत कर शीघ्र इसको लागू कर देंगे।

**श्री अध्यक्ष**: I am sorry to intervene. फिर प्रोब्लम आएगी। फिर वे एस.सी., एस.टी. के बच्चे रहेंगे, तो आपको क्लियरकट रखना पड़ेगा कि किसी स्कूल में 10 वैकेंसी हैं तो एससी, एसटी के रोस्टर के अनुसार प्राथमिकता देगी, तो उनका भी पूरा हो जाए और इनका भी पूरा हो जाएगा। इन दोनों चीजों का इनकार्पोरेट नहीं करेंगे तो फिर यह झगड़ा हो जाएगा इसलिए मैं समझता हूं कि इस बारे में पूरा स्पष्ट डायरेक्शन देंगे तो रास्ता निकलेगा।

अगला प्रश्न। श्री कालीचरण सराफ।

## मालवीय नगर में विधायक कोष से अभिशंसित कार्य

**3. श्री कालीचरण सराफ** (मालवीय नगर): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र मालवीय नगर के वार्ड नं. 144 में कृष्णा नगर स्थित नाले पर बोक्स डालने एवं सड़क निर्माण कार्य हेतु विधायक कोष से अभिशंसा कर कार्यकारी एजेन्सी जयपुर नगर निगम ग्रेटर को बनाया गया था? यदि हां, तो कब व उक्त कार्य की प्रशासनिक, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति कब-कब जारी की गई? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त कार्य पूर्ण हो गये हैं? यदि हां, तो कब व नहीं, तो इसके लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं व उसके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**स्वायत्त शासन मंत्री** (श्री शान्ती कुमार धारीवाल): (1) जी हां। माननीय विधायक महोदय द्वारा अपने पत्र दिनांक 09.03.2022 को मुख्य

(स्वायत्त शासन मंत्री)

कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, जयपुर को उक्त कार्य की अभिशंसा की गई। इस अभिशंसा के क्रम में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, जयपुर ने 16.03.2022 को नगर निगम (ग्रेटर), जयपुर को कार्य की तकनीकी रिपोर्ट भिजवाये जाने हेतु पत्र लिखा गया। यानी कि एक महीने के अन्दर-अन्दर जिला परिषद् के सीईओ ने नगर निगम को पत्र लिख दिया। इस सम्बन्ध में नगर निगम के द्वारा 12.04.2022 को तकनीकी रिपोर्ट, भू-स्वामित्व की रिपोर्ट जिला परिषद् कार्यालय को प्रेषित की गई। इसके पश्चात नगर निगम के द्वारा 16.05.2022 को तकनीकी स्वीकृति जारी की गई। जिला परिषद् के द्वारा उक्त कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति 18.05.2022 को एवं वित्तीय स्वीकृति दिनांक 19.09.2022 को जारी की गई है। वित्तीय स्वीकृति जरूर चार महीने के डिले के बाद जारी की गई है, प्रशासनिक स्वीकृति तो जारी हो गई है।

(2) जी नहीं। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, जयपुर से उक्त कार्य की स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात्, कार्यकारी एजेन्सी जयपुर नगर निगम (ग्रेटर) द्वारा नियमानुसार निर्धारित प्रक्रिया के तहत दिनांक 16.01.2023 को निविदा आमंत्रित कर ली गई है।

**श्री कालीचरण सराफ** (मालवीय नगर): पांच महीने बाद।

**श्री शान्ती कुमार धारीवाल** (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): जिसे खोले जाने हेतु दिनांक 30.01.2023 नियत है। निविदा खोले जाने के उपरान्त यथासम्भव शीघ्र कार्य पूर्ण करवाया जायेगा।

**श्री कालीचरण सराफ** (मालवीय नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, वित्तीय स्वीकृति सितम्बर में जारी हुई और यह प्रश्न लगने के बाद 16.01.2023 को उसकी निविदा जारी की गई। यानी, वित्तीय स्वीकृति जारी होने के पांच महीने बाद, तो इसके लिए कौन अधिकारी दोषी है और उसके खिलाफ आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? ये बताइये।

**श्री शान्ती कुमार धारीवाल** (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): देखा जाए तो यह सितम्बर का महीना था।

**श्री कालीचरण सराफ** (मालवीय नगर): सितम्बर, अक्टूबर, नवम्बर, दिसम्बर और जनवरी।

**श्री शान्ती कुमार धारीवाल** (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): दिनांक 19.09.2022 को वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है।

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

दिनांक 19.09.2022 के बाद में यह टेण्डर हुआ, दिनांक 16.01.2023 को, तो आप इसको चार महीने गिन रहे हैं, पर आप यह भी देखिये कि उन दिनों में त्योहारों का सीजन था।

**श्री कालीचरण सराफ** (मालवीय नगर): क्या था?

**श्री शान्ती कुमार धारीवाल** (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): दशहरा था, दीवाली थी।

**श्री कालीचरण सराफ** (मालवीय नगर): साहब, ये भी कोई जवाब है। यानी, आप देखिये कि मेलाफाइडली...

**श्री अध्यक्ष**: ये गलत बात है। वे बोल रहे हैं और आप खड़े हो रहे हैं। यह क्या तरीका है? यह गलत बात है।

**श्री कालीचरण सराफ** (मालवीय नगर): पांच महीने तक?

**श्री शान्ती कुमार धारीवाल** (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): दूसरी बात बता रहा हूं, जो असल कारण रहा कि प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करने के बाद क्षेत्र के निवासियों के द्वारा एक रिप्रजेंटेशन जयपुर विकास प्राधिकरण को दिया गया। जयपुर विकास प्राधिकरण ने उस पर विस्तृत रूप से जांच की और जांच करने के बाद उन्होंने 27.02.2022 को नगर निगम को यह पत्र लिखा। उसमें उन्होंने यह लिखा कि उक्त कार्य को करवाने के बाद भी जल भराव की समस्या से निजात पाना सम्भव नहीं हो सकेगा। आप मेरी बात सुन लीजिए। चार महीने तक बराबर वे जांच करते रहे और जांच करने के बाद में बारिश के टाइम पर भी देखा और उन्होंने कहा कि यह काम करवाने के बाद में भी जल भराव रहेगा। उसके बाद आपके द्वारा मौखिक रूप से निवेदन किया गया, जयपुर विकास प्राधिकरण को भी किया गया और नगर निगम को भी किया गया, तो आपके कहने के उपरान्त फिर 16.01.2023 को यह निकली है।

इसका मुख्य कारण यह रहा कि एक तो दीवाली, दशहरा वगैरह-वगैरह इस तरीके के कई त्योहार थे और इन त्योहारों के बाद में, फिर एक झगड़ा और पैदा हो गया था कि आपके क्षेत्र के कई नागरिकों के द्वारा जो रिप्रजेंटेशन दिया गया, उस पर जांच बैठाई गई, सब कुछ किया गया। उन्होंने आपके एडवर्स रिपोर्ट दी। उसके बाद में भी आपके मौखिक रूप से निवेदन करने के बाद भी यह काम चालू किया गया, तो इसमें कोई किसी भी प्रकार का डिले नहीं है।

**श्री कालीचरण सराफ** (मालवीय नगर): माननीय अध्यक्ष महादेय, बॉक्स डालने का काम नगर निगम का है। इसमें जेडीए कहां से आ गया? नम्बर एक। दूसरा, यदि नगर निगम को यह फिजिबल नहीं लगा तो उन्होंने तकनीकी स्वीकृति क्यों जारी की? तकनीकी स्वीकृति जारी करने का मतलब यह था कि यह काम फिजिबल है और यह होना चाहिए। मैं फिर आपको बता रहा हूं, इसको मेलाफाइडली पांच महीने रोका गया और वहां पर एक ए.ईएन के द्वारा, वहां के नागरिकों...

**श्री अध्यक्ष**: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछिए।

**श्री कालीचरण सराफ** (मालवीय नगर): कितना ही जोर लगा लो, कितना ही पैसा दे लो, मैं इस काम को किसी हालत में नहीं होने दूंगा। मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि ऐसे नाकारा और निक्कमे ए.ईएन को बर्खास्त करें और उसके खिलाफ कार्रवाई करें।

**श्री शान्ती कुमार धारीवाल** (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अगर आप लिखित में ये दे देंगे कि, साहब, इस तरीके से कोई जे.ईएन की गलती रही है।

**श्री कालीचरण सराफ** (मालवीय नगर): मैं आपको बता रहा हूं।

**श्री शान्ती कुमार धारीवाल** (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): तो मैं उसकी जांच करवा लूंगा।

**श्री कालीचरण सराफ** (मालवीय नगर): आप यह देख रहे हैं, पांच महीने वित्तीय स्वीकृति जारी हुए हो गये।

**श्री अध्यक्ष**: माननीय सराफ साहब, आप सीनियर आदमी हैं। मंत्रीजी खड़े हैं और आप खड़े हो जाते हैं। आप उत्तर तो सुनना ही नहीं चाहते हैं। अपनी बात को रिकार्ड करना चाहते हैं, यह गलत बात है। आप सुनो तो सही, फिर अपनी बात करो।

**श्री शान्ती कुमार धारीवाल** (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आप यह नहीं सोचें कि ये आपका क्षेत्र है इस वजह से, आपके क्षेत्र में तो 87 काम रोड्स के हुए हैं, जिन पर 70 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। जो अदर वर्क्स लेते हैं, चाहे पार्क का हो, बिजली का हो, फुटपाथ का हो, ये लेवें, वे लेवें, 195 काम हुए हैं, जिन पर 95 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। 195 कामों पर 95 करोड़ रुपया खर्च हुए हैं और 15 प्रोजेक्ट आपके यहां पर चल रहे हैं, जो कि 1,142 करोड़ रुपये के हैं।

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

इस प्रकार से कुल मिलाकर 1,308, ये पार्शलिटी का आरोप मत लगाइये, 1,308 करोड़ रुपये एक अकेले मालवीय नगर विधान सभा क्षेत्र में खर्च किये जा रहे हैं।

**श्री अध्यक्ष**: माननीय सदस्य, प्लीज।

अगला प्रश्न। श्री गुलाब चन्द कटारिया।

## प्रदेश में हरियाली बढ़ाने का लक्ष्य

**4. श्री गुलाब चन्द कटारिया** (नेता, प्रतिपक्ष): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विगत पन्द्रह वर्षों में विभाग द्वारा हरियाली बढ़ाने का लक्ष्य 33 प्रतिशत था, उसकी तुलना में मात्र 0.9 प्रतिशत की ही वृद्धि हुई है? यदि हां, तो क्या सरकार इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि प्रदेश के चौदह जिलों में वर्ष 2019 की तुलना में हरियाली कम हुई है तथा जालौर जिले में 32 स्क्वायर किमी. तथा करौली में 26 फीसदी हरियाली में कमी हुई है?

(3) क्या सरकार प्लांटेशन के लिये प्रतिवर्ष 200 करोड़ रुपये का प्रावधान रखती है? यदि हां, तो विगत पांच वर्षों में उक्त योजना में कितनी धन राशि व्यय की गई व किस-किस जिले में कितने-कितने प्रतिशत हरियाली में वृद्धि हुई है? विवरण की सदन की मेज पर रखें।

**वन मंत्री** (श्री हेमाराम चौधरी): (1) जी नहीं।

(2) जी हां। भारतीय वन सर्वेक्षण की इंडिया स्टेट आफ फोरेस्ट रिपोर्ट वर्ष, 2021 अनुसार वर्ष 2019 के सापेक्ष जालौर जिले में 32.46 वर्ग किमी तथा करौली में 26.16 वर्ग किमी वनावरण कम हुआ है।

(3) जी हां। गत तीन वर्षों में वृक्षारोपण हेतु विभिन्न योजनान्तर्गत प्रतिवर्ष 200 करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान रखा गया है। गत पांच वर्षों में वृक्षारोपण कार्यों में आबंटित व व्यय राशि का विवरण एवं जिलेवार वनावरण में वृद्धि का विवरण क्रमश: परिशिष्ट 'ए' एवं 'बी' पर संलग्न है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)**

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, माननीय

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

मंत्री महोदय ने पहले उत्तर में कहा कि, जी नहीं। भारतीय वन सर्वेक्षण की इंडिया स्टेट आफ फोरेस्ट रिपोर्ट, 2021, ये आपने देखी है।

**श्री हेमाराम चौधरी** (वन मंत्री): देखी है।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** (नेता, प्रतिपक्ष): अगर इसको देखा है तो मैंने इसको गूगल से निकाला है। उस समय राजस्थान का फोरेस्ट एरिया था 16,655 किलोमीटर और उसमें 4.87 परसेंटेज है और अभी आपने मुझे जो उत्तर दिया है, थोड़ा-सा आप भी उसको देखना और डिपार्टमेंट को भी दिखाना। आपने मुझे कहा है कि 14 जिले ऐसे हैं जिनमें फोरेस्ट एरिया घटा है। मैंने एक-एक को नोट किया है और आपका उत्तर भी बिलकुल इससे मैच खा रहा है। जिस जिले में आपका कम हुआ है, जालौर में माइनस 32 स्क्वायर किलोमीटर आपने माना है। इसी तरह से आपने करौली में भी माना है, माइनस 26 और यह भी माना कि 14 जिले में फोरेस्ट एरिया कम हुआ है। इस रिपोर्ट के तहत और ये सारा मिलाकर के 106.78 वर्ग किलोमीटर कम हुआ है और 19 जिले में जो बढ़ा है, वह 132.23 वर्ग किलोमीटर बढ़ा है। इन दोनों का बाकी निकालने के बाद 26 वर्ग किलोमीटर एरिया आपका फोरेस्ट का बढ़ा है, तो टोटल एरिया जो गूगल पर निकाला है वह 16,655 है, तो यह जो 26 किलोमीटर का एरिया बढ़ा है, यह 0.9 से भी कम है या नहीं है? पहला प्रश्न।

दूसरा, आपने हमको इसमें एक फिगर दिया है कि आपने इन पांच वर्षों में कितना पैसा खर्च किया है। आपको कुल 1,342 करोड़ की राशि पांच साल में आबंटित हुई थी और आपने 1,226 करोड़ खर्च कर दिया और उसके बाद भी आपका 0.9 वर्ग किलोमीटर एरिया बढ़ा है। यह 0.9 सही है कि नहीं है? इतना पैसा खर्च करने के बाद भी राजस्थान में इस रिपोर्ट के आधार पर फोरेस्ट एरिया नहीं बढ़ा है।

**श्री हेमाराम चौधरी** (वन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह राष्ट्रीय वन नीति, 1988 के अनुसार राष्ट्र के सम्पूर्ण भू-भाग पर 1/3 वनाच्छादित होना चाहिये, परन्तु राजस्थान प्रदेश की विषम जलवायु एवं मृदा लक्षणों के कारण राजस्थान राज्य वन नीति, 2010 के अन्तर्गत बीस प्रतिशत हरियाली का लक्ष्य रखा गया। अब आप कह रहे हैं कि भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की इंडिया स्टेट आफ फोरेस्ट रिपोर्ट, 2005 के अनुसार 15,850 वर्ग किलोमीटर था और 2021 की रिपोर्ट के अनुसार 16,655 वर्ग किलोमीटर था जो कि

(श्री हेमाराम चौधरी)

पन्द्रह वर्षों में 804.96 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, जो लगभग 5.07 प्रतिशत है।

अब वर्ष 2005 के सापेक्ष वर्ष 2021 में भारतीय वन सर्वेक्षण की रिपोर्ट अनुसार जिलेवार तुलनात्मक वृद्धि एवं कमी हुई है, उसके आंकड़े भी मेरे पास हैं। अगर आप चाहें तो मैं पढ़ सकता हूं जिलेवार, लम्बी सूची है और दूसरा राजस्थान राज्य वन नीति, 2020 की भी कापी आप चाहें तो दे सकता हूं। रहा सवाल प्रदेश में 14 जिलों में 2019 की तुलना में हरियाली कम हुई है तथा जालौर जिले में 32 और करौली में 26, यह भारतीय वन सर्वेक्षण की इंडिया स्टेट आफ फोरेस्ट रिपोर्ट, 2019 एवं 2021 में उपलब्ध अनुसूचित वन क्षेत्र रिकार्डेड फोरेस्ट तथा अधिसूचित वन क्षेत्र के बाहर वनावरण के आंकड़ों की तुलना है।

यह जो फोरेस्ट एरिया है, यह जो सर्वे है उसमें फोरेस्ट एरिया भी है और नॉन-फोरेस्ट एरिया भी है, जिस नॉन-फोरेस्ट एरिया में वन है वह भी उसमें शामिल है। यह जो कमी हुई है यह वन क्षेत्र से बाहर हुई है वन क्षेत्र जो रिकार्डेड फोरेस्ट है हमारा उसमें कमी नहीं है जिसका तुलनात्मक विवरण की भी सूची मेरे पास है, जो अगर आप चाहें तो मैं पढ़कर सुना देता हूं, लम्बी सूची है और जालौर जिले की जहां तक बात है तो जालौर जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल 10,640 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से वन भूमि 511 वर्ग किलोमीटर है। जालौर जिले में 2019 की तुलना में वन क्षेत्र में हरियाली कहीं नहीं घटी है, वन क्षेत्र की बात कर रहा हूं, जो वन क्षेत्र से बाहर है, इस सर्वे में वह क्षेत्र भी शामिल किया गया है और निवेदन करूं, जालौर जिले में ग्राम पंचायतों द्वारा विभिन्न स्थानों पर जैसे बबूल है वहां बबूल की बहुत झाड़ियां हैं और वह भी इस सर्वे में हरियाली में शामिल हो गई और बबूल की झाड़ियां हैं, उनको काट करके वो पंचायतें कोयला बेचती हैं तथा वापस जो सर्वे हुआ उसमें वह हरियाली नहीं है। इस वजह से इसमें कमी आयी है, ऐसा मानना है।

करौली जिले में हरियाली कम होने के सम्बन्ध में अध्ययन रिपोर्ट हमारे पास नहीं है, पर मौका स्थिति में वन में हरित आच्छादन की स्थिति में कहीं कमी नहीं आयी है, फोरेस्ट की बात कर रहा हूं। कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल), राजस्थान के 18.01.2023 के द्वारा महानिदेशक, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग, देहरादून को जालौर एवं करौली जिले के

(श्री हेमाराम चौधरी)

वनावरण में नकारात्मक वृद्धि के सम्बन्ध में आंकड़ों के पुन: परीक्षण हेतु लिखा जा चुका है कि इसका दुबारा से सर्वे करें जिससे कि स्पष्ट हो जाये कि यह कमी है वह किस कारण से हुई। फोरेस्ट के बाहर से भी हुई तो किस कारण से हुई, उसका क्या कारण रहा, इसलिये उनको लिखा जा चुका है।

तीसरा, आपने प्लान्टेशन के बारे में कहा, पैसा खर्च हुआ तो जो पैसा खर्च हुआ, उसकी सूची आपको उपलब्ध करा दी गयी है। उसमें फोरेस्ट एरिया में कहीं कमी नहीं हुई है। खास करके यह जो फोरेस्ट बाहर हुआ है और खास करके यह जो बबूल के पेड़ हैं इनकी समस्या है। यह जो विलायती बबूल है यह बहुत ही खराब है, इसको कोई पसन्द नहीं कर रहा है और इससे भूमि नष्ट हो रही है। फोरेस्ट वाले भी इसको पसन्द नहीं कर रहे हैं लेकिन फोरेस्ट के पास तो इतना पैसा नहीं है कि वो सारे फोरेस्ट में जितने लगे हुए हैं उनको निकाल करके दूसरे लगायें क्योंकि दूसरी वनस्पति भी लगानी पड़ेगी, लेकिन प्राइवेट जो जमीन है वहां काश्तकार उसको निकाल रहे हैं, उनकी जमीन नष्ट हो रही है। इसलिये पंचायतों ने उसकी इजाजत दे दी, उस वजह से हो रहा है और जहां तक वनों और बीहड़ों के सुधार करने से वनों की गुणवत्ता एवं घनत्व में सुधार हुआ है, उसके बारे में आप कहो तो मैं आपको अलग से बता दूं।

वनों का जहां तक प्रश्न है एक तो सघन वन, एक घने वन और एक खुले वन, तो सघन वनों में 2019 में 72 वर्ग किलोमीटर और 2021 में 74 वर्ग किलोमीटर हुआ, तो 2 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई और घने वनों में 2019 में 3,931 वर्ग किलोमीटर और 2021 में 3,999 वर्ग किलोमीटर, इस प्रकार 68 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। खुले वनों में 2019 में 8,297 वर्ग किलोमीटर है।

**श्री अध्यक्ष**: माननीय मंत्री जी, ब्रीफ में लिमिटेड जो प्रश्न है उसी का जवाब दे दें। बात खतम। माननीय सदस्य।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** (नेता, प्रतिपक्ष): मैं एक बार और डिटेल में पूछ लेता हूं।

**श्री हेमाराम चौधरी** (वन मंत्री): मोटे रूप में जो कमी आयी है वह वन क्षेत्र के बाहर का क्षेत्र है, उस सर्वे के अन्दर बाहर का क्षेत्र भी उसमें शामिल होता है। जो आप भू-सर्वेक्षण आफ इंडिया की रिपोर्ट की बात कर रहे हैं उसमें वह शामिल होने की वजह से यह स्थिति है।

**श्री अध्यक्ष**: माननीय कटारिया जी।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत नम्रतापूर्वक कह रहा हूं कि जो फोरेस्ट रिपोर्ट 2021 की आयी है, वह 15 वर्ष की है। 2006 में जो हमारा एरिया था जिस पर यह फोरेस्ट था, वह एरिया था आपका 4.86 प्रतिशत टोटल जो आपका एरिया था। 15 साल के बाद आपके इतने सब प्रयत्न करने के बाद केवल 0.9 प्रतिशत फोरेस्ट एरिया बढ़ा है और उस पर आपके 1,200 करोड़ रुपये से अधिक खर्च हुआ है और 01 प्रतिशत भी नहीं 0.9 प्रतिशत ही एरिया बढ़ा है, तो यह आपके विभाग की तस्वीर को जनता के बीच में रख रहा है। कृपा करके इस ओथेन्टिक कागज को देखने के बाद डिपार्टमेंट से पूछताछ तो करो कि आखिर यह हो क्या रहा है?

**श्री हेमाराम चौधरी** (वन मंत्री): यह आप 0.9 की कह रहे हो, वह मैंने कहा न कि वन क्षेत्र से बाहर है। फोरेस्ट लैंड जो रिकार्डेड हमारा फोरेस्ट है उससे बाहर है, वह शामिल करने से 0.9 आ रहा है।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** (नेता, प्रतिपक्ष): मैं अपने मन से नहीं, इस रिपोर्ट के आधार पर प्रश्न पूछ रहा हूं।

**श्री अध्यक्ष**: माननीय सदस्य, आप दूसरे ढंग से लेकर के आयें, डिटेल में करेंगे। इस प्रश्न में इतना डिटेल नहीं हो पायेगा। आप दूसरे ढंग से लेकर के आयें, फिर हाउस में डिस्कस करें।

अगला प्रश्न। श्रीमती सफिया जुबेर।

## ढाढोली ग्राम (रामगढ़) की चरागाह भूमि का नामान्तरण

**5. श्रीमती सफिया जुबेर** (रामगढ़): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम ढाढोली, तहसील रामगढ़ जिला अलवर में चरागाह एवं यू.आई.टी., अलवर के नाम दर्ज भूमि का व्यक्तिगत नाम से नामान्तरण खोला गया है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त आबंटन, नामान्तरण खोले जाने वाले दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**राजस्व मंत्री** (श्री रामलाल जाट): (1) ग्राम ढाढोली, तहसील रामगढ़, जिला अलवर में सरकार के नाम दर्ज चरागाह भूमि खसरा नं. 327 रकबा 8.28 हैक्टे. में से रकबा 6.44 हैक्टे., खसरा नं. 328 रकबा 1.28 हैक्टे. पूर्ण कित्ता-02 रकबा 7.72 हैक्टे. का नामान्तरकरण संख्या 380, दि. 30.06.2020

(राजस्व मंत्री)

से भंवरसिंह पुत्र भगवानसिंह राजपूत सा. देह खातेदार व खसरा नं. 310 रकबा 0.13 हैक्टेयर, खसरा नं. 311 रकबा 0.32 हैक्टेयर, खसरा नं. 312 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नं. 313 रकबा 1.40 हैक्टेयर, खसरा नं. 314 रकबा 2.82 हैक्टेयर किता-05 रकवा 4.72 हैक्टेयर का नामान्तरकरण संख्या 381, दि. 01.07.2020 से नादानसिंह, जगदीशसिंह पि. हरीसिंह, संजूसिंह, सतीशसिंह पि. शैतानसिंह रघुवीरसिंह रतनसिंह पिं. भंवरसिंह, देवेन्द्रसिंह गजराजसिंह पि. विजयसिंह जाति राजपूत सा. देह खातेदार के नाम नामान्तरकरण खोले गये हैं।

उक्त ग्राम ढाढोली में यू.आई.टी. अलवर की भूमि का व्यक्तिगत नाम से नामान्तकरण नहीं खोला गया है।

(2) जी हां। ग्राम ढाढोली में नामान्तरकरण सं. 380 व 381 को खोले जाने वाले संबंधित पटवारी श्री नारायण लाल चौधरी एवं नामान्तरकरण जांच करने वाले संबंधित भू.अ. निरीक्षक श्री ओमकारसिंह सैनी के विरुद्ध सी.सी.ए. नियम-16 के तहत विभागीय जांच कार्रवाई प्रक्रियाधीन है एवं उक्त नामान्तरकरणों को स्वीकृत करने वाले संबंधित नायब तहसीलदार (कार्यवाहक तहसीलदार रामगढ़) श्री घमण्डीराम मीणा को राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा दिनांक 15.07.2022 से निलम्बित किया गया है तथा सी.सी.ए. नियम-16 के तहत विभागीय जांच कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

**श्रीमती सफिया जुबेर** (रामगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहूंगी कि यह जमीन कब आबंटित हुई और इन खसरे नंबरों का इंतकाल किसी समिति द्वारा आबंटन करने पर या किसी न्यायालय द्वारा निर्णय के आधार पर किया गया, यह स्पष्ट करें। अगर किसी सक्षम न्यायालय के निर्णय पर खोला गया तो किस-किस न्यायालय द्वारा यह आदेश पारित किये गये?

**श्री रामलाल जाट** (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, पहली बात तो यह जमीन आबंटित नहीं हुई, यह जमीन उप-खण्ड अधिकारी, रामगढ़ के निर्णय दिनांक 20.07.2018 को कोर्ट का फैसला हुआ, उसके आधार पर 30.06.2020 को यह नामांतरण खोला गया। यह उप-खण्ड अधिकारी कोर्ट से हुआ है। जब यह संज्ञान में आया तो हमने सीनियर अधिकारी टी. रविकांत जी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई और उन्होंने जो रिकमंड किया, उसके आधार पर हमने सस्पेंड भी किये और यह कोर्ट का आदेश था, इसमें हमने आगे की कोर्ट में अपील भी की है। यह 20.07.2018 को कोर्ट का आदेश हुआ है, आबंटन नहीं हुआ, कोर्ट का फैसला था।

**श्रीमती सफिया जुबेर** (रामगढ़): अध्यक्ष महोदय, क्या स्थानीय ग्राम पंचायत को भी इसमें पार्टी बनाया गया था? यदि हां, तो तत्कालीन ग्राम पंचायत ने इस प्रकरण में क्या कार्रवाई की और सरकार द्वारा इसमें एक सीनियर आईएएस की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी बनाई है, तो उस जांच में अभी तक क्या-क्या रिपोर्टें सरकार को पेश की गई हैं?

**श्री रामलाल जाट** (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जांच कमेटी की तथ्यात्मक रिपोर्ट है, आप चाहे तो मैं पढ़कर सुना दूं। कमेटी की रिकमंडेशन को समस्त कलेक्टर्स को भी दी गई और स्पेशल जिला कलेक्टर, अलवर को भी दी गई और उसमें अपील की गई। उन्होंने न्यायिक अधिकारी के विवेक पर प्रश्न नहीं लगाया हालांकि उसमें उन्होंने संबंधित अधिकारी की गलती भी मानी, लेकिन कोर्ट का कोई भी डिसिजन गवर्नमेंट के खिलाफ जाता है तो हमने हमारे अधिकारियों को पहले भी यह निर्देश दे रखा है और हमने दुबारा रिमाइंडर भी दिया है, उसको अपील में जाना चाहिये। वह अपील में नहीं गये और चूंकि कोर्ट का डिसिजन होता है तो सीधा तहसीलदार के पास जाता है, ग्राम पंचायत में नहीं जाता है। इसी के आधार पर उन्होंने जल्दबाजी करके खोला, तो जैसे ही हमारे संज्ञान में आया, हमने कमेटी गठित की। हमने तहसीलों को ऑनलाइन भी कर दिया, यह भी एक सिफारिश थी। इसमें 392 में से 380 तहसीलें हमारी ऑनलाइन हो गईं। सभी संबंधित कलेक्टर्स को हमने इसके लिए निर्देशित भी किया, रेवेन्यू बोर्ड को भी निर्देशित किया। इन सबकी चिट्ठियां हमने लगा रखी हैं, आपका आदेश हो तो कमेटी की तथ्यात्मक रिपोर्ट पढ़ दूं।

**श्री अध्यक्ष**: माननीय सदस्या, आप क्या चाहती हैं? What do you want?

**श्रीमती सफिया जुबेर** (रामगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं यह चाहती हूं कि अगर यह चरागाह जमीन आबंटित हो जाती है तो हमारी गायें कहां चरने जायेंगी? यह पूरे राजस्थान का मसला है। बड़े-बड़े केसेज हैं जहां 100-100 बीघा चरागाह जमीन को आबंटित कर दिया गया है और वह भी पर्सनल लोगों को। कोई सरकारी संस्थान आ रहा है तो समझ आती है लेकिन किसी व्यक्ति विशेष को आबंटन करना, मुझे लगता है कि यह काफी गलत है। इस पर सरकार को कोई फैसला करना चाहिये।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय के जवाब से यह तो साफ है कि इस नामांतरण को खोलने में

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

अधिकारियों की गलती हुई और इसीलिए आपने उनके खिलाफ निलम्बन का और 16 सीसीए की कार्रवाई शुरू की, लेकिन अभी तक इस नामांतरण को निरस्त किया या नहीं किया?

**श्री रामलाल जाट** (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, नामांतरण खुलने के बाद जो प्रक्रिया है, उसके तहत हमने कोर्ट में निरस्त करने की अपील कर दी। यह उप-खण्ड अधिकारी का निर्णय था। निर्णय में तथ्यात्मक रिपोर्ट मेरे पास है। उसमें उन्होंने कहा है कि यह पहले उसके पूर्वजों के खाते में थी इसलिए उसने निर्णय कर दिया। किसी भी डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट की किसी भी जमीन का फैसला अगर गवर्नमेंट के खिलाफ आता है तो उसके लिए संबंधित अधिकारी को अपील में जाना चाहिये, नो अपील लेनी चाहिये। इसमें उन्होंने नहीं किया तो यह गलती की है, यह कमेटी ने भी माना है। इसमें हमने नामांतरण निरस्त करने के लिए भी अपील कर दी और इसके जजमेंट को रिजेक्ट करने की भी अपील कर दी। दोनों जगह हमने हमारे अधिकारियों के द्वारा अपील करवा दी और संबंधित जो दोषी पाया गया, उनको 16 सीसीए का नोटिस दे दिया जो बहुत खतरनाक स्थिति में है और उनको सस्पेंड भी कर दिया।

**श्री अध्यक्ष**: अगला प्रश्न। श्री रामलाल।

## प्रतापगढ़ के मंदिरों के विकास की कार्ययोजना

**6. श्री रामलाल मीणा** (प्रतापगढ़): क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र प्रतापगढ़ के कमलेश्वर महादेव, नीलकण्ठ महादेव केरवास, रिछड़ी महादेव, गुप्तेश्वर महादेव, दीपेश्वर महादेव, सीतामाता, झरनी एवं कामाता आदि स्थानों को पर्यटन हेतु विकसित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**राज्य मंत्री, पर्यटन** (श्री मुरारी लाल): विधान सभा क्षेत्र प्रतापगढ़ के कमलेश्वर महादेव, नीलकण्ठ महादेव केरवास, रिछड़ी महादेव, गुप्तेश्वर महादेव, दीपेश्वर महादेव, सीतामाता, झरनी एवं कामाता आदि स्थानों को पर्यटन हेतु विकसित करने का प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

**श्री रामलाल मीणा** (प्रतापगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या सरकार भविष्य में इन स्थानों को विकसित करने का विचार रखती है?

**श्री मुरारी लाल** (राज्य मंत्री, कृषि विपणन): अध्यक्ष महोदय, बजट की उपलब्धता के आधार पर विचार किया जायेगा।

**श्री अध्यक्ष**: अगला प्रश्न। श्री पब्बाराम।

## फलौदी में आगजनी का मुआवजा

**7. श्री पब्बाराम** (फलौदी): क्या आपदा प्रबन्धन एवं सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र फलौदी में दिनांक 01 जनवरी, 2019 से दिनांक 01 दिसम्बर, 2022 तक आगजनी की कितनी घटनाएं हुई हैं? इससे कितने परिवारों को आर्थिक हानि हुई व कितनी राशि का मुआवजा दिया गया? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में आगजनी की घटनाओं में आर्थिक सहायता देने के लिए वर्तमान में कितने प्रकरण लम्बित हैं एवं उनका कब तक निस्तारण कर दिया जाएगा? क्या सरकार मुआवजा राशि बढ़ाने का विचार रखती हैं? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? आर्थिक सहायता दिये जाने के लम्बित प्रकरणों का संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार बाप उप-खण्ड मुख्यालय पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**आपदा प्रबंधन एवं सहायता मंत्री** (श्री गोविंद राम): (1) विधान सभा क्षेत्र फलौदी में 01 जनवरी, 2019 से 31 दिसम्बर, 2022 तक आगजनी की कुल 82 घटनाएं हुई हैं। 69 पीड़ित परिवारों को आर्थिक हानि होने पर कुल सहायता राशि 6,64,000/- रुपये का भुगतान किया गया, जिसका नामवार विवरण परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न है।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में आगजनी की घटनाओं में आर्थिक सहायता देने के लिए वर्तमान में 13 प्रकरण लम्बित हैं। नियमानुसार दस्तावेज प्रस्तुत करने पर शीघ्र भुगतान कर दिया जायेगा।

भारत सरकार द्वारा दिनांक 10.10.2022 को जारी नोर्म्स के अनुसार राज्य आपदा मोचन निधि से दी जाने वाली सहायता राशि बढ़ा दी गई है।

लम्बित प्रकरणों का संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट-"ब" पर संलग्न है।

(3) आगजनी की घटना घटित होने पर नजदीक के फायर स्टेशन से अग्निशमन वाहन भिजवाया जाता है।

(आपदा प्रबंधन एवं सहायता मंत्री)

वर्तमान में बाप उप-खण्ड मुख्यालय पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)**

**श्री पब्बाराम** (फलौदी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में कुल 82 ऐसी आगजनी की घटना थी, उसमें से 13 का बकाया है और 69 में इन्होंने पेमेंट कर दिया। अगर आप इनमें नुकसान का जायजा और उसके बाद मुआवजे की राशि को देखेंगे तो पायेंगे कि नुकसान का आकलन हुआ है 89,05,150 रुपये और मुआवजा राशि 6,64,000, यानी कि ऊंट के मुंह में जीरे के समान मुआवजा राशि मिली है। आपने कहा कि राशि बढ़ा दी गई है परंतु राशि इतनी पर्याप्त होनी चाहिये ताकि कम से कम वह परिवार वापस सरवाइव कर सके, आगे बढ़ सके और अपना जीवनयापन कर सके। अगर कम है तो राज्य की तरफ से भी कुछ ऐसा किया जाना चाहिये।

मेरा दूसरा सवाल है कि उप-खण्ड कार्यालय बाप जो कि फलौदी से 35 किलोमीटर दूर पड़ता है और फलौदी के चारों तरफ एक ही अग्निशमन सेवा है। लोहावट में भी वही जाती है, आहू में भी वही जाती है, देचू में भी वही जाती है परंतु बाप क्षेत्र इतना दूर-दूर तक फैला हुआ है यानी कि बोडिया नोखडा जो बाप से 100 किलोमीटर दूर है और रोहिणा मूंगडी 100 किलोमीटर दूर है, रोडाबडला 100 किलोमीटर दूर है और जैसलमेर का नोख भी यहां आता है और यहां से अग्निशमन सेवा ले जाता है। यानी कि इतनी दूर तक......

**श्री अध्यक्ष**: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछिए, प्रश्न पूछिए।

**श्री पब्बाराम** (फलौदी): मेरा आपसे यह निवेदन है कि आप बाप को एक अग्निशमन वाहन उपलब्ध करवा दें।

**श्री गोविंद राम** (आपदा प्रबंधन एवं सहायता मंत्री): अध्यक्ष महोदय, हमारे जो आदान अनुदान की राशि दी जाती है वह एसडीआरएफ और एनडीआरएफ नियमों के अनुसार दी जाती है। जहां तक अग्निशमन की बात है, हमने 2019-20 में 200 अग्निशमन की घोषणा की थी। हमारे विभाग की तरफ से यह सारी राशि स्वायत्त विभाग को दे दी गई है। इसमें 126 अग्निशमन खरीद लिये गये हैं और 74 अभी और खरीदने हैं।

जहां तक बाप की बात है, इसका सिस्टम यह होता है कि ड्राइवर, तेल व रख-रखाव जो संस्था देती है, वहां अग्निशमन की घोषणा की जाती है।

(श्री गोविंद राम)

अगर बाप में ऐसी समस्या है और इस तरह की यह सुविधा देंगे तो आने वाले समय में वह व्यवस्था भी हम करायेंगे।

**श्री पब्बाराम** (फलौदी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पंचायत समिति अथवा पंचायत से यह आपको लिखवाकर दे दूंगा, आप उपलब्ध करवा दें।

**श्री अध्यक्ष**: हो गई बात, आपने बोल दिया, कर देंगे।

अगला प्रश्न। अमृतलाल मीणा। एक मिनट, कटारिया जी।

**श्री गोविंद राम** (आपदा प्रबंधन एवं सहायता मंत्री): अगर आप करेंगे तो हम लोग बिलकुल सहयोग करेंगे।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने अपने जवाब में दिया है कि 10.10.2022 को कुछ नोर्म्स बदले हैं और उस बदले हुए नोर्म्स के अनुसार कुछ राशि बढ़ाई है। इसमें लगभग 90 लाख का नुकसान हुआ है और 6 लाख का पेमेंट हुआ है, मतलब 15वां हिस्सा है। क्या यह पेमेंट 10.10.2022 का बढ़ा हुआ पेमेंट किया गया है या पुराने पेमेंट पर किया है?

**श्री गोविंद राम** (आपदा प्रबंधन एवं सहायता मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आगजनी की जो भी घटना 10.10.2022 के बाद हुई हैं, उनमें नये के हिसाब से पेमेंट किया जायेगा और इससे पहले की जो आगजनी की घटना हुई है, उनमें पहले के हिसाब से पेमेंट किया जायेगा।

**श्री अध्यक्ष**: अगला प्रश्न। श्री अमृतलाल मीणा।

## कृषक साथी योजना में मृतकों को देय सहायता

**08. श्री अमृतलाल मीणा** (सलूम्बर): क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि कृषि कार्य करते समय किसान के घायल होने या मृत्यु हो जाने पर कृषि उपज मंडी समिति द्वारा सहायता राशि प्रदान करने के प्रावधान हैं? यदि हां, तो जनवरी, 2018 से नवम्बर, 2018 तक कृषि उपज मण्डी समिति, उदयपुर द्वारा कितने किसानों को सहायता राशि उपलब्ध करवायी गयी? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के सराडा, सेमारी, जयसमंद व झल्लारा तहसीलों में जनवरी, 2018 से नवम्बर, 2018 तक सहायता राशि प्राप्त करने हेतु कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए? उक्त आवेदनों में से कितने

(श्री अमृतलाल मीणा)

आवेदन स्वीकृत किये गये तथा कितने लम्बित हैं? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार प्रभावित किसानों को दी जाने वाली सहायता का व्यापक प्रचार-प्रसार कर प्रभावितों को राहत देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों विवरण सदन की भेज पर रखें।

**राज्य मंत्री, कृषि विपणन** (श्री मुरारी लाल): (1) जी हां। प्रदेश में कृषि कार्य करते समय दुर्घटना में किसान/खेतिहर मजदूर अंग-भंग हो जाने या मृत्यु हो जाने पर राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना के अन्तर्गत कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा सहायता राशि दिये जाने का प्रावधान है। वर्ष 2018 (माह जनवरी, 2018 से) माह नवम्बर, 2018 तक कृषि उपज मण्डी समिति, उदयपुर (अनाज) के 56 एवं कृषि उपज मण्डी समिति, उदयपुर (फल-सब्जी) के 03 सहित कुल 59 किसानों को रुपये 114.20 लाख की सहायता राशि उपलब्ध करवायी गयी। विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र के सलूम्बर, सराडा, सेमारी, जयसमंद व झल्लारा तहसीलों में वर्ष 2018 (माह जनवरी, 2018 से माह नवम्बर, 2018) तक कृषि उपज मण्डी समिति, उदयपुर (अनाज) में कुल 27 आवेदन प्राप्त हुए। उक्त आवेदनों में से 21 आवेदन स्वीकृत किये गये एवं 6 प्रकरण निरस्त किये गये। उक्त अवधि का कोई आवेदन वर्तमान में लम्बित नहीं है। तहसील सलूम्बर, सराडा, सेमारी, जयसमंद व झल्लारा क्षेत्र के राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना का कृषि उपज मण्डी समिति, उदयपुर (फल सब्जी) में कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(3) योजना का पर्याप्त प्रचार-प्रसार हेतु राज्य के मण्डी प्रांगणों में योजना के होर्डिंग लगाये जाते हैं। कृषि विभाग के मेले, प्रदर्शनियों, अभियानों में योजना के पैम्फलेट वितरित किये जाते हैं। मण्डी प्रांगण में आयोजित कार्यक्रमों तथा ई-नाम बैठकों में योजना का प्रचार-प्रसार किया जाता है। योजना का सरलीकरण करने, योजना को किसानों की पहुंच में करने तथा योजना को व्यापक व पारदर्शी बनाने हेतु राज किसान पोर्टल पर योजना की सम्पूर्ण प्रक्रिया (आवेदन से सहायता राशि के भुगतान तक) को ऑनलाइन कर दिया गया है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)**

**श्री अमृतलाल मीणा** (सलूम्बर): अध्यक्ष महोदय, क्या सरकार फसल

(श्री अमृतलाल मीणा)

की पिराई के दौरान किसान की मृत्यु होने पर मुआवजा देने का विचार रखती है। यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

**श्री अध्यक्ष**: यह प्रश्न घायल का पूछा है, आप दूसरे पर आ गये हैं। अगला प्रश्न। श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल।

## जोधपुर के प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, में रिक्त पद

**09. श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल** (केशोरायपाटन): क्या कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, जोधपुर एवं राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् (आरसीवीईटी) विभाग में निदेशक का पद काफी समय से रिक्त है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पद को पदोन्नति से भरने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**राज्य मंत्री, कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता** (श्री अशोक): निदेशक, प्रशिक्षण एवं निदेशक, राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् (आरसीवीईटी) के पद क्रमश: दिनांक 01.09.2020 एवं दिनांक 28.09.2020 से रिक्त है।

जी हां। विभाग इन पदों को विभागीय पदोन्नति से भरे जाने का विचार रखता है। इस हेतु निदेशक, प्रशिक्षण एवं निदेशक, राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् (आरसीवीईटी) के पद की वर्ष 2020-21 की डी.पी.सी. के प्रस्ताव प्रशासनिक विभाग के पत्रांक प 5(20)श्रनि/2018 जयपुर, दिनांक 08 अप्रैल, 2022 के द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर को भिजवाये जा चुके हैं (परिशिष्ट-01) एवं पत्रांक दिनांक 17-01-2023 द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को पुन: भेजा जा चुका है। (परिशिष्ट-02)

**(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)**

**श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल** (केशोरायपाटन): माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से सम्माननीय मंत्री महोदय से मैं निवेदन करना चाहूंगी कि निदेशक, प्रशिक्षण एवं निदेशक, आरसीवीईटी के पदों पर कार्यरत रहे अधिकारियों के कार्यकाल सहित सूची प्रस्तुत करें क्योंकि मुझे जो जवाब मिला है, यह सभी को ही पता है कि 2009 से पद रिक्त चल रहे हैं।

**श्री अध्यक्ष**: माननीय सदस्या, प्रश्न करें।

**श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल** (केशोरायपाटन): दूसरा प्रश्न है कि क्या राजस्थान लोक सेवा आयोग को पदोन्नति कार्मिक विभाग के परिपत्र कार्मिक/

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

क-2 विभाग के पत्रांक 4.7/2/कार्मिक/क2/19 जयपुर, दिनांक 24.02.2020 के अनुसार प्रपत्र में तैयार करवाने के उपरान्त प्रेषित किये हैं? यदि हां, तो प्रति प्रस्तुत करें।

**श्री अध्यक्ष**: आप अलग प्रश्न पूछ रही हैं। आपको जवाब लेना है या प्रस्तुत कराना है?

**श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल** (केशोरायपाटन): आपने जो उत्तर दिया है, उसी में से बनाया है।

**राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल** (श्री अशोक): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह डीपीसी को लेकर प्रश्न है। 2020 के बाद 29.06.2021 में डीपीसी हुई। उस समय कोई भी निदेशक नहीं बन सके, क्योंकि किसी की सीनियोरिटी नहीं थी। उसके बाद 08 अप्रैल, 2022 को डीपीसी के लिए आरपीएससी को वापस लिखा गया और 28.09.2022 का आरपीएससी से आदेश हुआ। 27.09.2022 को निदेशक बनने के लिए जो अधिकारी थे, उन्होंने अपने प्रमोशन को लेकर कुछ आपत्तियां जतायीं, उस वजह से उस एक पोस्ट को छोड़कर बाकी पांच पोस्टों के ऊपर उप निदेशक और सहायक निदेशक की डीपीसी हो गयी और उनकी खुद की आपत्ति के ऊपर फिर से विभागीय जांच हुई। विभागीय जांच का प्रस्ताव वापस आकर 17 जनवरी, 2023 को नये रूप से आरपीएससी को लिख दिया गया है। हमको जिस दिन आरपीएससी परमिशन दे देगी, उस दिन हमारे मैम्बर आफ आरपीएससी, मैम्बर आफ डीओपी और सैक्रेटरी डिपार्टमेंट इस पर फैसला लेकर तुरन्त पदोन्नति का काम करेंगे।

**श्री अध्यक्ष**: क्या आपके प्रश्न का उत्तर निकल गया?

**श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल** (केशोरायपाटन): हां, बिलकुल, मंत्री जी ने जवाब दे दिया, मैं इस बात को मान रही हूं।

**श्री अध्यक्ष**: धन्यवाद। अगला प्रश्न। श्री अविनाश।

## जैतारण के राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में नवीन विज्ञान संकाय की स्थापना

**10. श्री अविनाश** (जैतारण): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र जैतारण में संचालित राजकीय स्नातकोत्तर

(श्री अविनाश)

महाविद्यालय में वर्तमान में कितने पद स्वीकृत हैं तथा उनमें से कितने पद रिक्त हैं? विषयवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा उक्त महाविद्यालय में बजट घोषणानुसार नवीन विज्ञान संकाय खोले जाने की वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी गई है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त महाविद्यालय में विज्ञान संकाय की स्वीकृति के बाद भी अब तक रिक्त पद नहीं भरे गये हैं तथा नवीन प्रयोगशाला व आवश्यक उपकरणों की भी अब तक स्वीकृति जारी नहीं की गयी है? यदि हां, तो क्या सरकार जीव विज्ञान, वनस्पति शास्त्र, रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र की प्रयोगशाला व आवश्यक उपकरण की स्वीकृति जारी करने व रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

**राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा** (श्री राजेन्द्र सिंह यादव): (1) विधान सभा क्षेत्र जैतारण में संचालित राजकीय पी. जी. महाविद्यालय, जैतारण में वर्तमान में शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक वर्ग के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट 1 व 2 पर संलग्न है।

(2) बजट घोषणा वर्ष 2020-21 की अनुपालना में राजकीय महाविद्यालय, जैतारण में विज्ञान संकाय खोले जाने की स्वीकृति दिनांक 10.08.2020 को जारी की जा चुकी है, जिसकी प्रति परिशिष्ट 03 पर संलग्न है।

(3) राजकीय महाविद्यालय जैतारण में विज्ञान संकाय में रिक्त पदों के विरुद्ध विद्या सम्बल योजना के अन्तर्गत गेस्ट फैकल्टी लगाकर अध्यापन कार्य करवाया जा रहा है। उक्त महाविद्यालय हेतु रु. 1,59,499/- के आवश्यक प्रयोगशाला उपकरण/सामग्री क्रय कर लिए गये हैं तथा वर्ष 2022-23 के लिए राशि एक लाख रुपये के प्रयोगशाला उपकरण क्रय किया जाना प्रस्तावित है। उक्त महाविद्यालय में विज्ञान संकाय राजमेस सोसायटी के अधीन स्वीकृत है। सोसाइटी के अधीन स्वीकृत पदों को सोसाइटी के माध्यम से यथाशीघ्र भरने की कार्रवाई की जावेगी तथा प्रयोगशाला निर्माण महाविद्यालय से औचित्यपूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होने पर इस सम्बन्ध में कार्रवाई की जायेगी।

**(विवरण व प्रति पुस्तकालय में रखे गये।)**

**श्री अविनाश** (जैतारण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि आपने बजट वर्ष 2020-21 की अनुपालना में जैतारण पीजी महाविद्यालय में साइंस फैकल्टी की घोषणा कर दी। आपने जो उत्तर दिया, उसमें अशैक्षणिक स्टाफ के आठ पद स्वीकृत हैं, उनमें से सात पद अभी रिक्त हैं। शैक्षणिक में बीस पद स्वीकृत हैं, उनमें से पन्द्रह पद रिक्त हैं। इसमें प्राचार्य का पद भी रिक्त है। बाकी आपने बताया कि विद्या सम्बल योजना के अन्तर्गत आपने 15 में से 12 ही लगाये, अभी भी तीन पद रिक्त हैं। मेरा पहला सवाल है कि शैक्षणिक और अशैक्षणिक रिक्त पद हैं, उनको कब तक भर देंगे? अभी इस महाविद्यालय के अन्दर 891 के करीब छात्र-छात्राएं हैं। मेरा यह निवेदन है कि इस विद्यालय में बहुत लम्बे समय से जो पद रिक्त चलते आ रहे हैं, उनको कब तक भर देंगे?

दूसरा, साइंस फैकल्टी की आपने घोषणा तो कर दी, लेकिन अभी तक वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं हुई। मात्र 1,59,499 रुपये आपने दिये हैं। माननीय मंत्री महोदय, मुझे बतायें कि ये किस मद में दिये गये? क्या स्थानीय कालेज प्रशासन ने अपने स्तर पर ये उपकरण खरीदे हैं या राज्य सरकार की तरफ से दिये गये हैं?

**राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा** (श्री राजेन्द्र सिंह यादव): माननीय अध्यक्ष महोदय, विद्या सम्बल योजना में इनके यहां 12 शिक्षक लगाये गये हैं। माननीय एम.एल.ए. साहब को कहना चाहता हूं कि जो दो या तीन पद आपके यहां खाली हैं, उनमें शिक्षा सम्बल योजना में कोई मिल नहीं पाया। अभी हमारे पास आर.पी.एस.सी. से जो आ रहे हैं, उनमें से हम कोशिश करके आपके यहां और भेज देंगे। जो शिक्षा के सिवाय जो दूसरे पद हैं, उनकी भर्ती का भी अभी काम चल रहा है। यथा शीघ्र जैसे ही मिलते हैं, हम आपके यहां पर लगा देंगे।

तीसरा, आपने लैब का कहा है। लैब में 1 लाख 59 हजार रुपये तुरन्त दे दिये गये थे। इससे पहले 2020 से आपके यहां लगभग दो करोड़ रुपये का बिल्डिंग निर्माण और लैब का कार्य आलरेडी चल रहा है, जो कि पूरा हो चुका है। लैब के लिए आपसे भी निवेदन किया था और विकास समिति की मीटिंग में आपने एक बार कहा भी था कि एमएलए लैड से कुछ करेंगे। आपने प्रयास भी किये सीएसआर वगैरह से, मगर वह नहीं मिल पाया। हम यथा शीघ्र ही आपका लैब का कार्य पूर्ण करा देंगे।

**श्री अविनाश** (जैतारण): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस महाविद्यालय में इतने छात्र-छात्राएं हैं, और भी साइंस फैकल्टी में आ सकते हैं। मैंने माननीय मंत्री महोदय से, राज्य सरकार से...

**श्री अध्यक्ष**: प्रश्न पूछिए।

**श्री अविनाश** (जैतारण): मैं प्रश्न ही पूछ रहा हूं। मैंने प्राचार्य महोदय से जो बात की उसमें चार लैबोरेट्री की आवश्यकता है, यूजीसी नोर्म्स के अनुसार, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी व जूलोजी। मैं बता रहा हूं 2020-21 के बाद 2021-22 में नहीं हुआ और 2022-23 में भी नहीं हुआ। आज की तारीख में वस्तुस्थिति यह है कि छात्र-छात्राएं जो हैं, वह बालकोनी के ऊपर बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं, कमरों के बाहर हॉल में बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं।

**श्री अध्यक्ष**: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछना है या एक्सप्लेन करना है? आप प्रश्न पूछिए।

**श्री अविनाश** (जैतारण): मेरा यह निवेदन है कि लैबोरेट्री के लिए और उपकरण के लिए अगर आप जल्दी करवा देंगे, एकमात्र पीजी महाविद्यालय है जैतारण के अंदर। एक दूसरा इसके अंदर...

**श्री अध्यक्ष**: अगला प्रश्न। हो गया आपका। अब अगला प्रश्न। बैठिए। श्री चन्द्रभान आक्या। Don’t you want to ask a question? अंकित नहीं होगा। गलत बात है। प्रश्न पूछने हैं और आप एक्सप्लेन कर रहे हैं।

**श्री अविनाश** (जैतारण): 000

## चित्तौड़गढ़ में श्रमिक कार्ड के लाभार्थी

**11. श्री चन्द्रभान सिंह आक्या** (चित्तौड़गढ़): क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला चित्तौड़गढ़ में विगत तीन वर्षों में संनिर्माण श्रमिक कार्डधारियों को क्या-क्या लाभ दिये गये? विधान सभा क्षेत्रवार लाभार्थियों का संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त श्रमिक कार्ड का नवीनीकरण भी किया जाता है? यदि हां, तो कितने समय में? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) विगत तीन वर्षों में कितने हिताधिकारियों के नाम उक्त योजना से किन कारणों से हटाये गये? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

**राज्य मंत्री, श्रम** (श्री सुखराम विश्नोई): (1) मण्डल द्वारा संचालित योजनाओं से चित्तौड़गढ़ जिले में गत तीन वर्ष में दिए गए लाभ का विधान सभा क्षेत्रवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) मण्डल में निर्माण श्रमिकों का पंजीयन राशि रुपये 85 जमा कराने के पश्चात् 5 वर्ष के लिये पंजीयन किया जाता है तथा जिसकी अवधि

(राज्य मंत्री, श्रम)

पूर्ण होने के पश्चात् श्रमिक द्वारा पुन: पात्रता रखने पर एवं नियमानुसार रु.1/- प्रतिमाह की दर से अंशदान जमा कराये जाने पर पंजीयन का नवीनीकरण किया जाता है। पंजीकरण हेतु श्रमिक की आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष के मध्य होनी चाहिए, पिछले 12 माह में न्यूनतम 90 दिन या इससे अधिक भवन एवं अन्य संनिर्माण कार्यों में नियोजित रहा हो तथा इसी अवधिनुसार ही पात्रतानुसार अंशदान जमा कराये जाने के पश्चात् पंजीयन का नवीनीकरण किया जाता है। पंजीकृत श्रमिकों को अंशदान अवधि पूर्ण होने के उपरान्त अपना अंशदान जमा कराना आवश्यक है।

(3) चित्तौड़गढ़ जिले में गत 3 वर्ष में मण्डल की योजनाओं में निरस्त किये गये आवेदनों की संख्या परिशिष्ट-2 पर संलग्न है। लम्बित योजना आवेदनों के निस्तारण हेतु माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा की गई बजट घोषणा की अनुपालना में जिला कलेक्टरों द्वारा गठित दलों से पात्रता हेतु कराये गये श्रमिकों के भौतिक सत्यापन में पाये गये गैर-निर्माण श्रमिकों के आवेदनों को निरस्त किया गया है। श्रमिकों के द्वारा योजनाओं में उल्लिखित पात्रता एवं शर्तों की पूर्ति नहीं करने अथवा लम्बे समय तक उचित समय तक भी विभाग द्वारा अवसर प्रदान किये जाने के बावजूद पाई गई कमियों की पूर्ति नहीं करने की स्थिति में भी आवेदनों को निरस्त किया जाता है। आवेदन निरस्त होने की स्थिति में श्रमिकों को तीन माह की अवधि में योजना आवेदन करने पर पुनः सुनवाई का विकल्प भी प्रदान किया गया है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)**

**श्री चन्द्रभान सिंह आक्या** (चित्तौड़गढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी को पूछना चाहता हूं, क्या यह सही है कि सरकार की जटिल कार्य प्रणाली के चलते चित्तौड़गढ़ जिले में विगत तीन वर्षों में शुभ शक्ति योजना के अंतर्गत केवल मात्र 7 श्रमिक हिताधिकारियों को लाभान्वित किया गया, जबकि 3514 आवेदनों को निरस्त किया गया? यदि हां, तो क्या सरकार श्रमिक हिताधिकारियों को समय पर लाभान्वित करने के उद्देश्य योजना की कार्य प्रणाली का सरलीकरण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

**श्री सुखराम विश्नोई** (राज्य मंत्री, श्रम): शुभ शक्ति योजना वर्ष 2017 में आपकी सरकार ने बंद कर दी थी। उसके बाद में 10 योजनाओं की राशि अभी वितरित की जा रही है। आपके जिले में करीब 32.34 करोड़ रुपये की राशि दी जा चुकी है।

**श्री चन्द्रभान सिंह आक्या** (चित्तौड़गढ़): अध्यक्ष जी, केवल 7 आदमियों को, इनके उत्तर में भी आया है, 7 आदमियों को लाभान्वित किया है। दूसरे सभी फार्म इन्होंने रिजेक्ट किए हैं। जिनको 55-55 हजार रुपये दिये जाते थे, वे आज की तारीख में बिलकुल ही बंद हैं। क्या यह सही है कि चित्तौड़गढ़ जिले में सीमेंट का माइनिंग हब होने के कारण यहां कार्य करने वाले अधिकतर श्रमिक सिलिकोसिस तथा अस्थमा जैसी गम्भीर बीमारियों से ग्रसित हैं? यदि हां, तो क्या कारण रहे कि विधान सभा चित्तौड़गढ़ में विगत दो वर्षों में एक भी श्रमिक हिताधिकारी को इस योजना का लाभ नहीं दिया गया है? क्या सरकार इसे गंभीरता से लेते हुए जांच कराने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों, यदि हां, तो कब तक? एक और है...

**श्री अध्यक्ष**: 4-5 प्रश्न पूछ लीजिए एक साथ।

**श्री चन्द्रभान सिंह आक्या** (चित्तौड़गढ़): दो ही तो पूछे हैं, साहब।

**श्री अध्यक्ष**: माननीय मंत्री जी।

**श्री सुखराम विश्नोई** (राज्य मंत्री, श्रम): अभी वर्तमान समय में 10 जो योजनाएं हैं उनमें राशि दी जा रही है। तीन योजनाओं की राशि पिछली बजट घोषणाओं में 19 सौ करोड़ रुपये बाकी थी, अभी पात्र-अपात्र की जांच कर ली गयी है। जैसे ही राशि जो हमारे पास हजार करोड़ पड़ी है, खतम होने के बाद, उन तीन योजनाओं में चालू की जाएगी।

**श्री चन्द्रभान सिंह आक्या** (चित्तौड़गढ़): अध्यक्ष जी, मैं इनके जवाब से संतुष्ट नहीं हो पाया। हकीकत में आप मेरे वहां इसको पूरा दिखवा लें। एक भी शुभ शक्ति योजना का लाभ नहीं मिला। ऐसे श्रमिकों, जिनकी डैथ हो गयी, उनका पैसा नहीं मिला और काफी लम्बे समय से तीन-चार साल से पैसा अटका हुआ है। पैसा आ ही नहीं रहा है। अध्यक्ष जी, आप एक बार इसको कीजिए। मंत्री जी, इसको देखेंगे क्योंकि अधिकारियों के भरोसे, अधिकारी कर नहीं रहे हैं...

**श्री अध्यक्ष**: धन्यवाद आपका। बात हो गयी। अगला प्रश्न। माननीय सदस्य।

**श्री सुखराम विश्नोई** (राज्य मंत्री, श्रम): शेष राशि रिकवरी पर है। शेष राशि कोरोना की वजह से कम रिकवर हुई है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने पिछले बजट में घोषणा की थी। हमने सर्वे कर लिया है।

**श्री अध्यक्ष**: अगला प्रश्न। वासुदेव देवनानी जी।

## प्रदेशवासियों को भर्तियों में आरक्षण

**12. श्री वासुदेव देवनानी** (अजमेर उत्तर): क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश की भर्तियों में स्थानीयों को कितना प्रतिशत आरक्षण देय है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि बेरोजगार संगठनों एवं जन-प्रतिनिधियों द्वारा प्रदेश की भर्तियों में स्थानीयों को आरक्षण देने की मांग की गई है? यदि हां, तो उक्त पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार भर्तियों में स्थानीयों को आरक्षण देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितना व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**श्री बुलाकी दास कल्ला** (शिक्षा मंत्री): (1) वर्तमान में प्रदेश की भर्तियों में स्थानीय प्रदेशवासियों के लिए अलग से आरक्षण का प्रावधान नहीं है। अपितु राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को कुल भर्तियों में सें 64% पदों पर केवल राजस्थान के स्थानीय निवासियों से भरे जाने का प्रावधान है। इसके अलावा भूतपूर्व सैनिक जिनका आरक्षण क्षैतिज है, उनको भी स्थानीय निवासियों से भरे जाने का प्रावधान है।

(2) जी हां। इस संबंध में विभिन्न राज्यों से सूचना प्राप्त की गई है। विभिन्न राज्यों से प्राप्त सूचनानुसार कतिपय राज्यों (पंजाब, गुजरात, तमिलनाडु एवं कर्नाटक) में वहां की स्थानीय भाषा का विषय उत्तीर्ण करने की अनिवार्यता है। (सूची अ)

कतिपय राज्यों (उत्तराखण्ड एवं तेलंगाना) में शैक्षणिक योग्यता उसी राज्य के शैक्षणिक संस्थान से प्राप्त किये जाने की पात्रता है। (सूची ब)

अधिकांश राज्यों में सरकारी नौकरियों में उस राज्य के निवासी के लिए आरक्षण करने का कोई प्रावधान नहीं है। (सूची स)

(परिशिष्ट क सूची, अ, ब व स)

(3) सभी सेवा नियमों के नियम "राष्ट्रीयता" के अन्तर्गत भारत का नागरिक होने का प्रावधान है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 (2) अनुसार निवास स्थान के आधार पर सार्वजनिक नियोजन में भेदभाव नहीं किया जा सकता। (परिशिष्ट ख)

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

निवास स्थान के आधार पर सार्वजनिक नियोजन में विधिक प्रावधान करने का अधिकार अनुच्छेद 16 (3) अनुसार केवल संसद को है।

वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

**(सूची व विवरण पुस्तकालय में रखे गये।)**

**श्री वासुदेव देवनानी** (अजमेर उत्तर): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है। राजस्थान बेरोजगारी में देश में नंबर दो पर है। लगभग 27 लाख बेरोजगार हैं। अत: मैं पूछना चाहूंगा कि वर्तमान में सरकारी नौकरियों में राज्य के बाहर के कितने लोग हैं, नंबर एक? नंबर दो, अन्य राज्यों का जो आपने विवरण दिया है, क्या जिस प्रकार उत्तराखंड और तेलंगाना में शैक्षणिक योग्यता उसी राज्य की शैक्षिक संस्था से प्राप्त किये जाने की पात्रता है, राजस्थान में भी कई बार बाहर के लोग फर्जी डिग्रियों से आकर अंकों के आधार पर नौकरी ले लेते हैं। क्या राज्य सरकार इस प्रकार का प्रावधान करने की सोचती है? नंबर तीन, जिस प्रकार से पंजाब, गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में, आपने कहा, स्थानीय भाषा का विषय वहां उत्तीर्ण करने की अनिवार्यता है, तो क्या राजस्थान में हम राजस्थान के इतिहास या राजस्थान की संस्कृति जैसा कोई पेपर एक जोड़ें जिसमें राजस्थानवासियों को नौकरी में प्रथमता मिले और बाहर के लोग आकर कर लेते हैं, यहां पर नौकरी नहीं मिलती।

**श्री अध्यक्ष**: माननीय सदस्य, आप प्रश्न पूछिए। माननीय मंत्री जी।

**श्री बुलाकी दास कल्ला** (शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, अजमेर उत्तर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किए, उसमें मुख्य रूप से मैं यह बताना चाहता हूं कि राजस्थान लोक सेवा आयोग का 2012 से लेकर अब तक जो सलेक्शन हुआ है, उसमें मात्र 1.05 परसेंट लोग बाहर के हैं और अधीनस्थ कर्मचारी आयोग ने जो परीक्षाएं ली हैं, उसमें मात्र 0.90 परसेंट बाहर के लोग आए हैं। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि आपकी भी सरकार रही, आपने भी इस संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया। बेरोजगारों के लिये हमारी सरकार ने लगभग 95 हजार से अधिक नौकरियां दे दी हैं। एक लाख से ऊपर नौकरियां एक तरीके से प्रक्रियाधीन हैं।

इसके अलावा आपने यह कहा कि पंजाब, गुजरात, तमिलनाडु या अन्य राज्यों में जो प्रावधान किए गए हैं, तो वहां की भाषा को मान्यता है। हमने इसी विधान सभा में पक्ष और विपक्ष दोनों ने मिलकर सर्वसम्मति से

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

अगस्त, 2003 में एक प्रस्ताव पारित किया था कि राजस्थानी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया जाए। सीताकांत जी महापात्रा

**(समय: 12.00 बजे)**

समिति के विचाराधीन रहा। उन्होंने भी, अभी मैंने जो पत्र देखे हैं उसके अनुसार रिकमंडेशन की है, लेकिन अभी तक केन्द्र की सरकार राजस्थानी को मान्यता नहीं दे रही है। जिस दिन मान्यता देगी उस दिन हम इस बात को भी ध्यान में रखकर कार्रवाई करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से उनको खासतौर से यह भी बताना चाहता हूं, राजस्थान की जितनी भी विभागीय परीक्षाएं हो रही हैं, आरपीएससी से हो रही हैं, उसमें राजस्थान का साहित्य, राजस्थान की संस्कृति, राजस्थान का पर्यटन, राजस्थान की नदियां, राजस्थान का विभिन्न प्रकार का भूगोल, इन सबके बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। 30 से 40 परसेंट तक प्रश्न राजस्थान के बारे में पूछे जाते हैं ताकि राजस्थान के लोग उसके बारे में अधिक अच्छी तरह से उत्तर दे सकें।

**श्री वासुदेव देवनानी** (अजमेर उत्तर): अध्यक्ष महोदय....

**श्री अध्यक्ष**: माननीय, मैं आपकी बात खतम करने से पहले, माननीय मंत्री जी, इसमें एक बात अच्छी है, जो तमिलनाडु का लिख रखा है, उसमें लिख रखा है स्थानीय विद्यालय में पढ़ना मेंडेटरी। सैकण्ड पार्ट है वह आपकी कांस्टीट्यूशन की किसी चीज को डिबार नहीं करता। क्या हम ऐसी पात्रता रख सकते हैं कि केवल मात्र राजस्थान से स्कूलों में पढ़े-लिखे, संस्था में पढ़े-लिखे ही एलिजिबल हैं? आटोमेटिक बाहर वाले आउट हो जाएंगे। यह आपका तमिलनाडु का है। उसमें सरकार जरूर निश्चित तौर पर चिन्ता करे, जिससे सरकार का यह रुख होने से, यहां के विद्यार्थियों को कम से कम प्रिलिमिनरी स्टेज पर ही उनको आउट करने का मौका मिल जाएगा। यह तमिलनाडु का उदाहरण आपने खुद ने लिखा है। तमिलनाडु का उदाहरण संविधान की कांटरेरी नहीं है, तो हमें, सरकार को भी एक प्रोविजन करना चाहिये कि यहां जितनी भी भर्तियां निकलेंगी, उनमें स्थानीय विद्यालयों, महाविद्यालयों में पढ़ने वाला आदमी ही एलिजिबल होगा। आटोमेटिक बाहर वाला आदमी है, वह एलिजिबिलिटी खतम हो जाएगी। इसको एक्सप्लोर जरूर कर लें जिससे स्थानीय छात्रों को, यहां के युवकों को इसका लाभ मिल सके।

प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

**(शेष तारांकित व समस्त अतारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया आगे देखें।)**

(श्री अध्यक्ष)

## स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

1. प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं में सुनियोजित नकल एवं पेपर-लीक की घटनाएं होने से लाखों विद्यार्थियों का भविष्य अंधकारमय होने से उत्पन्न स्थिति के विषयक स्थगन प्रस्ताव निम्नांकित माननीय सदस्यों से प्राप्त हुए हैं-

श्री संदीप शर्मा,

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या एवं श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी,

श्री राजेन्द्र राठौड़,

श्री कालीचरण सराफ,

श्री छगनसिंह,

श्री नरपत सिंह राजवी,

श्री हमीर सिंह भायल,

श्री जोगेश्वर गर्ग,

श्री फूल सिंह मीणा,

श्री अमृतलाल मीणा,

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल,

श्री अविनाश,

श्री ललित कुमार ओस्तवाल,

श्री रामस्वरूप लाम्बा,

श्री अर्जुन लाल जीनगर,

श्रीमती अनिता भदेल,

श्रीमती संतोष,

श्री बलवीर सिंह लूथरा,

श्री प्रताप लाल भील,

श्री रूपा राम (मकराना),

श्री गुलाब चन्द कटारिया,

श्री ज्ञानचंद पारख,

(श्री अध्यक्ष)

श्री प्रताप सिंह,

श्री पुखराज,

श्रीमती इन्दिरा देवी,

श्री नारायण बेनीवाल,

श्री बिहारीलाल,

श्री मदन दिलावर,

श्री नारायण सिंह देवल,

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी, व

श्री रामलाल शर्मा।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसा नहीं है कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इस पर विचार किया जाए। उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव के विषय पर आज राज्य सरकार की ओर से सदन में वक्तव्य दिया जायेगा, इसलिए इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

2. श्री राजकुमार रोत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र झाडोल में आदिवासी समाज की मासूम बच्चियों को मानव तस्करों द्वारा सुनियोजित ढंग से देश के अन्यत्र हिस्सों में बेचने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

3. श्री वासुदेव देवनानी, सदस्य की ओर से अजमेर शहर में राज्य सरकार द्वारा यूज़र चार्ज वसूलने से व्यापारियों में बढ़ रहे आक्रोश से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए। अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं।

आज जो स्थगन प्रस्ताव माननीय सदस्यों ने दिये हैं, उसी पर चर्चा होगी, इसलिये मैं दूसरे स्थगन प्रस्ताव पर आज बोलने की अनुमति देने में असमर्थ हूं।

## नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

1. श्री हमीर सिंह भायल, सदस्य की ओर विधान सभा क्षेत्र सिवाना में पेयजल की समस्या के समाधान करने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

2. श्री जे. पी. चन्देलिया, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र पिलानी की ग्रामीण सड़कों के निर्माण हेतु बजट आबंटित करने के सम्बन्ध में।
3. श्री नारायण सिंह देवल, सदस्य की ओर से अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) जोधपुर में ''मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना" का समुचित लाभ नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
4. श्री चन्द्रभान सिंह आक्या, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र चित्तौड़गढ़ में फर्जी वी.सी.आर. भरने एवं अघोषित बिजली कटौती से किसानों एवं आमजन को हो रही समस्या के सम्बन्ध में।
5. श्री रामनारायण मीना, सदस्य की ओर से हनुत्या एवं जयस्थल के मध्य कुरल नदी पर पुलिया का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में।
6. श्रीमती मंजु देवी, सदस्य की ओर से जायल क्षेत्र के गांवों एवं शहरों में वर्षों से काबिज रहवासियों के कब्जे को नियमों में शिथिलता प्रदान कर नियमन करने के सम्बन्ध में।
7. श्रीमती इन्द्रा, सदस्य की ओर से प्रदेश में राजकीय सेवाओं में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को वर्तमान में देय आरक्षण में वृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में।
8. श्रीमती संतोष, सदस्य की ओर से प्रदेश में शीतलहर एवं पाला से फ़सलों को हुए नुकसान को आपदा में शामिल कर मुआवजा देने के सम्बन्ध में।
9. श्री प्रताप सिंह, सदस्य की ओर से छबड़ा एवं छीपाबड़ौद को ल्हासी पेयजल परियोजना से शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं कराये जाने से हो रही परेशानियों के सम्बन्ध में।
10. श्री अशोक लाहोटी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सांगानेर में राजस्थान हाउसिंग बोर्ड द्वारा अवाप्त की गई कृषि भूमि की अवाप्ति व मुआवजे की कार्रवाई आज तक पूर्ण नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
11. श्री छगनसिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र आहोर में मिसिंग लिंक व क्षतिग्रस्त सड़कों का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में।
12. श्री जोराराम कुमावत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर में चिकित्सा व्यवस्था को सुदृढ़ किये जाने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

13. श्री बिहारीलाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र नोखा क्षेत्र में अध्यापकों के रिक्त पदों पर अविलम्ब पदस्थापन किये जाने के सम्बन्ध में।

14. श्री संदीप शर्मा, सदस्य की ओर से कोटा शहर में मूलभूत सुविधाओं का अभाव होने से आमजन में व्याप्त असंतोष से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

15. श्री पानाचन्द मेघवाल, सदस्य की ओर से मेडिकल कालेज कोटा का नाम डा. बी.आर. अम्बेडकर के नाम पर किये जाने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गयी सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

श्री हमीर सिंह भायल।

# नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

## सिवाना में पेयजल की समस्या

**श्री हमीर सिंह भायल** (सिवाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालय के नियमों के नियम 295 के तहत निवेदन है कि सिवाना विधान सभा क्षेत्र में दो उपखण्ड हैं, तीन पंचायत समिति हैं, जिसमें तीन योजनाओं से पीने का पानी दिया जाना प्रस्तावित है। इसमें समदड़ी पंचायत समिति के 57 गांवों को मीठा पानी उम्मेद सागर धवा -समदड़ी खंडप योजना से दिया जा रहा है, जिसमें भी अभी अन्तिम छोर के गांवों को पानी नहीं मिल रहा है। इस योजना का पानी 24 एम.एल.डी. मेरे क्षेत्र के लिए आबंटित है, लेकिन मात्र 14 एम.एल.डी. पानी ही दिया जा रहा है, जो पर्याप्त नहीं है। इसमें 2003-2008 के बीच इस योजना का पानी बालोतरा को भी नई पाइप लाइन डालकर वाया नागाणा होते हुए पचपदरा कस्बा और बालोतरा को पानी इस योजना का दिया गया। इस समय बालोतरा को पानी और कहीं से नहीं दिया जा रहा था। अब पोकरण-फलसुंड-बायतु-बालोतरा-सिवाना योजना से बालोतरा को पानी दिया जा रहा है, तो भी मेरे विधान क्षेत्र के हिस्से का पानी अभी भी दिया जा रहा है, जो कि बिना स्वीकृति से ही दिया जा रहा है। इस योजना से बालोतरा और पचपदरा को पानी दिया जाना प्रस्तावित ही नहीं था।

दूसरी, सबसे बड़ी योजना पोकरण-फलसुंड-बायतु-बालोतरा सिवाना है,

(श्री हमीर सिंह भायल)

जिसको 2004 से प्रस्तावित किया और अंतिम बार 2018 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित किया था, लेकिन अभी तक सिवाना क्षेत्र को इस योजना से पानी नहीं मिला है और न ही इसमें स्वीकृत अधिकारियों के पद भरे गए हैं। सिवाना और सिणधरी उपखण्ड के गांवों को अभी भी पानी नहीं मिला है। सिवाना कस्बे में तो पिछले 680 दिनों से पेयजल को लेकर आमजन का धरना चल रहा है, लेकिन योजना में कार्य नहीं हो रहा है। सिवाना का मुख्य पेयजल का हेडल पाइंट भी अधूरा, मुख्य पाइप लाइन का काम अधूरा, उच्च जलाशयों का काम अधूरा, गांवों में पाइप लाइन का काम अधूरा, अधिकारी विहीन योजना सहित इस योजना का काम अपूर्ण पड़ा है।

मेरे क्षेत्र की तीसरी योजना नर्मदा प्रोजेक्ट पेयजल योजना है, जिसमें सिणधरी उपखण्ड के 13 राजस्व गांवों को प्रस्तावित कर रखा है लेकिन अभी तक इस योजना में कोई काम नहीं हुआ है, जबकि इन गांवों में अभी भी पीने का पानी नहीं है। इन गांवों में अभी भी बरसाती जल पर निर्भर रहना मजबूरी है। इन 13 गांवों को बाड़मेर लिफ्ट योजना से जोड़कर पेयजल उपलब्ध करवाया जा सकता है। मात्र 04 किलोमीटर की दूरी पर बाड़मेर लिफ्ट का मीठा पानी उपलब्ध है, जबकि नर्मदा योजना से अभी कोई कार्ययोजना नहीं बनी है।

मेरा सदन के माध्यम से निवेदन है कि सिवाना विधान सभा की पेयजल की तीनों योजनाओं में विशेष बजट, रिक्त पद भरने, अधूरा कार्य पूरा करना, बाड़मेर लिफ्ट योजना का पानी सिणधरी के 13 गांवों को देने, उम्मेद सागर योजना का पूरा पानी देने सहित सभी मांगें पूरी करवाकर सिवाना की जनता को राहत प्रदान करावें। धन्यवाद।

**श्री अध्यक्ष**: श्री जे.पी. चन्देलिया।

## पिलानी की ग्रामीण सड़कों हेतु बजट आबंटन

**श्री जे.पी. चन्देलिया** (पिलानी): महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम, 295 के तहत उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि पिलानी विधान सभा क्षेत्र की ग्रामीण क्षेत्र में सड़कों का नेटवर्क बहुत कमजोर है तथा आपस में गांवों में आने-जाने के लिए कई गांवों में तो सड़क मार्ग उपलब्ध ही नहीं है इस कारण ग्रामीण क्षेत्र के विकास में बाधा उत्पन्न हो रही है। इस सम्बन्ध में मैंने अपने पत्र क्रमांक: MLA PILANI 2018/2022-23/3785 दिनांक 26.12.2022 से माननीय

(श्री जे.पी. चन्देलिया)

सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय तथा अपने पत्र क्रमांक MLA PILANI 2018/2022-23/3786 दिनांक 26.12.2022 से माननीय मुख्य मंत्री महोदय को 41 सड़कों की सूची प्रेषित कर निवेदन किया है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र की इन 41 सड़कों के 109 किलोमीटर के निर्माण हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों द्वारा बनाये गये एस्टीमेट के अनुसार मात्र 28 करोड़ रुपये का बजट पिलानी विधान सभा क्षेत्र के लिए विशेष रूप से सार्वजनिक निर्माण विभाग को स्वीकृत कर अनुगृहीत करें ताकि इस विधान सभा क्षेत्र के गांवों में आवागमन सड़क मार्ग से सुगम हो सके और इस क्षेत्र के विकास को गति मिले।

**(समय: 12.11 बजे)**

**(श्री राजेन्द्र पारीक, सभापति, पदासीन)**

यह विशेष उल्लेख प्रस्ताव प्रस्तुत कर मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से उक्त 41 सड़कों के निर्माण हेतु मात्र 28 करोड़ रुपये की विशेष स्वीकृति पिलानी विधान सभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन को सुगम करने व क्षेत्र का विकास करने हेतु आबंटित करने की पुरजोर शब्दों में अभिशंसा करता हूं। धन्यवाद।

**श्री सभापति**: श्री नारायण सिंह देवल।

## जोधपुर के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में 'मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना' का लाभ

**श्री नारायण सिंह देवल** (रानीवाड़ा): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव।

महोदय, राजस्थान सरकार द्वारा संचालित 'मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना' जिसके तहत योजना से जुड़े सभी अस्पतालों में OPD और IPD मरीजों को लाभ मिलता है, परंतु इस योजना का लाभ अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS), जोधपुर में दूसरे अस्पतालों के मुकाबले कम या फिर सीमित मात्रा में ही मिलता है जबकि पश्चिमी राजस्थान के जिले जोधपुर, जालौर, बाड़मेर, सिरोही, पाली, जैसलमेर सहित आस-पास के अन्य जिलों के गम्भीर मरीज बेहतर इलाज के लिए यहां आते हैं। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के बीमाधारक OPD मरीजों की योजना से जुड़े अस्पतालों में सभी

(श्री नारायण सिंह देवल)

प्रकार की छोटी-बड़ी जांचें निःशुल्क की जाती हैं जबकि AIIMS-जोधपुर में सभी जांचें अपने खुद के खर्चे से करवानी पड़ती हैं। कुछ जांचें जैसे CT Scan, MRI आदि जो बहुत महंगी होती हैं जो आम आदमी की पहुंच से बाहर हैं

इसी प्रकार OPD मरीजों को जोधपुर-AIIMS में सभी दवाइयां खुद के पैसों से खरीदनी पड़ती हैं, चिरंजीवी कार्ड पर नहीं दी जाती हैं। AIIMS-जोधपुर में चिरंजीवी योजना का लाभ केवल IPD मरीजों को भर्ती के दौरान ही मिलता है जबकि मरीज को डिस्चार्ज के दौरान डाक्टर के द्वारा लिखी हुई दवाइयां अपने खुद के पैसों से खरीदनी पड़ती हैं, जो गरीब जनता की पहुंच से बहुत बाहर होती हैं।

अतः मैं इस विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से माननीय चिकित्सा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि चिरंजीवी बीमा योजना से जुड़े अन्य अस्पतालों की तरह इस योजना के तहत मिलने वाले सभी लाभ AIIMS-जोधपुर में भी OPD और IPD मरीजों को समान रूप से दिलवाये जायें और पश्चिमी राजस्थान के लोगों को राहत प्रदान की जाए। धन्यवाद।

**श्री सभापति**: श्री चन्द्रभान सिंह आक्या।

## चित्तौड़गढ़ में फर्जी वीसीआर भरने एवं अघोषित बिजली कटौती से किसानों एवं आमजन को हो रही समस्या

**श्री चन्द्रभान सिंह आक्या** (चित्तौड़गढ़): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम, 295 के तहत विधान सभा क्षेत्र चित्तौड़गढ़ में फर्जी वीसीआर भरने के साथ ही अघोषित बिजली कटौती से किसानों एवं आमजन को हो रही समस्या से उत्पन्न स्थिति के संबंध में विशेष उल्लेख प्रस्ताव।

महोदय, उपरोक्त विषय में निवेदन है कि पूरे प्रदेश सहित मेरे विधान सभा क्षेत्र चित्तौड़गढ़ में विगत 6-7 महीनों से बिजली कटौती के साथ-साथ निर्दोष किसानों एवं आमजन की जेब कटौती से त्रस्त है। विगत कुछ माह से विद्युत निगम बिजली आपूर्ति तथा आर्थिक कुप्रबंधन में अपनी नाकामियों का बोझ क्षेत्र के गरीब किसानों व आमजन पर डाल रहा है। विद्युत निगम द्वारा फर्जी वीसीआर भरने में किसी प्रकार की कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है, जिस कारण आये दिन गरीब किसान व आमजन मानसिक अवसाद का शिकार हो रहा है। ऐसा पहली बार हो रहा है जब निगम अपनी खाली झोली भरने के

(श्री चन्द्रभान सिंह आक्या)

लिए किसानों को बेवजह फर्जी वीसीआर भरकर प्रताड़ित कर रहा है। इसके अतिरिक्त लोड सेटिंग के नाम पर बार-बार अघोषित कटौती करके भी आमजन को त्रस्त कर रखा है, जिससे किसानों को सिंचाई कार्य में बार-बार समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

इसके अलावा औद्योगिक क्षेत्र में भी जिस प्रकार से बिजली कटौती की जा रही है, उससे क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयों में काम करने वाले गरीब मजदूरों को भी काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। औद्योगिक इकाइयों में समुचित विद्युत आपूर्ति नहीं होने के कारण उत्पादन क्षेत्र में काफी कमी आई है। ऐसे में यदि बिजली कटौती पर तथा ग्रामीण क्षेत्रों में भरी जा रही फर्जी वीसीआर पर सरकार का नियंत्रण नहीं हो पाया तो निश्चित ही आमजन व गरीब किसान आंदोलन करने को विवश हो जायेगा और प्रदेश में अराजकता का माहौल पैदा होने की स्थिति हो सकती है।

अतः मेरा सदन के माध्यम से सरकार से निवेदन है कि प्रदेश सहित मेरे विधान सभा क्षेत्र चित्तौड़गढ़ में बिजली कटौती पर तथा ग्रामीण क्षेत्रों में भरी जा रही फर्जी वीसीआर पर अंकुश लगाकर गरीब किसानों एवं आमजन को राहत प्रदान कराएं। सादर धन्यवाद। (व्यवधान)

**श्री सभापति**: जितना इसमें लिखा हुआ है उतना ही बोलिये। माननीय सदस्य, अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं होगा।

**श्री चन्द्रभान सिंह आक्या** (चित्तौड़गढ़): 000

**श्री सभापति**: जितना आपने लिखकर दिया है उतना ही पढ़ें।

श्री रामनारायण मीना (अनुपस्थित)। 'आमजन को राहत प्रदान कराएं', इसके आगे अंकित नहीं होगा। श्रीमती मंजु देवी।

## जायल में वर्षों से काबिज रहवासियों के कब्जों का नियमन

**श्रीमती मंजु देवी** (जायल): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम, 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव।

महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि राजस्व विभाग में आज से 65-70 वर्ष पहले भू-प्रबंध संक्रियाओं के दौरान गांवों और शहरों की आबादी के इर्द-गिर्द खुली सरकारी भूमियों की किस्म गोचर/अंगोर/पायतन/औरण इत्यादि दर्ज कर दी गई। वर्तमान समय में उक्त अधिकांश भूमियों का उपयोग और उपभोग उक्त दर्ज किस्म के अनुसार नहीं हो रहा है एवं मौके पर गांव

(श्रीमती मंजु देवी)

एवं शहर के बीच आयी इन भूमियों पर ग़रीब और मजदूर वर्ग के लोगों द्वारा रहवास कर कच्चे/पक्के मकान बना लिये हैं तथा कई-कई जगह पर घनी आबादी बसी हुई है और लोग अपने परिवार सहित निवास कर रहे हैं। विभिन्न न्यायालयों के प्रतिकूल निर्णय के चलते इन गरीब लोगों के रहवास का नियमन नहीं हो पा रहा है और समय-समय पर सरकारी मशीनरी इन लोगों को घर खाली करने के फ़रमान जारी करते रहते हैं और कई मामलों में तोड़-फोड़ की जाकर ग़रीब लोगों का आशियाना उजाड़ा भी गया है, ऐसे लोग भय और डर के माहौल में जी रहे हैं।

सरकार से गुज़ारिश है कि समस्त न्यायिक आदेशों को मद्देनजर रखते हुए प्रतिकूल नियमों में शिथिलता प्रदान की जाकर गरीबों को उनके रहवास का स्वामित्व अधिकार दिया जाए ताकि किसी गरीब का आशियाना न उजड़े।

अतः मैं श्रीमान जी से निवेदन करना चाहूंगी कि मेरे विधान सभा क्षेत्र जायल में गरीबों के रहवास जो उपरोक्त किस्म की भूमि पर पचासों साल से बने हुए हैं, उन्हें नियमों में शिथिलता प्रदान कर नियमन करवाने की कृपा कराएं ताकि गरीब व मजदूर वर्ग के लोगों को राहत मिल सके। धन्यवाद।

**श्री सभापति**: श्रीमती इन्द्रा।

## राजकीय सेवाओं में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को देय आरक्षण में वृद्धि

**श्रीमती इन्द्रा** (बामनवास): सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 295 के अंतर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रदेश में सरकारी सेवाओं में भर्ती एवं पदोन्नति में सन् 1971 से अनुसूचित जाति को 16 प्रतिशत तथा अनुसूचित जनजाति को 12 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है। करीब 50 वर्ष गुजरने के बाद भी उक्त वर्गों का आरक्षण जनसंख्या के अनुपात में नहीं बढ़ाया गया है। देश में 1971, 1981, 1991, 2001 एवं 2011 कुल पांच बार जनगणना हो चुकी है और वर्तमान में 2021 की जनगणना का कार्य चल रहा है। हर बार की जनगणना में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन जनसंख्या के अनुपात में सरकारी सेवाओं में इन वर्गों का आरक्षण नहीं बढ़ाया गया है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि राज्य सरकारों का यह कहना है कि

(श्रीमती इन्द्रा)

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति का सरकारी सेवाओं में आरक्षण का प्रतिशत इसलिए नहीं बढ़ा सकते कि माननीय उच्चतम न्यायालय के विभिन्न निर्णयों के अनुसार कुल आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती है, लेकिन वर्तमान में राज्य में यह स्थिति बदल चुकी है। प्रदेश में वर्तमान में कुल आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत से अधिक (SC 16%, ST 12%, OBC 21%, MBC 5% तथा EWS 10%) कुल 64 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है।

देश के अन्य राज्यों झारखण्ड, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, तेलंगाना, आन्ध्रप्रदेश आदि में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्गों का आरक्षण जनसंख्या के अनुपात में बढ़ाया गया है।

अतः इस अत्यन्त ही महत्वपूर्ण एवं लोक महत्व के विषय पर राजस्थान विधान सभा के कार्य संचालन व प्रक्रिया नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव प्रस्तुत कर माननीय मुख्य मंत्रीजी (कार्मिक मंत्रीजी) से मांग करती हूं कि प्रदेश में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुपात में सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति को देय आरक्षण 16 प्रतिशत को बढ़ाकर 18 प्रतिशत तथा अनुसूचित जनजाति को देय आरक्षण 12 प्रतिशत को बढ़ाकर 14 प्रतिशत किया जाए ताकि प्रदेश के समस्त अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कार्मिकों के साथ न्याय हो सके।

**सभापति**: श्रीमती संतोष।

## शीतलहर एवं पाला से फसलों को हुए नुकसान का मुआवजा

**श्रीमती संतोष** (अनूपगढ़): सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम 295 के अंतर्गत शीतलहर एवं पाला से रबी की फसलों में हुए नुकसान को आपदा में शामिल कर किसानों को मुआवजा देने के संबंध में विशेष उल्लेख।

प्रदेश में लगातार पड़ रही भयंकर शीतलहर एवं पाला के कारण मेरे विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ सहित श्रीगंगानगर जिले में रबी की फसलों को अत्यधिक नुकसान हुआ है। पूरे क्षेत्र में सरसों की फसल लगभग 95 प्रतिशत तक खतम हो चुकी है। इसके अलावा रबी की अन्य फसलों की हालात भी काफी खराब है, जिससे किसानों द्वारा बैंक से लिया गया कर्ज चुकाना बहुत ही मुश्किल हो गया है। माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा दिनांक 17

(श्रीमती संतोष)

जनवरी, 2023 को शीतलहर से खराब हुई फसलों की विशेष गिरदावरी के आदेश तो जिला कलेक्टरों को दे दिये गये परन्तु आज दिनांक तक धरातल पर किसी भी प्रकार की गिरदावरी/सर्वे नहीं किया गया है, जिसके कारण किसान बहुत ज्यादा तनाव महसूस कर रहा है।

मेरे क्षेत्र में पूर्व में आये टिड्डी दल ने किसानो की खड़ी फसलें चट/खतम कर दीं। उस समय भी नाम मात्र का किसानों को मुआवजा दिया गया, जो ऊंट के मुंह में जीरा के समान था। इसलिए आपसे अनुरोध है कि इस बार भयंकर शीतलहर एवं पाला से खराब हुई फसलों को आपदा में शामिल कर तुरंत प्रभाव से सर्वे करवाकर किसानों को अधिक से अधिक मुआवजा दिया जाए। जनहित की भावना को मद्देनजर रखते हुए आप तुरंत प्रभाव से राजस्व अधिकारियों से सर्वे करवाकर शीतलहर से हुए नुकसान को आपदा में शामिल कर आपदा प्रबंधन मंत्री जी का ध्यान किसानों को मुआवजा देने की ओर आकर्षित कर रही हूं।

**श्री सभापति**: श्री प्रताप सिंह।

## छबड़ा एवं छीपाबड़ौद को ल्हासी पेयजल परियोजना से शुद्ध पेयजल की उपलब्धता

**श्री प्रताप सिंह** (छबड़ा): सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम-295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव।

छबड़ा विधान सभा क्षेत्र की पंचायत समिति छबड़ा व छीपाबड़ौद के निवासियों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराए जाने हेतु ल्हासी पेयजल परियोजना शुरू की गई थी। इस परियोजना का हैड वर्क्स ग्राम खजूरियां में स्थित है। संबंधित संवेदक का स्टाफ निविदा शर्तों के अनुरूप नहीं है। ठेकेदार द्वारा न तो पर्याप्त स्टाफ लगा रखा है और न ही जांच हेतु सभी प्रकार की मशीनें लगा रखी हैं। पानी की शुद्धता की जांच के लिए लैब में मशीन ठीक प्रकार से काम नहीं कर रही है और न ही लैब टेक्निशियन की व्यवस्था है, जिससे लोगों को मजबूर होकर मटमैला एवं गंदा पानी पीना पड़ रहा है। अधिकांश समय मशीनें खराब पड़ी रहती हैं और उनको समय पर ठीक नहीं कराया जाता है। संबंधित ठेकेदार द्वारा काफी अनियमितता व लापरवाही बरती जा रही है। पानी की शुद्धता की जांच के लिए यहां संसाधन नहीं होने के कारण सैम्पल बाहर भेजे जाते हैं, जिसमें कई दिन लग जाते हैं। क्षेत्र के निवासियों को शुद्ध पानी नहीं मिलने के कारण भयंकर बीमारियां फैलने की संभावना बनी रहती

(श्री प्रताप सिंह)

है। ल्हासी परियोजना से शर्तों के अनुसार दोनों टाइम शुद्ध पानी उपलब्ध नहीं कराया जाता है। छबड़ा व छीपाबड़ौद में अतिरिक्त मोटर पम्प नहीं होने के कारण अधिकांश ट्यूबवैल खराब व बन्द पड़े हुए हैं। इस परियोजना से शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं कराये जाने के संबंध में पुलिस थाना छबड़ा में मुकदमा नं. 362 दिनांक 30.06.2021 को दर्ज करवाया गया, किन्तु इस मुकदमे में पुलिस द्वारा कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई है।

आपसे निवेदन है कि छबड़ा व छीपाबड़ौद क्षेत्र में ल्हासी पेयजल परियोजना से शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं कराने वाली कंपनी के खिलाफ उच्चस्तरीय जांच कराए जाने हेतु निर्देश प्रदान करने का श्रम करावें, जिससे क्षेत्रवासियों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो सके।

**श्री सभापति**: श्री अशोक लाहोटी।

## सांगानेर में हाउसिंग बोर्ड द्वारा अवाप्त की गई भूमि का मुआवजा

**श्री अशोक लाहोटी** (सांगानेर): सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के विशेष उल्लेख प्रस्ताव नियम 295 के अन्तर्गत सूचना।

महोदय, मैं सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि विधान सभा क्षेत्र सांगानेर में 1982 से 1995 के बीच राजस्थान हाउसिंग बोर्ड ने प्रताप नगर, श्योपुर, पिंजरापोल गोशाला के पीछे व आस-पास, टिब्बा टोल टैक्स क्षेत्र, कालाबड़ फाटक क्षेत्र, तारों की कूट व मानसरोवर के सहित आस-पास जेडीए के जोन नंबर 4, 5, 6, 8 व 9 में कृषि भूमि को अवाप्त किया गया था। इन 100 से अधिक कालोनियों में गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा रजिस्ट्री करवाकर पट्टे दिये गये, जिनमें 95% लोग 1999 से पूर्व लोन लेकर मकान बनाकर नल-बिजली के कनेक्शन लेकर रह रहे हैं तथा यह कालोनियां पूर्ण विकसित हैं। इन कालोनियों की कृषि भूमि की अवाप्ति व मुआवजा की कार्रवाई भी राजस्थान हाउसिंग बोर्ड द्वारा आज तक पूर्ण नहीं हुई है और अब यहां लाखों लोग निवास कर रहे हैं, जिन्हें किसी भी स्थिति में यहां से बेदखल करना न्यायोचित नहीं होगा तथा यह किसी भी हालत में सम्भव नहीं है। हाउसिंग बोर्ड का मूल उद्देश्य आमजन को आवास उपलब्ध करवाना था, जो कि पूर्ण हो गया है।

वर्तमान में सरकार द्वारा प्रशासन शहरों के संग अभियान के नाम पर

(श्री अशोक लाहोटी)

खूब प्रचार-प्रसार किया जा रहा है जबकि आमजन को जेडीए हाउसिंग बोर्ड, नगर निगम में महीनों से धक्के खाने पड़ रहे हैं। अधिकारी इनको टरकाकर टालमटोल कर रहे हैं एवं इनको पट्टे नही दिये जा रहे हैं। कृपया स्वायत्त शासन मंत्री जी आमजन को अविलम्ब पट्टे दिलवाकर राहत प्रदान करें।

अतः प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के विशेष उल्लेख प्रस्ताव नियम 295 के अन्तर्गत स्वायत्त शासन मंत्री जी का इस विषय की ओर ध्यान आकर्षित करता हूं।

**श्री सभापति**: श्री छगनसिंह।

## आहोर में मिसिंग लिंक व क्षतिग्रस्त सड़कों का निर्माण

**श्री छगनसिंह** (आहोर): सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के तहत निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में एक गांव से दूसरे गांव व मुख्य सड़क मार्गों को जोड़ने वाली कई मिसिंग लिंक सडकें, जो ग्रामीणों के लिए आवागमन का व्यस्ततम मार्ग हैं, इनके डामरीकरण को लेकर कई वर्षों से मांग उठाई जा रही है:-

1. कवराडा से भूती।
2. जोडा से पादरली।
3. गुडाइन्द्रपुरा से गोगरा (पाली)।
4. पलासियां से बलुपुरा (पाली)।
5. भोरडा से गोपालनाडी।
6. मोरडा से अर्थण्डी (बाड़मेर)।
7. देवकी से देसू।
8. हडमतगढ़ से सराणा।
9. सराणा से आईपुरा।
10. पांचोटा से कवराडा।
11. पांडगरा से राजनवाडी।
12. देलदरी से बिबलसर।
13. आडवाडा से नागणी।
14. आडवाडा से डूडसी।

(श्री छगनसिंह)

15. डूडसी से नारणावास।

16. देवाडा से सुमेरगढ़ खेडा।

17. दूदीया से खेडा

18. खाम्बी से कोटडा

19. सुगालिया जोधा से घुम्बडा फांटा

20. जोगावा से जेतपुरा

21. जेतपुरा से नया जेतपुरा व काम्बा तक

तथा विधान सभा क्षेत्र में क्षतिग्रस्त निम्न सड़कों का नवीनीकरण करवाना आवश्यक है:-

1. वेडिया से आईपुरा, बावड़ी।

2. रायपुरिया से देवाड़ा।

3. सिवाणा से सुमेरगढ़ खेड़ा।

4. चवरछा से हरजी से सिरोही सीमा तक।

5. एन. एच. 325 से बेदाना कलां।

6. पावटा से पलासिया प्याऊ।

7 सामुजा से संदरिया कुम्पावतान।

8. आलावा सी से रोवाडा।

9. चरली से दयालपुरा।

अतः श्रीमान् जी से निवेदन है कि उक्त मिसिंग लिंक व क्षतिग्रस्त सड़कों का डामरीकरण करवाने की आवश्यकता है। धन्यवाद।

**श्री सभापति**: श्री जोराराम कुमावत।

## सुमेरपुर में चिकित्सा व्यवस्था दुरुस्त करना

**श्री जोराराम कुमावत** (सुमेरपुर): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख के माध्यम से निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर के सबसे बड़े शहर सुमेरपुर और तखतगढ़ में स्त्री रोग विशेषज्ञ, मेडिसन, सर्जन, हड्डी रोग विशेषज्ञ जैसे महत्वपूर्ण पद रिक्त हैं। इसके साथ ही CHC सुमेरपुर में 6, तखतगढ़ में 9, कोसेलाब में 4, सांडेराव में 5, चाणोद में 4, खौड़ में 4, बुसी में 4, मणीहारी में 04 डाक्टरों के पद रिक्त हैं व PHC खेरवा, गुन्दोज

(श्री जोराराम कुमावत)

पावा, ढोला, बांकली, भारुन्दा, चाचोड़ी में डाक्टरों के एक-एक पद रिक्त हैं। 206 पद नर्सिंग स्टाफ के रिक्त हैं, जिससे चिकित्सा व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। मरीजों को प्राइवेट हास्पिटल में जाकर महंगा इलाज कराना पड़ता है। निःशुल्क दवा योजना का भी लाभ आमजनों को नहीं मिल रहा है। 4 वर्षों से बार-बार सरकार का ध्यान आकर्षित करने के बावजूद भी रिक्त पद नहीं भरे हैं।

इसी तरह बांगडी, अणगोर, पोयणा, रामनगर, फतापुरा, केरला, काणदरा पादरली तुरकान, सेदरिया, खेतावास में कोई चिकित्सा सुविधा नहीं है। अतः इन गांवों में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने व ANM की पोस्ट स्वीकृत करवाने की आवश्यकता है। सुमेरपुर शहर में ANM की जीरो पोस्ट स्वीकृत है तथा सुमेरपुर और तखतगढ़ CHC में रेडियोग्राफर के पद रिक्त होने से Xray, MLC, ECG जैसे कार्य प्रभावित हो रहे हैं। इस हेतु सुमेरपुर में ANM की पोस्ट स्वीकृत करवाने और सुमेरपुर व तखतगढ़ CHC में रेडियोग्राफर के पद भरवाने की आवश्यकता है। सुमेरपुर शहर पाली, जालौर, सिरोही का सबसे बड़ा व्यावसायिक कस्बा है। यहां इलाज हेतु तीन जिलों के लोग आते हैं। शहर में एक मात्र CHC है, जहां करीब 500 से अधिक OPD हैं और शहर में आसपास के सभी गांवों का केन्द्र होने के कारण सुमेरपुर में सबसे अधिक मरीज आते हैं। सुमेरपुर शहर में बढ़ते मरीजों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में इसे क्रमोन्नत कर उपजिला अस्पताल करवाने की आवश्यकता है।

महोदय, सुमेरपुर विधान सभा क्षेत्र में उपरोक्त डाक्टर, नर्सिंग स्टाफ के पद शीघ्र भरवाने, 10 नये उप-स्वास्थ्य केन्द्र खोलने, सुमेरपुर में जनसंख्या के अनुपात में ANM की पोस्ट स्वीकृत करने, सुमेरपुर और तखतगढ़ में रेडियोग्राफर के पद भरने व सुमेरपुर CHC को उप जिला अस्पताल में क्रमोन्नत करवाने का श्रम करावें। जय हिन्द। जय भारत।

**श्री सभापति**: श्री बिहारीलाल।

## नोखा के राजकीय विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पद

**श्री बिहारीलाल** (नोखा): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख के माध्यम से आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र नोखा एवं समूचा बीकानेर जिले के लगभग सभी राजकीय विद्यालयों

(श्री बिहारीलाल)

में बड़ी संख्या में विषय अध्यापकों के पद रिक्त होने से बच्चों की पढ़ाई चौपट होती जा रही है। बच्चे अभिभावकों सहित आंदोलनरत हैं। मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि शिक्षा मंत्रीजी के गृह जिले में शिक्षा के हालात इस कदर बदतर हो चले हैं कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे अध्यापकों की मांग को लेकर इस कड़कड़ाती ठंड में अपने-अपने माता-पिता को लेकर निदेशालय का घेराव करने पैदल चल पड़े हैं।

मान्यवर, स्वतंत्र राजस्थान के इतिहास में शिक्षा की ऐसी दुर्दशा कभी नहीं रही होगी, जब राजनैतिक द्वेषता के कारण एक साथ भारी संख्या में विषय अध्यापकों को स्थानांतरित कर ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों को लगभग खाली कर भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। मेरी आसन के माध्यम से सरकार से मांग है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के राजकीय विद्यालयों में अध्यापकों के सभी श्रेणी के रिक्त पदों को भरा जावे ताकि बच्चों की शिक्षा प्रभावित न हो। धन्यवाद।

**श्री सभापति**: श्री संदीप शर्मा।

## कोटा शहर में आमजन की मूलभूत सुविधाओं का अभाव

**श्री संदीप शर्मा** (कोटा दक्षिण): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख के माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान कोटा शहरवासियों से जुड़ी एक प्रमुख समस्या की ओर आकर्षित कर निवेदन करना चाहता हूं। कोटा शहर स्मार्ट सिटी घोषित होने के बाद कोटा में नगर विकास न्यास और नगर निगम, कोटा द्वारा सौंदर्यीकरण का कार्य चल रहा है, जिसके चलते कोटा में आमजन मूलभूत सुविधाओं के अभाव में भारी परेशानी का सामना कर रहा है। कोटा में गली-मोहल्लों की सड़कें टूट रही हैं और सड़कों की जर्जर अवस्था के कारण लोग दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं।

नगर निगम, कोटा द्वारा गत वर्ष करोड़ों रुपये की लागत से सफाई हेतु उपकरण क्रय किये गये। निगम द्वारा कोटा में ट्रेंचिंग ग्राउंड की सफाई हेतु 2 करोड़ की लागत से मशीनें खरीदी गयीं, परन्तु मशीनें सही तरीके से काम नहीं कर रही हैं। कोटा में नालों व नालियों की साफ सफाई ठीक प्रकार से नही हो रही है। बरसात के दिनों में लोगों के घरों में पानी भर जाने के कारण लोगों को आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ता है। शहर में बसी

(श्री संदीप शर्मा)

बस्तियों व कालोनियों के मुख्य मार्ग पर कचरा पाइंट बने हुए हैं जहां कचरे के ढेर पड़े हुए हैं जिसके कारण राहगीर को कचरे की बदबू से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोग गली मोहल्लों में गंदगी के कारण नारकीय जीवन-यापन कर रहे हैं। कोटा में कोटा नगर निगम कोटा उत्तर व दक्षिण में अरबों रुपयों की लागत से चौराहों को सजाया जा रहा है। करोड़ों रुपये साफ सफाई में खर्च किये जा रहे हैं, परन्तु आज भी देश की नगर निकायों में स्वच्छता सर्वेक्षण में कोटा नगर निगम, कोटा दक्षिण 141 व कोटा उत्तर नगर निगम को स्मार्ट शहर में 364वां स्थान मिला है। कोटा स्वच्छता के मामले में पिछड़ा हुआ है। स्वच्छता में पिछड़े होने के कारण केन्द्र सरकार द्वारा कम रैंकिंग के आधार पर कम बजट भेजा जा रहा है। आज मध्य प्रदेश के तीन-तीन शहर स्वच्छता में टॉप टेन की सूची में हैं। कोटा में अरबों रुपयों के विकास कार्य चलने के बाद भी कोटा स्वच्छता के कारण पिछड़ रहा है। कोटा में केवल चौराहों व अन्य कास्मेटिक सौंदर्यीकरण का कार्य करवाया जा रहा है।

**(समय: 12.37 बजे)**

**(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)**

अतः मेरा श्रीमान जी से निवेदन है कि कोटा में आमजन की मूलभूत सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए नाली, सड़क व साफ सफाई के कार्यों पर भी ध्यान दिया जाये जिससे आमजन को सुविधायें मिल सकें और कोटा स्वच्छता की रैंकिंग में अन्य प्रदेश के मुकाबले में नये आयाम स्थापित कर सके।

**श्री अध्यक्ष**: धन्यवाद। श्री पानाचन्द मेघवाल (अनुपस्थित)।

कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन। श्री महेन्द्र चौधरी।

# समिति प्रतिवेदन

## कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन (क्र.सं. 33)

**श्री महेन्द्र चौधरी** (सरकारी उप मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सलाहकार समिति के 33वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

कार्य सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 23 जनवरी, 2023 को मध्याह्न पश्चात् 12.32 बजे माननीय अध्यक्ष के वैश्म (चैम्बर) में हुई। समिति ने निर्णय लिया कि मंगलवार, दिनांक 24 जनवरी 2023 से गुरुवार, दिनांक 02 फरवरी 2023 तक सदन में अग्रेतर लिये जाने वाले कार्य का नियतन निम्न प्रकार किया जाए:-

(श्री महेन्द्र चौधरी)

| | |
|---|---|
| मंगलवार, दिनांक 24 जनवरी 2023 | राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद विवाद |
| बुधवार, दिनांक 25 जनवरी 2023 से रविवार, दिनांक 29 जनवरी 2023 तक | बैठक नहीं होगी। |
| सोमवार, दिनांक 30 जनवरी 2023<br>मंगलवार, दिनांक 31 जनवरी 2023 | राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर अग्रेतर वाद-विवाद। |
| बुधवार, दिनांक 01 फरवरी 2023 | बैठक नहीं होगी। |
| गुरुवार, दिनांक 02 फरवरी 2023 | राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर अग्रेतर वाद-विवाद एवं राज्य सरकार की ओर से उत्तर। |

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन सलाहकार समिति के 33वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

**श्री अध्यक्ष**: प्रश्न यह है कि यह सदन सलाहकार समिति के 33वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है?

**(स्वीकृत)**

सदन द्वारा प्रतिवेदन पर सहमति प्रदान की गयी।

अधिसूचनायें।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल।

# सदन पटल पर रखे गये पत्र

## अधिसूचना

**श्री बुलाकी दास कल्ला** (शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य-सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार वित्त विभाग एवं गृह विभाग की निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखता हूं:-

## वित्त (जीएण्डटी एसपीएफसी) विभाग

1. अधिसूचना संख्या: एफ.2 (1) एफडी/जीएण्डटी (एसपीएफसी)/2017 दिनांक 19.10.2022 जिसके द्वारा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 में संशोधन किया गया है।

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

2. अधिसूचना संख्या: एफ.2(1) एफडी/एसपीएफसी/2017 दिनांक 04.11.2022 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ. 2 (1) एफडी/एसपीएफसी/2017 दिनांक 04.05.2021 को तुरन्त प्रभाव से निरस्त किया गया है।

3. अधिसूचना संख्या: एफ. 2(1) एफडी/जीएण्डटी एसपीएफसी/2017 दिनांक 04.11.2022 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.2 (1) एफडी/जीएण्डटी-एसपीएफसी/2017 दिनांक 18.04.2021 को तुरन्त प्रभाव से निरस्त किया गया है।

4. अधिसूचना संख्या: एफ. 2(1) एफडी/जीएण्डटी एसपीएफसी/2017 दिनांक 04.11.2022 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.1 (8) एफडी/जीएफ एण्ड एआर/2011 दिनांक 04.09.2013 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है।

5. अधिसूचना संख्या: एफ. 2 (1)एफडी/जीएण्डटी-एसपीएफसी/2017 दिनांक 20.12.2022 जिसके द्वारा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 में संशोधन किया गया है।

6. अधिसूचना संख्या: एफ. 8(3) एफडी/एसपीएफसी/विविध/सुलभ/2021 दिनांक 20.12.2022 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ. 1 (8)एफडी/जीएफ एण्ड एआर/2011 दिनांक 04.09.2013 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है।

## गृह विभाग

1. अधिसूचना संख्या: प.20 (2) गृह-9/2021 पार्ट 1 दिनांक 17.11.2022 जिसके द्वारा राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की समस्त सेवाओं, कार्यालयों एवं उनके क्रियाकलापों से संबंधित सेवाओं को दिनांक 17.11.2022 से आगामी 06 माह तक अत्यावश्यक सेवा घोषित किया गया है।

2. अधिसूचना संख्या: प.20 (2) गृह-9/2012पार्ट 1 दिनांक 17.11.2022 जिसके द्वारा राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की समस्त सेवाओं, का कार्यालयों एवं उनके क्रियाकलापों से संबंधित सेवाओं में हड़ताल किए जाने को दिनांक 17.11.2022 से आगामी 06 माह तक के लिए प्रतिषेध किया गया है।

3. अधिसूचना संख्या: प.20 (2) गृह-9/2012पार्ट2 दिनांक

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

13.12.2022 जिसके द्वारा 108 आपातकालीन सेवाओं के साथ-साथ 104 जननी एक्सप्रेस सेवा, 104 चिकित्सा परामर्श सेवाओं एवं कॉल सेन्टर सेवाओं के समस्त कार्यालय एवं कर्मचारियों तथा उसके कार्यकलापों से संबंधित समस्त सेवाओं को दिनांक 13.12.2022 से आगामी 06 माह तक अत्यावश्यक सेवा घोषित किया गया है।

4. अधिसूचना संख्या: प.20 (2) गृह-9/2012पार्ट 1 दिनांक 13.12.2022 जिसके द्वारा 108 आपातकालीन सेवाओं के साथ-साथ 104 जननी एक्सप्रेस सेवा, 104 चिकित्सा परामर्श सेवाओं एवं कॉल सेन्टर की सेवाओं में हड़ताल किए जाने को दिनांक 13.12.2022 से आगामी 06 माह तक के लिए प्रतिषेध किया गया है।

**श्री अध्यक्ष**: श्री प्रताप सिंह खाचरियावास।

## उपभोक्ता मामले विभाग

**श्री प्रताप सिंह खाचरियावास** (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य-सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार उपभोक्ता मामले विभाग की निम्न अधिसूचना सदन की मेज पर रखता हूं:-

अधिसूचना संख्या: एफ 89 (46)/उ.मा.वि./भर्ती प्रकोष्ठ/2022 दिनांक 27.09.2022 जिसके द्वारा श्री देवेन्द्र कच्छावाहा, न्यायाधिपति (सेवानिवृत्त), राजस्थान उच्च न्यायालय को राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जयपुर का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

**श्री अध्यक्ष**: श्रीमती ममता भूपेश।

## आयोजना विभाग

**श्रीमती ममता भूपेश** (महिला एवं बाल विकास मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य-सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार आयोजना विभाग की निम्न अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखती हूं:-

(1) अधिसूचना संख्या: एफ17 (8) 15/डी.ई.एस./रा.ज.अ.यो./नियम/2022 दिनांक 21.11.2022 जिसके द्वारा राजस्थान जन आधार प्राधिकरण नियम, 2021 मे संशोधन किया गया है।

(2) अधिसूचना संख्या एफ17(8)11/डी.ई.एस./रा.ज.आ.यो. 2019 दिनांक 26.05.2022 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ17 (8) 11/डी.ई.एस./राजस्थान.ज.आ.यो. दिनांक 27.07.2021 में संशोधन किया गया है।

**श्री अध्यक्ष**: श्री टीकाराम जूली।

## गृह (कारागार) विभाग

**श्री टीकाराम जूली** (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य-सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार गृह (कारागार) विभाग की निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखता हूं:-

(1) अधिसूचना संख्या: प.8 (30) गृह-12/कारा/2021 दिनांक 06.06.2022 जिसके द्वारा स्वच्छ धारा योजना के तहत महिला छात्रावास, किशनगढ़, अजमेर को 16 बंदी क्षमता की अस्थाई "खुले हवा शिविर' घोषित किया गया है।

(2) अधिसूचना संख्या: प.8 (32) गृह-12/कारा/2021 दिनांक 01.07.2022 जिसके द्वारा केन्द्रीय कारागार, जयपुर परिसर के कतिपय क्षेत्र को 50 बंदी क्षमता का स्थाई "खुले हवा शिविर' घोषित किया गया है।

(3) अधिसूचना संख्या: प.9(06) गृह-12/कारा/2022 दिनांक 11.11.2022 जिसके द्वारा झालावाड़ की तहसील अकलेरा में नवनिर्मित उप कारागृह भवन को स्थाई जेल घोषित किया गया है।

(4) अधिसूचना संख्या. प.7(61)गृह-12/कारा/1996/पार्ट दिनांक 12.12.2022 जिसके द्वारा राजस्थान कारागार नियम, 2022 विरचित किये गये हैं।

**श्री अध्यक्ष**: श्री बृजेन्द्र सिंह ओला।

## परिवहन विभाग

**श्री बृजेन्द्र सिंह ओला** (राज्य मंत्री, परिवहन): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य-सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार परिवहन विभाग की निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखता हूं:-

1. अधिसूचना संख्या प.6 (179) परि/कर/मु./2022-23/23269 दिनांक 27.09.2022 जिसके द्वारा विद्यार्थियों को वितरित की जाने वाली स्कूटी वितरण योजनाओं के अन्तर्गत देय एकबारीय कर में छूट प्रदान की गई है।

(2) अधिसूचना संख्या: प.6 (179) परि/कर/मु /2022-23/23281 दिनांक 27.09.2022 जिसके द्वारा विद्यार्थियों को वितरित की जाने वाली स्कूटी वितरण योजनाओं के अन्तर्गत देय रजिस्ट्रेशन फीस में छूट प्रदान की गई है।

(3) अधिसूचना संख्या: प.6 (96) परि/कर/मु./उर्स/10/30813 दिनांक

(श्री बृजेन्द्र सिंह ओला)

30.12.2022 जिसके द्वारा उर्स मेला, अजमेर में आने वाले अन्य राज्य के यात्री वाहनों को मोटरवाहन कर में छूट प्रदान की गई है।

**श्री अध्यक्ष**: वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे। श्री बुलाकी दास कल्ला।

कल्ला साहब, एक मिनट।

## व्यवस्था का प्रश्न

### राजकीय उपक्रमों के प्रतिवेदनों के समय पर सदन पटल पर रखे जाने की अध्यक्षीय व्यवस्था की निरन्तर जारी अवहेलना

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू): अध्यक्ष महोदय, वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे राजकोम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड का 11वां, 2020-21 और राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2001 का 2018-19, 2019-20, 2020-21 और 2021-22, इसी तरह बेवरेजेज लिमिटेड का 2021-22 है।

अध्यक्ष महोदय, दर्जनों बार आसन ने व्यवस्था दी कि कम से कम प्रीवियस करंट ईयर का तो वार्षिक प्रतिवेदन आये, ताकि हमें यह तो मालूम पड़ जाये कि वर्ष पर्यन्त इस विभाग ने क्या-क्या कार्रवाई की। आज 2018-19 का प्रतिवेदन, इसीलिए मेरी एक प्रार्थना है कि आपके निर्देशों के बावजूद हम नहीं सुधरेंगे, इस तर्ज पर यह चल रहे हैं। आप इनको अपने चैंबर में बुलायें और इनको प्रताड़ित करें। उनको नोटिस दिलवायें। जब तक आरएसआर में, सर्विस रूल्स में आप इनको नोटिस नहीं देंगे तब तक यह नहीं सुधरेंगे।

**श्री अध्यक्ष**: माननीय सदस्य, आपकी कंसर्न बिलकुल वाजिब है और इस संबंध में सरकार से जो भी कार्रवाई करनी है, वह अपेक्षित कार्रवाई करने का काम करेंगे।

श्री बुलाकी दास कल्ला।

## प्रतिवेदन एवं लेखे

### राजकोम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड का 11वां वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2020-21)

**श्री बुलाकी दास कल्ला** (शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 (1) के अन्तर्गत राजकोम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड का 11वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-21 सदन की मेज पर रखता हूं।

**श्री अध्यक्ष**: मैं एक बात बोलूं। अभी माननीय राठौड़ साहब ने जो बात की है, मूलत: यह जिम्मेदारी मंत्री की होती है कि उसके मंत्रित्व में जितने भी अपने प्रतिवेदन हैं, उनको वह अपडेट कर ले कि वह कब तक के पैंडिंग हैं और जो अपेक्षित हैं नियम और कानून के अंतर्गत, वह समय पर प्रतिवेदन आयें। प्रारंभिक रूप से मैं समझता हूं कि मंत्रीगण से निवेदन है कि इस बारे में अपना निर्णय करें। उसके बाद अध्यक्ष के रूप में जो कार्रवाई करनी है, वह कार्रवाई निश्चित तौर पर मैं करूंगा, लेकिन मूलत: पहली जिम्मेदारी विभाग के मंत्रियों की है।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल।

## राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग, जयपुर के वित्तीय लेखे एवं अंकेक्षण प्रतिवेदन (वर्ष 2020-21)

**श्री शान्ती कुमार धारीवाल** (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से मानव अधिकार अधिनियम, 1993 की धारा-35 की उप धारा 4 के अन्तर्गत राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग, जयपुर के वित्तीय लेखे एवं अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2020-21 सदन की मेज पर रखता हूं।

**श्री अध्यक्ष**: श्री परसादी लाल।

**श्री परसादी लाल** (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित वार्षिक प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं:-

## राजस्थान स्टेट बेवरेजेज कारपोरेशन लिमिटेड का 17वां वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2021-22)

1. कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 (1) (बी) के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट बेवरेजेज कारपोरेशन लिमिटेड का 17वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021-22; एवं

## राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड, जयपुर का 76वां वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2021)

2. कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 (1) (बी) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड, जयपुर का 76वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021.

**श्री अध्यक्ष**: श्री मुरारी लाल।

**श्री मुरारी लाल** (राज्य मंत्री, कृषि विपणन): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य-सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार निम्नांकित वार्षिक प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं:-

## स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर का वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2022-23)

1. स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर अधिनियम, 1987 की धारा-32 (4) के अन्तर्गत स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर का वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 2022-23;

## महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2022)

2. महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर अधिनियम, 2000 की धारा-42 के अन्तर्गत महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022;

## श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर का वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2022)

3. श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर अधिनियम, 2013 की धारा-46 के अन्तर्गत श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022;

## कृषि विश्वविद्यालय, कोटा का वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2022)

4. कृषि विश्वविद्यालय, कोटा अधिनियम, 2013 की धारा-46 के अन्तर्गत कृषि विश्वविद्यालय, कोटा का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022;

## कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर का वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2022)

5. कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर अधिनियम, 2013 की धारा-46 के अन्तर्गत कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022;

## राजस्थान स्टेट सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड का 44वां वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2021-22)

6. कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-394 के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड का 44वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021-22; एवं

(श्री मुरारी लाल)

## राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम का 64वां वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2021-22)

7. भण्डार व्यवस्था निगम अधिनियम 1962 की धारा-31(2) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम का 64वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021-22.

**श्री अध्यक्ष**: श्री प्रमोद भाया।

## राजस्थान को-आपरेटिव डेयरी फैडरेशन लिमिटेड के वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2018-19, 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22)

**श्री प्रमोद भाया** (खान एवं पैट्रोलियम मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2001 की धारा-54(14) के अन्तर्गत राजस्थान को-आपरेटिव डेयरी फैडरेशन लिमिटेड के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-19, 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 सदन की मेज पर रखता हूं।

**श्री अध्यक्ष**: श्रीमती शकुन्तला रावत।

**श्रीमती शकुन्तला रावत** (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित वार्षिक प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखती हूं:-

## दी राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड का 61वां वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2021-22)

1. कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 के अन्तर्गत दी राजस्थान स्माल इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड का 61वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021-22;

## भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का राजस्थान वित्त निगम के लेखों पर पृथक् अंकेक्षण प्रतिवेदन (वर्ष 2021-22)

2. राजस्थान वित्त निगम अधिनियम, 1951 की धारा-37(6) के अन्तर्गत 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के लिये राजस्थान वित्त निगम के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का पृथक अंकेक्षण प्रतिवेदन।

**श्री अध्यक्ष**: श्री राजेन्द्र गुढा।

## राजस्थान एक्स-सर्विसमैन कारपोरेशन लिमिटेड का 10वां वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2021-22)

**श्री राजेन्द्रसिंह गुढ़ा** (राज्य मंत्री, सैनिक कल्याण): अध्यक्ष महोदय, मैं

(श्री राजेन्द्रसिंह गुढ़ा)

आपकी अनुमति से कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 395 के अन्तर्गत राजस्थान एक्स सर्विसमैन कारपोरेशन लिमिटेड का 10वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021-22 सदन की मेज पर रखता हूं।

**श्री अध्यक्ष**: विधायी कार्य। पुर:स्थापित किये जाने वाले विधेयक।

नाथद्वारा मन्दिर (संशोधन) विधेयक, 2022, श्रीमती शकुन्तला रावत।

# विधायी कार्य: विधेयक का पुर:स्थापन

## नाथद्वारा मन्दिर (संशोधन) विधेयक, 2022

**श्रीमती शकुन्तला रावत** (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से नाथद्वारा मन्दिर (संशोधन) विधेयक, 2022 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करती हूं।

**श्री अध्यक्ष**: प्रश्न यह है कि नाथद्वारा मन्दिर (संशोधन) विधेयक, 2022 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये?

**(स्वीकृत)**

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्री।

**श्रीमती शकुन्तला रावत** (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से नाथद्वारा मन्दिर (संशोधन) विधेयक, 2022 को पुर:स्थापित करती हूं।

**श्री अध्यक्ष**: श्री सांवलियाजी मन्दिर (संशोधन) विधेयक, 2022, श्रीमती शकुन्तला रावत।

## श्री सांवलियाजी मन्दिर (संशोधन) विधेयक, 2022

**श्रीमती शकुन्तला रावत** (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से श्री सांवलियाजी मन्दिर (संशोधन) विधेयक, 2022 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करती हूं।

**श्री अध्यक्ष**: प्रश्न यह है कि श्री सांवलियाजी मन्दिर (संशोधन) विधेयक, 2022 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये?

**(स्वीकृत)**

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्री।

**श्रीमती शकुन्तला रावत** (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से श्री सांवलियाजी मन्दिर (संशोधन) विधेयक, 2022 को पुर:स्थापित करती हूं।

## घोषणा

## राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद-विवाद के लिये समय का बंटवारा

**श्री अध्यक्ष**: वाद-विवाद के लिये समय का आबंटन।

मुझे सदन को सूचित करना है कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद-विवाद के लिये लगभग 16 घंटे उपलब्ध हैं। उपलब्ध समय में सरकार द्वारा उत्तर दिये जाने का समय भी सम्मिलित है। मैं विभिन्न पार्टियों के लिये समय का बंटवारा निम्न प्रकार करता हूं:-

| | |
|---|---|
| इंडियन नेशनल कांग्रेस | 8 घंटे 36 मिनट |
| भारतीय जनता पार्टी | 5 घंटे 41 मिनट |
| राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी | 15 मिनट |
| कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्सवादी) | 10 मिनट |
| भारतीय ट्राइबल पार्टी | 10 मिनट |
| राष्ट्रीय लोकदल पार्टी | 5 मिनट |
| निर्दलीय | 1 घंटा 3 मिनट |

सदन में चर्चा, स्थगन प्रस्ताव पर वक्तव्य।

## शासकीय वक्तव्य

## प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल व पेपरलीक की घटनाएं

श्री बुलाकी दास कल्ला।

**श्री बुलाकी दास कल्ला** (शिक्षा मंत्री): राज्य में प्रतियोगी परीक्षाओं के सुचारु आयोजन के लिये राज्य सरकार गंभीरतापूर्वक कार्य कर रही है। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में कुल 182 भर्ती परीक्षाओं का आयोजन किया गया है, जिनमें से 145 भर्तियों में नियुक्तियां प्रदान की जा चुकी हैं। 21 भर्तियों के परीक्षा परिणाम जारी कर दिये गये हैं। 7 भर्तियों के केवल साक्षात्कार शेष हैं एवं बाकी 9 भर्तियों हेतु परीक्षा का आयोजन किया जा चुका है, किन्तु परीक्षा का परिणाम जारी किया जाना शेष है। इनमें ऐसी भर्तियां हैं, जिनमें विषयवार

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

एक से अधिक परीक्षाएं आयोजित की गयी हैं। इनको एक ही परीक्षा मानते हुए गणना की गयी है। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा 57 भर्तियों हेतु 331 परीक्षाएं सम्पन्न करायी गयीं। वर्ष 2022-23 में वन रक्षक सीधी भर्ती, 2020, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती, 2021 एवं वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा, 2022 को पेपर लीक होने के कारण निरस्त किया गया है।

प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक, नकल आदि अवांछित गतिविधियों को रोकने एवं भर्तियों को समयबद्ध रूप से सम्पादित करने एवं भर्ती प्रक्रिया के सुदृढ़ीकरण के सम्बन्ध में विस्तृत अध्ययन कर सुधारात्मक सुझाव देने के लिए राज्य सरकार द्वारा दो समितियों का गठन किया गया। श्री महेन्द्र लाल जी कुमावत, पूर्व अध्यक्ष, राजस्थान लोक सेवा आयोग की अध्यक्षता में दिनांक 10 अप्रैल, 2021 को गठित समिति। माननीय न्यायमूर्ति श्री विजय कुमार व्यास, पूर्व न्यायाधीश राजस्थान उच्च न्यायालय की अध्यक्षता में दिनांक 31 जनवरी, 2022 को गठित उच्च स्तरीय समिति।

राज्य सरकार द्वारा पारदर्शी, सुरक्षित एवं निष्पक्ष प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली की दिशा में किये गये प्रयासों के फलस्वरूप राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा, रीट 2022 का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। इसके लिए निम्नलिखित कदम उठाये गये:-

रीट 2022 परीक्षा लेवल वन एवं लेवल टू, केवल पात्रता परीक्षा एवं पात्रता आजीवन, जिससे आगामी रीट पात्रता परीक्षा में अभ्यर्थियों की संख्या कम हो सके। जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला परीक्षा संचालन समिति का गठन, कम से कम अतिरिक्त जिला कलेक्टर स्तर का अधिकारी, जिला समन्वयक, कॉर्डिनेटर बनाया गया। राजकीय शिक्षण संस्थानों को ही प्राथमिकतापूर्वक परीक्षा केन्द्र बनाया गया। अति आवश्यकता की स्थिति में पुलिस सत्यापन के पश्चात् ही परीक्षा केन्द्र बनाने का निर्णय किया गया। जिला कोषागार को ही प्रश्न पत्र रखे जाने हेतु स्ट्रॉंग रूम बनाया गया। आवश्यकता की स्थिति में जिला कलेक्टर द्वारा वित्त विभाग की अनुमति के उपरांत ही निकटवर्ती राजकीय भवन को कोषागार घोषित करना एवं उपयुक्त व्यवस्था करना।

परीक्षा आयोजन में मानवीय संलग्नता अत्यल्प हेतु प्रयास एवं वीक्षकों का पदस्थापित विद्यालयों से भिन्न विद्यालयों में नियुक्ति। 30 लाख अभ्यर्थियों के बावजूद अंतर जिला मोबिलिटी 'शून्य', रोड मैप फोर जीरो

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

माइग्रेशन, सभी परीक्षा केन्द्रों/कोषागार/संग्रहण केन्द्रों पर सी.सी.टी.वी. कैमरा परीक्षा से एक दिवस पूर्व ही सुनिश्चित एवं लाइव प्रसारण का लिंक पुलिस 'अभय कमांड' पर प्रदान करना।

प्रश्न पत्र एवं परीक्षा सामग्री में प्रयुक्त वाहनों पर जी.पी.एस. सिस्टम लागू किया गया। कुमावत समिति की अनुशंसाओं के क्रियान्वयन बाबत राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को पत्र दिनांक 03.09.2021 को लिखा गया तथा व्यास समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में प्रदत्त अनुशंसाओं को गंभीरतापूर्वक लागू किए जाने के लिए कार्मिक-क(2) विभाग के पत्र दिनांक 09.09.2022 द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग एवं समस्त जिला कलेक्टर्स को निर्देशित किया गया था। उक्त दोनों समितियों द्वारा आयोग एवं बोर्ड में सिक्योरिटी सेल के गठन, प्रश्न पत्र में न्यूनतम व्यक्ति का सम्पर्क होने, प्रश्न पत्र तैयार करने में बाहरी एजेंसी की सेवाएं नहीं लेने एवं यह कार्य स्वयं भर्ती संस्था द्वारा करने, प्रश्न पत्र तैयार करने में विशेषज्ञों की सेवाएं लगातार बदल-बदलकर बाई फ्रिक्वेंट रोटेशन, प्रत्येक प्रश्न पत्र पर यूनिक बार कोड अंकन, प्रतिष्ठित प्रिंटिंग प्रेस से ही प्रिंटिंग कार्य, अतिरिक्त प्रश्न पत्रों को अलग-अलग लिफाफे के स्थान पर मुख्य लिफाफे में ही रखे जाने, कोषागार/स्ट्रोंग रूम की लॉग बुक का संधारण किये जाने, कोषागार में प्रश्न पत्र संग्रहीत करने के स्थान/स्ट्रोंग रूम में मोबाइल फोन की अनुमति नहीं देने, परीक्षा केन्द्रों का प्रतिवर्ष भौतिक सत्यापन किये जाने, परीक्षा केन्द्र की विश्वसनीयता के सम्बन्ध में जिला कलेक्टर, पुलिस एवं जिला शिक्षा अधिकारी से लिखित में रिपोर्ट लिए जाने सम्बन्धी महत्वपूर्ण अनुशंसाएं शामिल हैं, जिसके क्रम में राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि वर्ष 2013 और 2018 के बीच में आरएएस प्रारम्भिक परीक्षा 2013, एलडीसी, कनिष्ठ लिपिक भर्ती परीक्षा 2013, कनिष्ठ लेखाकार एवं तहसील राजस्व लेखाकार परीक्षा 2014, जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा 2018, इन सभी के पेपर लीक हो गए थे, इनकी परीक्षाएं निरस्त की गई थीं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पास पूरे देश के बारे में सूचना एकत्रित की है, वह है। इसमें उत्तराखण्ड पटवारी, लेखपाल परीक्षा, 08.01.2023, पेपर

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

लीक हुआ। जम्मू-कश्मीर सब इंस्पेक्टर परीक्षा, मार्च 2022, जूनियर इंजीनियर सिविल परीक्षा, वित्त लेखा परीक्षा, इन सबके पेपर आउट हुए। हिमाचल में हुए और पुणे में सेना भर्ती परीक्षा फरवरी, 2021 में हुई उसके कारण कामन एंट्रेस एग्जामिनेशन, पूरे भारतवर्ष में कैंसिल किया गया। पंजाब में नायब तहसीलदार रिक्रूटमेंट परीक्षा, मई 2022, गुजरात में क्लर्क भर्ती परीक्षा, दिसम्बर 2021, लोकपाल दल भर्ती परीक्षा, दिसम्बर 2018, इंजीनियर रिक्रूटमेंट गुजरात एनर्जी ट्रांसमिशन कारपोरेशन, जनवरी 2022, फोरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा 2022, इन चार परीक्षाओं के गुजरात में पेपर लीक हुए। उड़ीसा में हुआ, महाराष्ट में टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2021, ग्रुप-सी रिक्रूटमेंट परीक्षा 2021, कर्नाटक में असिस्टेंट प्रोफेसर (भूगोल) 2022, झारखंड कनिष्ठ अभियंता (जेई) परीक्षा, इसके पेपर आउट हुए। मध्य प्रदेश कृषि विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा जो हुई उसका पेपर आउट हुआ। उत्तर प्रदेश में लेखपाल भर्ती परीक्षा 21.07.2022 को पेपर आउट हुआ। हरियाणा में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 07.08.2021 में पेपर लीक हुआ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस तरीके से भू-माफिया, शराब माफिया, इस तरीके से एक नकल माफिया बन गया है। इसके ऊपर जब तक हम पक्ष और विपक्ष के लोग मिलकर रोक नहीं लगाएंगे और इस पर जिस तरीके से माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इस सदन को आश्वस्त किया था कि इस कानून में हम सख्ती लाएंगे और सख्ती लाई गई। जो कानून बनाया गया उसमें दस साल तक की सज़ा, दस करोड़ रुपये की सम्पत्ति को एक तरीके से जब्त करने की कार्रवाई करने का कानून इसी विधान सभा में आपकी अध्यक्षता में हमने पारित करवाया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन से अपील करता हूं कि इस मामले को हम पक्ष और विपक्ष में पर्सनलाइज न करें, आपके राज में भी पेपर आउट हुए। मैं इसको भी अच्छा नहीं मानता, हमारे कार्यकाल में भी कुछ पेपर लीक हुए हैं, आउट हुए हैं लेकिन हमने कार्रवाई की है। एक करोड़ बारह लाख रुपये की सम्पत्ति जब्त की है। शिक्षा विभाग के चार कर्मचारियों को हमने नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। जो भी लोग लिप्त पाए जाएंगे, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैं चाहता हूं कि और भी सख्त कानून बनाने के बारे में आपके जो सुझाव आएंगे, उनका हम स्वागत करेंगे, वेलकम करेंगे और इस कानून को और सख्त बनाने के लिए कोई कोर-कसर नहीं छोड़ेंगे। धन्यवाद।

**श्री अध्यक्ष**: श्री राजेन्द्र राठौड़।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सदन आज राजस्थान के अंदर एक बहुत बड़ी घटना जो लगातार घट रही है, उस पर विचार कर रहा है। मैं अपनी बात कह रहा हूं, उसी समय इस राजधानी जयपुर की घाट की गुणी पर हजारों-हजार विद्यार्थी और बेरोजगार डा. किरोड़ीलाल मीणा की अगुआई में धरना दिए बैठे हैं। मंत्री महोदय, मैंने आपका उत्तर सुना, आपने बचाव मुद्रा में आकर 2013 से 2018 की सरकार में प्रश्न पत्र लीक की चर्चा की, देश के कई राज्यों की आपने बात की। यह तो वह बात हो गई कि जुल्म कहीं भी हो जाए, अपराध कहीं भी हो जाए, मेरे यहां भी अपराध करेंगे इसलिए क्षम्य है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो मामला है, 18 महीने में राजस्थान के अंदर 28 परीक्षाएं हुई। 1 करोड़ 30 लाख अभ्यर्थी उसमें बैठे और जिन्होंने 400 करोड़ रुपये सिर्फ परीक्षा का शुल्क दिया और उसमें से 16 पेपरों का अलग-अलग परीक्षाओं में आउट हो जाना और उसके बाद मुख्य मंत्रीजी का यह बयान आ जाना कि प्रश्न पत्र लीक हो जाने के अंदर अधिकारी और मंत्री या नेता नहीं हैं, मैं समझता हूं, इसकी गंभीरता की बात अपने आप सामने दिखाई दे रही है। इस बार तो हद हो गई, प्रश्न पत्र सोशल मीडिया में नहीं, चलती बस के अंदर 24 दिसम्बर को आउट होता है और यही बस एसओजी जांच करती है तो जांच में सामने आता है कि 21 तारीख को और 22 तारीख को भी उसी टोल के नाके से निकलती है, एक प्रश्न पत्र आप रद्द करते हो सैकंड ग्रेड टीचर परीक्षा में और 21 और 22 तारीख के दो प्रश्न पत्रों पर आप बात नहीं करते।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो अभी जांच हुई है, इसमें कुछ किरदार फिर सामने आए, सुरेश विश्नोई, सुरेश ढाका, भूपेन्द्र सारण और भजनलाल। ये भी एसओजी ने कह दिया कि अजमेर, जयपुर, जालौर में ये प्रश्न पत्र दस लाख से पंद्रह लाख रुपये में बिका। आज इस सोशल मीडिया की टेक्नोलोजी ने कुछ राज उजागर कर दिए। ये जो सुरेश ढाका है, वो किसकी फेसबुक चलाता है, किस-किस से जुड़ा हुआ है, अगर इसकी जांच आप कर लें तो निश्चित तौर पर जो पूर्व उप मुख्य मंत्री कहते हैं कि असली किरदार को पकड़ा जाना चाहिए, वह बात सही साबित हो जाएगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हद तो तब हो गई जब जिस एंटी चीटिंग बिल की बात पर आपने भूपेन्द्र सारण का मकान तोड़ा, उस मकान का

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

मालिक दूसरा था। उसने जब एसओजी को कहा कि मेरे को यह किराया नहीं दे रहा था, मैंने जब एतराज किया तो इसने मुझे मंत्रियों के, आई.ए.एस. लोगों के नाम लेकर धमकाया, मैं चाहूंगा कि आप इसकी जांच करवाएं। आज मेरा भी कोई नाम लेता है, मेरे से लिंक है या नहीं है, उसने मेरा नाम क्यों लिया इसकी भी जांच होनी चाहिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान पत्रिका ने इस पेपर लीक होने पर जो सर्वे किया, वो आपकी पोल खोल रहा है। राजस्थान पत्रिका के सर्वे ने कहा कि 87.8 प्रतिशत बेरोजगारों ने, परीक्षा में पेपर लीक होने की सरकार की कार्रवाई से हम संतुष्ट नहीं हैं। 88.5 प्रतिशत ने कहा कि बार-बार पेपर लीक होने पर सरकार परीक्षा के पैटर्न को बदले। आपने जिस जस्टिस विजय कुमार व्यास की समिति का जिक्र किया, आपने जिस पूर्व आरपीएससी के चेयरमैन, एमएल कुमावत की 18 अप्रैल, 2020 को जो समिति है उसका जिक्र किया। जुलाई, 2022 में इन्हें पूरी रिपोर्ट मिल गयी। इस व्यास कमेटी की रिपोर्ट के

**(समय: 13.00 बजे)**

आधार पर इन्होंने निर्देश जारी किये। इन्होंने अभी अपने उत्तर में भी कहा कि हमने नौवें महीने में निर्देश जारी किये। मंत्री महोदय, आप लिख लें, एंटी चीटिंग बिल 22 फरवरी, 2022 को हमने पारित किया, 05 अप्रैल, 2022 को यह नोटिफाइड हो गया। आपने सही कहा, एंटी चीटिंग बिल के सैक्शन 10(2) में पेपर लीक करने पर 5 वर्ष से 10 वर्ष तक की सज़ा और 10 लाख से लेकर 10 करोड़ तक का जुर्माना। सेक्शन 12(2) में अपराधी की सम्पत्ति अटैच करने की बात और सेक्शन 16 में डेजिग्नेटेड कोर्ट्स स्पीडी ट्रायल के लिए। एक डेजिग्नेटेड कोर्ट आपने यदि इस एंटी चीटिंग बिल के प्रावधानों के अनुसार बनाया हो तो बताएं।

अध्यक्ष महोदय, मैं बड़े नम्र शब्दों में कह रहा हूं, कान्स्टेबल परीक्षा, वनरक्षक परीक्षा, सेकंड ग्रेड टीचर परीक्षा, ये उस समय हुईं जब एंटी चीटिंग बिल प्रभावी हो गया था। आपने स्वयं अपने उत्तर में कहा, कान्स्टेबल की परीक्षा रद्द हुई, वनरक्षक की परीक्षा रद्द हुई, आपने उसमें एंटी चीटिंग बिल के आधार पर उन माफियाओं के मकानों को क्यों अटैच नहीं किया? आपने उन पर जुर्माना क्यों नहीं लगाया? डेजिग्नेटेड कोर्ट्स में उनके खिलाफ आपने चालान क्यों पेश नहीं किया?

रीट में डी.पी. जारोली और प्रदीप पाराशर, जिन्हें आपने दोषी मानते

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

हुए गिरफ्तार किया, मुझे अफसोस के साथ सदन से कहना पड़ता है, इन सारे दोषियों को आपने न केवल बहाल कर दिया, बल्कि इन्हें क्लीन चिट भी दे दी। आप मुझे बता दें, डबल लॉक के अन्दर से प्रश्न पत्र चोरी होता है और उसके बाद भी आप कहते हैं कि कोई जिम्मेवार नहीं। यह कौन-सी जादूगरी है?

अध्यक्ष महोदय, मैं जिम्मेदारी से कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा, कान्स्टेबल परीक्षा 14 मई, 2022 को आपने रद्द की, एंटी चीटिंग बिल उस समय फोर्स में था। एसओजी ने उदाराम नाम के व्यक्ति से प्रश्न पत्र जब्त किया, एसओजी आगे नहीं बढ़ी, क्योंकि एसओजी को यह प्रश्न पत्र सुरेश ढाका ने दिया। क्या आपने उस उदाराम की सम्पत्ति जब्त की? क्या आपने उदाराम के मकान को तोड़ा? आपने किराये के मकान को तोड़कर, भूपेन्द्र सारण की संस्था को, जो किराये पर चलती थी, जो खुद किराया नहीं देता था, जो किराया मांगने पर मंत्री का नाम लेता था। कौन है वह मंत्री? क्या आपने कार्रवाई की?

इसके साथ ही, झोटवाड़ा का जो दिवाकर स्कूल है, कान्स्टेबल की परीक्षा में यहां सामूहिक नकल हुई। एसओजी की जांच रिपोर्ट में आप देख लें। आपने सिर्फ मान्यता रद्द की, स्कूल वहीं खड़ा है। इसके साथ ही, एस.एच.ओ. की परीक्षा में जागृति विद्यालय, जयपुर, एस.ओ.जी. ने जांच के बाद धीरज शर्मा को पकड़ा और इस स्कूल की मान्यता भी रद्द नहीं की, क्योंकि विप्र फाउंडेशन की उपाध्यक्ष मंजू शर्मा का यह स्कूल है। ये दोहरे मापदण्ड निश्चित तौर पर यह दिखाते हैं कि दाल में काला नहीं, पूरी की पूरी दाल ही काली है।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, आप यू.पी. की बात कर रहे थे, यू.पी. में एन.एस.ए. लगता है। लगाएं एन.एस.ए., कौन मना करता है आपको, हिम्मत है तो करें आप। अध्यक्ष महोदय, आप से ज्यादा कोई नहीं जानता, यह जो प्रश्न पत्र आर.पी.एस.सी. से आउट हुआ है, आर.पी.एस.सी. में प्रश्नों का सलेक्शन करने वाला सिर्फ आर.पी.एस.सी. का चेयरमैन होता है। आधा दर्जन में से कौन-सा प्रश्न पत्र छपने जायेगा, उसे मालूम है। प्रिंटिंग प्रेस उसे मालूम है। आप जांच कराएं, कहीं दूध की रखवाली बिल्ली के पास तो नहीं है?

मैं समझता हूं, ऑनलाइन परीक्षाओं में जो टी.सी.एस.आई. कम्पनी है, जिसने एक दर्जन परीक्षाएं करायी हैं, जिसका स्टेट हैड भुवनेश भार्गव है। इसी कम्पनी ने दिल्ली पुलिस की परीक्षा आयोजित करवायी थी। ओम कोठारी

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

कालेज में एक सेंटर था, जिसमें 226 अभ्यर्थी पास हुए। मामला सी.बी.आई. के पास है। सुरेश ढाका का टी.सी.एस.आई. कम्पनी से गठजोड़ है। विद्युत विभाग के टेक्निकल हेल्पर एग्जाम में एक सेंटर से 50 लोग पास हुए हैं। यह जांच का विषय है। ये सब साइबर हैकिंग का काम करने वाले लोग हैं। इन्होंने सत्तारूढ़ दल के यूथ कांग्रेस के चुनाव में साइबर हैकिंग करके अपने चहेते उम्मीदवार मुकेश भाखर को हराया और सुमित गोदारा को चलाया। ये तार कहीं से कहीं जा रहे हैं।

मैं चाहूंगा, एंटी चीटिंग बिल के नाम पर कुछ लोगों पर कार्रवाई करना और कुछ को छोड़ देना, उदाराम तक जाकर आगे नहीं बढ़ना, निश्चित तौर पर राजस्थान में आज जिन लोगों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, आज वे सड़कों पर उतरे हैं। उनकी 'आह' खा जायेगी आपको और इस सरकार को नेस्तनाबूद कर देगी।

**श्री अध्यक्ष**: श्री ज्ञानचंद पारख (अनुपस्थित)। श्री कालीचरण सराफ।

**श्री कालीचरण सराफ** (मालवीय नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे तो सारी बातें आ गयी हैं पर मैं मंत्री जी से एक बात पूछना चाहता हूं। यदि यह पेपर प्रेस के माध्यम से लीक होता तो सौ के सौ क्वेश्चंस का जवाब मिलता, परन्तु चूंकि उसमें से छांटकर 80-80 क्वेश्चंस केवल लीक हुए हैं इसका मतलब इसमें आर.पी.एस.सी. का हाथ है। आर.पी.एस.सी. का यदि हाथ है तो इन छुटभैये लोगों को पकड़कर वाह-वाही लेने से कुछ नहीं होगा। जो इसके मूल कर्ता-धर्ता हैं, सरगना हैं, उन्हें पकड़ने की आप कार्रवाई करें, इसकी हिम्मत करें।

कितने मजाक की बात है कि जयपुर शहर में जो अधिगम कोचिंग सेंटर किराये की बिल्डिंग में चलता था, झूठी वाह-वाही लेने के लिए, जो साल भर से किराया नहीं दे रहा था, मकान मालिक को नोटिस दिया, सुबह उसे तोड़ने के लिए पहुंच गये। उसकी 5 करोड़ रुपये की बिल्डिंग को तहस-नहस कर दिया। उसके परिणामस्वरूप जो मकान का मालिक था अनिल अग्रवाल, वह आज हास्पिटलाइज्ड है। इतना ही नहीं, उसके बाद उसे 14 लाख रुपये का डिमांड नोटिस और भेज दिया कि हमने जो आपका मकान तोड़ा है, इस पर जे.डी.ए. की 14 लाख रुपये की लागत आयी है, 14 लाख रुपये का बिल और भेज दिया। क्या यह कोई जंगल का कानून है? जो किराये की बिल्डिंग में कोचिंग चला रहे थे, उन पर तो कोई एक्शन नहीं हुआ, वे तो चले गये, उन्हें तो फरार कर दिया।

(श्री कालीचरण सराफ)

आप यह कह रहे हैं कि हमने एंटी चीटिंग बिल पास किया। मैं पूछना चाहता हूं कि इस बिल के पास होने के बाद आपने कितने लोगों को सज़ा दी? चार साल में कितने पेपर्स लीक हुए, आपने उनमें से एक भी व्यक्ति को सज़ा देने का प्रयास नहीं किया।

मैं पूछना चाहता हूं कि यह जो किराये की बिल्डिंग थी, उसके मकान मालिक का क्या दोष था? जिसे साल भर से किराया नहीं मिल रहा था, उसकी बिल्डिंग आपने किस आधार पर तोड़ी? उसे 14 लाख रुपये का डिमांड नोटिस आपने किस आधार पर दिया? आज उसका मालिक हास्पिटलाइज्ड है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? असत्य वाह-वाही लेने और अपने पक्ष में वातावरण बनाने के लिए जो आपने बिल्डिंग को तोड़ा, वह क्षम्य नहीं है। दूसरा, एंटी चीटिंग बिल लागू होने के बाद आपने कितने लोगों को सज़ा दी? एक भी व्यक्ति को सज़ा नहीं दी।

इन छोटे-छोटे दलालों को पकड़ने से कुछ नहीं होगा। पूर्व उप-मुख्य मंत्री ने सही कहा कि तिजोरी के डबल लॉक में से जो परीक्षा के पेपर लीक हुए, इसके लिए कोई न कोई तो जिम्मेदार होगा। क्या कोई जादू था? हां, मुख्य मंत्री जी यह कहते हैं कि वे जादूगर हैं, पर यह उन्होंने कैसा जादू दिखाया, तिजोरी में से अपने आप 'खुल जा, सिम-सिम' और वह पेपर आउट हो गया। इन सब बातों का जवाब दीजिए। धन्यवाद।

**श्री अध्यक्ष**: श्रीमती अनिता भदेल।

**श्रीमती अनिता भदेल** (अजमेर दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। जो हमारे माननीय उप नेता हैं, राजेन्द्र जी, उन्होंने सारे विषय को बहुत गम्भीरता से सदन और आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। माननीय मंत्री महोदय ने भी इसका जवाब दिया है। उन्होंने यह भी बहुत साफगोई से बता दिया कि इतनी परीक्षाएं हमने आयोजित की हैं और उनमें से इतनी हमने भर्ती कर दी है, इतनी पोस्टिंग कर दी है और पूरे देश भर में इतनी परीक्षाओं के पेपर आउट हुए हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज-कल सोशल मीडिया का जमाना है, आप कोई भी चीज नहीं छिपा सकते। सदन की यह कार्रवाई सब लोग लाइव देख रहे हैं। राजस्थान, जो कि 7 करोड़ की आबादी वाला प्रदेश है, उसमें हर व्यक्ति इस कार्रवाई को देख रहा है। हम क्या जवाब दे रहे हैं? यदि यह संवेदना हमारे अन्दर से मर गयी तो मुझे नहीं लगता कि सरकार उन

(श्रीमती अनिता भदेल)

अपराधियों को पकड़ने में सक्षम होगी जिन्होंने इस प्रदेश के डेढ़ करोड़ युवाओं के सपनों को चकनाचूर किया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, 16 परीक्षाओं का पेपर लीक हो जाना, कान्स्टेबल भर्ती परीक्षा में जिस सुरेश ढाका को एसओजी की टीम ढूंढ रही है, वही सुरेश ढाका आर.पी.एस.सी. का पेपर लीक कर देता है और फिर वह पुलिस से बचते हुए नेपाल के रास्ते विदेश चला जाता है। यह किसकी कमी है?

हमने गरीबी नहीं देखी है, यहां इस सदन में बैठे हुए बहुत सारे लोगों ने गरीबी नहीं देखी है इसलिए उनको आभास नहीं है कि कैसे एक गरीब आदमी अपने बच्चों को सरकारी नौकरी पाने का सपना देखता है। कोचिंग के लिए वह जयपुर भेजता है, किराये का मकान दिलाता है, कोचिंग की किताब खरीदता है, कोचिंग की फीस भरता है। यहां पर रहने के लिए किराये का मकान लेता है और जब उसको यह पता पड़ता है कि यह भर्ती पेपर लीक हो गई है जिसके कारण से परीक्षा रद्द हो गई है तब उसके सपनों को कितनी गहरी चोट पहुंचती है, इसकी शायद कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसलिए बहुत आसानी से कह देते हैं कि गुजरात में पेपर लीक हुआ है, मध्य प्रदेश में लीक हुआ है, इसलिए राजस्थान में लीक हो गया तो कोई बात नहीं। आप संवेदनाएं खतम कर रहे हो। मंत्री महोदय, यह जो आपने यहां जवाब दिया है, उससे यदि इस पार्ट को हटा देते तो शायद राजस्थान प्रदेश के लोग आप पर यकीन कर जाते कि सरकार कोई कार्रवाई करेगी, पर यह जवाब में जो आपने जोड़ा है इससे संशय पैदा हो गया है कि सरकार कोई कार्रवाई नहीं करने वाली है। सुरेश ढाका कैसे नेपाल के रास्ते विदेश भाग जाता है? अभी कालीचरण जी ने कहा कि आप किराये की बिल्डिंग को तोड़ रहे हो। मंत्री महोदय, मुख्य मंत्री जी का स्टेटमेंट था कि एनएसए का कानून लागू करेंगे और वही मुख्य मंत्री जी यह स्टेटमेंट देते हैं कि न तो अधिकारी इसमें लिप्त हैं और न कोई नेता इसमें लिप्त है, तो आपने तो साफगोई से सब लोगों को क्लीनचिट दे दी।

आपने यह कानून बनाते समय बहुत वाहवाही लूटी थी। इसी सदन के छठे सत्र में यह कानून राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) विधेयक, 2022 (विधेयक संख्या-6) और उसका संशोधन विधेयक संख्या-9 लेकर आये। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब यह कानून बन रहा था तब पूरे प्रदेश के लोगों ने यह आशाएं लगाई थीं कि शायद

(श्रीमती अनिता भदेल)

जो गिरोह है, जो गैंग हैं उस पर किसी तरह से कार्रवाई होगी और ये कानून के तहत जेल के सींखचों में जाएंगे और सज़ा भोगेंगे। कठोर कार्रवाई का प्रावधान इस कानून में हुआ है, कठोर सज़ा का प्रावधान इस कानून में किया गया है, लेकिन एक भी अपराधी जेल के सींखचों में न जाए, सज़ा न पाए।

आप बार-बार यह बात कहते हैं कि हम सीबीआई से जांच नहीं कराएंगे क्योंकि सीबीआई में बहुत केस आलरेडी पैंडिंग हैं, इसलिए हम एसओजी से कराएंगे। चलिये, मुख्य मंत्री जी की यह बात भी हम मान लेते हैं कि एसओजी से कराइये, परन्तु एसओजी से कराने के बाद क्या एसओजी ने अभी तक किसी को सज़ा दिलाने का काम किया है? क्या न्यायालय में चालान पेश होकर वह व्यक्ति सज़ा काट रहा है, जिसने यह अपराध किया है? हम कल्पना नहीं कर सकते, मंत्री महोदय। जो डेढ़ करोड़ युवा हैं, जो इन अलग-अलग भर्तियों में बैठे हैं और परीक्षा रद्द हो गई उससे उन डेढ़ करोड़ से कितने लोग प्रभावित हुए हैं? एक-एक परिवार से कितने-कितने व्यक्ति प्रभावित हुए हैं?

**श्री अध्यक्ष**: माननीय सदस्य।

**श्रीमती अनिता भदेल** (अजमेर दक्षिण): इसलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि यह राजस्थान की पीड़ा है, ये केवल डेढ़ करोड़ युवा नहीं हैं, उनसे जुड़ा हुआ पूरा परिवार है जिसमें 5-5, 6-6 मेम्बर होते हैं और लगभग 4-5 करोड़ लोग परीक्षा से प्रभावित हुए हैं, इसलिए आप इसको हल्के में मत लीजिए। इसमें संवेदना से काम कीजिये और जिन लोगों ने इन कारनामों को किया है उनको सज़ा दिलाएंगे तो ही इस प्रदेश की जनता में यह विश्वास पैदा होगा कि हमने जिन लोगों को चुनकर भेजा, वोट देकर भेजा, इस डेमोक्रेसी में वे हमारी चिन्ता करते हैं, हमारे लिए वहां बात करते हैं, हमारे लिए काम करते हैं। मेरा आपसे इतना ही निवेदन है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

**श्री अध्यक्ष**: श्री मदन दिलावर।

**श्री मदन दिलावर** (रामगंज मण्डी): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह एक गम्भीर मामला है क्योंकि राजस्थान में कई लोगों ने आत्महत्या कर ली है और कई डिप्रेशन के शिकार हो गये हैं। मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि इतने बड़े-बड़े अधिकारी, इतने विद्वान पुराने मंत्री, मुख्य मंत्री अपने आपको बहुत विद्वान कहते हैं, फिर भी पेपर लीक हो जाता है। यह बात समझ में क्यों

(श्री मदन दिलावर)

नहीं आती कि हम जो पेपर बनाते हैं वह कुछ कम संख्या में बनाते हैं, उन्हें बड़ी संख्या में बनाया जाए और जब पेपर दिया जाए, उसके आधा घंटा पहले लाटरी निकाली जाए तथा फिर नेट के माध्यम से सेंटर पर मेल किया जाए, जहां तुरन्त प्रिंट निकालकर बांट दिया जाए, तो मैं मानता हूं कि फिर कैसे आउट हो सकता है। जिस समय पेपर को खोलते हैं उस समय जिम्मेदार लोग रहें, उसकी रिकार्डिंग हो। यह सारा का सारा यदि हो तो पेपर आउट नहीं हो सकता, लेकिन मन में बेईमानी है, पैसे कमाने का षड्यंत्र है इसलिए इस टेक्नोलोजी का उपयोग नहीं कर रहे हैं और उसके कारण से लगातार पेपर आउट हो रहे हैं, इसके अलावा पेपर आउट करने वाले लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है, क्योंकि अभी तक जितने भी पेपर आउट हुए हैं उनको जमानत मिल गई। क्यों? क्योंकि सरकार ने अपना पक्ष ठीक प्रकार से प्रस्तुत नहीं किया। इनको तो यही पता नहीं कि कौनसा वकील इस केस को देख रहा है। चाहे जिसको लगा देते हैं। जो सिफारिशी होता है उस वकील को लगा देते हैं और इतिश्री कर लेते हैं, फिर कहते हैं कि अदालत ने ही जमानत दे दी है। क्यों नहीं इन लोगों की सारी सम्पत्तियों को सरकार में समाहित किया गया? क्यों नहीं इनकी चल-अचल सम्पत्तियों को, जिनको तोड़ सकते थे, तोड़ा गया? परन्तु यह सब दिखाता है कि कहीं न कहीं मन में बेईमानी होने के कारण से यह सब कुछ गड़बड़ हो रहा है और उसके कारण से अनेक लोग आत्महत्या कर रहे हैं और डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। मेरा मानना यह है कि जब एसओजी या दूसरी पुलिस, जांच अधिकारी पकड़ते हैं और बताते हैं कि यह पकड़ा गया है, यह सामग्री इनके पास से मिली है, इन्होंने हां किया है, सब कुछ है और सारा प्रूव होने के बावजूद भी उन पर प्रभावी कार्रवाई नहीं होना यही दर्शाता है। अभी भी जो इसके पहले रीट परीक्षा हुई थी उसमें किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गयी। मैंने एक भी मकान को तोड़ते हुए नहीं देखा। अभी सुना कि मकान तोड़ा गया, तो जो मकान मालिक था उसका तोड़ दिया जबकि वह तो किरायेदार था, तो कहीं न कहीं जिसने पेपर आउट किया था, जो अपराधी था, जो किराया नहीं दे रहा था और उसको उससे दुश्मनी निकालनी थी इसलिए उसको राहत देने के लिए उस मकान को तोड़ा गया है।

ये पेपर लीक में पकड़े जाने वाले लोग कौन हैं? किसकी फेसबुक चलाते हैं? किसके साथ खड़े रहते हैं? कौन इनके कन्धे पर हाथ डालता है? कौन उससे हाथ मिलाता है? यह सब आउट होना चाहिए, सदन की टेबल पर

(श्री मदन दिलावर)

आना चाहिए कि कौन हैं वे लोग। मैंने सुना है कि किसी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता थे, एनएसयूआई के पदाधिकारी इसमें पकड़े गये हैं, कांग्रेस के नेता इसमें पकड़े गये हैं, लेकिन उनके पीछे यह नहीं लिखा जा रहा है कि ये कांग्रेस के हैं। सारे के सारे लोग, जितने भी पेपर आउट करने वाले अपराधी लोग हैं वे सारे के सारे कांग्रेस के हैं इसीलिए स्ट्रांग रूम से पेपर निकल जाता है क्योंकि वे यहां के मंत्रियों से, मुख्य मंत्री से, अधिकारियों से मिले हुए हैं और इसलिए पेपर आउट होता है। इसलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि इसकी सीबीआई से जांच कराइये। मैं गारंटी देता हूं कि शिक्षा मंत्री जेल जाएंगे, मुख्य मंत्री जेल जाएंगे, गृह मंत्री जेल जाएंगे। मैं गारंटी देता हूं, सीबीआई से जांच करा लें तो सारा का सारा लवाजमा है वह जेल जाएगा और दर्जन भर अधिकारी जो आईएएस आफिसर हैं, ये जेल जाएंगे। जान-बूझकर करोड़ों रुपये कमाने के चक्कर में, अपने राहुल गांधी जी को पैसे भेजने के चक्कर में सारे के सारे लगातार पेपर आउट कराते जा रहे हैं।

**श्री अध्यक्ष**: धन्यवाद। श्री रामलाल शर्मा। श्री फूल सिंह मीणा। श्री रामलाल जी।

**श्री रामलाल शर्मा** (चौमूं): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक गम्भीर विषय के ऊपर यह सदन चर्चा कर रहा है और गम्भीरता भी इसलिए है कि जो व्यक्ति अपने बच्चे के भविष्य को सुरक्षित रखना चाहता है वह अपनी जमा पूंजी में से पैसे निकालकर, उधार पर पैसे लाकर, कर्ज पर पैसे लाकर अपने बच्चे के सपने साकार करने के लिए अलग-अलग इंस्टीट्यूट में वह भेजता है। एक साल-दो साल मेहनत, परिश्रम करने के बावजूद जब परिणाम यह आता है कि हर परीक्षा का पेपर लीक हो रहा है तो उसके सपने टूटते हुए नजर आते हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन सिर्फ इतना है कि अगर व्यवस्थाओं के अन्दर परिवर्तन कर लें तो मेरे ख्याल से समस्याओं का समाधान हो सकता है।

मुझे नहीं पता कि यूपीएससी का पेपर आउट होने की खबर किसी अख़बार के अन्दर छपी हो। अभी भारत सरकार ने 80 हजार को तीन महीने पहले नियुक्तियां दीं, 78 हजार को विभिन्न डिपार्टमेंट में अभी नियुक्ति दी पर किसी भी परीक्षा का पेपर आउट होने की खबर नहीं आई। आखिर क्या कारण है कि राजस्थान के अन्दर बार-बार पेपर आउट हो रहे हैं? अध्यक्ष

(श्री रामलाल शर्मा)

महोदय, कारण स्पष्ट है कि सरकार की उदासीनता, सरकार की शिथिलता, सरकारी की भेदभावपूर्ण नीति का परिणाम है कि आज इस तरीके के हालात बन चुके हैं कि किसी भी युवा का इस सरकार की एक भी परीक्षा के ऊपर विश्वास नहीं है।

अभी माननीय उप नेता ने जिन बातों का जिक्र किया, बात बिलकुल सत्य है कि स्टेनो की परीक्षा आयोजित की जाती है और स्टेनो की परीक्षा में एक ही सेंटर से 50 से अधिक सलेक्शन होते हैं, तो आखिर कारण क्या है? क्या सारे विद्वान व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने का काम उसी संस्था में होता है या दुनिया के ज्ञानवान व्यक्ति वहीं आ गये, जो इस तरीके से सलेक्शन देने का काम करते हैं? अध्यक्ष महोदय, संदेह के घेरे में वे इंस्टीट्यूट भी आते हैं।

आप कह रहे हैं कि हम पारदर्शिता के साथ परीक्षा कराने का काम करते हैं। प्राइवेट स्कूलों के अन्दर आप सेंटर बनाते हो, प्राइवेट स्कूलों में नकल होती है। क्या आप एग्जाम की पूरी रिकार्डिंग कराने का काम करते हो? चन्द मिनट की रिकार्डिंग करके इतिश्री करने का काम करते हो। इन सेंटरों पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो सेंटर आने के बाद मोटे पैसे लेकर यह सुनिश्चित करते हैं कि 'हां' इस सेंटर के अन्दर हम तुम्हारी मदद करने का काम करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, इतिश्री इतनी ही नहीं है। आज बहुत्सी ऑनलाइन एग्जाम्स ऐसी हैं, उन ऑनलाइन एग्जाम्स में भी फर्जीवाड़ा हो रहा है। अभी कुछ दिनों पहले बिजली विभाग के अन्दर टेक्निकल स्टाफ की भर्ती के अन्दर भी बार-बार डिपार्टमेंट के लोग, जो परीक्षार्थी थे, वे कह रहे थे कि, साहब, इस परीक्षा के अन्दर चीटिंग हुई है। बाहर की कम्पनियां आती हैं, ऑनलाइन परीक्षा लेती हैं, मोटा पैसा वसूल करके, ऐसे लोगों की योग्यता सूची जारी करती है जो उस परीक्षा के अन्दर पास ही नहीं हो सकते हैं। उसके बावजूद भी सरकार के नुमाइन्दे उनकी कोई सुनवाई नहीं करते हैं।

अध्यक्ष महोदय, अभी कुछ दिनों पहले एनटीटी की भर्ती हुई। एनटीटी की भर्ती के अन्दर, पूरे राजस्थान में सिर्फ 2 हजार ऐसे विद्यार्थी थे जिन्होंने एनटीटी का प्रशिक्षण ले रखा था, जब वैकेंसी निकलती है तब 20 हजार आवेदन आ गये। 18 हजार डिग्रियां फर्जी आ गईं। फर्जी डिग्री के मामले में राजस्थान में एक भी आदमी के खिलाफ राजस्थान की सरकार ने कोई मुकदमा दर्ज करवाया हो तो बता दें। आज भी एनटीटी की 600 पोस्ट्स वैकेंट पड़ी हुई हैं। आज भी वह भर्ती लम्बित है, कई वर्ष बीत जाने के बावजूद भी।

(श्री रामलाल शर्मा)

अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन इतना ही है कि गरीब आदमी के सपनों को तोड़ने का काम सरकार नहीं करे। मजबूती के साथ, कानून के दायरे के अन्दर कार्रवाई करने का काम करे और कांग्रेस की एक नेता, जिसका बेटा जेल की सलाखों के पीछे है जिसके ऊपर पेपर लीक करने का आरोप है, उसके बावजूद उसके मकान के ऊपर कार्रवाई नहीं होती है और एक किरायेदार, जो किराये की बिल्डिंग लेकर, उसके मकान मालिक के ऊपर कार्रवाई होती है। ऐसी भेदभावपूर्ण नीति भी नहीं होनी चाहिए। आपने अवसर दिया, धन्यवाद।

**श्री अध्यक्ष**: श्री फूल सिंह मीणा।

**श्री फूल सिंह मीणा** (उदयपुर ग्रामीण): अध्यक्ष महोदय, आज पेपर लीक के बारे में चर्चा हो रही है। मंत्री महोदय ने बताया कि जिन्होंने यह षड्यंत्र रचा, उन पर करोड़ों का जुर्माना करेंगे।

अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके मार्फत मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि उन बच्चों का क्या होगा जिनकी उम्र ओवर हो गई है? हमारे आदिवासी भाइयों ने एक सपना देखा था कि 45 परसेंट आरक्षण हमारे टीएसपी एरिया में मिला है, हमारे बच्चे या हमारी बच्चियां नौकरी लगेंगी। वह गरीब किसान के पास खाने का दाना नहीं है, वे जमीन को गिरवी रखते हैं, औरत के जेवर गिरवी रखकर बच्चों को शहर के अन्दर भेजते हैं कि मेरा बेटा कोचिंग करेगा, मकान किराये पर लेकर वहां पर पढ़ाई करेगा और मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। वे बच्चे परीक्षा देने के लिए मेहनत करते हैं, उस परीक्षा की तैयारी करते हैं और 6-6 महीने तक मकान किराया और कोचिंग का पैसा भरते हैं। वास्तव में परीक्षा देने के बाद में रात को पता लगता है या दूसरे दिन पता लगता है कि पेपर लीक हो गया। उसकी 6 महीने की मेहनत तो गई जो गई, छोटी-मोटी नौकरी कर रहा था, उससे भी वह छुट्टी लेकर घर बैठा और उस परीक्षा की तैयारी की।

वह किसान, गरीब और हमारे आदिवासी भाई और बहन ऐसी परीक्षा देने के लिए बड़ी तैयारी के साथ आते हैं और इनके साथ में यह होता है। उनका क्या होगा जो वास्तव में गरीब हैं? पेपर लीक करने वाले सरकारी अधिकारी या कोई नेतागण हैं, उनके ऊपर आपने ऐसी कार्रवाई क्यों नहीं की? जब फर्स्ट पेपर लीक हुआ, उसी टाइम यदि आप सख्त कार्रवाई कर देते तो दूसरा पेपर लीक नहीं होता और दूसरे पेपर के बाद में एक के बाद एक अनेक पेपर लीक हो रहे हैं और सरकार आंख मूंद कर बैठी है। इस गिरोह की जांच

(श्री फूल सिंह मीणा)

करके इनको सख्त सज़ा नहीं देंगे तो हमारे पैसे वाले तो चलो प्राइवेट नौकरी कर लेंगे, धन्धा कर लेंगे। हमारे आदिवासी किसान भाई क्या करेंगे, जो एक मजदूरी के ऊपर निर्भर है और परीक्षा के लिए कहीं न कहीं से ब्याज पर कर्जा लेकर तैयारी करता है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत मांग करता हूं कि ऐसे पेपर लीक प्रकरण की सीबीआई से जांच कराकर इन दोषियों को ऐसी सज़ा दें, तो दुबारा ऐसी कार्रवाई करने से घबरायें। धन्यवाद।

**श्री अध्यक्ष**: श्री चन्द्रभान सिंह।

**श्री चन्द्रभान सिंह आक्या** (चित्तौड़गढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार राजस्थान में पेपर लीक हुए हैं, उस पर मंत्री महोदय ने ध्यान आकर्षण किया है कि हम इस प्रकार की कार्रवाई कर रहे हैं। यह सरकार कानून भी लाई।

अध्यक्ष महोदय, आप भी ग्रामीण इलाके से आते हैं। गरीब मां-बाप अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए जमीन गिरवी रखते हैं, उनके खूब अरमान होते हैं कि उनको जयपुर पढ़ायें, दिल्ली पढ़ायें। सब जगह पढ़ाया और पढ़ने के बाद 4-4, 5-5 साल तक तैयारी करवाते हैं, तैयारी करवाने के बाद एग्जाम होते हैं। एक पेपर हो जाता है, दूसरा पेपर हो जाता है और तीसरे पेपर में इस प्रकार की सूचना आती है कि पेपर लीक हो गया, भरी बस में हो गया, इस कोचिंग सेंटर पर हो गया।

अध्यक्ष महोदय, पूरे राजस्थान में इतने एग्जाम हुए, 16 तरह के पेपर लीक हुए। दूसरे पेपर भी हुए हैं हो सकता है किसी कारणवश वे ओपन नहीं हो पाये। उन परीक्षाओं में भी हंड्रेड परसेंट फर्जीवाड़ा हुआ है, क्योंकि एक ही जगह के कोचिंग सेंटर के 40-40, 50-50 बच्चे पास हो जाते हैं और पास का ही कोचिंग सेंटर है, उससे भी अच्छा चलता है, इंटेलिजेंट बच्चे हैं, वहां के 2-2, 4-4 बच्चे भी पास नहीं हो पाते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा में ये कानून भी लाये। सभी प्रकार के कानून लाने के बाद भी सरकार ने एक भी ऐसा कोई एक्शन नहीं लिया, क्योंकि आरपीएस के एग्जाम में भी एक ही घर से 4-4, 5-5 का चयन हो जाता है। क्योंकि, जब सरकार लीक होती है तो हंड्रेड परसेंट पेपर लीक होते हैं। ये दूसरे राज्यों की बात करते हैं। अभी उत्तर प्रदेश की बात भी की। उत्तर

(श्री चन्द्रभान सिंह आक्या)

प्रदेश जितनी आप ताकत भी रखो। उत्तर प्रदेश में मुख्य मंत्रीजी ने जो काम किया, उसका 10 परसेंट भी आप करके बता देंगे तो राजस्थान में जो पेपर लीक हो रहे हैं वे रुक जायेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आप लोगों से हम सब जो विपक्ष के लोग हैं, आशाएं लेकर बैठे हैं। इस सरकार को आप थोड़ा समझाओ, इस प्रकार की बातें करें। इस प्रकार का कोई अच्छा कानून बना सकते हैं तो बनवाइये। विपक्ष के हमारे गुलाबजी भाई साहब से, राजेन्द्र राठौड़ जी से, सतीश जी से भी राय लें कि हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनके मंत्री हंड्रेड परसेंट लिप्त हैं। इनके अधिकारी भी हंड्रेड परसेंट लिप्त हैं। उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो। अगर कार्रवाई होगी तो आने वाले एग्जाम में दूध का दूध और पानी का पानी होगा। अध्यक्ष महोदय, आज गरीब किसान है, वह रो रहा है।

**श्री अध्यक्ष**: माननीय सदस्य, धन्यवाद।

**श्री चन्द्रभान सिंह आक्या** (चित्तौड़गढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, इनके खिलाफ कार्रवाई करवायें और जो भी मंत्री इनमें लिप्त हैं, क्योंकि...

**श्री अध्यक्ष**: माननीय सदस्य, अब हो गया।

**श्री चन्द्रभान सिंह आक्या** (चित्तौड़गढ़): जादूगरी के कारण तिजोरी से पेपर बाहर आये हैं। उस जादूगरी की भी जांच हो। यह कौन-सी जादूगरी चल रही है?

**श्री अध्यक्ष**: अंकित नहीं होगा। श्री नारायण बेनीवाल।

**श्री नारायण बेनीवाल** (खींवसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज की इस अति-महत्वपूर्ण चर्चा में आपने मुझे भाग लेने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद।

अभी विपक्ष के सारे सदस्यों ने अपने-अपने विचार व्यक्त किये हैं। यहां ईमानदारी से हम सबका एक ही प्रयास होना चाहिए। हम ठोस कानून बनाने की बात हमेशा करते हैं। कानून हर क्षेत्र में बड़े ठोस बने हुए हैं लेकिन उन कानूनों का एग्जीक्यूशन कैसे हो, यदि किसी ने एग्जीक्यूशन नहीं किया तो उस अधिकारी पर क्या कार्रवाई करने की प्रक्रिया हो। इन सब बातों का जब तक हम ईमानदारी से विश्लेषण नहीं करेंगे।

मैं हमेशा देखता आया हूं कि जब सत्ता पक्ष की बात होती है, तब ये लोग कहते हैं, उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, झारखण्ड में क्या हुआ, गुजरात में

(श्री नारायण बेनीवाल)

क्या हुआ? जब इधर से बोलने की बारी आती है, तब ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में ऐसा हो गया। हम हमारे राज्य की बात करें, क्योंकि यहां की करोड़ों की जो जनता है, उन्होंने हमें एक जन प्रतिनिधि के रूप में चुनकर इसलिए भेजा है कि हम यहां के लोगों की तकलीफें, यहां के युवाओं के रोजगार से, सबसे बड़ा जो पेपर लीक का प्रकरण हुआ, यह कोई आज का नया प्रकरण नहीं है। 2013 से लेकर और आज तक लगातार 10 वर्षों में एक दर्जन से अधिक भर्ती परीक्षाओं के पेपर आउट होने के कारण उन परीक्षाओं को निरस्त करना पडा। 2013 में आर.ए.एस. प्री की परीक्षा का परिणाम दिनांक 11.07.2014 को रद्द किया। एल.डी.सी. भर्ती परीक्षा, 2013, उसे दिसम्बर, 2015 में रद्द किया। जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा 2015, कांस्टेबल भर्ती परीक्षा, 2018 को भी पेपर लीक होने के कारण निरस्त किया। इसी प्रकार लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा, 2018 का आयोजन 19.12.2019 को हुआ, उसे भी रद्द कर दिया गया। साथ ही रीट परीक्षा, 2021, बिजली विभाग में टेक्निकल हेल्पर भर्ती, 2022 की आनलाइन परीक्षा, कान्स्टेबल भर्ती, 2022 तथा वन रक्षक भर्ती परीक्षा, 2020, जिसका आयोजन 12.11.2022 को हुआ, उसे भी पेपर लीक होने के कारण रद्द कर दिया। हम ईमानदारी से यह चाहते हैं कि पेपर लीक नहीं हो।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हालांकि मैं नया सदस्य हूं, आज हालात यह हैं कि ये पेपर लीक हो गये, उनकी तो जानकारी अखबारों के माध्यम से मिल गयी। मैं इसके लिए मीडिया को भी धन्यवाद दूंगा कि बड़ी मेहनत करके और इस बार उन लोगों ने इस पेपर लीक के प्रकरण को सरकार के संज्ञान में लाया। उसके बाद सारे जन प्रतिनिधियों को यह पता लगा लेकिन कहीं न कहीं पेपर लीक के साथ-साथ प्राइवेट जो स्कूल हैं, जहां परीक्षाओं के सेन्टर आते हैं, उनकी इतनी मिलीभगत है कि आज एडीएम लेवल का अधिकारी एग्जामिनर लगाता है। कोई लाटरी का सिस्टम नहीं है, जिसको चाहो आप कन्वीनर लगा सकते हो, जिसको चाहो आप एग्जामिनर लगा सकते हो तो कुल मिलाकर यदि हम इस पर ठोस चर्चा करके और हमारा सबका यह प्रयास रहे कि युवाओं के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रखा है, एसओजी जांच की बात सरकार कर रही है, भारतीय जनता पार्टी के लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। मैं तो आप लोगों से भी निवेदन करूंगा कि केन्द्र के अन्दर आपका शासन है, आप राज्यपाल महोदय से एक चिट्ठी भिजवाइये कि प्रदेश की कानून-

(श्री नारायण बेनीवाल)

व्यवस्था ठीक नहीं है। प्रदेश में पेपर लीक हो रहे हैं, आप सीबीआई जांच कराइये। यदि सरकार नहीं कराती तो हम सब ईमानदारी से मिलकर न्यायपालिका का दरवाजा खटखटा करके भी इसकी जांच सीबीआई से करा सकते हैं।

एसओजी की यदि हम बात करें तो पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी शासन में भी, इस बात को भी हमें स्वीकार करना पड़ेगा, हमें यह माद्दा पैदा करना पड़ेगा इस पवित्र सदन में कि हम सच सुनने और सच बोलने का माद्दा पैदा करें। यहां जो खान घोटाले का महाकांड हुआ, उसके अन्दर एसओजी अशोक सिंघवी के फोन की डिटेल तक नहीं निकलवा पायी।

**श्री अध्यक्ष**: माननीय सदस्य, वाइंड अप करें।

**श्री नारायण बेनीवाल** (खींवसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि एक तो शीर्ष पद जो हैं, चाहे आरपीएससी हो, कर्मचारी चयन बोर्ड हो या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हो, इन लोगों को जब तक आप आब्लिगेशन पद नहीं मानकर और अच्छे और योग्यताधारी व्यक्तियों को इन पदों पर नहीं बैठाओगे तब तक इस प्रक्रिया को, आप एंटी चीटिंग का कानून बना लो, उसका एग्जीक्यूशन जब तक सही नहीं होगा और मजबूत लोकायुक्त की स्थापना जब तक राजस्थान में नहीं होगी, तब तक ऐसे ही पेपर आउट होते रहेंगे। युवा सड़कों पर नारे लगाकर अपनी ऊर्जा खतम करते रहेंगे, हम यहां बहस करेंगे और उसका सारांश कोई नहीं निकलेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आप बड़े संवेदनशील व्यक्तित्व के धनी हैं, आपसे मैं निवेदन करूंगा कि इस मामले में पूरा प्रदेश यह चाहता है कि दूध का दूध और पानी का पानी हो, तो इस प्रकरण को सीबीआई जांच के लिए भेजें और ये ढाका, सुरेश विश्नोई और भजन लाल के तार, कैसे पंजाब कैडर के व्यक्ति को यहां कौन लेकर आया सीएमओ में और सीएमओ तक जो तार उस ढाका के जुड़े हुए हैं।

**श्री अध्यक्ष**: माननीय सदस्य, प्लीज। माननीय सदस्य, वाइंड अप करें। धन्यवाद।

**श्री नारायण बेनीवाल** (खींवसर): पूरे प्रकरण की जांच कराकर सारी परतें खोलकर दोषी व्यक्ति चाहे कितना ही बड़ा हो, चाहे ब्यूरोक्रेट हो, चाहे नेता हो, उसको जेल की सलाखों के पीछे भेजने का आप आदेश फरमायें। धन्यवाद। जय हिन्द।

**श्री अध्यक्ष**: श्री बलवान पूनियां।

**श्री बलवान पूनियां** (भादरा): अध्यक्ष महोदय, बड़े खेद की बात है कि युवाओं के अरमान टूट जाते हैं। सोशल मीडिया में जिक्र होता है कि पेपर लीक हो गया।

अध्यक्ष महोदय, जो नौजवान काफी दिनों से इंतजार कर रहा है रोजगार का, रीट का पेपर जब कैन्सिल हुआ और सरकार ने इस पवित्र सदन में घोषणा की कि रीट दुबारा होगी, तो जो लोग पास हुए थे उनके खून के आंसू बरसे थे। हम नहीं चाहते कि कोई भर्ती लेट हो। हम राजस्थान प्रदेश के नौजवान के रोजगार की चिन्ता भी करेंगे। मेरे बहुत सारे साथी यह मांग तो कर रहे हैं कि पेपर लीक प्रकरण में सख्त कार्रवाई हो लेकिन साथ ही साथ पवित्र बात करने की बजाय पवित्र सदन में राजनीति की बात कर रहे हैं।

राजस्थान में ऐसी कौन सी संस्था नहीं है जो जांच नहीं कर सकती? कौन-से ऐसे मामले हैं जो राजस्थान की सरकार चाहे, राजस्थान की पुलिस चाहे तो कर नहीं सकती? सीबीआई के कितने ही केस ऐसे मैं गिना दूं जो राजस्थान की जनता ने दबाव देकर के सीबीआई को दिलवाये और सीबीआई ने अभी तक उनका कोई समाधान नहीं किया। मैं पहले भी इस सदन में नोट करवा चुका हूं, मेरे नोहर में हत्याकांड हुआ था चक राजासर हत्याकांड। 2015 में सीबीआई आयी, आज आठ साल बाद भी कोई उत्तर नहीं मिला। हम नहीं चाहते कि कोई भर्ती अटके। भर्ती समय पर हो, नौजवानों को रोजगार मिले। कोई आदमी पेपर लीक करने की हिम्मत नहीं करे।

मैं, अध्यक्ष महोदय, यह भी चाहता हूं कि पेपर जब व्हाट्स एप पर आता है, वह आदमी थाने जाने के बजाय आगे भेजता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो। जो पेपर खरीदता है उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो। एनडीपीएस एक्ट में जिस तरीके से पजेशन जिसके पास होता है वह उतना ज्यादा गुनहगार है जितना जो माल लेकर आया है। उसी तरीके से पेपर लीक में वह आदमी उतना ही ज्यादा गुनहगार होना चाहिये जिसके यहां पेपर मिला है, जिसने पेपर को आगे फारवर्ड किया है।

अध्यक्ष महोदय, नौजवानों पर गम्भीरता के साथ सरकार कदम उठाये, हम सरकार की इस बात के साथ होंगे लेकिन हम कतई नहीं चाहते कि सीबीआई के नाम की कोई पोलिटिक्स हो या सीबीआई-सीबीआई का तोता रटा जाये। यह सीबीआई फिर किसी के कहने से काम करने लग जायेगी, इसलिये सीबीआई वाली बात बंद करो...

**श्री अध्यक्ष**: माननीय सदस्य, हो गया आपका।

**श्री बलवान पूनियां** (भादरा): ...और, मंत्री महोदय, जो कानून आपने पिछले सदन में पास किया था, उस कानून के तहत जिन-जिन लोगों ने यह हथकंडे अपनाये हैं, जिन-जिन लोगों ने गलत काम किये हैं, जिन्होंने पेपर लीक किया है, उन सबके खिलाफ ठोस कार्रवाई करो और जिन अधिकारियों ने लापरवाही बरती है उन अधिकारियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करो। धन्यवाद।

**श्री अध्यक्ष**: धन्यवाद। श्री हरीश चौधरी।

**श्री हरीश चौधरी** (बायतू): धन्यवाद, स्पीकर महोदय। हमारा मकसद सिर्फ हंगामा करना, आरोप-प्रत्यारोप लगाकर यह मूल जो हमारा मुद्दा है कि देश में रोजगार मिले, प्रदेश में रोजगार मिले और रोजगार किसके माध्यम से मिले, सरकार पद स्वीकृत करे और निष्पक्ष तौर पर परीक्षा हो। आज दुनिया में टैक्नोलोजी के माध्यम से चीजें बदल चुकी हैं। आज समय आ चुका है कि हम लोग ऐसी परीक्षा पद्धति राजस्थान में ईजाद करें जिसमें कम से कम ह्यूमन इंटरफियरेंस हो, व्यक्ति का कम से कम उसमें इंटरफियरेंस हो। हम सब लोगों को मिलकर इस बारे में चर्चा करनी चाहिये इस सदन में कि प्रदेश में रोजगार से बड़ा और कोई मुद्दा नहीं है और वह निष्पक्ष तौर पर आरोप-प्रत्यारोप जरूर लगा रहे हैं, प्रतिपक्ष के नेता जरूर आरोप लगा रहे हैं कि ये तो बिलकुल दूध के धुले हुए हैं। यहां भी यह बात की जा रही है कि केन्द्र के अन्दर जो परीक्षाएं हुई हैं वो बिलकुल उसमें एक भी उदाहरण आप दो, आप खुद ढूंढ लो कि केन्द्र की जो परीक्षाएं हो रही हैं, उनमें भी कितने प्रकरण नकल के सन्दर्भ में इस देश में हुए हैं।

अब यह वक्त नहीं है कि आरोप-प्रत्यारोप हम लोग लगायें। वक्त इस समय इस बात का है कि एक तो, अध्यक्ष महोदय, हम लोग निष्पक्ष जो भी परीक्षा संचालन कराने वाली संस्थाएं हैं उनके ऊपर हम एकेडमिशियन को बैठायें। दुनिया की जो भी महाशक्तियां हैं उनको अपना राज चलाने के लिये एकेडमिशियन मिल जाते हैं। हमको क्या एक-दो एकेडमिशियन नहीं मिल रहे हैं, योग्य एकेडमिशियन नहीं मिल रहे हैं राजस्थान में, जिनको वहां बैठाकर इन परीक्षाओं का संचालन करें। योग्यता ही आधार होना चाहिये। हम लोगों की नजदीकियां आधार नहीं होना चाहिये। मूल मुद्दा यह है और जो परीक्षा राजस्थान के अन्दर हुई हैं निष्पक्ष तौर पर अच्छे ढंग से परीक्षा हुई हैं। ऐसे मॉडल भी राजस्थान में पिछले चार वर्षों में हैं, उनकी चर्चा करें। वह एक उदाहरण के तौर पर हमारे सामने हैं, मैं उस परीक्षा का उदाहरण इस सदन में नहीं देना चाहता हूं।

(श्री हरीश चौधरी)

कोई भी प्रयास करेंगे, सिर्फ आरोप-प्रत्यारोप लगाना, निराधार आरोप-प्रत्यारोप लगाना, सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिये लगाना, मुद्दे को डाइवर्ट करना, यह सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। हमारे नौजवान और विद्यार्थियों की कीमत पर निराधार आरोप-प्रत्यारोप लगाकर उनके हक और अधिकार से उनको वंचित करें, इससे बड़ा पाप कोई भी जन-प्रतिनिधि नहीं कर सकता। मैं सदन के अन्दर देख रहा हूं कि यह पाप हमारे खुद के साथी कर रहे हैं।

सामूहिक तौर पर जातिगत, दलगत, व्यक्तिगत इन सबसे ऊपर उठ कर हम लोगों को निष्पक्ष तौर पर परीक्षा की ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये। जांच के सन्दर्भ में, जांच की मांग करना कोई अपराध नहीं है। मेरे खिलाफ भी जांच की मांग की गयी। मेरे खुद के संरक्षक ने सीबीआई में जांच भी दी तो जांच से क्यों डरते हो? जांच होनी चाहिये। जांच किस संस्था में होनी चाहिये, उससे भी किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है। निष्पक्ष जांच हो। धन्यवाद। जय हिन्द। राम-राम।

**श्री अध्यक्ष**: श्री संयम लोढ़ा।

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो हुआ, बहुत गलत हुआ। बच्चों की आंखों में आंसू हैं उनके मां-बाप की आंखों में आंसू हैं और देश और प्रदेश दोनों ही स्थानों पर जो सत्ता में काबिज हैं उनको मैं सचेत करना चाहता हूं कि अगर बच्चों की आंखों के आंसू पोंछने का काम नहीं किया तो अवसर आयेगा जब तुम्हारी आंखों में वो आंसू निकाल देंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन के बाहर भारतीय जनता पार्टी के एक नेता सैकड़ों लोगों को लेकर के आह्वान कर रहे हैं कि यह सरकार बदल दो, यह भर्ती ठीक नहीं कर पा रही है लेकिन तुम्हारी सरकार भी ले आयेंगे तो क्या भर्ती का तरीका ठीक हो जायेगा?

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन में मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि जो पेपर लीक हुए, सरकार की नीयत पूरी तरह से अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने की थी। प्रतिपक्ष के नेता भी इस बात को स्वीकार करेंगे कि स्पेशल आपरेशन ग्रुप ने जिस निचले स्तर तक जाकर अपराधियों को पकड़ने का काम किया है, उसका कम से कम पिछले 17 साल के इतिहास में तो कोई उदाहरण नहीं मिलेगा।

आज आप राजस्थान में इस सरकार को कठघरे में खड़ा कर रहे हो, मैं इसके लिए सरकार की पीठ नहीं थपथपा रहा लेकिन यह विषय पूरे देश के

(श्री संयम लोढ़ा)

नौजवानों का है, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर विचार करने का है। जब एक विधायक यह कहते हैं कि एनएसयूआई का फलां नेता शामिल है, मंत्री को जेल में जाना चाहिये, मुख्य मंत्री को जेल में जाना चाहिये और बाहर आप यह आह्वान करते हैं कि भाजपा की सरकार को लाना चाहिये, तो क्या आपके पास इस बात का जवाब है कि आपकी केन्द्र सरकार के कार्यकाल में यूजीसी नेट, 2021 की हिन्दी परीक्षा का पेपर लीक हुआ, अगस्त, 2017 में एसएससी सीजीएल, 2017 का संयुक्त स्नातक स्तर प्रवेश परीक्षा टीयर प्रथम पेपर लीक हुआ, थल सेना के लिये सामान्य ड्यूटी सैनिक भर्ती परीक्षा का पेपर 2021 लीक हुआ और जहां-जहां भी जिन जिन प्रांतों में आपकी पार्टी की सरकारें हैं, क्या आपमें से कोई भी खड़ा होकर कह सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां पर थी, वहां पर कोई पेपर लीक नहीं हुआ?

माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश यूपी टेट नवम्बर, 2021 की परीक्षा निरस्त करनी पड़ी। ट्यूबवैल आपरेटर, 2018 परीक्षा निरस्त करनी पड़ी। हमारे पड़ोस के हरियाणा में कांस्टेबल परीक्षा, इसी तरीके से उत्तराखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हिमाचल, कर्नाटक, जहां-जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एक भी स्टेट इसका अपवाद नहीं है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ व्यावहारिक बातें आपके समक्ष निवेदन करना चाहता हूं। अशोक गहलोत ने इन चार सालों में विषम भौगोलिक परिस्थितियों के बाद भी, कोरोना के बाद भी जो प्रदेश का विकास किया, जो लोगों के सपने पूरे करने का काम किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं...

**श्री अध्यक्ष**: माननीय सदस्य, प्लीज, प्लीज।

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): दूसरों को 15-15 मिनट दिये, मुझे 5 मिनट तो दो।

**श्री अध्यक्ष**: Don't ask me. 15-15 मिनट का मुझे ध्यान है, please wind up within one minute.

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, आरपीएससी, सरकार और यह अधीनस्थ बोर्ड, सब अपनी-अपनी दुनिया में हैं, कोई धणी धोरी है? मंत्री सेक्रेटरी के खिलाफ प्रलाप कर रहे हैं। आरपीएससी में किस तरह के लोगों को हम बिठाते हैं, क्या मैरिट हम रखते हैं? पूरी जिंदगी जो अपनी

(श्री संयम लोढ़ा)

जेब में पर्स लेकर नहीं घूमते और जिन्होंने अपने घर की सब्जी भी खुद के पैसे से नहीं खाई होगी, वह लोग आरपीएससी में बैठ गये। जब तक इन संवैधानिक संस्थाओं का स्तर हम नहीं सुधारेंगे तब तक इसी तरीके से राजस्थान का नौजवान बरबाद होता रहेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो लोग रीट में आरोपी थे यहां कैफे कॉफी डे में बैठकर कॉफी पी रहे थे, उन्हें क्यों नहीं पकड़ा जा रहा था? इसकी कौन जिम्मेदारी लेगा?

**श्री अध्यक्ष:** माननीय सदस्य, please be brief. I am fair to everyone. Please wind up within a half minute.

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): दो मिनट तो दो अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चल रहा था तब हम ही कह रहे थे कि कानून के शासन के हिसाब से चलना चाहिये। अब आप राजस्थान में यह क्या ले आये? क्या आपने मान लिया है कि आपका कानून, आपकी सत्ता, आपका शासन, यह सब नियंत्रण करने में सक्षम नहीं है और इसलिए आप बुलडोजर लेकर आये हैं और वह भी एक किरायेदार की बिल्डिंग पर चलाने का। इस तरह के तरीकों को इस्तेमाल करके राजस्थान के नौजवान के आक्रोश को हम खतम नहीं कर सकते। इसलिए मेहरबानी करके तरीके को बदलिए। जिला स्तर पर एग्जाम कराइए, जिले के मूल निवासियों को बोनस दीजिए और अपनी टैक्नोलोजी वाइज अपना सिस्टम उन अपराधियों की तुलना में साउंड कीजिए, तब जाकर यह परीक्षाएं हमारे नौजवानों की आकांक्षाओं को पूरा करने में सफल हो सकेंगी। मैं आपके माध्यम से विनती कर रहा हूं...

**श्री अध्यक्ष**: धन्यवाद, माननीय सदस्य।

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): इसको हलके में नहीं लें। इसमें आपने पुख्ता बंदोबस्त नहीं किये और आने वाले वक्त में यदि एक भी पेपर लीक हो गया तो आपको कोई पानी पिलाने वाला नहीं मिलेगा। यह मैं आपको निवेदन कर रहा हूं।

**श्री अध्यक्ष**: धन्यवाद। माननीय कटारिया जी।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत दु:ख के साथ कहना पड़ रहा है कि हम इतनी गम्भीर समस्या को भी गली समस्या बनाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या हमको इस बात का अफसोस नहीं है कि एक के बाद एक लगातार इतने पेपर, चाहे मेरे टाइम पर आउट हुए, चाहे आपके टाइम पर हुए, चाहे उत्तर प्रदेश में हुए? इसके कारण से क्या हमारे

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)
इस विषय का तर्क वितर्क हो जायेगा? उस बालक को इससे न्याय मिल जायेगा? आपने जो लिखा हुआ पढ़ा है, अपने दिल पर हाथ रखकर कहो कि आपके इस पढ़ने से उस बालक के मन को संतोष मिल जायेगा? अध्यक्ष महोदय, मैं सोचता हूं यह तर्क वितर्क करने का विषय नहीं है, यह विषय है कि इसको पुख्ता कैसे किया जाय। आगे इस व्यवस्था को कैसे सुधारा जाय। इसमें क्या-क्या प्रयत्न हो सकते हैं, कुछ एक्सपर्ट लोगों को बिठाकर परीक्षा पद्धति के बारे में विचार करो, तब जाकर इसमें सुधार होगा।

आपने अभी इतना बड़ा स्टेटमेंट पढ़ा, कम से कम इतना तो बता देते कि किस परीक्षा के आउट होने का समय कब था और वह परीक्षा वापस आयोजित हुई है क्या? अगर नहीं आयोजित हुई तो जिन लाखों बच्चों ने परीक्षा दी है, उनका भविष्य कब और किस दिन ठीक होगा? कम से कम इतना तो डिटेल बताते। आपने बता दिया 2013 में पेपर आउट हो गया, 2018 में पेपर आउट हो गया, आपकी सरकार के समय हो गया, इससे उस बच्चे को संतोष मिल जायेगा? मैं सोचता हूं कि हम सब लोगों का देखने का नजरिया ठीक नहीं है और इसलिए यह समस्या सुलझेगी नहीं, यह केवल एक दूसरे पर पत्थर फेंकने का काम जरूर कर देगा और हम सब संतुष्ट हो जायेंगे।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम इस गम्भीर समस्या की हकीकत तो जनता के बीच में लाते कि इस पेपर आउट होने पर यह-यह तो कार्रवाई हुई, इस पेपर आउट में यह-यह लोग पकड़े गये और आज उनकी क्या पोजिशन है। क्या उसमें कोई केस कहीं दर्ज हुआ? क्या उसमें किसी को सज़ा मिली? क्या उसमें से कोई बरी हो गया? वह बच्चा इन सब बातों को जानना चाहता है कि इतनी बड़ी कमियां रहने के बाद भी अगर हम उन व्यक्तियों को ढूंढ कर सज़ा दिलाना नहीं चाहते तो कानून पास करने से तो क्या होगा? कानून तो 302 का भी है, क्या मर्डर बंद हो गये? कानून अपराधी को सज़ा देता है, कानून व्यवस्था को नहीं सुधार सकता है। हम केवल अगर इस बात से संतुष्ट हैं तो मैं सोचता हूं कि हम बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं।

यह पेपर के कारण से जितने भी बच्चों का भविष्य बिगड़ा है, इसका कष्ट या तो वह बच्चा जानता है या उसके मां-बाप जानते हैं। आपको और मेरे को अनुभव नहीं होता क्योंकि अपने घर में यह आग नहीं लगी। जिसके घर में

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

यह आग लगी है, उसकी पीड़ा को समझने का प्रयास करो। मुझे बहुत दुख हुआ कि आप जैसा व्यक्ति एक स्टेटमेंट पढ़कर कि उत्तर प्रदेश में हुआ, वहां हुआ, इसका मतलब आप अपराध करने का लाइसेंस दे रहे हैं। क्या दुर्भाग्य है, इससे क्या चाहते हो? आप यह चाहते हो कि वहां अपराध हुआ इसलिए मुझे अपराध करने का अधिकार है? यह तर्क देना चाहते हो? पता नहीं क्या दिमाग में है? सच्चाई पर पहुंचने का प्रयास करो।

मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि जितने पेपर आउट हुए हैं चाहे कभी भी हुए हो, मेरे समय में हुए हो, कोई चिंता की बात नहीं, उस पेपर का आखिर अंतिम हल क्या निकला? उस पेपर आउट होने से जनता के बीच में हमने क्या मैसेज भेजा, हमने क्या कार्रवाई की? उसको तो कोई बताना ही नहीं चाहता है। केवल और केवल इधर से उधर पत्थर फेंकने का काम हम करते हैं और मन में संतुष्ट हो जाते हैं। मैं सोचता हूं कि इस सवाल का जवाब राजस्थान की 7 करोड़ जनता आपसे और मुझसे, दोनों से मांगती है क्योंकि हम उस जनता के प्रतिनिधि के नाते इस सदन में आते हैं। यहां केवल तनख्वाह लेने नहीं आते हैं, यहां हम उस बच्चे की हिफाजत के लिये आते हैं। हम पक्ष और विपक्ष बनकर उस बच्चे के साथ हुए अन्याय को मटियामेट करना चाह रहे हैं? मैं चाहता हूं कि इस पर फिर से एक बार स्टेटमेंट दें कि वास्तव में अब तक जितने भी पेपर आउट हुए हैं, उनके होने के बाद आपने जिन लोगों को पकड़ा। दुर्भाग्य नहीं है कि एसओजी ने...

अध्यक्ष महोदय, मैं तो उदयपुर एसपी को धन्यवाद देता हूं कि उसने वह पूरी बस पकड़ ली। उसको भी मैसेज किसने दिया? जिससे पेपर का सौदा हो रहा था, उस बच्चे को कहा था कि आप भी इस पेपर के लिये पांच लाख रुपये देंगे तो तुमको इस बस में सफर कराऊंगा। वह बच्चा पांच लाख की व्यवस्था नहीं कर सकता, क्योंकि गरीब आदमी का था। बाकी सब बच्चे बस में बैठकर चले गये, तो उसके मन में इस बात का दुःख था कि मैं पांच लाख रुपया नहीं दे पाया, इसलिये उस पेपर को लेने में असमर्थ हो गया। उसने एसपी को सूचना की कि इस नम्बर की बस, यहां इतने लोग बैठे हुए हैं, ये जा रहे हैं। आप नकल कराने की पराकाष्ठा देखें। आपको और हमको शर्म आती है। सारे बच्चों को आठ बजे बस में बैठा दिया और बैठाकर बस घुमाता रहा और पेपर रात के दो बजे उस बस में पहुंचा और फिर उसके बाद उसकी

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

आंसर बुक भी पहुंची और फिर उसके बाद पेपर हल हो रहा था। यह तो सौभाग्य है कि उदयपुर एसपी ने पकड़ लिया। यह केवल उदयपुर में नहीं हुआ। आप सब लोग गलतफहमी में हो। ऐसी कई पच्चीसों बसें इसी प्रकार से अलग-अलग स्थानों पर चली हैं और इसी प्रकार से पेपर बेचे गये हैं और जो खरीददार था, उसने इस व्यवसाय को चारों तरफ राजस्थान में फैला दिया है। इसे सामान्य घटना समझकर केवल इतिश्री करेंगे तो मैं सोचता हूं कि यह नया तरीका निकाला है। अब तक तो पेपर आउट होता था, किसी को कहीं न कहीं पेपर हाथ लग जाता। अब की बार तो पेपर आउट हुआ ही नहीं। पेपर तो बस में ही था। रात के 2 बजे तक बस में था। इसका मतलब जिसने पेपर को बसों में सब्मिट किया या दिया, वह तो कई दिन पहले पेपर लेकर आ गया। पेपर लेकर आने वाले व्यक्ति को नहीं ढूंढेंगे और केवल दलालों को पकड़ने का प्रयास करेंगे तो इस बीमारी का हल निकलेगा? नहीं निकल सकता। चाहे वह मैं हूं, चाहे कोई भी व्यक्ति मेरे परिवार का हो। अगर आप समस्या का हल चाहते हैं तो पूरी ताकत लगाकर चोर की मां को ढूंढने का प्रयास करो, तब जाकर इस समस्या को तोड़ पायेंगे।

अध्यक्ष महोदय, मैंने उस दिन भी कहा था कि ये जितने भी कोचिंग सेंटर्स हैं, ये इस प्रकार के गिरोह बन गये हैं और इसलिए मैंने आपको पिछली बार भी कहा था कि किसी कमेटी के द्वारा एक बार निगाह तो डालो। ये जितनी कोचिंग संस्थाएं चल रही हैं, इनका हर एक का परीक्षा का परिणाम क्या है? जब आप मिलायेंगे तो समझ में आयेगा कि यह क्या है? यहीं के बच्चे सलेक्ट क्यों हो रहे हैं? 80 परसेंट बच्चे सलेक्ट, 90 परसेंट बच्चे सलेक्ट और दूसरी जगह के बच्चे सलेक्ट नहीं होते हैं।

अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से हमारे मंत्री महोदय ने इसको केवल एक औपचारिकता बनाकर, उन लाखों बच्चों की, लाखों बच्चों की नहीं, अब यह संख्या तो करोड़ों तक पहुंच गयी है, 50 लाख बच्चों की तो मेरे पास पूरी लिस्ट है, इसको पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। पेपर आउट हुआ, तब से लेकर आपका यह जो पेपर लगा। आपका जो रीट का पेपर आउट हुआ, वह कब हुआ? 2021 में और आज अपन कहां हैं, 2023 में। क्या परीक्षा हो गयी? उन बच्चों का भविष्य बन गया? अब जो ओवर एज हो जायेंगे, उन बच्चों का क्या भविष्य होगा? उनकी परीक्षा कौन लेगा? अब नया एडवरटाइजमेंट निकालेंगे, उस दिन डेट लिख देंगे कि इस तारीख को यदि ओवर एज हो गया तो भर्ती

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

नहीं हो पायेगा। वह बच्चा कहां जायेगा? उसके पास मरने के अलावा क्या कोई और रास्ता है? हम सब लोग इस सदन में बैठे हैं, मेरी विनम्र प्रार्थना है कि विषय की गम्भीरता को समझकर चर्चा करें। केवल पक्ष और विपक्ष बनने की कोशिश मत करो, व्यवस्था को सुधारने का प्रयत्न करो कि किस तरह से सुधारेंगे?

आज की तारीख में हमारी टेक्नोलोजी इतनी डवलप हो गयी, क्या हम परीक्षा का पैटर्न बदल नहीं सकते? क्या यह जरूरी है कि सारे राजस्थान में एक ही प्रश्न-पत्र हो? हर जिले का प्रश्न-पत्र अलग हो सकता है। हर तहसील का प्रश्न-पत्र अलग हो सकता है और वहीं पर उसकी व्यवस्था हो सकती है। हमारे यहां तो दुर्भाग्य है और मैंने आपको उस समय भी कहा था कि शिक्षा संकुल से पेपर आउट हुआ, वह डबल लॉक में था। डबल लॉक से पेपर निकल गया और डबल लॉक की चाबी वाले को इसका दोषी नहीं बनाया तो फिर कैसे चलेगा? फिर यह व्यवस्था कैसे सुधरेगी? इसको कौन सुधारेगा? बोलने की कुछ इच्छा ही नहीं होती है। ईमानदारी से कहना चाहता हूं कि आप कोई एक छोटी कमेटी बनायें और बनाकर इस सिस्टम को किस तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है और कोई नहीं करे तो विधान सभा के लोग माथा तो पचायें कि कम से कम उन बच्चों के भविष्य को कैसे ठीक किया जा सकता है और परीक्षा के सिस्टम को कैसे चेंज किया जा सकता है।

अभी भी आपने पकड़ा ना, कितनी शर्म आती है, उन सब लोगों की जमानत हो गयी। जिनको आपने दिखाने के लिए पकड़ा, उन सबकी जमानत हो गयी। जो डाकू हैं वे अभी भी भाग रहे हैं। उस डाकू के द्वारा, उनका बड़ा डाकू तब पकड़ में आता है जब ये पकड़े जाते हैं, क्योंकि धंधा इन्होंने किया। गाड़ी को किराये पर करने का काम इन्होंने किया। बच्चों को पांच-सात लाख रुपयों में बेचकर गाड़ी में बैठाने का काम इन्होंने किया। फिर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो जनता आपको और मुझको, दोनों को ही देख रही है। बच्चों के साथ-साथ राजस्थान की सात करोड़ जनता आपको और मुझको देख रही है।

अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात का दुःख है कि मंत्री महोदय ने जो उत्तर अपने मन को प्रसन्न करने के लिए दिया। मैं और मेरा दल इसका बॉयकाट भी करता है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप इस सदन के लोगों की कमेटी बनाकर, इस परीक्षा सिस्टम को कैसे चेंज किया जाये, अधिकारियों को बुलाना हो, किसको भी बुलाना हो, एक्सपर्ट को बुलाना हो, जिसको बुलाना हो उसको बुलाओ, लेकिन परीक्षा.. क्या हमने परीक्षा पास की, तो नहीं की।

**श्री शान्ती कुमार धारीवाल** (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आप मेहरबानी करके जवाब सुनकर जाइयेगा।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** (नेता, प्रतिपक्ष): ...(व्यवधान) आपका जवाब क्या सुनें, सुन लिया। (व्यवधान) आप लिखा हुआ लाये हैं। बेकार की बातें हैं।

**श्री शान्ती कुमार धारीवाल** (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): (व्यवधान) आपने जो बातें कही हैं, आप हमारा भी जवाब सुन लो। (व्यवधान) केवल कि सुनना नहीं चाहते।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू): ...(व्यवधान) नौजवानों के अरमानों से खेलने वालों...

**श्री सतीश पूनियां** (आमेर): ...(व्यवधान) सरकार वीक है।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** (नेता, प्रतिपक्ष): ...(व्यवधान) हमने तो पहले ही कहा था..

**(प्रतिपक्ष के अनेक माननीय सदस्यों द्वारा सदन में नारे)**

**श्री सतीश पूनियां** (आमेर): ...(व्यवधान) आपको राजस्थान की जनता सज़ा देगी। (व्यवधान) आपने राजस्थान के नौजवान के सपने को तोड़ने का काम किया है।

**श्री शान्ती कुमार धारीवाल** (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आपने जो बात यहां बोली है, मैं उसका एक-एक का जवाब दूंगा लेकिन भागिये मत। पहले सुनिये। जवाब सुनिये। (व्यवधान)

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** (नेता, प्रतिपक्ष): ...(व्यवधान) जवाब में है क्या? 2021 में पेपर आउट हो गया, अब क्या हुआ?

**श्री शान्ती कुमार धारीवाल** (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): ...(व्यवधान) भाग क्यों रहे हैं, आपने तो डिबेट मांगी थी न। मैं आपको जवाब दे रहा हूं।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** (नेता, प्रतिपक्ष): ...(व्यवधान) 2021 का पेपर आउट हुआ, उसका बतायें तो सही। 2021 में पेपर आउट हुआ और 2023 आ गया। आप क्या करना चाहते हैं?

**श्री अध्यक्ष**: माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जी...(व्यवधान)

**श्री शान्ती कुमार धारीवाल** (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): ऊलजलूल बातें कहकर आप भागना चाहते हैं।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** (नेता, प्रतिपक्ष): ...(व्यवधान) कमाल कर रहे हो।

**श्री अध्यक्ष**: ...(व्यवधान) माननीय सदस्य, अपन चर्चा नहीं चाहते हैं। चर्चा समाप्त की गयी।

सदन की कार्यवाही दस मिनट के लिए एडजोर्न की जाती है।

**(तदनन्तर सदन की बैठक 13.57 बजे 14.07 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)**

**(समय: 14.07 बजे)**

**पुन: समवेत होने पर**

**(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)**

## शासकीय वक्तव्य

### प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल व पेपरलीक की घटनाएं

**श्री शान्ती कुमार धारीवाल** (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं जवाब देना चाहता हूं इस बात का, क्योंकि इसमें मुख्य मंत्री जी पर भी आरोप लगाए गए हैं, मंत्रियों पर भी आरोप लगाए गए हैं एवं समस्त कांग्रेसजनों पर भी आरोप लगाए गए हैं। इस तरीके से आरोप लगाए गए हैं ...(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: बोलिए आप।

**श्री शान्ती कुमार धारीवाल** (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): धन्यवाद।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू): आप जवाब देंगे तो हमें फिर क्वेश्चन पूछने का अधिकार दें।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** (नेता, प्रतिपक्ष): आप जवाब ...(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: माननीय सदस्य, ...(व्यवधान) माननीय सदस्य, आप दोनों खड़े मत होइए। माननीय मंत्री जी, एक मिनट। चर्चा की जो गंभीरता थी, उस गंभीरता को आखिर में आकर हमने क्लोज कर दिया। माननीय मंत्री जी, मैं आपको मौका दूंगा, क्योंकि आरोप लगा है, तो मैं मौका दूंगा लेकिन मैं खुद अपनी आब्जर्वेशन देना चाहता हूं, जिसको गंभीरता से आप सुनें।

मैं समझता हूं कि हम सबकी भावना आज पूरा राजस्थान देख रहा है। दो-तीन इश्यू हैं, बाकी सरकार अपनी बात कहे। नंबर एक, आजादी के बाद जो रिक्रूटमेंट हो रहा था, उस रिक्रूटमेंट की प्रक्रिया क्या थी? एक, पंचायत का

(श्री अध्यक्ष)

रिक्रूटमेंट हो रहा था, उसमें थर्ड ग्रेड के टीचर पंचायत में हो रहे थे, अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट पर। कभी आज दिन तक यह समस्या ही नहीं आई कि हम रिक्रूटमेंट कैसे कर रहे हैं। कोर्ट के एक फैसले से यह हो गया कि हम सारी परीक्षाएं एक साथ करेंगे, तो जो सेंट्रलाइज्ड परीक्षा करने का काम हमने किया, उसके आफशूट में सब चीजें हो रही हैं, नंबर एक।

नंबर दो, जो हमारा सिस्टम था इवेल्यूएशन का, हमने खुद ने स्कूल खोल रखे हैं, अध्यापक लगा रखे हैं और एक इवेल्यूएशन का सिस्टम कर रखा है। स्कूल में भी कर रखा है, बोर्ड में भी कर रखा है। बोर्ड में हम पास होते थे। हमारे कालेज में जो लेक्चरर बनते थे, वे लोग कालेज की डिग्री लेते थे, उसके बाद डाइरेक्टरेट, कालेज एजुकेशन में डायरेक्ट अपाइंटमेंट होते थे लेक्चरर के। ये हमारी व्यवस्था थी, जिस व्यवस्था को हमने नेगेट किया और हमने उसके बाद कहा, नहीं, दूसरी व्यवस्था अच्छी है, जिस व्यवस्था के अंतर्गत हम सेंट्रलाइज्ड एग्जामिनेशन करेंगे कोर्ट के आर्डर के बाद। सेंट्रल एग्जामिनेशन के साथ में हमारा जो पैटर्न था एग्जामिनेशन का, जिसमें टेक्स्ट वाइज आंसर देने पड़ते थे, उसको कहा कि वे इवेल्यूएशन ठीक ढंग से नहीं होता है, इसलिये आब्जेक्टिव टाइप असेसमेंट होना चाहिए। हमने उसको शिफ्ट कर दिया ऑब्जेक्टिव टाइप असेसमेंट पर। अब हमने सिस्टम कर दिया कि हम ऑनलाइन कर लेंगे। ऑनलाइन सिस्टम के बाद में सारी दुनिया में एक चर्चा है कि साइबर क्राइम में चीजों को हाइजेक किया जा सकता है। यह एक एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है। हमने ये मान लिया कि the online examination is the best examination, जिस एग्जामिनेशन में ट्रांसपेरेंसी रहती है, परंतु हम यह नहीं समझ पाए कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन के बाद भी साइबर क्राइम करने वाला उसको हैक कर लेता है। उसके कारण सब चीजें बनीं।

मैं चाहूंगा कि हम सब, क्योंकि हम सबकी जिम्मेदारी है कि इस व्यवस्था को ठीक करने के लिये एट लेंथ डिस्कस करें। एक पार्ट तो है जो इन्होंने क्रिमिनल एक्ट किया, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। एसओजी से हो, मानिटरिंग करके हो, this is one part. सैकण्ड पार्ट है सिस्टम किस ढंग से इम्प्रूव हो, उसके संबंध में भी हमें चर्चा करने की आवश्यकता है। इसलिये मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी अपना जवाब दें, आप रिप्लाई दें उसमें। आपको प्रश्न पूछना है उसमें भी मुझे कोई तकलीफ नहीं है पर गम्भीरता नहीं

(श्री अध्यक्ष)

है तो मैं चर्चा अलाउ नहीं करूंगा। गम्भीरता से, जिस ढंग से हम चर्चा करना चाहते हैं, वह नहीं है।

मैंने विधान सभा अध्यक्ष के रूप में, आज गलत परम्परा प्रारम्भ की, क्योंकि गवर्नर एड्रेस में कभी भी, आप उठाकर कर देख लें, गवर्नर एड्रेस में कभी भी स्थगन प्रस्ताव नहीं आता है। कल माननीय गवर्नर साहब ने एड्रेस किया है, उसमें भी इस एग्जामिनेशन के बारे में लिख रखा है। पूरा इसको भी डिबेट करने का, चार दिन तक की डिबेट के अन्दर आप अपनी बातें कह सकते हैं, एग्जामिनेशन के बारे में भी कह सकते थे, इसके बारे में भी कह सकते थे। मैंने इसकी गम्भीरता को देखते हुए, क्योंकि पूरे राजस्थान के बच्चों का सवाल है, इसलिये मैंने आउट आफ वे जाकर स्थगन प्रस्ताव को अलाउ किया है। हमें दु:ख है, अच्छी डिबेट चल रही थी, सब चीज़ें ढंग से चल रही थीं, हम रेस्टलेस हो गए। रेस्टलेस होने की जरूरत नहीं है। आपने अपनी बात अच्छे ढंग से कही, सरकार भी अपनी बात कह दे, फिर हम उसको ढंग से वाइंडअप करते तो मैं समझता हूं कि यूट्यूब पर बच्चे देख रहे हैं, उनको भी लगता कि हम सदन में बैठकर गम्भीर चर्चा कर रहे हैं और उसके परिणाम ठीक ढंग से आएंगे। इसलिये मैं इस पर ज्यादा अपनी बात नहीं कहना चाहता, क्योंकि यह मुद्दा ऐसा है जिस मुद्दे पर गवर्नर की स्पीच में भी यह मेंशन कर रखा है, मैंने कल डिटेल में पढ़ा है। मुख्य मंत्री जी जवाब देंगे तो निश्चित रूप से मुख्य मंत्री जी के जवाब में भी कुछ बातें होंगी। माननीय मंत्री जी भी कुछ बात करना चाहें, आप सुन लें। आपको क्वेरी करनी हो वह क्वेरी भी कर लें, उसमें कोई ब़ड़ा इश्यू नहीं है, लेकिन फिर भी मेरी इच्छा है कि गम्भीरता के हिसाब से ही डिबेट को वाइंड अप करें तब तो ठीक है। यदि नहीं है तो मुझे उस डिबेट को क्लोज करना पड़ेगा। माननीय मंत्री जी, आप अपना जवाब दे दें। जो आपको पूछना है, वह भी मैं आपको अलाउ करूंगा।

**श्री शान्ती कुमार धारीवाल** (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): धन्यवाद, साहब। अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ही विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि जैसे अभी कई बातें हुईं पेपर लीक के जो प्रकरण हुए हैं इनको अपन पुराने समय से भी देखें तो 2014 से 2018 तक कुल 10 प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक सामने आए, उसमें कुल मिलाकर 19

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

एफ.आई.आर. दर्ज हुई। पूर्ववर्ती सरकार के प्रकरणों में 241 मुलजिम, आपने भी 241 मुलजिम गिरफ्तार किये जबकि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में कुल मिलाकर 10 प्रतियोगी परीक्षाओं का पेपर लीक हुआ और उसमें 15 प्रकरण दर्ज हुए उसमें 281 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया।

आपको ध्यान होगा, पिछले साल ही सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम, 2022, नया एक्ट बनाया गया, विधान सभा में पास किया गया। अपराध रोकने के लिये ही था। मंशा क्या थी, क्यों बनाया, लम्बे-चौड़े डिस्कशन के बाद यह बिल पास हुआ। कुल मिलाकर सब माननीय सदस्यों की मंशा यही थी कि अपराध किसी प्रकार से रोका जाए। उसमें नये प्रोविजंस जोड़े गए। 1992 में जो एक्ट बना था और इस एक्ट में, इसको कठोर बनाया गया। कठोर इसलिये बनाया गया कि किसी प्रकार से यह अपराध रुके। नवीन एक्ट में ऐसा व्यक्ति, जो न तो परीक्षा के संचालन में लगा हुआ हो और न ही वह परीक्षार्थी हो, तो उसका परीक्षा केन्द्र में प्रवेश निषेध कर दिया गया। यह पहले प्रोविजन नहीं था, यह इस बार डाला गया। नवीन एक्ट के तहत परीक्षा केन्द्र के सम्बन्ध में स्पष्ट प्रावधान किया गया कि परीक्षा केन्द्र से भिन्न कोई स्थान उपयोग में नहीं लिया जाएगा, यह भी डाला गया। यह भी अपराध रोकने के लिये ही एक कदम था। प्रबंधन संस्था का आपराधिक दायित्व निर्धारित किया गया, जबकि पुराने एक्ट के नम्बर 27 में, 1992 के सम्बन्ध में, यह उस वक्त प्रोविजन नहीं था, यह भी डाला गया। मतलब, नये-नये प्रोविजन इसलिये डाले गये कि किसी प्रकार से अपराध रुके।

आपकी सरकार के टाइम भी पेपर लीक हुए। मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि उसमें आपने कोई गम्भीरता नहीं दिखाई। अपराधी तो पकड़े गये लेकिन जिस गम्भीरता के साथ सरकार को काम करना चाहिये था, वह काम आपने नहीं किया। न ही आपने इसकी रोकथाम के लिए कोई प्रभावी कदम उठाये। हमारी सरकार ने राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम, 2022 को पारित किया, जिसमें पेपर लीक होने से सम्बन्धित षड्यंत्र करने और प्रयत्न करने तक को अपराध की श्रेणी में शामिल किया गया। हमारी सरकार ने इस कानून के तहत पेपर लीक से जुड़े अपराधियों के लिये अधिकतम 10 वर्ष की सज़ा थी, जबकि आपके द्वारा 1992 में जो एक्ट बनाया गया था उसमें कई तो बेलेबल आफेंस थे। तीन साल तक की सज़ा थी। हमने सीधे 10 साल की सज़ा दी। 10 साल की सज़ा के साथ-साथ, दावा अलग ठोका गया करोड़ों रुपये

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

का। नये कानून में पेपर लीक के अपराध से निर्मित सम्पत्ति की जब्ती का भी कानून रखा गया। कुर्की का भी कानून रखा गया। परीक्षा के साथ-साथ सम्पूर्ण व्यय हुआ, उसकी वसूली का भी कानून। इस कानून के प्रभावी उपयोग के लिये 14.3.2022 को एसओजी में, जैसा आपने बताया नकल, पहले नकल विरोधी कोई भी कानून नहीं था, पेपर लीक का कानून था 1992 में, लेकिन नकल लीक का कोई कानून नहीं था। पहली बार 14.3.2022 को एसओजी में नकल विरोधी सेल का गठन किया गया। पुराना एक्ट था, उसमें अधिकतर मामले, मैंने जैसा बताया कि बेलेबल आफेंस थे। हमने इनमें हर अपराध को नॉन-काग्नीजेबल बनाया। सबको नॉन बेलेबल बनाया। नया एक्ट कायदे से देखा जाए तो यह हिस्टोरिकल एक्ट है। देश के किसी भी राज्य में इतना कठोर कानून पेपर लीक के मामले में और नकल के मामले में कोई दूसरा नहीं है।

कटारिया साहब, आपने ही कहा था कि एसओजी ने अपराधियों को पकड़ लिया, बहुत बढ़िया काम हो गया। आपने एसओजी को सर्टिफिकेट दिया। आपने यह भी कहा कि बहुत जल्दी पकड़ा। उसके बाद भी बीजेपी के सदस्यों ने, आपको भी बुरा-भला कहा। आपके इस स्टेटमेंट पर बीजेपी वालों से भी आपको बुरा-भला सुनना पड़ा, लेकिन आपने हकीकत कही, मैं इस बात के लिए आपकी तारीफ करता हूं।

कार्रवाई के अन्तर्गत अपराधियों की गिरफ्तारी के साथ-साथ अनुचित साधनों के प्रयोग में सम्मिलित परीक्षार्थियों को भविष्य में प्रतियोगी परीक्षाओं से हमेशा के लिए डिबार भी कर दिया गया। पहले यह प्रोविजन नहीं था। संलिप्त राजकीय कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया। पेपर लीक सरगनाओं के अवैध व्यवसायी प्रतिष्ठानों एवं भवनों को ध्वस्त किया गया। परीक्षाओं की शुचिता को बनाये रखने के लिये सरकार हर तरह से कृत संकल्पित होकर कार्य कर रही है। भविष्य में पेपर लीक की दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित न हो, इसके लिए भी हर सम्भव प्रयास किये जा रहे हैं।

राजस्थान सरकार ने पेपर लीक गिरोह और उससे जुड़े अपराधियों को नवीन अधिनियम के तहत प्रयोग के माध्यम से कठोर संदेश दिया है। पुराने एक्ट में सिर्फ एक एसओजी के द्वारा, जो थानेदार होता था, उसके द्वारा आप तफ़्तीश करवाते थे। हमने मिनिमम एडिशनल एस.पी. के स्तर पर तफ़्तीश शुरू की है। कोई भी ऐसा अपराध होगा तो एडिशनल एस.पी. उसकी तफ्तीश करेगा। दूसरी बात, आपने आरोप तो खूब लगाये हैं। मदन दिलावर जी कह रहे हैं कि सारे कांग्रेसी भी इसमें लिप्त थे, मुख्य मंत्री भी था।

**श्री अध्यक्ष**: माननीय मदन जी, यह गलत बात है।

**श्री शान्ती कुमार धारीवाल** (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मंत्री भी था, यह भी था, वह भी था, वह भी था। यहां विधान सभा में आरोप लगाना बहुत आसान है, जरा बाहर लगाकर देखो, नाम लेकर देखो, तब पता लगेगा आपको कि क्या है। यदि आपके पास किसी भी मंत्री के खिलाफ, किसी भी अधिकारी के खिलाफ, किसी भी कर्मचारी के खिलाफ, अन्य के खिलाफ कोई सबूत है तो कृपया हमें दीजिये, अदालत को दीजिये। अदालत मांग रही है, हाई कोर्ट मांग रहा है। मैं आपको अभी हाई कोर्ट का फैसला बताता हूं। उसकी भी जांच हो जाएगी। यहां विधान सभा में चूंकि प्रिविलेज है आपको बोलने का, मर्जी आये जो बोल लो, उससे तो काम चलता नहीं है। मेहरबानी करके डिबेट को थोड़ा तो गम्भीरता से लो। यह सदन गम्भीर बात सुनना चाहता है।

यह देखिये आप, यह हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट ने 07 जुलाई, 2022 को जो कहा, वह मैं आपको बताता हूं - "Thereafter, these cases were listed on several dates and the status report of the investigation was placed before the Court, which was perused from time to time. The investigation, so far carried out and the material, which has been placed before us, we find that action has been taken against large number of persons and criminal cases have been instituted." हाई कोर्ट कहता है। यह वह केस है, जिसको कि ए.बी.वी.पी. वाले हाई कोर्ट में लेकर गये थे और सी.बी.आई. इंक्वायरी की जांच की मांग की थी। उसी के बारे में वे यह फिर लिखते हैं कि, "At this stage, we are inclined to fix these matters for hearing without listing these matters further on the aspect of the investigation, subject to production of any material before the Court." कोई सबूत तो दो। सुनने को तैयार हैं। वे तो यह कहते हैं कि जिस रोज आयेगा उसी रोज हम सुन लेंगे। आरोप लगाना बहुत आसान है। बहुत आसान है आरोप लगाना। कोर्ट मांग रहा है हम मांग रहे हैं, पुलिस मांग रही है, एस.ओ.जी. मांग रही है। सब मांग रहे हैं कि लाओ, बताओ, कौन बच गया, किसको पकड़ना था, कोई सबूत है?

उसमें यह भी लिखा है कि हम सुन लेंगे, "before the next date of hearing of the matters." डेट पता नहीं कौनसी होगी, लेकिन आप पेश करते हो तो हम तो आज सुनने को तैयार हैं, यह हाई कोर्ट कहता है। यह 07 जुलाई, 2022 का है।

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

अब आप हिसाब देखें, चूंकि बात उठी है तो हिसाब तक तो जायेगी ही। 2014 में 5 प्रकरण दर्ज हुए, 2015 में 2 प्रकरण दर्ज हुए, 2016 में 8 प्रकरण दर्ज हुए, 2018 में 4 प्रकरण दर्ज हुए हैं। कुल मिलाकर इन चार सालों में 19 प्रकरण दर्ज हुए हैं और इन प्रकरणों में आपने 241 आदमियों को गिरफ्तार किया। 55 आदमी आज भी गिरफ्तारी से बचे हुए हैं। इसी तरीके से 2019 का आप ले लें, तो 2019 में 1 प्रकरण दर्ज हुआ, 2020 में 2 प्रकरण दर्ज हुए, 2021 में 5 प्रकरण दर्ज हुए और 2022 में 7 प्रकरण दर्ज हुए। कुल मिलाकर 4 साल में 15 प्रकरण दर्ज हुए। पहले चार साल में 19 थे और अब 15 हुए हैं। इनमें 281 आदमियों को गिरफ्तार किया गया है।

रीट की परीक्षा के बाबत बात थी, ए.बी.वी.पी. वालों ने गवर्नमेंट के खिलाफ जो रिट की, हाई कोर्ट ने यह कहा कि इसकी मॉनिटरिंग हाई कोर्ट करेगा। मांग थी किसकी? साहब, सी.बी.आई. को दे दिया जाये। हाई कोर्ट क्या बोला? हम ही कर लेंगे मॉनिटरिंग। यह क्यों कहा? आखिर ऐसा क्यों कहा हाई कोर्ट ने? आपकी बात को खारिज करते हुए उन्होंने अपने पर यह जिम्मेदारी ली कि हम मॉनिटरिंग कर लेंगे। मॉनिटरिंग के दौरान एस.ओ.जी. की रिपोर्ट से हाई कोर्ट पूरा संतुष्ट रहा। जब-जब भी यह पेशी हुई तो एस.ओ.जी. ने अपनी रिपोर्ट पेश की, उस पर उन्होंने पूरा सैटिस्फैक्शन अपना जाहिर किया। इसमें 102 गिरफ्तारियां हो गईं और 20 करोड़ रुपया, 20 लाख रुपये जब्त किये गये।

अब सी.बी.आई. की बात आती है। यह बात उठायी नारायणजी बेनीवाल, पुखराज जी और इन्दिरा जी बावरी ने। (व्यवधान)

**श्री बुलाकी दास कल्ला** (शिक्षा मंत्री): कालीचरणजी सराफ ने।

**श्री शान्ती कुमार धारीवाल** (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): कालीचरणजी ने तो आज नहीं उठायी, वे खुद सी.बी.आई. से डरते हैं, वे नहीं उठायेंगे।

**श्री अध्यक्ष**: माननीय कल्लाजी, आप मंत्रीजी को मदद कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं?

**श्री शान्ती कुमार धारीवाल** (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): हनुमानजी बेनीवाल साहब ने लोक सभा में यह सवाल पूछा था कि पिछले दस वर्षों में सी.बी.आई. से जांच करवाने की सिफारिश कितने मुकदमों में की गयी तो डाक्टर जितेन्द्र सिंह, जो पी.एम.ओ. में मिनिस्टर हैं, उन्होंने यह जवाब दिया कि 12 केस सी.बी.आई. को भेजे गये थे। यह राजस्थान के बाबत बात है। 12 केस सी.बी.आई. को भेजे गये थे, उनमें से 10 केस सी.बी.आई. ने दर्ज किये, 2 को तो दर्ज ही नहीं किया और उनमें 7 में क्लोजर रिपोर्ट दे दी। आउट आफ टेन, सात में क्लोजर रिपोर्ट दे दी और बाकी के जो तीन बचे हैं, उसमें एक को तो दोष-मुक्त कर दिया और दो मामले अभी भी इंवेस्टिगेशन में चल रहे हैं। सालों हो गये, सालों हो गये। आपको याद है? आपका, नेता महोदय का, उप नेता महोदय का और बाकी सबका ही, मेरा ख्याल है कि कालीचरणजी भी उस वक्त मौजूद थे, सब ही थे, काफी लोग थे, जोगेश्वरजी गर्ग भी थे। आपका तो भैरोंसिंहजी से बहुत ताल्लुक पड़ा है, रिनाउंड फिगर थे, इसमें कोई दो राय नहीं है।

जब शिवानी का कांड हुआ तो आप मंत्री थे और आप भी मंत्री थे। शिवानी कांड पर जब पुरानी विधान सभा में डिस्कशन हुआ था तो तब भैरोंसिंहजी ने कही थी यह बात। शिवानी के मामले में सदन में यह कहा कि- 'मामला अगर सी.बी.आई. को नहीं जाता तो राजस्थान की सरकार अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर सकती थी।' यह विचार थे उनके सी.बी.आई. के प्रति। अब अगर इस मामले को सी.बी.आई. को दिया गया तो आप सोचिये कि क्या होगा? बताओ नारायणजी। भज मन नारायण।

**श्री नारायण बेनीवाल** (खींवसर): अच्छा होगा, आप दें तो सही।

**श्री शान्ती कुमार धारीवाल** (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आठ साल तक तो सी.बी.आई. का इंवेस्टिगेशन ही चलता रहेगा और सारे यह जितने भी दस्तावेज हैं यह सब सी.बी.आई. जब्त करके ले जायेगी और फिर परीक्षाएं 15 साल तक भी नहीं हो पाएंगी, अगर सी.बी.आई. को दे दिया गया तो सारे डाक्यूमेंट ले जाएगी और विद्यार्थियों का भविष्य खराब हो जायेगा। जो आपने कहा कि, साहब, पेपर लीक हो गया, बच्चों का भविष्य बिगड़ गया, आप कब करवाओगे, कब नहीं करवाओगे, उसका मैं जवाब दूंगा कटारिया साहब को।

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

इस मामले में तेजी से जांच करवायी जा रही है और डे टू डे मॉनिटरिंग की जा रही है। आज भी डे टू डे मॉनिटरिंग हो रही है और दोषियों को सख्त से सख्त सज़ा हम दिलवाएंगे, यह हमारा कमिटमेंट है। विद्यार्थियों का भविष्य खराब नहीं हो, इसके लिए परीक्षा करवाकर उनको भर्ती करेंगे, इसलिए आप सी.बी.आई. की जिद छोड़ो। राजस्थान पुलिस बहुत ही सक्षम पुलिस है। मैं आपकी सी.बी.आई. की मांग को भी खारिज करता हूं।

इसी के साथ-साथ, आपको यह भी ध्यान होगा कि गम्भीरता को देखते हुए मुख्य मंत्रीजी ने यह फैसला लिया कि विजय शंकर जस्टिस कमेटी बनायी जाये। विजय शंकर जस्टिस कमेटी जो बनी, उन्होंने होम डिपार्टमेंट के लिए दो सिफारिशें कीं और बाकी 86 सुझाव उन्होंने और दिये, जिनकी अनुपालना के लिए डी.ओ.पी. ने आर.पी.एस.सी. और कर्मचारी चयन आयोग को भेजा है। दो जो सिफारिशें थीं, वह जो दो सिफारिशें थीं कि पेपर लीक, नकल और इससे सम्बन्धित अपराधियों का रिकार्ड रखा जायेगा, यह पहले नहीं था। परीक्षा से पूर्व पेपर लीक, नकल कराने वाले माफियाओं और संस्थाओं को आइडेंटिफाई करके इन पर नजर रखते हुए कार्रवाई की जायेगी। यह दोनों की दोनों सिफारिशें उनकी मान ली गयीं और यह अमल में ले ली गयी हैं।

अब सवाल आता है आपके द्वारा जो मुद्दे उठाये गये हैं मैं उनका जवाब बहुत ही शोर्ट में देना चाहता हूं कोशिश तो यही है। राठौड़ साहब ने यह कहा कि कांस्टेबल की भर्ती, आज एस.ओ.जी. पर भी आपने शक किया। आपने यह नहीं बताया कि शक क्यों किया? कहां पर क्या गलती कर दी एस.ओ.जी. ने, यह नहीं बताया आपने। बताया ही नहीं। वेग आरोप, एंटी चीटिंग बिल की कार्रवाई पर कुछ लोगों को छोड़ दिया गया, आप यह कहते हैं कि, साहब, एंटी चीटिंग बिल पर कुछ लोगों को छोड़ दिया, तो आप नाम दीजिए, साबित कीजिए, बताइये, लिखकर दीजिए। (व्यवधान) बोलिये मत, लिखकर दीजिए। हां, लिखकर दीजिए।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** (नेता, प्रतिपक्ष): हमारी तरफ देखकर फिर आप पूछते क्यों हो? उधर आसन से बात करो न, फिर हमसे पूछते क्यों हो?

**श्री शान्ती कुमार धारीवाल** (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): साहब, नाराज मत हों, नाराज मत हों, मेहरबानी रखें।

**श्री अध्यक्ष**: धारीवाल साहब, मेरी शक्ल राजेन्द्रजी से तो ठीक है। आप इधर देखो।

**श्री शान्ती कुमार धारीवाल** (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मैं आपकी तरफ देख लूंगा, साहब, पर इनसे कहो कि नाराज नहीं हों।

एंटी-चीटिंग बिल की कार्रवाई पर कुछ लोगों को छोड़ दिया गया। लिख कर दीजिएगा, किन-किन को छोड़ दिया गया, कार्रवाई हो जायेगी।

कालीचरणजी ने कहा कि आरपीएससी का हाथ है और अवैध निर्माण था, किराये की बिल्डिंग थी, बेनामी थी। किराये की बिल्डिंग और बेनामी का किस्सा जो आया है, उसके बारे में बताता हूं। अवैध निर्माण, कब्जा, अतिक्रमण, अवैध अधिगम कोचिंग सेन्टर संचालकों को नोटिस जारी करने के बाद ही अवैध निर्माण, रोड की सीमा पर अवैध कब्जा और अतिक्रमण व सामान हटाने की कार्रवाई की गई। उनको बाकायदा नोटिस दिया गया था पहले। बहुत पहले उनको नोटिस दे दिया गया था कि आपने यह अवैध बिल्डिंग बनायी है, आपने सड़क घेर ली है, अतिक्रमण किया है, सब कुछ किया है, कृपया इसको हटा लो, लेकिन उसके बाद उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। उसके बाद में क्या हुआ? भू-स्वामी अनिल अग्रवाल ने माननीय न्यायालय, अपील अधिकरण, जयपुर विकास प्राधिकरण से स्थगन लेने का प्रयत्न किया। उन्होंने एक अपील पेश की। न्यायालय ने यह आदेश दिया कि अवैध निर्माण है, इसको ध्वस्त करो। न्यायालय के आदेशों से ध्वस्त हुआ है। बाकायदा पूरी प्रक्रिया को अमल में लिया गया है। उसको नोटिस दिया गया है, उसको टाइम दिया गया है कि आप इस बिल्डिंग को हटा दो। यह सब कुछ फैक्ट है। अब आप कहते हो कि बिल्डिंग किराये की है। किराये की है या बेनामी है, यह किसको पता? जांच चल रही है, जांच हो जाने दो।

कालीचरणजी ने कहा कि एंटी-चीटिंग एक्ट के अन्तर्गत अभी तक एक भी लोग को सज़ा नहीं दी। एक्ट ही जुलाई में पास हुआ है जुलाई से अब तक कितने महीने हो गये? सज़ा देने का काम अदालत का होता है। पुलिस का काम चालान पेश करने का होता है। तफ्तीश करके चालान पेश करती है।

**श्री अध्यक्ष**: माननीय मंत्रीजी, please be brief.

**श्री शान्ती कुमार धारीवाल** (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): बस, दो-एक ही रह गये हैं। दो मिनट में समाप्त कर दूंगा।

**श्री अध्यक्ष**: आधा घंटा पूरा हो गया, प्लीज।

**श्री शान्ती कुमार धारीवाल** (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): दो मिनट में खतम कर दूंगा।

**श्री अध्यक्ष**: Let's conclude it.

**श्री शान्ती कुमार धारीवाल** (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा 2022 में दर्ज होने वाले प्रकरणों को दर्ज करने के मामले में लॉ डिपार्टमेंट का यह आर्डर हो चुका है। आपने डेजिग्नेटेड कोर्ट के लिए कहा, जिस कोर्ट में भी ऐसे केस जाएंगे वह डेजिग्नेटेड कोर्ट कहलायेगी। आ गयी बात आपको समझ में? आपने कहा कि हमने डेजिग्नेटेड कोर्ट ही नहीं बनायी। हर कोर्ट, जिसमें अपराध जायेगा वही डेजिग्नेटेड कोर्ट कहलायेगा। चूंकि बिल अप्रैल, 2022 में पास हो चुका था और उसके बाद सात प्रकरण इस एक्ट के अन्तर्गत दर्ज किये गये हैं। आपने कहा कि इस एक्ट के तहत कोई प्रकरण ही दर्ज नहीं हुआ, सात प्रकरण दर्ज हो चुके हैं, चार में चालान पेश हो चुका है। ट्रायल चल रही है और सज़ा अभी नहीं हुई है। सज़ा देना तो अदालत का काम है।

रीट की परीक्षा के बाबत बात हुई। रामकृपाल मीना, राजू ईराम की सुप्रीम कोर्ट में जमानत निरस्त हो गयी और आज भी वह जे.सी. में हैं। छूटे नहीं हैं। आज भी वह जे.सी. में हैं। जिस गुजरात मॉडल को लेकर आपने केन्द्र में सरकार बना ली, उस गुजरात की बात तो सुनो आप। बीस बार पेपर लीक हुए हैं गुजरात में, बीस बार।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** (नेता, प्रतिपक्ष): आप 50 बार करो।

**श्री शान्ती कुमार धारीवाल** (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आपने सवाल यह उठाया कि पेपर लीक हो गया, आपने परीक्षा रद्द कर दी। रद्द करने के बाद परीक्षा ली नहीं। कब लोगे? आपने यह सवाल उठाया है। मैं आपको बताना चाहता हूं।

पुस्तकालय ग्रेड थर्ड की सीधी भर्ती का पेपर आउट हो गया। पेपर 29.12.2019 को आउट हुआ, उसकी परीक्षा 19.09.2020 को हो चुकी है और सफलतापूर्वक हो चुकी है। ठीक इसी तरीके से कनिष्ठ अभियन्ता की परीक्षा 06.12.2020 को परीक्षा प्रारम्भ हुई। पेपर लीक हो गया, उसके बाद परीक्षा रद्द हो गयी। उसकी परीक्षा का 19.09.2021 को सफलतापूर्वक आयोजन किया गया और भर्ती हुई है। वन रक्षक के बाबत यह है कि 13.11.2022 को मुकदमा दर्ज किया गया। उसके पहले पेपर लीक हो चुका था। उसकी परीक्षा का पुन: 11.12.2021 को दो चरणों में सफलतापूर्वक

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

आयोजन किया गया। जहां-जहां पर, जब-जब भी पेपर लीक हुआ है, परीक्षा रद्द कर दी गयी। आपने पूछा कि परीक्षा आयोजित कब करोगे? अभी एक पेपर लीक हुआ है 24.12.2022 को, उसकी परीक्षा 29 जनवरी, 2023 को हो रही है। अब इससे जल्दी आप क्या चाहते हो? आपकी सब बातों का मैंने जवाब दिया है। मेहरबानी करके इसको दलीय हथकण्डा मत बनाइये। बच्चों का भविष्य है। जैसा अभी स्पीकर साहब ने कहा कि सबको बैठकर दुबारा से सोचना चाहिए कि सिस्टम को किस प्रकार से बदला जाए, ताकि इस बीमारी से किसी प्रकार से पीछा छूटे। इस बात पर विचार करिए। मेहरबानी करो। मेहरबानी करके इसको पोलिटिकलाइज मत करिए आप। जय हिन्द। धन्यवाद।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** (नेता, प्रतिपक्ष): मेहरबानी तो आप करो। उत्तर प्रदेश में पेपर आउट हुआ, इसलिए आपका अधिकार है कि राजस्थान में भी हो। यह मेहरबानी आप करो। दूसरा मेरा कहना यह है कि आपने जब अप्रैल में कानून पास कर दिया तो इसको डे टू डे हियरिंग के लिए फास्ट ट्रेक में क्यों नहीं डालते हो? 10-20 लोगों को भी अगर समय पर सज़ा हो जायेगी तो थोड़ा बहुत उस पर रोक लगेगी। इसको फास्ट ट्रेक में डाल कर डे टू डे हियरिंग करिए। अभी आपने जो केस बनाया, उसमें कितने लोगों की जमानत हो गयी? इसका मतलब केस ठीक ढंग से नहीं बना कि वह जमानत पर बाहर आ गया। जिस समय जैसी परिस्थिति होती है, वैसा कानून बनता है। आपने जो यह कानून बनाया, वह मेहरबानी करके बनाया क्या?

**श्री अध्यक्ष**: माननीय कटारिया साहब, please ask any question if you have, otherwise there is no end to it.

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** (नेता, प्रतिपक्ष): समय की आवश्यकता थी, इसलिए कानून बनेगा। आगे भी ऐसी कोई समस्या आयेगी तो और कानून बनेंगे तो कानून बनाकर कोई मेहरबानी नहीं की उन बच्चों पर। मैं तो आपसे यह कहना चाहता हूं कि राजस्थान में इस सिस्टम को बदलकर उस बच्चे के भविष्य को सुरक्षित करिए। इसके बारे में पक्ष और विपक्ष मत बनिए। तर्क के आधार पर पक्ष और विपक्ष बनकर उन बच्चों के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हो। अध्यक्षजी, मैंने आपसे इसलिए निवेदन किया, मेरी मंशा यह है कि कोई कमेटी आप अपने लेवल पर बनाकर जिनको भी, एक्सपर्ट को बुलाना है, इस परीक्षा के सिस्टम में कहां-कहां दोष है, इसको

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

कैसे बदला जा सकता है ताकि बच्चे का भविष्य बने। अभी भी मैं आपको कह रहा हूं कि यह तो उदयपुर के एसपी ने पकड़ लिया, इसलिए केस हो गया, नहीं तो यह परीक्षा हो जाती तो वह बच्चे तो पास हो जाते जिन्होंने पैसा देकर पेपर ले लिया।

मैं आज आपको फिर विनम्र निवेदन कर रहा हूं कि पिछले दस सालों में जो भी परीक्षाएं हुई हैं, उन लोगों को एक बार दुबारा स्क्रीनिंग करके देख लो कि वास्तव में वह किस तरह से आये हैं और कैसे नौकरी में लगे हैं। इसमें बहुत बड़ा कोचिंग सेन्टर्स का जो यह जाल है, वह इसमें से निकलेगा। जब आप इसको मारोगे तब जाकर यह रुकेगा। केवल तर्क-वितर्क करके एक दूसरे पर लांछन लगाने से इन बच्चों की समस्या का हल नहीं होगा। मैं चाहता हूं कि बच्चों की समस्या का हल हो और अपराधी को कठोर से कठोर दण्ड मिले। यह जो केस अभी बना है, इसका फास्ट ट्रेक में डालकर दो-तीन महीने में फैसला करके उनको लटकाइये। तब जाकर तो कुछ करने की स्थिति बनेगी।

**श्री अध्यक्ष**: चर्चा समाप्त हुई।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद-विवाद। श्री जितेन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

## अभिभाषण

### माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव

**श्री जितेन्द्र सिंह** (खेतड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राज्यपाल महोदय को निम्नलिखित रूप में धन्यवाद प्रस्तुत किया जाए-

'इस सत्र में एकत्रित हम राजस्थान विधान सभा के सदस्यगण राज्यपाल द्वारा इस सदन में दिये गये अभिभाषण के प्रति उनके आभारी हैं।'

ऑनरेबल स्पीकर सर, माननीय राज्यपाल महोदय ने राजस्थान के लिये जो विषम परिस्थितियां थीं, कोविड भयंकर रूप से राजस्थान में दो साल फैला और मैं समझता हूं जिस ढंग से राजस्थान में मैनेजमेंट हुआ, मेरे दामाद यू.एन.ओ. में डायरेक्टर हैं, उन्होंने बताया कि न्यूयार्क, यू.एस.ए. और इंग्लैण्ड में 60 लाख लोग उस वक्त कोरोना से मर गये। जॉन एफ. कैनेडी, जो यू.एस.ए. के प्रेसीडेंट रहे, उनकी पोती कोरोना से मर गयी। उन विषम

(श्री जितेन्द्र सिंह)

परिस्थितियों में भी जिस तरह से मैं समझता हूं राजस्थान में मैनेजमेंट हुआ, ईवन कंट्री में मैनेजमेंट हुआ, कंट्री में और आल ओवर राजस्थान में मोर्टेलिटी आठ हजार के करीब थी, राजस्थान के अंदर मैं समझता हूं छह से आठ हजार मोर्टेलिटी थी और करीब पांच-छह लाख भारत में थी, फाइनेंशियल क्राइसेस था माननीय स्पीकर महोदय, और जिस तरह से राजस्थान में मैनेजमेंट हुआ वह अपने आप में अद्वितीय था।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं स्वयं डाक्टर हूं, मैं चन्द क्षणों में आपको मेरा अपना तजुर्बा बताना चाहता हूं। ईश्वर किसी को गरीबी न दे। मैं आज से 35 साल पहले जब विधायक बना तो मेरे पिताजी ने एक शर्त रखी कि तुम पहले डाक्टर हो और तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम 12 - 1 बजे तक हास्पिटल में बैठोगे, उसके बाद तुम्हारी राजनीति करोगे। ऑनरेबल स्पीकर सर, वह वाकया आज तक 35 साल में मैं नहीं भूला। एक बार मैं मेरी चेयर पर बैठा था तो एक लड़की हड़बड़ाती हुई, जिसकी मांग में सिन्दूर था, जिसके हाथ में मोली और कौड़ियां बंधी थीं, वह और एक बुजुर्ग, एक जवान बेहोश बच्चे को उठाकर मेरी टेबल पर रखा और बोले, डाक्टर साहब, सुबह से बेहोश है, तुरंत देखिये। पिताजी ने तुरंत देखते ही कहा कि he looks very serious. तुरंत देखो। आनरेबल स्पीकर सर, जब मैंने उसकी नब्ज देखी, there was no pulse. मैंने स्टेथोस्कोप को हार्ट पर लगाया and there was no heartbeats. मेरी हिम्मत नहीं हुई मैं सामने जो लड़की थी, उससे यह कहूं कि तू तीन दिन में ही विधवा हो गयी। मैंने चौधरी साहब से कहा, चौधरी साहब, कब से बीमार है आपका बेटा? चौधरी साहब ने कहा, डाक्टर साहब, एक महीने से। मैंने पूछा, शादी हुए कितने दिन हुए हैं कि तीन दिन हुए हैं डाक्टर साहब। मैंने पूछा, इलाज क्यों नहीं कराया? चौधरी की आंख में आंसू आ गये और बोले कि पैसा नहीं है। चौधरी जी का जवान बेटा, ऑनरेबल स्पीकर सर, इसलिए दम तोड़ दिया कि चौधरी के पास इलाज का पैसा नहीं था। भगवान किसी को गरीबी न दे।

**(समय: 14.44 बजे)**

**(श्री राजेन्द्र पारीक, सभापति, पदासीन)**

माननीय सभापति महोदय, मेरे मेडिकल के कैरियर में अनेकों ऐसे क्षण देखे हैं। माननीय सभापति महोदय, मैंने बुड्ढे बाप के कंधे पर जवान बेटे

(श्री जितेन्द्र सिंह)

की लाश को जाते देखा है। मैंने मांओं की गोद में बच्चों को तडप-तड़पकर मरते देखा है। इलाज के लिये उनके पास पैसा नहीं था। धारीवाल साहब कह रहे थे कि एक शेर सुनाऊं। शेर का तो आपके जैसा खजाना मेरे पास नहीं है लेकिन -

'साहिल के तमाशाई
हर डूबने वाले पर अफसोस तो करते हैं,
इमदाद नहीं करते।'

लोग मरने वाले पर आंसू तो बहाते हैं, लेकिन, माननीय सभापति महोदय, मदद को कोई नहीं आता। श्री अशोक गहलोत, इसलिए नहीं कि राजस्थान के मुख्य मंत्री हैं, मैं उनकी वजारत में दो बार मंत्री रहा, मैं इसलिए उनकी तारीफ नहीं कर रहा हूं लेकिन जिस तरह से फाइनेंशियल क्राइसेस कोरोना में था, माननीय लीडर आफ अपोजिशन सामने बैठे हैं, आपने सारा वक्त देखा है। फाइनेंशियल क्राइसेस में स्टेट का मैनेजमेंट बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन जिस तरह से जो व्यवस्थाएं हुई, हर परिवार को 10 लाख रुपये का बीमे का पैकेज मिला, जो एक्सीडेंटल डैथ थीं, उनमें 5 लाख रुपये का मिला। Rajasthan is the only State which is having this facility. अन्य राज्यों में नहीं, और बहुत बड़ी संख्या में 1750 हास्पिटल, माननीय सभापति महोदय, इस सिस्टम से जुड़े हैं प्राइवेट सेक्टर में, 88 प्रतिशत कवरेज है, माननीय सभापति महोदय।

कोरोना में जो वैक्सीनेशन शुरू-शुरू में हुआ, बाहर से पैसा नहीं मिला। प्रत्येक विधायक ने तीन-तीन करोड़ रुपये अपने बजट से दिया, लेकिन बाद में माननीय प्रधान मंत्रीजी ने सारा पैसा दिल्ली से स्वीकार किया। वैक्सीनेशन में बहुत बड़ी जानें बचीं। विदेशों में डैथ का कारण था, they have avoided vaccination. वे लोग फ्री लाइफ के आदी हैं। 90 प्रतिशत फर्स्ट वैक्सीनेशन हो गया, 80 प्रतिशत सैकण्ड वैक्सीनेशन हो गया। चाइना में और जो अन्य हमारे कोल्ड कंट्रीज हैं, कोरिया में, स्पेन में, वहां अब भी कोरोना बुरी तरह से फैल रहा है, लेकिन हिन्दुस्तान में अभी तक बचाव का मुख्य कारण है कि हम लोग वैक्सीनेटेड रहे।

माननीय सभापति महोदय, जिस तरह का इन्फ्रास्ट्रक्चर है राजस्थान के अंदर मेडिकल का, मुझे पता है, मैं झुन्झुनूं जिले का उदाहरण दे रहा हूं। 1950 में झुन्झुनूं जिले में अकेला हास्पिटल अजीत हास्पिटल, खेतड़ी था, जो

(श्री जितेन्द्र सिंह)

महाराजा अजीत सिंहजी ने बनवाया था, आज उसकी उम्र 125 साल हो गयी। मेरे पिताजी उसमें चिकित्सक थे और दूसरा हास्पिटल सीधा झुन्झुनूं में था। बीच में चिड़ावा, नवलगढ़ या पिलानी में प्राइवेट हास्पिटल थे। आज अकेले मेरे विधान सभा क्षेत्र में 27 PHC और CHC हैं, सैंकड़ों सब-सेंटर्स हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि पूरे राजस्थान में जिस तरह से PHC और CHC बनी हैं, यह कोई छोटा काम नहीं है। हम लोग जब मेडिकल कालेज में थे 1964 में, तब राजस्थान में तीन मेडिकल कालेज थे जयपुर, उदयपुर और बीकानेर में। आज हर जिले के अंदर मेडिकल कालेज खुल रहे हैं। जब मेडिकल कालेज खुलेंगे तो उनके साथ हास्पिटल भी अपग्रेड होंगे और हास्पिटल के अपग्रेड होने के साथ-साथ मैं समझता हूं कि नर्सिंग सबसेंटर हमारे हर जगह खुल रहे हैं। यह बहुत बड़ा काम हो रहा है। IPD और OPD फ्री हैं। हमारे SMS हास्पिटल के अंदर 450 करोड़ की लागत से टावर बन रहा है। बहुत अल्ट्रा-माडर्न टावर है, जिसमें अलग से कार्डियक यूनिट्स हैं। अलग से इन्होंने जो डवलपमेंट किये हैं, हमारे SMS में न्यूरो सेंटर बना है। न्यूरो सेंटर की सबसे बड़ी खासियत यह होती है, सबसे बड़ा फायदा यह होता है, आज एसएमएस हास्पिटल का कैडर कहां से कहां पहुंच गया। हार्ट ट्रांसप्लांट हो रहे हैं, किडनी ट्रांसप्लांट हो रहे हैं, लीवर ट्रांसप्लांट हो रहे हैं, यह छोटा काम नहीं है। माननीय सभापति महोदय, डाक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने आज से 50 साल पहले साउथ अफ्रीका में हार्ट ट्रांसप्लांट किया था और वह पेशेंट तीन दिन बचा था। एसएमएस हास्पिटल में जो हार्ट ट्रांसप्लांट हुए या हमारे जो प्राइवेट हास्पिटल हैं, उनमें डेढ़-ड़ेढ़ साल हो गए, हार्ट ट्रांसप्लांट वाले जिन्दा हैं।

माननीय सभापति महोदय, लोगों में एंकरेजमेंट करना है, सबसे बड़ी दिक्कत होती है, that donors are not available here. हमारे यहां कैडेवर डोनर बहुत कम मिलते हैं, तैयार नहीं होते हैं। लाइव डोनर हैं वो तो हैं, लेकिन लोगों में अवेकनिंग करनी है। माननीय सभापति महोदय, यह बहुत मुश्किल काम है। मैंने तो स्वयं घोषणा की थी कि मेरी मृत्यु के बाद में मैं अपनी देह दान करूंगा। मेरे लीवर, किडनी, हार्ट आम लोगों के काम आएं। डाक्टर जितेन्द्र बोलेगा तो हजारों में मैसेज जाएगा, पर एक साधारण व्यक्ति बोलेगा तो कोई उसकी नहीं सुनेगा। माननीय सभापति महोदय, यह बहुत आवश्यकता है कि हमारे जो डोनर्स हैं, हमको इसके लिए लोगों को अवेकनिंग करने की बहुत आवश्यकता है।

(श्री जितेन्द्र सिंह)

माननीय सभापति महोदय, ऑक्सीजन के लिए बहुत मारामारी थी, आर्मी और पुलिस के ट्रक्स ऑक्सीजन सिलेंडर को बचाने के लिए चलते थे। माननीय मुख्य मंत्रीजी के द्वारा एन्करेज करने के बाद आज राजस्थान के हर पीएचसी और सीएचसी के अंदर उनका अपना ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट है। This is not a small thing. ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट छोटा-मोटा काम नहीं है। मुझे पता है, हमारे कलेक्टर का फोन आया मेरे पास, डाक्टर साहब, झुंझुनूं हास्पिटल की ऑक्सीजन यूनिट खराब हो गई, आप तुरंत ठीक करवाइए, अदरवाइज आपकी कांस्टीट्यूएंसी में 400 बच्चे मर जाएंगे। मैं तुरंत दौड़ा, मुख्य मंत्रीजी से फोन पर बात की, हिसार से इंजीनियर बुलाए। इसका फायदा यह रहा कि एंकरेजमेंट से, probably every Member sitting in the Assembly House is having oxygen plants in their hospitals. सरकार अपना पैसा दे रही है और हम लोगों ने अपना दिया है, तो यह बहुत बड़ी बात है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आयुर्वेद की बात करना चाहूंगा। मैं जर्मनी गया था। जर्मनी के प्रेसिडेंट और उनका परिवार और उनके सौ पार्लियामेंट मेम्बर्स 1999 में जयपुर आए थे। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने मुझे दो दिन उनके साथ रखा और इंसीडेंटली जर्मनी के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने मुझे इंवाइट किया। मैंने बताया उन्हें कि मैं यहां हायर एजुकेशन मिनिस्टर हूं। उन्होंने इंवाइट किया कि आप जरूर आएं। माननीय सभापति महोदय, मैं म्यूनिख, जर्मनी गया। वहां पर मेरे साथ दुभाषिया थी, वह मुझे म्यूनिख मेडिकल यूनिवर्सिटी दिखा रही थी, तो एक जगह उनकी पैथोलोजिकल लेबोरेटरी थी, हम मेडिकल टर्म में उसको डिपार्टमेंट आफ सीरोलॉजी बोलते हैं। माननीय सभापति महोदय, उस पर नीचे जर्मन में जो लिखा हुआ था तो मैं समझा नहीं, लेकिन ऊपर अंग्रेजी में लिखा हुआ था, 'डिपार्टमेंट आफ चरकोलॉजी'। मैंने उस दुभाषिया मैडम से कहा, I think that the spelling is wrong. It should be department of 'Serology' not the 'Charkology'. वो दुभाषिया मैडम जर्मन महिला थी, मेरे मुंह की ओर देखकर हंसने लगी। उसने कहा, well Minister, Charak was a great physician of India and in an honor of Charak, we named the department as department of Charakology. माननीय सभापति महोदय, आप कल्पना कीजिए, मैं जब उनके मेडिकल कालेज में गया, यूनिवर्सिटी में गया तो गीता और विवेकानन्द की बुक उनके यहां रखी हुई थी। मेरी छोटी बहन आस्ट्रेलिया

(श्री जितेन्द्र सिंह)

रहती है, उसने वहां से मुझे फोटो भेजा। मेलबर्न मेडिकल यूनिवर्सिटी में सुश्रुत का बस्ट लगा हुआ है। सुश्रुत हमारे बहुत बड़े आयुर्वेद के ज्ञाता थे, वहां उनका मार्बल का बस्ट है। यानी विदेश में जो एलोपैथिक ड्रग्स हैं उनके साइड इफेक्ट हैं तो वे आयुर्वेद को बहुत बड़ा महत्व देते हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि आज भी हमारे वेद्यराज और सारे हैं, they are using English drugs. They should be checked. मंत्री महोदय नहीं हैं and they give the ultimate drugs. स्टेरॉयड्स दे देते हैं जो आखिरी दवा होती है। आयुर्वेद है, आयुर्वेद के पास लीवर और पेट का सबसे बेहतरीन इलाज है। दुनिया उसके पीछे पागल है। एडॉल्फ हिटलर पेट की बीमारी से पीड़ित थे। उनके जो जर्मन डाक्टर थे वो उनको एलोपैथी से इलाज करते थे और उनकी फिजियोथेरेपी करते थे। इस वजह से उनका स्टेटमेंट था, उस ज्यू का कि मैंने हजारों यहूदियों की जान बचाई। हमारे अपने सब्जेक्ट हैं, उनको हम संजोकर रखें।

माननीय सभापति महोदय, आप तो खुद होम्योपैथी और एलोपैथी में विश्वास करते हैं। Dr. Hahneman was an Allopath, लेकिन उन्होंने होम्योपैथी, अलग से साइंस सब्जेक्ट से किया और उसके अपने मार्वल रिजल्ट्स हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं राजस्थान में ऊर्जा के बारे में बताना चाहूंगा। Rajasthan is one of the State, जो पूरे कंट्री में ऊर्जा में जो उसका स्थान है वो अद्वितीय है। जब राजस्थान बना 1947 में तो जनरेशन 13 मेगावाट थी और आज 2023 में 24 हजार मेगावाट बिजली राजस्थान पैदा कर रहा है। हमारे यहां कोल पावर के अलावा, Rajasthan is the first in Solar Energy. सोलर एनर्जी में करीब 14 हजार मेगावाट राजस्थान जनरेशन कर रहा है, आप कल्पना कीजिए। सोलर एनर्जी में वर्ल्ड में नवादा, अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा, concentration of sunrays five digits per square meter जैसलमेर में है। माननीय सभापति महोदय, एक दिन कोयला खतम हो जाएगा, पेट्रोल खतम हो जाएगा, गैस खतम हो जाएगी लेकिन नेचर ने जो सूर्य दिया है वो हमेशा चमकता रहेगा। माननीय सभापति महोदय, अकेला जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट पूरे हिन्दुस्तान को बिजली दे सकता है। आज जो बिजली की कमी हो रही है, पावर कट हो रहा है, this is due to lack of coal.

(श्री जितेन्द्र सिंह)

दुनिया के पास कोयला नहीं है। यह सिर्फ हिन्दुस्तान की दिक्कत नहीं है अन्य जगह ही यही हाल है। न्यूक्लीयर प्लांट आप हर जगह लगा नहीं सकते, रशिया में जो चेरनोबिल एक्सीडेंट हुआ था, वह इस बात का गवाह है।

माननीय सभापति महोदय, बिजली के सेक्टर में राजस्थान में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अद्वितीय काम किया है। हमारे किसानों को अभी भी 100 यूनिट्स इन टू मंथ्स फ्री मिल रही है। उससे हमारे करीब 29 लाख घरेलू कनेक्शन 'जीरो' हो गए हैं। एग्रीकल्चर में 9 लाख किसानों का बिल 'जीरो' हो गया है। इसमें हर बिल के अंदर हजार रुपये प्रति माह आ रहा है और मैं समझता हूं कि हजारों करोड़ रुपया सरकार का इस पर खर्च हो रहा है।

माननीय सभापति महोदय, मैं तो खुद ऊर्जा मंत्री रहा था। इंडिया में अगर सबसे अधिक स्ट्रांग इंफ्रास्ट्रक्चर, डिस्ट्रिब्यूशन, ट्रांसमिशन सेक्टर है तो वह राजस्थान में है। हमारे पास 765 मेगावाट के तीन जीएसएस हैं, 400 केवी के दस हैं, 220 के पता नहीं कितने हैं, 130 के पता नहीं, हजारों 33 के हैं। हमारी तीन-चौथाई पंचायतें, मैं समझता हूं कि राजस्थान की नौ हजार पंचायतें होंगी, वहां हर पंचायत में 33 केवी के जीएसएस हैं। This is really a very strong network. हिन्दुस्तान के किसी भी स्टेट में इतना पावरफुल ट्रांसमिशन नेटवर्क नहीं है जितना राजस्थान में है।

माननीय सभापति महोदय, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना था, 25 हजार भर्तियां हुईं, टेक्निकल हेल्पर्स की और अन्य की, मैं समझता हूं कि उनका बहुत स्ट्रांग मैनेजमेंट रहा।

माननीय सभापति महोदय, जो टी एंड डी लोसेज हैं, पावर सेक्टर कम हो जाएगा तो बिजली की चोरी कम हो जाएगी। बिजली के लोसेज हैं, तार के ऊपर लोसेज होते हैं लेकिन अगर पास-पास इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। हर पंचायत में है, तो टी. एंड डी. लोसेस कम होंगे। सभापति महोदय, टी. एंड डी. लोसेस बोलते हैं, जो बिजली के ट्रांसमिशन लोसेस होते हैं, वह नहीं होते हैं। इससे बिजली की बचत होगी।

**(समय: 15.00 बजे)**

सभापति महोदय, माननीय लीडर आफ अपोजिशन, एजुकेशन के बहुत सक्सेसफुल मंत्री रहे हैं। कल्ला साहब भी बहुत एक्सपर्ट रहे हैं। मैं समझता हूं कि अभी बहुत महत्वपूर्ण चर्चा भी शिक्षा के ऊपर हुई है।

(श्री जितेन्द्र सिंह)

सभापति महोदय, राजस्थान में एक स्कूल खुलता था, हम विधायक एक स्कूल मांगते थे और मुख्य मंत्री जी एक स्कूल देते थे तो सारा गांव नाचता था। माननीय लीडर आफ अपोजिशन, आज तो वूमेन एजुकेशन में मेरा जिला झुंझुनूं राजस्थान में नंबर वन है, ब्वाय्ज एजुकेशन में नंबर टू है। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं जो भीड़ की भीड़ जाती है।

मेरे यहां चारावास एक गांव है। मैं वहां गया तो एक चौधरी साहब और एक छोटी-सी बच्ची खड़ी थी। उसने पांव छुए और चौधरी साहब बोले, डाक्टर साहब, यह लड़की दिल्ली में बहुत अच्छे नंबरों से पास हुई है। मैंने कहा, बेटा, दिल्ली की कौनसी परीक्षा दी थी? उसने कहा, मेरा आईएएस में इंडिया में 40वां रैंक है। सभापति महोदय, चारावास बहुत छोटी-सी जगह है। मैंने कहा, बेटा, पढ़ाई कहां से की? बोली, मेरे पिताजी तो साधारण किसान हैं, मैं ऑनलाइन पढ़ाई कर रही थी और मेरा उसमें चयन हो गया। सभापति महोदय, आप कल्पना कीजिये, साधारण परिवारों की बच्चियां, मेरे सामने घूंघट में एक औरत आयी, फटे, पुराने कपड़े पहने एक व्यक्ति आया, लड़की ने पांव छुए, पहचाना मुझे, डाक्टर साहब। मैंने कहा, मैंने तो नहीं जाना बेटा, कहा कि मैं आपके गांव कांकरिया की हूं, आरएएस में मेरा चयन हो गया। मेरे पिताजी ने ईंटें ढो-ढोकर मुझे पढ़ाया है। आप कल्पना कीजिये, God has given grey matter equal to everyone whether he is son of a 'farmer' or a son of a 'Maharaja'. लेकिन जिस तरह से अच्छे शिक्षक मिलते हैं वह ब्रेन को ठीक करते हैं, उनसे ऐसी प्रतिभाएं निकलकर के आती हैं।

सभापति महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि मैं 1998 में हायर एजुकेशन मिनिस्टर था, रिजर्वेशन इम्प्लीमेंट करना था। मैं समझता हूं कि बहुत सारे साथी सभी वर्गों के बैठे हैं। उस समय ओबीसी का रिजर्वेशन नहीं था, एमबीसी के बारे में तो हम जानते ही नहीं थे। एससी का रिजर्वेशन, एससी के हमारे विधायक बैठे हैं, आप सुन लीजिये। 1998 में एससी का रिजर्वेशन 8 परसेंट था। 1947 से लेकर के 1998 तक, अम्बेडकर साहब ने जिस वक्त कानून बनाया था तब से लेकर 1998 तक, reservation of SC was 8 per cent और एसटी का रिजर्वेशन 6 परसेंट था। ओबीसी का कोई रिजर्वेशन नहीं था। एमबीसी का तो हमारा था ही नहीं। मुख्य मंत्री जी ने मुझे कहा कि, डाक्टर साहब, कल आपको बिल पेश करना है। उस समय

(श्री जितेन्द्र सिंह)

आप भी तो मंत्री थे। मैंने मेरे अधिकारियों को बुलाया कहा कि, reservation is directly proportional to the population. मैंने कहा कि एससी की पापुलेशन कितनी है? कहा, साहब, पापुलेशन तो अब 1947 के बाद डबल हो ही गयी होगी, एसटी की भी डबल हो गयी होगी। मैंने 8 को काटकर 16 किया और 6 को 12 किया। ओबीसी का 21 परसेंट किया। हमारा आंदोलन हुआ ही नहीं था, जिसमें हमारे 72 बच्चे गोलियों से मारे गये थे। हम लोगों को पता ही नहीं था कि हमारा भी कोई अलग से रिजर्वेशन होगा क्या? नैक्स्ट डे मैंने बिल पेश किया, मुख्य मंत्री जी ने, यूनानीमसली पास हो गया। आप भी उस वक्त मंत्री थे।

मुख्य मंत्री जी नीमकाथाना आये। हम के.एल. मीणा के फंक्शन में थे। मैंने कहा, इनको अपन ने 8 से 16 किया और 6 से 12 किया। मुख्य मंत्री जी हंसने लगे। बोले, डाक्टर साहब, बिना मांगे दे दिया। आपके 72 बच्चे मारे गये थे। आप कीमत जानते हो रिजर्वेशन की। यह मैं जानता हूं कि हाउस को शायद इस बात का पता नहीं होगा, लेकिन आप 1998 की डिटेल्स को मंगाकर देखोगे तो डाक्टर जितेन्द्र सिंह के दस्तखत हैं इस रिजर्वेशन के अंदर। यह मैं आपको बताना चाहूंगा। इसकी आवश्यकता थी। उन्होंने बुरा वक्त देखा था। ईश्वर ने अम्बेडकर के बाद उनको सब कुछ दिया।

सभापति महोदय, 3600 टेन प्लस टू स्कूलें बनीं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में लोयल चौधरियों का एक बहुत बड़ा गांव है। मैं जब पहली बार जीता था तब टेन प्लस टू स्कूल खोली, सारा गांव नाच रहा था। आज 3600 स्कूलें खोलीं। हमारी कोई भी पंचायत ऐसी नहीं बची होगी जिसमें टेन प्लस टू स्कूल नहीं है। माननीय लीडर आफ अपोजिशन बैठे हैं। अंग्रेजी में गांव के बच्चे बहुत कमजोर होते हैं। मैं तो खुद गांव में, खेतड़ी के अंदर पढ़ता था। पिताजी मार-मार करके अंग्रेजी सिखाते थे। मैं 1964 में मेडिकल कालेज में भर्ती हुआ तो झुंझुनूं जिले से सिर्फ 2 लड़के थे। मैं था और एक दिनेश सिंह थे। आज 250 बच्चे अकेले झुंझुनूं के मेडिकल कालेज में हैं।

सभापति महोदय, शिक्षा के क्षेत्र में जो क्रांति हुई है, अंग्रेजी स्कूल 2 हजार खुली हैं। माननीय लीडर आफ अपोजिशन, मेरा हरियाणा बोर्डर पर लास्ट विधान सभा क्षेत्र का हिस्सा आता है। हरियाणा में नारनौल में अच्छी इंग्लिश स्कूल्स हैं। 50-50 बसें बच्चों को ले-लेकर जाती हैं। एक-एक बच्चे की फीस 50 हजार से 1 लाख रुपया है। मेरे जो बोर्डर के, पेरिफेरी के गांव हैं, वहां से

(श्री जितेन्द्र सिंह)

जाते हैं। आपके सीकर में तो एजुकेशन हब है, अब तो आप कोटा के बराबर हो गये। हमारे यहां से नारनौल पढ़ने के लिए जाते हैं लेकिन जब से इंग्लिश स्कूल्स खुली हैं, बच्चों में क्रांति आ गयी। हमें भी पता है।

सभापति महोदय, मैं एग्जाम्पल दूंगा, हमारे खेतड़ी के लड़के ने गायनोकोलॉजी में टॉप किया। मैडम जैकब थीं, वह यहूदी थीं। वह अंग्रेजी में कुछ पूछने लगी तो वह हड़बड़ा गया, उसको प्रेक्टिकल में फेल कर दिया। हम साथी लोग गये, मैडम, और तो ठीक है इसके थ्योरी में 100 में से 98 नंबर हैं, इसको आपने फेल कैसे कर दिया? वह बोली, यह हो ही नहीं सकता। उन्होंने नंबर देखे तो वाकई में 100 में से 98 नंबर थे। वह अंग्रेजी में जवाब नहीं दे सका। गांव के बच्चों के यही हाल हैं। उनकी अंग्रेजी वीक होती है। साइंस, मेडिकल, इंजीनियरिंग, आईआईटी सब कुछ उसी में है। सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि इंग्लिश स्कूल्स का जो डिसिजन लिया है उसके लिए हमारे डोटासरा जी, कल्ला साहब और माननीय मुख्य मंत्री जी धन्यवाद के पात्र हैं।

सभापति महोदय, इसके अलावा जो एक महत्वपूर्ण बात है, माननीय लीडर आफ अपोजिशन, आप सुनिये, हमारा विशेष रूप से जो इंस्पायर्ड अवार्ड होता है बाल वैज्ञानिक, उसमें पूरे इंडिया में झुंझुनूं नंबर वन रहा, सीकर नंबर दो रहा, जयपुर नंबर तीन रहा। मैं सौभाग्यशाली हूं कि खेतड़ी ब्लाक पूरे राजस्थान में जो कि बिलकुल अनपढ़ों की जगह थी, वह पूरे कंट्री में फर्स्ट रहा। हमारी प्रतिभायें हैं, उनको कोई देखे तो सही, उनको कोई मौका तो दे। निश्चित रूप से जो आज इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है उसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा।

सभापति महोदय, पेयजल, पेयजल का सौभाग्य से मुझे भी महकमा मिला था। राजस्थान सबसे बड़ा प्रांत है, एक परसेंट पानी है, उसकी भी हालत यह है कि सारा का सारा फ्लोराइड है। यह हमारे हाउस के डिप्टी चीफ व्हिप बिराजे हुए हैं, इनके गांव का पानी तो कोई पी ही नहीं सकता। वहां एक बांका पट्टी है। हमारा पैसा मंजूर नहीं किया, साढ़े 3 हजार करोड़ का था नागौर का। मेरे चीफ इंजीनियर आये, बोले, डाक्टर साहब मंजूर नहीं होगा। जापान वाले कह रहे हैं कि सिर्फ नागौर ही एक ऐसी जगह है? और नहीं है क्या इंडिया के अंदर? मैंने माननीय महेन्द्रजीत जी से कुछ फोटोग्राफ्स लिये। सत्य घटना बता रहा हूं, माननीय डिप्टी लीडर आफ अपोजिशन, मंत्री नहीं जाता है मीटिंग

(श्री जितेन्द्र सिंह)

के अंदर, अलाउड नहीं है। हमारे चीफ इंजीनियर्स और सेक्रेटरीज जाते हैं। मैं स्पेशली उसमें गया। जापान वाले बैठे थे। महेन्द्र जी ने कुछ फोटोग्राफ्ज अवेलेबल कराये थे मुझे। डूडी जी चले गये, उन्होंने भी कुछ फोटोग्राफ्ज अवेलेबल कराये थे। हम बात करने लगे। उन्होंने कहा, well Minister, why we should give three thousand crore to your district in Rajasthan? मैंने कहा, Sir, you kindly look towards to these photographs. माननीय Leader of Opposition, वहां महिलाओं का यह हाल है कि टॉयलेट जाने के बाद पेड़ पर रस्सी बांधकर पकड़कर खड़ी होती हैं। रसोई में नीचे बैठकर जब रोटी पकाती हैं तो रसोई में रस्सी लटक रही है, उसे पकड़कर खड़ी होती हैं। पांव उनके बिलकुल रिकेट्स की तरह हैं। मैंने कहा, Sir, you look towards to these photographs. ये खाना बनाकर खड़ी हो रही है। आपके तो कमोड्स हैं, kindly look towards to their life too. उस जापानी की आंखों में आंसू आ गये। तुरन्त उसने साढ़े 3 हजार करोड़ रुपये महेन्द्र जी के मंजूर कर दिये।

नागौर में सोनिया जी आयी थीं। शुरू से लेकर आखिर तक, मैं समझता हूं इतनी बड़ी ऐतिहासिक भीड़ मैंने नहीं देखी, डेढ़ लाख थे या दो लाख थे। महेन्द्र जी के गांव में मीटिंग थी। जिस तरह से पानी की व्यवस्था हो रही है, आप तो स्वयं उदयपुर का जानते हैं, आपके तो राजा-महाराजाओं को मैं सलाम करता हूं, सब ऊपर हैं वे महाराणा प्रताप के वंशज, लेकिन जिस तरह से उन्होंने उदयपुर को डवलप किया, जयसमन्द और सारा का सारा, वह कल्पना पांच सौ साल पहले किसने की होगी? इन इंग्लिश और अमेरिकंस का भी दिमाग नहीं होगा जो हमारे रजवाड़े वालों का था।

सभापति महोदय, आज पानी में जिस तरह का विकास हुआ है, मैं समझता हूं, सरफेस वाटर, ग्राउंड वाटर जीरो है, ग्राउंड वॉटर तो आपके सीकर में ही सारा का सारा खतम है। राजस्थान में जो पानी इन्दिरा गांधी नहर से आ रहा है, पाकिस्तान, चाइना और हमारा जो कश्मीर का बोर्डर है गिलगित, वहां से बर्फ के ग्लेशियर पिघलकर भाखड़ा नांगल में आते हैं, भाखड़ा नांगल से पोंग में आते हैं, पोंग से इन्दिरा गांधी नहर है, गंग नहर है। मेरे खुद के विधान सभा क्षेत्र में, मैं मंत्री था, सौभाग्य से मैंने 955 करोड़ पास करा लिये और वहां से पानी बड़ी-बड़ी टनल्स से होकर आ रहा है।

सभापति महोदय, आपके भी सीकर में आज पानी की आवश्यकता है। जिस तरह से सरफेस वाटर का राजस्थान में पहली बार हमारी इन्दिरा गांधी

(श्री जितेन्द्र सिंह)

नहर, गंग नहर, चम्बल, हमारा बीसलपुर, हमारा माही और नर्मदा, उनका जो सरफेस वाटर आ रहा है, उससे जिन्दा बच रहे हैं। जिस तरह से 13 ईस्टर्न जिले हमारे हैं, अगर उन्हें पानी चाहिए तो ईस्टर्न कैनाल का हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी बार-बार इश्यू उठा रहे हैं। मैं तो माननीय Leader of Opposition से कहूंगा कि आप अपने प्रभाव का इस्तेमाल करें, क्योंकि ईस्टर्न कैनाल जब राजस्थान में आएगी तो वे 13 जिले इससे लाभान्वित होंगे।

माननीय सभापति महोदय, आज गुजरात जिन्दा है तो डेयरी से। आणंद की जो उनकी डेयरी है, जिस तरह से को-आपरेटिव बेसिस पर वहां काम हो रहा है, मैंने तो देखा है वहां जाकर, मैं तो हमारे मामा, मंत्री जी जो बैठे हैं यहां माण्डल से, इनका जो डवलपमेंट है भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा डेयरी पूरी कंट्री में नम्बर वन है। हमारे मामा की डेयरी में आप एक बार पधारें और देखें जरूर।

**श्री सभापति**: मामा की?

**श्री जितेन्द्र सिंह** (खेतड़ी): मेरी मदर इनके गांव की हैं।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू): सभापति महोदय, 'मामा' शब्द एक्सपंज कराएं। सदन में कोई किसी का रिश्तेदार नहीं होता है। सभी माननीय सदस्य हैं। अब आप मुझे क्या कहेंगे? इधर चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य आपको मौसा कहते हैं, आप नाराज हो जाते हैं।

**श्री जितेन्द्र सिंह** (खेतड़ी): मैं तो आपको भाई बोलूंगा। मैं तो राजेन्द्र जी को भाई बोलता हूं, आप क्या इसे भी डिलीट कराएंगे? राजेन्द्र जी, मैं आपका प्रशंसक हूं। मदेरणा जी ने 1993 में खड़ा किया कि आप हैल्थ के डाक्टर हैं, बोलें। मैंने भिड़ते ही बड़ाई चालू कर दी कि एस.एम.एस. हास्पिटल की जो इमरजेंसी है, वह कंट्री की one of the best emergency है।

**श्री सभापति**: ठण्ड का मौसम है। मामा थोड़ा बहुत घी लाकर देता है गोन्द का लड्डू बनाने के लिए तो आप काहे को बीच में पचड़े में पड़ते हैं?

**श्री जितेन्द्र सिंह** (खेतड़ी): महोदय, थोड़ा-सा सुन लें। मैंने कहा, एस.एम.एस. हास्पिटल की इमरजेंसी कंट्री की सबसे बेस्ट इमरजेंसी है, तो मदेरणा जी ने मुझसे कहा, "नीचे बैठें, डा. साहब, आप राजेन्द्र जी की बड़ाई कर रहे हैं। अभी आप पार्टी की तरफ से बोल रहे हैं।" मैंने कहा, "साहब, जो सही है उसे तो सही ही बोलूंगा न।" जिस तरह से इन्होंने एस.एम.एस. की इमरजेंसी को डवलप किया, मैंने इनकी तारीफ की, याद कर लीजिए। इनकी

(श्री जितेन्द्र सिंह)

सरकार थी और डिस्कशन हो रहा था हमारे बीच में किडनी ट्रांसप्लांट की डैथ को लेकर। राजेन्द्र जी ने कहा, डा. साहब, पिण्ड छोड़ेंगे क्या? मैंने कहा, ''साहब, एक शर्त पर, आप मुझे तातीजा में हास्पिटल दे दें, मैं आपका पिण्ड छोड़ दूंगा।'' मैं आपको सलाम करता हूं, आपने मुझे हास्पिटल दिया, पी.एच.सी. 30 साल पहले। मैं सलाम करता हूं आपको। हमेशा आपका नाम लेता हूं, हाउस में भी ले रहा हूं सबके सामने। अच्छे काम की तारीफ करना तो अच्छी बात होती है।

**श्री रामलाल शर्मा** (चौमूं): साहब, ये मेरे फूफाजी हैं, मौसाजी नहीं हैं।

**श्री जितेन्द्र सिंह** (खेतड़ी): डेयरी में पांच रुपये मुख्य मंत्री जी ने अलग से छूट दी है। खुद मेरे विधान सभा क्षेत्र में डेयरी है, मैं समझता हूं कि उसे इम्प्रूव करने की आवश्यकता है। डेयरी से आज आणंद में करोड़ों लोगों को, पूरे गुजरात का फाइनेंशियल स्ट्रैटा इतना ऊंचा हो गया कि पूरी शक्ल बदलकर रख दी। जिस तरह से यह हो रहा है, डेयरी का मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा अलग से राजस्थान में जो डवलप हो रहा है, बहुत जरूरत है।

माननीय सभापति महोदय, सोशल जस्टिस में 94 लाख लोगों को पेंशन मिल रही है, साढ़े छह हजार करोड़ रुपये उसमें दे रहे हैं। छात्रवृत्ति बहुत बड़ी संख्या में मिल रही है। महिला बाल विकास में जिस तरह से सैनिटरी नैपकिंस का डिस्ट्रीब्यूशन कराया गया, उससे बहुत बड़ा फायदा होगा गरीब बच्चियों को। सर्विक्स कैंसर, जिसका सबसे बड़ा कारण होता है गन्दा कपड़ा, उसका लेवल बहुत घटेगा। अलग से महिलाओं को मोबाइल फोन अवेलेबल कराये गये हैं।

एग्रीकल्चर के लिए राजस्थान में अलग से बिल रखा गया और 16 हजार करोड़ ब्याज मुक्त ऋण दिया गया। सहकारी समितियों के चुनाव टाइमली कराये गये। सभापति महोदय, ड्रिंकिंग वाटर में 70 हजार करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। सड़क में बहुत बड़े डवलपमेंट्स हुए। सड़कों के इन्फ्रास्ट्रक्चर पर 25 हजार करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। मैं समझता हूं कि राजस्थान की सड़कें बल्कि मैं तो मेरे विधान सभा क्षेत्र के बारे में कहूंगा कि सिर्फ एक सड़क को छोड़कर अधिकतर सड़कें मास्टरक्लास हैं। जिस तरह से हमें 10-10 करोड़ की छोटी सड़कें दी हैं, उसके लिए मैं मुख्य मंत्री जी को बधाई देता हूं।

माननीय स्पीकर साहब ने अलग से जो पांच करोड़ रुपये विधायकों

(श्री जितेन्द्र सिंह)

को दिलाये हैं, मैं समझता हूं कि विधायकों की बहुत बड़ी जरूरतें इससे पूरी हुई हैं। एकदम से दो करोड़ से पांच करोड़ का लेवल गया है।

लास्ट में माइनिंग में हमारा बहुत शानदार प्रबन्धन रहा है। बाड़मेर में हमारे करीब 25 हजार करोड़ रुपये लग गये। मंत्री महोदय के एरिया में बन रहा है।

माननीय सभापति महोदय, जब मैं इन्फोर्मेशन मिनिस्टर था, हम लोगों ने पत्रकार, साहित्यकार कल्याण कोष बनाया। उनके लिए अलग से 45 रुपये गज में जयपुर और अजमेर में पत्रकारों, साहित्यकारों को प्लाट्स दिलवाये 250-250 गज के। कपड़ा भी नहीं मिलता, 45 रुपये गज में इन्हें प्लाट्स दिलाये। अलग से जो सीवियर पेशेंट्स होते थे, उन्हें 50 हजार रुपये और मोर्टेलिटी पर 01 लाख रुपये हम देते थे और अलग से अब मुख्य मंत्री जी ने रिवाइज करके 15 हजार रुपये जो एक्रेडिटेड पत्रकार हैं उनके लिए कर दिया और उनकी विडोज के लिए 7500 रुपये का उन्होंने बच्चों की एजुकेशन के लिए कर दिया।

सभापति महोदय, अंत में मैं बोलना चाहूंगा कि मैंने मेरे 35 साल के राजनीतिक कैरियर में जो बेहतरीन डवलपमेंट्स पहली बार इन चार सालों में देखे। वह मैं इसलिए नहीं कि अशोक गहलोत मुख्य मंत्री हैं, वे चहेते हैं या मैं उनकी वजारत में रह लिया लेकिन एज ए चीफ मिनिस्टर जो अशोक गहलोत ने इन चार सालों में काम किया है वह इतिहास में सदा स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। धन्यवाद।

**श्री सभापति**: श्री सतीश पूनियां। एक मिनट, प्लीज विराजें। श्री अमित चाचाण।

## माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का अनुमोदन

**श्री अमित चाचाण** (नोहर): सभापति महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, उक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करता हूं।

सभापति महोदय, आपका व सरकार का बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार कि पहली बार जीतकर आये विधायक को इस महत्वपूर्ण राज्यपाल के अभिभाषण पर अनुमोदन करने का अवसर दिया, बोलने का अवसर दिया।

माननीय सभापति महोदय, जब बजट सत्र में महामहिम राज्यपाल

(श्री अमित चाचाण)

महोदय का अभिभाषण होता है तो उस अभिभाषण में राज्य सरकार के द्वारा उस वित्तीय वर्ष में क्या-क्या जन-कल्याणकारी योजनाएं चलाई गईं, क्या-क्या मुख्य कार्य किये गये, किस-किस क्षेत्र में विशेष उपलब्धियां हासिल की गयीं, यह महामहिम राज्यपाल के श्रीमुख से पढ़ा जाता है, लेकिन कल खेद का विषय था, पूरे राजस्थान की जनता यू-ट्यूब के माध्यम से महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण को सुनना चाहती थी और वह जानना चाहती थी कि राजस्थान की इस जन-कल्याणकारी सरकार ने, लोकप्रिय मुख्य मंत्री जी ने, यशस्वी मुख्य मंत्री जी ने इस वित्तीय वर्ष में आमजन के लिए क्या किया, पर हमारे विपक्ष के सदस्य पूर्व प्रायोजित की वजह से नहीं चाहते थे कि महामहिम के मुख से जन-कल्याणकारी योजनाओं का बखान हो, महामहिम के मुख से राजस्थान की सरकार ने जो वित्तीय वर्ष में काम किया, जो जन-कल्याणकारी योजनाएं चलाईं वे जन-जन तक पहुंचाई जाएं इसलिए विपक्ष के सभी साथियों ने जो व्यवधान डाला, महामहिम राज्यपाल महोदय को राजस्थान सरकार की जन-कल्याणकारी योजनाओं को नहीं पढ़ने दिया। इसके लिए पूरे सदन ही नहीं, पूरे राजस्थान की जनता ने खेद प्रकट किया और इनके दोहरे चरित्र को सामने लाया कि किस तरह से सदन में बैठकर हमारे विपक्ष के नेता, विपक्ष के साथीगण राजस्थान के विकास की बातें नहीं, बल्कि दलगत राजनीति की बातें करते हैं।

माननीय सभापति महोदय, यह चार वर्ष का कार्यकाल पूरे राजस्थान के लिए मील का पत्थर साबित होगा। हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री जी ने अपने इस कार्यकाल में जो जन-कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं, मैं आज गर्व से कहता हूं, अपने आपको गौरवान्वित महसूस करता हूं कि मैं एक ऐसे सदन का सदस्य हूं जिसका मुखिया राजस्थान का गांधी माननीय अशोक गहलोत नेतृत्व कर रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, आने वाली पीढ़ी आश्चर्य करेगी कि राजस्थान की धरा पर भी एक ऐसा जननायक आया था जिसके कार्यकाल में उन्होंने राजस्थान का देश ही नहीं, बल्कि विश्व के पटल पर स्वर्णिम अक्षरों में नाम लिखाया और राजस्थान स्टेट को अग्रणी दिशा में लेकर गये।

माननीय सभापति महोदय, हम चिकित्सा की बात करें तो आज राजस्थान देश का ऐसा प्रथम राज्य बनने जा रहा है जिसके प्रत्येक जिले में मेडिकल कालेज एवं नर्सिंग कालेज चरणबद्ध रूप से खोला जा रहा है। आज

(श्री अमित चाचाण)

मुख्य मंत्री जी ने अपने हर कार्यकाल में चाहे वह मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना हो, चाहे वह मुख्यमंत्री नि:शुल्क जांच योजना हो और इस कार्यकाल में उस दायरे को बढ़ाते हुए मुख्य मंत्री जी ने निशुल्क निरोगी राजस्थान योजना प्रारम्भ कर राजस्थान के तमाम राजकीय चिकित्सालयों में आईपीडी और ओपीडी इलाज नि:शुल्क करने का फैसला किया।

माननीय सभापति महोदय, जब कोई गरीब व्यक्ति जिसकी जेब में 100 रुपये नहीं होते और उसके घर में बीमारी आती है, तब उसके दर्द का पता चलता है जब राजकीय चिकित्सालय में जाकर उसका इलाज नि:शुल्क होता है। महिला डिलीवरी केस के प्राइवेट हास्पिटल्स में लाख-लाख रुपये लिये जाते हैं और वही राजकीय चिकित्सालय में नि:शुल्क किये जाते हैं। छोटे से लेकर बड़े आपरेशन तक जब राजकीय चिकित्सालयों में नि:शुल्क किये जाते हैं तब हम उस गरीब व्यक्ति के दर्द को समझ सकते हैं कि गरीब व्यक्ति को कितना फायदा होता है।

मुख्य मंत्री जी ने इस बार तो एक क्रांतिकारी पहल की और पूरे देश में इस बात की चर्चा है कि जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना लेकर आये, जिसके तहत आम परिवार का 10 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा हुआ और उसके साथ-साथ 5 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा भी कवर किया जाता है। भगवान न करे कि किसी के घर में यह दुर्घटना आये, लेकिन दुर्घटना के बाद चाहे वह एक्सीडेंट से हो, चाहे वह नहर-नदी में डूबने से हो, किसी भी तरह से हो, आकस्मिक मृत्यु होती है तो उस परिवार को 5 लाख रुपये इस बीमा के तहत दिये जाते हैं। यह मुख्य मंत्री जी की एक क्रांतिकारी सोच है और दूरदर्शी नेता ही ऐसी सोच को ला सकता है।

आज शिक्षा की हम बात करें तो बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि बच्चों के पैर में चाहे चप्पल-जूते नहीं हों लेकिन उसके हाथ में किताब होनी चाहिए। शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पीयेगा उतना दहाड़ेगा। आज हमारे चार साल के कार्यकाल में अनेक नवाचार किये गये। शिक्षा को मजबूत, सुदृढ़ करने के लिए नवाचार हुए। मुख्य मंत्री जी ने ऐतिहासिक फैसला किया और 3864 जो माध्यमिक विद्यालय थे उनको एक साथ उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने का काम किया क्योंकि मुख्य मंत्री जी की सदैव यही सोच रहती है कि वे पक्ष और विपक्ष को एक-समान मानते हुए सबको एक नजरों से देखते हैं और इसी के तहत उन्होंने एक बड़ा

(श्री अमित चाचाण)

क्रांतिकारी फैसला लिया और सभी विद्यालयों को क्रमोन्नत करने का काम किया। आज 1200 से अधिक विद्यालयों को 8वीं से 12वीं में क्रमोन्नत करने का काम किया।

एक गरीब परिवार, आम परिवार के बच्चे का सपना था कि इस महंगाई के दौर में क्या वह भी अंग्रेजी माध्यम स्कूल में जा पायेगा, क्या वह भी अंग्रेजी सीख पायेगा, पर उस बच्चे के सपने को साकार करने का काम हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्री अशोक जी गहलोत ने किया। आज पूरे राजस्थान में 1700 विद्यालयों को महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में रूपान्तरित किया गया है जिससे आम और गरीब परिवार का बच्चा अंग्रेजी माध्यम स्कूल में जा रहा है।

मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, जिसके तहत सप्ताह में दो दिन एक से आठ क्लास तक के बच्चों को दूध पिलाया जा रहा है जिससे बच्चे का पौष्टिक आहार सही हो। इसके साथ ही मुख्य मंत्री जी ने नि:शुल्क यूनिफार्म योजना शुरू की और कक्षा एक से आठ तक दो सैट नि:शुल्क यूनिफार्म भी बच्चों को उपलब्ध कराये जा रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, उच्च शिक्षा की हम बात करें तो चार वर्षों में राजस्थान में 240 से अधिक महाविद्यालयों की स्थापना की गई, कृषि महाविद्यालयों की स्थापना की गई। सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में 40 वर्ष पूर्व कांग्रेस शासनकाल में राजकीय महाविद्यालय खुला था और लम्बे समय से मांग चली आ रही थी तथा बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हमारी बहनें चाहती थीं कि उन्हें भी एक सुरक्षित माहौल मिले, अच्छा वातावरण मिले, तो 40 वर्षों के बाद उन बच्चियों का, हमारी बहनों का सपना साकार हुआ और नोहर में भी कन्या महाविद्यालय की सौगात दी।

हमारा क्षेत्र कृषि प्रधान क्षेत्र है। हमारे युवा चाहते हैं कि कृषि महाविद्यालय खुले, तो उसके लिए भी मुख्य मंत्री जी ने कृषि महाविद्यालय की सौगात दी। पिछले 20 वर्षों में जितने महाविद्यालय नहीं खुले, उतने मात्र चार वर्षों के कार्यकाल में हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री जी ने महाविद्यालय खोलने की स्वीकृति दी, जिससे बालिका शिक्षा को भी बढ़ावा मिलेगा।

सभापति महोदय, आज हम इन्दिरा रसोई की बात करते हैं। हम उस गरीब व्यक्ति के दर्द को समझें कि कोई किसान का बेटा हो, चाहे वह स्टूडेंट

(श्री अमित चाचाण)

हो और वह परीक्षा देने के लिए शहर में आता है तो उसकी जेब में अधिक पैसे नहीं होते जिससे वह महंगे होटल में जाकर खाना नहीं खा सकता तो उसको खाना कहां से मिले। उसके लिए मात्र 8 रुपये में शानदार पौष्टिक भोजन मान-सम्मान के साथ बिठाकर इन्दिरा रसोई के माध्यम से उपलब्ध कराने की इस सरकार ने योजना शुरू की। हालांकि यह योजना पूर्व में भी थी लेकिन पूर्व की योजना मात्र वैन में चलती थी जिसमें जिला हैडक्वार्टर से बासी खाना ले जाकर वहां परोसा जाता था। बैठने की, खाने की कोई व्यवस्था नहीं थी। मुख्य मंत्री जी ने उस गरीब व्यक्ति के दुःख-दर्द को समझा और इन्दिरा रसोई के नाम से शानदार तरीके से बिठाकर उनको पौष्टिक भोजन खिलाने का काम लोकप्रिय मुख्य मंत्री जी ने जो किया है, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं।

हम सड़कों की बात करें, क्षेत्र में कोई भी विकास की बात हो तो सड़कों के माध्यम से विकास को गति दी जा सकती है। मुख्य मंत्री जी ने फैसला किया और पक्ष-विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों को एक समान मानते हुए सभी के विधान सभा क्षेत्रों में दस-दस करोड़ रुपये की मिसिंग लिंक और नॉन-पेचेबल सड़कों के लिए घोषणा की, जिससे पूरे राजस्थान में विकास हो। इसके अलावा भी माननीय मुख्य मंत्री जी ने चाहे वह मेगा हाईवे हो, चाहे स्टेट हाईवे हो, चाहे मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड हो, पूरे राजस्थान में सड़कों के मामले में एक मिसाल कायम की है।

माननीय सभापति महोदय, इन्दिरा गांधी शहरी रोजगार योजना, हमने देखा कि कोविड के समय में कोरोना की जो परिस्थिति आयी उसमें किस तरह से आर्थिक संकट गहराया था, यूपीए सरकार जो मनरेगा, महात्मा गांधी नरेगा गारंटी योजना लेकर आयी थी वह इस कोविड काल में पूरे देश में वरदान साबित हुई थी। उसको देखते हुए हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री जी ने उस योजना को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री नरेगा योजना के तहत 25 दिन की बढ़ोतरी की। इसके साथ-साथ शहरों में जो गरीब आदमी जीवनयापन करते हैं, उसको भी किस तरह से इस योजना में शामिल किया जाए, उसको रोजगार दिया जाए, इसके तहत भी इन्दिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना लेकर आये, जिसके तहत शहर में भी 100 दिन का रोजगार मुख्य मंत्रीजी के द्वारा दिया जा रहा है।

सभापति महोदय, पिछला बजट जब आया था, हमारे विपक्ष के

(श्री अमित चाचाण)

साथियों ने, सबने एक ही बात कही कि यह तो चुनावी बजट है। इस बजट का पैसा कहां से आयेगा? ये घोषणाएं कहां से पूरी होंगी? लेकिन मुख्य मंत्रीजी ने बताया और करके दिखाया उन बजट घोषणाओं को धरातल पर लाकर, उनको क्रियान्वित करके विपक्ष के साथियों पर एक तमाचा मारा और उनको बताया कि मुख्य मंत्री अशोक गहलोत जो कहता है वह करता है। उनकी कथनी और करनी में अन्तर नहीं है।

राजस्थान में पहला ऐसा काम था कि पुरानी पेंशन योजना लागू की। पूरे राजस्थान के कर्मचारियों ने होली और दीवाली एक साथ मनाई, डीजे के साथ नाचते हुए पूरे राजस्थान में उन्होंने जश्न मनाया कि 2004 के बाद जो कर्मचारी लगे थे उनके लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने का काम किया। हमारे कर्मचारियों में जो डर-भय रहता था कि बुढ़ापे की लाठी का सहारा कौन होगा, बुढ़ापे में हमारा जीवनयापन कैसे होगा। आज वे संतुष्ट होकर राजकीय दायित्वों का निर्वाह भविष्य की चिन्ता से दूर रहकर समर्पण भाव के साथ कर रहे हैं।

मुख्य मंत्रीजी ने खेल को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में जो हमारी छिपी हुई प्रतिभाएं हैं उनको किस तरह से आगे लाया जाए और किस तरह से ओलम्पिक, एशियाड गेमों में राजस्थान का भी नेतृत्व हो, नाम ऊंचा हो, किस तरह से मैडल लेकर आएं। उसके लिए राजीव गांधी ग्रामीण ओलम्पिक करवाया गया। माननीय सभापति महोदय, इस आयोजन को वर्ल्ड बुक आफ रिकार्ड में दर्ज किया गया। तीस लाख प्रतिभागियों ने इसमें अपना रजिस्ट्रेशन करवाया, ढाई लाख टीमें बनीं और दादा-पोता, दादी-पोती एक साथ मैदान में खेल की भावना के साथ खेले, जिससे कि आने वाले समय में खेल को बढ़ावा मिलेगा और राजस्थान का नाम रोशन होगा।

माननीय सभापति महोदय, आज जो युवा अंधकार में हैं, युवाओं का भविष्य अंधकार में है, इसको कौन लेकर आया? इसका अगर कोई दोषी है तो ये भाजपा की केन्द्र में बैठी तानाशाह सरकार है, जिन्होंने घोषणाएं तो कर दीं। हम दो करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, युवाओं ने पढ़ाई की, एजुकेशन का लोन लिया, कर्ज लिया लेकिन वे असत्य घोषणाएं थीं वाहवाही लूटने के लिए और चुनावी मैदान में जीतने के लिए, उसके बाद उन घोषणाओं का क्या हुआ? युवाओं को न तो रोजगार मिला और आज वह शिक्षित बेरोजगार युवा अपराध की तरफ जा रहे हैं, तो इसके लिए केन्द्र में बैठी भाजपा सरकार दोषी है।

(श्री अमित चाचाण)

आज हम देखते हैं शिक्षित युवा, जिसने आईआईटी की, अनेक संस्थानों में पढ़े, आज वे बेरोजगार हैं। अपना कर्ज उतारने के लिए किन स्थितियों से गुजर रहे हैं। आज रोजाना हम देख रहे हैं, ऑनलाइन ठगी हो रही है, बैंकों से पैसा कट रहा है, मोबाइलों को हैक करके पैसे मांगे जा रहे हैं। ये कौन कर रहा है? आज का युवा कर रहा है, किस वजह से कर रहा है? भाजपा की तानाशाह सरकार की वजह से, इस भाजपा की आम युवा विरोधी सरकार की वजह से, जिन्होंने युवाओं को सपने तो दिखाये, लेकिन उन सपनों को पूरा करने का काम नहीं किया।

नोटबंदी की, ये जो भी घोषणाएं करते हैं, उनका वार्षिक उसमें बनाते हैं। इस बार क्यों नहीं किया? क्योंकि इनका सबसे बड़ा आत्मघाती कदम वह जीएसटी, नोटबंदी का था। आज क्या हुआ? वे कह रहे थे काला धन लाएंगे। 15 लाख रुपये प्रत्येक किसान के, आम आदमी के खाते में आएंगे, लेकिन कहां है वह 15 लाख रुपये? कहां है वह कालाधन? इनका ध्यान आमजन, किसान, मजदूर की तरफ नहीं।

माननीय सभापति महोदय, भाजपा सरकार का चन्द पूंजीपतियों की तरफ इशारा है। उनका घर भरने का काम मोदी सरकार कर रही है। मोदी सरकार ने सब कुछ देश का बेचा, सम्पत्तियों को बेचा, लेकिन एक काम खरीदने का किया। अगर इसने किसी को खरीदा तो मीडिया को खरीदने का काम किया।

सभापति महोदय, आज मीडिया देश के धरातल पर जाकर वह चीज नहीं दिखा रहा है कि गरीब आदमी के क्या हाल हैं, युवाओं का क्या हाल है, महिलाओं का क्या हाल है, किस तरह से महंगाई बढ़ रही है, किस तरह से बेरोजगारी बढ़ रही है, किस तरह से पेट्रोल-डीजल के भाव बढ़ रहे हैं। मीडिया व्यस्त था तो जंगल में चीते को दिखाने के लिए व्यस्त था कि चीता अब क्या कर रहा है, क्या खायेगा, कब सोयेगा लेकिन उनको यह दिखाई नहीं दिया कि इस देश का एक बब्बर शेर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक चला है, नफरत को मिटाने के लिए चला है, बेरोजगारी को दूर करने के लिए चला है। मीडिया को इसका समय नहीं था कि इसकी भी वह चिन्ता करे। माननीय सभापति महोदय, मुख्य मंत्री जी ने विद्युत में घोषणा की।

**श्री सभापति**: दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

**श्री अमित चाचाण** (नोहर): माननीय सभापति महोदय, उन 40 लाख घरेलू उपभोक्ताओं का बिल शून्य हुआ है। मुख्य मंत्रीजी ने जो 50 यूनिट तक

(श्री अमित चाचाण)

बिजली का माफ किया, डेढ़ सौ से तीन सौ रुपये अलग-अलग का अनुदान देने का काम किया। उन 40 लाख उपभोक्ताओं का भी बिल शून्य हुआ है। किसान मुख्यमंत्री मित्र योजना लेकर आये हैं। उसमें भी मुख्य मंत्रीजी ने हजार रुपये, जो प्रत्येक किसान के खाते में डाल रहे हैं, 9 लाख किसानों का बिल उसमें भी शून्य हुआ है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपको कहना चाहता हूं, जो पेंडेंसी लम्बे समय से चल रही थी, किसानों को कृषि कनेक्शन नहीं मिले थे। मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की, आने वाले दो वर्षों में सभी कृषि कनेक्शन को पूर्ण कर दिया जायेगा, 3 लाख 27 हजार किसानों को कृषि कनेक्शन दिया गया है।

माननीय सभापति महोदय, इसी तरह हमारी सामाजिक सुरक्षा, जिसमें बढ़ता विश्वास एक करोड़ लोगों को चाहे वह विधवा पेंशन हो, चाहे वृद्धजन पेंशन हो, चाहे विशेष योग्यजन पेंशन हो, एक करोड़ लोगों को पेंशन दी जा रही है। इस तरह के उदाहरण भारत सरकार को भी अपनाने चाहिए। उनको भी सोशल सिक्योरिटी के तहत सामाजिक सुरक्षा के तहत आमजन में विश्वास पैदा करने के लिए इस तरह की योजना भी लानी चाहिए।

गौशाला की जब हम बात करते हैं, हमारे विपक्ष के साथी गौमाता के नाम से राजनीति तो करते हैं, लेकिन जब पीछे का इतिहास उठायेंगे, मुख्य मंत्रीजी ने ही 6 महीने से 9 महीने का अनुदान किया, 32 से 40 रुपये का अनुदान किया, 16 से 20 रुपये बढ़ाने का काम किया और नन्दीशाला के लिए भी 1 करोड़ 57 लाख रुपये पंचायत समिति स्तर पर की। मुझे खुशी होती है कि मेरे पंचायत समिति क्षेत्र में भी नन्दीशाला का शुभारम्भ हो चुका है।

माननीय सभापति महोदय, मैं तो मुख्य मंत्रीजी से यही कहना चाहता हूं, "रास्ता भी जानता हूं, जलना भी जानता हूं, मैं आग हूं, तबीयत से जलना भी जानता हूं, मुझे मोम न समझो, जो झटक से पिघल जायेगा, मैं सूरज हूं, डूबकर निकलना भी जानता हूं।' आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

**श्री सभापति**: श्री सतीश पूनियां।

## माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद विवाद

**श्री सतीश पूनियां** (आमेर): माननीय सभापति महोदय, लोकतंत्र और

(श्री सतीश पूनियां)

सदन की एक परम्परा है, जिसमें माननीय राज्यपाल महोदय अभिभाषण करते हैं और सरकार का पक्ष सरकार के प्रतिबिम्ब के रूप में उसमें रखते हैं। आप विधायिका के शीर्ष पर विराजमान हैं। पीछे पूज्य बापू की एक सुन्दर सी तस्वीर है। बापू के बारे में कहा जाता है कि वे सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। उसके पार्श्व में एक वाक्य लिखा हुआ है, ''सभा में या तो प्रवेश न किया जाए, यदि प्रवेश किया जाए तो वहां स्पष्ट और सच बात कही जाए, क्योंकि वहां न बोलने से या गलत बोलने से दोनों स्थितियों में मनुष्य पाप का भागी हो जाता है।''

मुझे लगता है कि विगत चार वर्षों में राजस्थान की मौजूदा कांग्रेस पार्टी ने जिस अभिभाषण के जरिये, जिन बातों का उल्लेख करने की कोशिश की है, आने वाले समय में बजट भी आयेगा। यह पांचवां अभिभाषण है, जो मैंने सुना है। बजट के बारे में भी सुन रहा हूं कि बहुत पोपुलिस्टिक बजट होगा, रेवड़ियां बांटी जायेंगी, लोगों को प्रभावित करने की कोशिश की जायेगी। ऐसा लगता है कि माले मुफ्त और दिले बेरहम। सरकार अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ेगी। पापों पर पर्दा डालने की भी कोशिश होगी, लेकिन पिछले इन अभिभाषणों का यदि मैं जिक्र करूं और इस आखिरी अभिभाषण का और बजट की प्रतीक्षा तो है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लक्षण वैसे ही हैं, जो राजस्थान की अनेक भाषाओं में, अनेक तरह से किसी खाट पर पड़े हुए आदमी के जाने के इन्तजार में होता है, अलग-अलग तरह से कहा जाता है। हमारे यहां शेखावाटी में तो कहते हैं, जांती का भाजे। बीकानेर में कहते है, माचै इर पड़ियो है। हाड़ौती में कहते हैं, खाटला में घलग्यो, थोड़ा दिनां को पावणो छ। मेवाड़ी में कहते हैं पडत व्हीयी ग्यो। मारवाड़ी में कहते हैं माचो पकड़ियोड़ो, पाछो हरियो नी हालै। बागड़ी में कहते हैं कि ऐवा नी वचेगा। ब्रज में कहते हैं कि कुडक वी वारो है, दिनान गिन रहे हो और ढूंढ़ाड़ी में कहते हैं, रामजी नै प्यारो होबाल्यो छ। कुल मिलाकर राजस्थान की सरकार की बानगी यह है।

माननीय सभापति महोदय, संयोग से कई दिनों से मुझे पार्टी की एक जनाक्रोश यात्रा में राजस्थान की 200 विधान सभा क्षेत्रों के कुछ प्रमुख हिस्सों में जाने का अवसर मिला और उस दौरान अनेक गांवों में, ढाणियों में लोगों से बातचीत करते वक्त, जो चर्चा होती थी, राजस्थान के जो मौजूदा हालात हैं, उसके बारे में अभिभाषण में सबसे पहले जो चीजें कही गई हैं क्योंकि मैं

(श्री सतीश पूनियां)

देखता हूं कि पिछले कुछ अर्से से किसी भी प्रदेश की समृद्धि का, शान्ति का, सहूलियत का कारक होती है तो वह लॉ एंड आर्डर है, कानून-व्यवस्था है। अब सरकार यह कहती है, इस अभिभाषण के पेज नं. 2 के बिन्दु 7 पर सरकार की तरफ से यह कहा गया कि 'यह प्रसन्नता का विषय है कि हमारी सरकार ने पूरी प्रतिबद्धता से कदम उठाये और संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेह सुशासन के मूल मंत्र को धरातल पर उतारा।'

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान प्रदेश शान्ति के रूप में जाना जाता था और इसलिये पर्यटन के लिये, रिहायश के लिये और व्यापार के लिये बहुत खुशी-खुशी लोग आते थे लेकिन यदि आज राजस्थान की कानून-व्यवस्था की बानगी देखें तो साढ़े आठ लाख मुकदमे, किसी भी प्रदेश में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में मुकदमों का दर्ज होना वहां की कानून-व्यवस्था की बानगी अपने-आप में पेश कर देता है। नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो 17 बलात्कार और 7 हत्याएं प्रतिदिन का आंकड़ा पेश करता है, जो उनकी साइट पर उपलब्ध है। माननीय सभापति महोदय, एक बानगी तो आपके यहां से है कि राजस्थान में जिस तरीके से गैंगवार ने राजस्थान की पूरी शान्ति व्यवस्था को माफियाओं के हवाले कर दिया दिखता है और मुझे लगता है कि सदन में बैठे तमाम लोगों ने वह दृश्य देखा होगा और, माननीय सभापति महोदय, आपका ही शहर था। क्या किसी की आत्मा में वेदना नहीं हुई होगी जब एक 16 साल की बेटी अपने बाप की लाश को सिरहाने पर लेकर रोती हुई दिखती थी? यह दृश्य ऐसा ही था जैसे हॉलीवुड के फिल्म मेकर टारंटिनो की फिल्म में दिखाया जाता है कि किस तरीके से गैंगवार में जुटे अपराधी और पिस्तौल लहराते हुए और सुरक्षित सरेआम निकल जाते थे।

माननीय सभापति महोदय, मुझे लगता है कि सरकार को कोई इल्म नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है और इसलिये उनके बारे में ठीक ही कहा गया है, 'तुम मशरूफ रहते हो अपनी बातों में, तुम्हें क्या पता कि कितना तनाव है हालातों में। या खुदा यह किस रंग में आयी है बहार, जर्द ही जर्द है पेड़ों पर हरा कुछ भी नहीं।' यह बानगी पेश करती है राजस्थान की सरकार की।

माननीय सभापति महोदय, मैंने कोशिश की कि मैं राजस्थान की अवाम का पार्टी की तरफ से प्रतिनिधित्व करता हूं लेकिन जिन बातों का जिक्र किया पुलिस को फ्रेंडली बनाने का, यह सारे आंकड़े राजस्थान को रेप में नम्बर

(श्री सतीश पूनियां)

वन बताते हैं। पिछले साल का आंकड़ा है 6 हजार बलात्कार। पिछले साल के मुकाबले 19 प्रतिशत की बढ़ोतरी है। मुझे लगता है कि मैं देख रहा था कि चार साल की उपलब्धियों का जब जिक्र हुआ तो एक खूबसूरत सा विज्ञापन, मुस्कुराता हुआ मुख्य मंत्री का चेहरा और एक बड़ासा विज्ञापन जो लाखों-करोड़ों के भुगतान के बाद वह विज्ञापन सामने आया होगा, लेकिन उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा राजस्थान के उन 6 साल से लेकर 60 साल तक की जो अबलाएं थीं जिनके बलात्कार से लेकर पैर काटने तक की घटनाएं यहां हुई हैं, मुझे लगता है कि ऐसी घटनाओं से सदन भी शर्मसार होगा।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में कानून-व्यवस्था से जुड़ा एक जो बड़ा मसला है वह मसला है खान माफिया का। मैं कितने मसले यहां गिनाऊं आपको लेकिन राजस्थान में खनन माफिया ने जिस तरीके से आतंक मचाया है, एक पैरेलल सरकार चलाते हैं और मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, हमारे सांगोद से आने वाले विधायक और पूर्व मंत्री, मुझे लगता है कि यदि सरकार उनकी समस्या का भी निराकरण कर दे तो बेहतर होगा। इतनी चिट्ठियां लिख दीं, इतनी चिट्ठियां लिख दीं और मैंने उनके घर के बाहर का एक पर्चा देखा। माननीय सभापति महोदय, हम नहीं कह रहे हैं। मैं कुछ कहूंगा तो लगेगा कि सियासी आरोप है। उन्होंने ही अपने मंत्री के खिलाफ लिखा, 'भाया रे भाया, खूब खाया। एक गांव तो पूरा खाया, जो भी खाया उसे पचाया। मन्दिर बनाया, ब्याह रचाया, अधर्म कर धर्म का स्वांग सजाया। भाड़े की भीड़ कर खूब नाम कमाया, जो भी नेता आया वह भाया की माया को कभी समझ न पाया। वाह रे भाया, गजब तेरी माया'। माननीय सभापति महोदय, मुझे लगता है कि पहले तो उनकी समस्या का निराकरण कर देंगे तो अच्छा होगा।

दूसरा, माननीय सभापति महोदय, यह सरकार इस काम के लिए भी बदनाम होगी, मेरे ख्याल से खूब सारी उपलब्धियों का जिक्र हुआ होगा लेकिन हिन्दुस्तान के इतिहास में इतने बड़े पैमाने पर पुजारियों की हत्या, टारगेट करके या तो हत्या या उनको आत्मदाह करने पर मजबूर होना पड़ा, जिन खनन माफियाओं का जिक्र कर रहा था उसी के साये में ब्रज क्षेत्र के एक साधु ने डिक्लेयर करके अपने आपको आत्मदाह के हवाले किया। कितनी सारी घटनाएं बताऊं? 10 अक्टूबर, 2022 को करौली के पचपन साल के पुजारी बाबू लाल वैष्णव को जमीन के विवाद में जिन्दा जला दिया। 1 दिसम्बर, 2021 को जालौर में 70 साल के पुजारी, 7 जून, 2022 को बूंदी जिले के पुजारी

(श्री सतीश पूनियां)

विवेकानन्द, मूर्तियां चुरा लीं और उनकी हत्या कर दी। 18 अगस्त, 2022 को हनुमानगढ़ जिले के 75 साल के साधु चेतनदास का शव मिला, शरीर पर चोटों के निशान थे। 26 नवम्बर, 2022 को राजसमन्द में नवरत्न प्रजापत को उनकी पत्नी और बेटों के सामने जिन्दा जला दिया। 21 दिसम्बर को धौलपुर जिले के जिन्होंने इस्लाम से हिन्दू धर्म को कबूल किया, उस पार्वती माता मन्दिर के पुजारी बाहुद्दीन खान की हत्या करके बोरे में बन्द करके नदी में फेंक दिया। ये घटनाएं अचानक नहीं होतीं, एक के बाद एक घटनाएं।

माननीय सभापति महोदय, यह सरकार कहती है कि हम दलितों और वंचितों के हितैषी हैं लेकिन राजस्थान नहीं हिन्दुस्तान का आंकड़ा कहता है कि सर्वाधिक अपराध कहीं हुए तो दलितों और वंचितों पर हुए। 26 अप्रैल, 2019 की थानागाजी की गैंगरेप की घटना जब यह सरकार बनी थी उस समय की घटना है, उसके बाद एक के बाद एक फेहरिस्त है। आज राजस्थान महिला अपराध में, दलितों के अपराध में, वंचितों के अपराध में नम्बर-1 है। 26 फरवरी, 2020 को नागौर में हुआ। 10 अक्टूबर, 2021 को हनुमानगढ़ में एक दलित युवक को डंडों से पीट कर मार डाला गया और उसके शव को उसके घर फेंक दिया गया। 18 मार्च, 2022 को पाली के जितेन्द्र मेघवाल को केवल मूंछें रखने के कारण मार दिया गया, सभ्य समाज में हम लोग रहते हैं। माननीय सभापति महोदय, 25 मार्च, 2022 को सिरोही के भरत कुमार को पेशाब पिलाया गया, उसने उसके काम के पैसे मांगे थे। 16 अगस्त, 2022 को जालौर जिले में 9 साल के बच्चे को इसी तरीके से, 8 जनवरी, 2022 को अलवर जिले में दलित के घर पर पथराव करके।

यहां उपलब्धियों के तौर पर अभी मेरे से पहले जो वक्ता बोल रहे थे वो साइबर डवलपमेंट की बात कर रहे थे सरकार में। मेरे ख्याल से जिन्होंने नेटफ्लिक्स देखी होगी उसमें जामताड़ा का एक दृश्य देखा होगा कि किस आर्गेनाइज्ड तरीके से साइबर ठगी होती है।

सभापति महोदय, मेवात के लोग सरकारी नौकरियां नहीं मांगते, आपको आश्चर्य होगा क्योंकि 8 हजार से ज्यादा साइबर ठगी की घटनाएं, ढाई करोड़ से ठगी हुई और उसमें जिस तरीके से फिशिंग की, बैंकिंग की, एटीएम की चोरी की, इस तरीके की एक लम्बी फेहरिस्त है और आपको ताज्जुब होगा, आप चाहेंगे तो प्रमाण दूंगा कि इस राजस्थान की सरकार में साइबर ठगी का नमूना यह है कि माननीय स्पीकर महोदय की डीपी लगाकर मुझसे भी यह

(श्री सतीश पूनियां)

डिमाण्ड की गयी। मैंने उसका स्क्रीन शॉट लिया। सदन चाहेगा तो मैं उसको पेश करूंगा। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिनमें अधिकारियों को भी इस ठगी का शिकार होना पड़ा। राजस्थान इस समय साइबर ठगी के मसले में हिन्दुस्तान के अग्रणी राज्यों में शुमार हो गया।

माननीय सभापति महोदय, मुझे अफसोस हुआ कि राजस्थान की सरकार में सबसे ज्यादा बड़ा पाप कोई हुआ है तो वह पाप है पेपर लीक का और मुझे दु:ख हो रहा था कि किस तरीके से सरकार के जिम्मेदार मंत्री नॉन-सीरियस तरीके से जम्मू कश्मीर का उदाहरण दे रहे थे। क्या उनकी आत्मा नहीं हिली होगी जब हनुमानगढ़ के कन्हैया लाल ने यह कहते हुए कि 135 नम्बर आये रीट में और उसको उम्मीद थी कि वह परीक्षा में पास हो जायेगा लेकिन उसको पता लगा पेपर लीक हो गया तो उसने सुसाइड नोट लिखा और यह कहा कि पापा, सॉरी, आपके सपने पूरे नहीं कर पाया। क्या उसके सपने तोड़ने का और उस आत्महत्या की दोषी यह राजस्थान की सरकार नहीं है, माननीय सभापति महोदय?

माननीय सभापति महोदय, मैं चूंकि दोहराऊंगा नहीं, 16 से भी ज्यादा ऐसी परीक्षाएं जो लीक हुईं और एक के बाद एक मुझे लगता है कि जो पेपर लीक तो अपराध है ही लेकिन राजस्थान की बेरोजगारी के बारे में जनघोषणा पत्र से लेकर, अभिभाषण से लेकर, बजट से लेकर इस बात का हमेशा उल्लेख हुआ कि हमारी सरकार इतने पदों की भर्ती कर रही है। सदन में मुख्य मंत्री जी आंकड़ा पेश करते हैं। जब आंकड़ा पेश करते हैं तो फिर राजस्थान में हिन्दुस्तान की सर्वाधिक बेरोजगारी क्यों है? सरकार के पास इसका जवाब है क्या कि 20 प्रतिशत से भी ज्यादा 2019-20 और 2021-22 की सर्वाधिक बेरोजगारी दर राजस्थान में है और, सभापति महोदय, अफसोस होगा कि बेरोजगारी के कारण 5593 नौजवानों ने आत्महत्या की है।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा, दुष्यंत कुमार जी से माफी चाहूंगा, उन्होंने एक शेर लिखा था लेकिन मुझे लगता है कि जब लोग कहते हैं कि पेपर लीक नहीं होता तो राजस्थान से ज्यादा महफूज जगह नहीं है। कौन कहता है सरकारी पेपर लीक नहीं हो सकता, एक परीक्षा तो राजस्थान में करवाकर देखो यारों। जब हम कहते हैं कि सरगना को पकड़ो तो मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि विपक्ष बौखलाया हुआ है। माननीय सभापति महोदय, एक दूसरे शख्स हैं जो पीसीसी के चीफ रहे हैं, उप मुख्य मंत्री रहे हैं,

(श्री सतीश पूनियां)

टोंक के विधायक हैं, वह खुद कहते हैं, मैं नहीं कह रहा और न मेरे दल के लोग कह रहे। वह कह रहे हैं तिजोरी से पेपर आया कैसे, ऐसा कौनसा जादू हुआ? सभापति महोदय, सरकार को बता देना चाहिये कि यह जादू किसने किया और क्यों हुआ?

माननीय सभापति महोदय, एक बड़ा मसला राजस्थान की जनता के समक्ष है, कांग्रेस के अंतरराष्ट्रीय नेता 2018 के चुनाव में आये। उन्होंने कहा कि 10 तक गिनती गिनेंगे और राजस्थान के सारे किसानों का कर्जा माफ हो जायेगा। मैं पिछले दिनों गंगानगर जिले के दौरे पर था। मेरे दल के लोगों ने एक महिला को मेरे सामने पेश किया और कहा कि हम इसको मदद करना चाह रहे हैं। पूछा कि कौन है यह महिला, क्यों मदद करना चाह रहे हो? इन्होंने कहा कि यह रायसिंहनगर के ठाकरी गांव की सोहनलाल कडेला की बेवा है। आज तक राजस्थान की सरकार का कोई नुमाइंदा इनके आंसू पोछने नहीं आया, हम इसकी आर्थिक मदद करना चाहते हैं। यह सोहनलाल कडेला वही व्यक्ति था जिसने कर्जे के कारण लाइव वीडियो जारी किया और सुसाइड कर लिया और यह कहा कि राजस्थान की सरकार मेरी आत्महत्या की दोषी है।

माननीय सभापति महोदय, यह केवल एक घटना नहीं है। निम्बाहेड़ा के 75 साल के किसान सीताराम मीणा, जिन्होंने 44 बीघा जमीन गिरवी रखी, बैंक का लोन लिया और अंतत: उनको कोई आस नहीं दिखी। किसान जगदीश मीणा ने मरुधरा बैंक से लिया, उसको कोई उम्मीद नहीं हुई। रामसहाय मीणा दिवंगत हो गये जिन्होंने बैंक से कर्ज लिया। माननीय सभापति महोदय, जब सरकार कहती है कि हमने कर्जे माफ कर दिये, किसानों को सहूलियत दी तो मेरे ही सवाल के जवाब में राजस्थान की सरकार जवाब देती है कि 18 हजार किसानों की जमीनें नीलाम हो गईं। 200 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्याएं कर लीं। जब सहूलियत दे दी तो आत्महत्याएं और नीलामी क्यों?

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान की सरकार ने, कांग्रेस पार्टी ने जन घोषणा पत्र में यह कहा था कि हम सस्ती बिजली देंगे, पूरी बिजली देंगे, दर नहीं बढ़ायेंगे। मुझे लगता है कि जिस तरीके की घटनाएं हैं, झालावाड़ जिले के मनोहर थाना उप खण्ड के किसानों से बात हुई तो उन्होंने सबसे पहले यही बताया कि तकलीफ का कारण यह है कि सर्दी की रात में हमें बिजली मिलती है। भीलवाड़ा के जमनालाल बैरवा इसलिए चले गये कि वह ठंड में पिलाई कर

(श्री सतीश पूनियां)

रहे थे, उस दौरान उनकी मौत हो गई। मृत किसान के पुत्र महावीर नागर बारां जिले के कितना बेबस महसूस करते होंगे। यह भी दावा किया कि हम रेट नहीं बढ़ायेंगे। हमारे पड़ोसी राज्यों में जहां 6.50 रुपये प्रति यूनिट उपलब्ध है, वहीं राजस्थान में 7.65 रुपये से 7.95 रुपये। पिछले दिनों 21 रुपये सरचार्ज बढ़ा तो कम से कम 1 करोड़ 31 लाख उपभोक्ताओं पर इसका असर हुआ। मैं निवेदन करूंगा कि अशोक जी, बिजली दीजिए पर करंट मत दीजिए।

माननीय सभापति महोदय, अभिभाषण में यह दावा किया गया कि आईसीयू के बेड की संख्या 2000 कर दी लेकिन क्या इस सदन की आत्मा वेदना से नहीं भरी होगी जब कई नौनिहाल वार्मर के कारण मौत का शिकार हो गये? जेके लोन, कोटा के उन नौनिहालों की घटना कौन भूला होगा, 900 से ज्यादा बच्चे काल कवलित हो गये।

माननीय सभापति महोदय, अभिभाषण के पेज नंबर 4 पर बिन्दु संख्या 17 में आपने कहा चिरंजीवी योजना। आपने कहा कि यह हमारी फ्लैगशिप स्कीम है, जिसमें 31 लाख लोगों का उपचार किया। मुझे लगता है कि ओसियां की विधायक दिव्या मदेरणा जी का एक ट्वीट जरूर पढ़ लेना चाहिये और मैं चाहूंगा कि वह ट्वीट को केवल लिखे नहीं, यदि बोलेंगी तो ज्यादा बेहतर होगा। मैं उसका उल्लेख जरूर करना चाहूंगा। चिरंजीवी योजना की विफलता को लेकर ओसियां की विधायक, सत्ताधारी दल की विधायक, हमारा विधायक नहीं था, वह धरने पर बैठीं और उन्होंने लिखा, यह 11 सितम्बर, 2022 की घटना है, एक प्राइवेट अस्पताल के खिलाफ बैठीं, "this is a slap on the medical mafia exploiting humans, this is a slap on association of private hospitals, this is a slap on Sunil Chandak (Director of accused private hospital), this is slap on the (Jodhpur) district collector and this is a slap on the crippled government system." यह ओसियां की विधायक का कथन है। मैं चाहूंगा कि वह इतनी बोल्ड हैं कि कम से कम ट्वीटर की बजाय इस बात को सदन में दोहरायेंगी। माननीय सभापति महोदय, चिरंजीवी योजना के होर्डिंग्स लगे हुए हैं। मुख्य मंत्री महोदय अचानक एक जगह गये, इन्दिरा रसोई योजना में बैठे हुए एक व्यक्ति से पूछा कि चिरंजीवी योजना क्या है? वह व्यक्ति इनकार करता है। यह 20 अक्टूबर, 2022 की घटना है और यह वीडियो संयोग से मुख्य मंत्री जी के ट्वीटर हैंडल पर है, यह मेरा नहीं है।

(श्री सतीश पूनियां)

माननीय सभापति महोदय, ऐसा लगता है कि यह जो चिरंजीवी योजना है, यह भी लगभग ऐसी है 'मरीजे सियासत पर यह रहमत खुदा की कि मर्ज बढ़ता गया ज्यों ज्यों दवा की।' मुझे लगता है कि यह सरकार भी बीमार है, अस्पताल भी बीमार है तो बीमार का इलाज करेगा कौन?

माननीय सभापति महोदय, पेज 16 पर बिन्दु संख्या 69 पर लिखा है, प्रदेश में गौवंश के संरक्षण की दिशा में चार वर्ष में अभूतपूर्व काम हुआ। मुझे पता नहीं इससे कितने लोग सहमत होंगे लेकिन अभी नंदी गौशाला की कई तरह की चर्चाएं चल रही थीं लेकिन राजस्थान की सरकार की संवेदनहीनता का इसी से पता लग जाता है कि 10 लाख गौवंश लम्पी के कारण राजस्थान में पूरा का पूरा खतम हो गया। गौ हत्या की पापी तो राजस्थान की सरकार है।

माननीय सभापति महोदय, मेरे कई मित्रों को पेट में दर्द होगा जो मैं बात कहूंगा। पेज नंबर 19 पर बिन्दु संख्या 86 में लिखा है कि मुख्यमंत्री मदरसा आधुनिकीकरण योजना में 500 स्मार्ट क्लास रूम बनायेंगे। माननीय सभापति महोदय, क्या किसी गरीब गांव में स्मार्ट क्लास रूम बना है? 33 जिलों के 10 से 15 आयु वर्ग के 2.29 लाख बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। स्कूलों में 85 हजार पद खाली पड़े हैं। ब्लैक बोर्ड, कुर्सियां, शिक्षक तो छोड़िये, टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है।

सभापति महोदय, आपके समक्ष यहां कोरोना को लेकर सरकार की तारीफ हुई। कोरोना के उस काल खण्ड को कौन भूल सकता है जब इसी सरकार ने वेंटीलेटर्स डम्प किये। इसी सरकार ने वैक्सीन खराब की। लोगों को अस्पताल के दरवाजे पर मरने के लिये छोड़ दिया। वह तो भला हो देश के यशस्वी प्रधान मंत्री का जिन्होंने 220 करोड़ वैक्सीन लगाकर हिन्दुस्तान और राजस्थान के लोगों की सुरक्षा की और वह भी मुफ्त। परोसने का काम इनका, माल मोदी जी का। (व्यवधान) आपको फालतू की लगेगी क्योंकि सरकार फालतू की है लेकिन बात पालतू की है।

**(समय: 16.00 बजे)**

माननीय सभापति महोदय, पेज नम्बर 30, बिन्दु नम्बर 136, 'शान्ति एवं अहिंसा विभाग' की स्थापना करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य। मैंने शान्ति और अहिंसा की बात की। बापू आपके पीछे बैठे हैं। राजस्थान में सर्वाधिक साम्प्रदायिक घटनाएं इन चार साल के कालखण्ड में हुई हैं। करौली को कौन भूल सकता है, भीलवाड़ा को, जोधपुर को? उदयपुर के

(श्री सतीश पूनियां)

कन्हैया लाल दर्जी की क्या गलती थी, जिसको कहा गया कि इसका सिर.. क्या गलती थी? लेकिन यह आपने ही पैदा किया। रामनवमी और हिन्दू नववर्ष को 17 जिलों में धारा 144 लगायी और प्रतिबंध लगाया। आपके कौन लगते थे? हिजाब में मामले में आपने कोटा में पीएफआई को परमिशन दी और जब एनआईए की इन्वेस्टिगेशन हुई तो राजस्थान में पीएफआई के तार जुड़े और सारों का संरक्षण और पोषण करने का काम इसी राजस्थान की सरकार ने किया है। कितनी सारी घटनाएं? अब तो सारी चीजें सामने आ रही हैं। किस तरफ से, अरब से टेरर फंडिंग होती है और राजस्थान की इस शान्ति को लील लिया जाता है।

माननीय सभापति महोदय, सरकार बचाव में कुछ कहेगी लेकिन ऐसा लगता है-

'दिन एक सितम, एक सितम रात करो,
हो वो दोस्त हो, दुश्मन को भी मात करो हो,
दामन पे कोई छींट, न खंजर पे कोई दाग,
तुम कत्ल करो हो, कि करामात करो हो'

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान की सरकार की फितरत है। आपने पेज 31 पर 138 बिन्दु पर कहा कि औद्योगिक सुधारों का परिणाम है कि प्रदेश में निवेश के लिए उद्यमियों को अनुकूल वातावरण एवं प्रोत्साहन मिल रहा है। आप श्वेत-पत्र लाइये। कितने एमओयू किये? आपने कितने आयोजन किये? कितने लोग आये? लेकिन राजस्थान में आज कोई भी निवेश के लिए कतराता है। मुझे दो विदेशी डिप्लोमेट मिले, जिन्होंने कहा कि पिछले कई सालों से हम सरकार से अपाइंटमेंट मांग रहे हैं कि हम किस तरह से यहां निवेश करें। राजस्थान के मुखिया ने उनको कई बार की रिक्वेस्ट के बाद भी समय नहीं दिया।

माननीय सभापति महोदय, किसी भी प्रदेश में निवेश के लिए औद्योगिक वातावरण के लिए सुरक्षा, सुविधा और सहूलियत चाहिए। आपका ईज आफ डूइंग बिजनेस, यह केवल स्लोगन है। सिंगल विंडो सिस्टम, भ्रष्टाचार की कितनी खिड़की है, इस सरकार में आज तक पता नहीं लगा। इसलिए मुझे लगता है कि राजस्थान की सरकार के औद्योगिक निवेश और रोजगार के लिए जो प्रोत्साहन हैं, वे थोथे हवाई दावे हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैंने कई बातों का जिक्र किया, लेकिन

(श्री सतीश पूनियां)

यदि मैं यहां पर पेयजल की बात नहीं करूंगा तो अन्याय होगा क्योंकि यहां कई उपलब्धियों के बारे में जिक्र हुआ। केन्द्र की सरकार ने जल जीवन मिशन के लिए 27 हजार करोड़ रुपये सरकार को दिये। सरकार चिट्ठी लिखती है कि योजना को आगे बढ़ाया जाये। 2024 तक 90 लाख कनेक्शन देने थे, आपकी लापरवाही, भ्रष्टाचार और शिथिलता के कारण 60 लाख का टारगेट पूरा हो रहा है।

एक बार फिर से ओसियां की विधायक को उद्धृत करना चाहूंगा। उन्होंने कहा था कि मंत्रालय और मंत्री रबर स्टॉम्प बने हुए हैं। जिस तरीके का भ्रष्टाचार है, उस भ्रष्टाचार के बारे में जिस तरीके की बातें हुई हैं मैं एक बात का साक्षी हूं। मुख्य मंत्री जी के विज्ञापन के नीचे लिखा हुआ है जल ही जीवन है। मैं हिण्डौन गया। मुझे लगा कि जल जीवन नहीं है, इस सरकार में जल ही जहर है। हिण्डौन में 71 साल का बुजुर्ग, पोकरण में दूषित पानी से बीमार लोग और एक नहीं, उसमें सैकड़ों बच्चे शामिल थे। मैंने एक जगह का नाम बताया, जहां मैं साक्षी था। ऐसे दर्जनों शहर मिलेंगे जहां आज भी लोग पेयजल को तरसते हैं।

माननीय सभापति महोदय, यह सरकार बीएसपी की बैसाखी पर टिकी हुई है, यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं। बहुजन समाज पार्टी के 6 विधायक जीतकर आये। यहां यह मानता हूं कि जादूगर कमाल का है। केवल जादू ही नहीं, हाजमा भी जोरदार। महाराज, छह-छह हाथी कोई नहीं ले सकता। वह नहीं जीम सकता लेकिन इस बार जो चुनाव होगा, पिछली सरकार तो बीएसपी ने बचा दी, यह सरकार बीएसपी की बैसाखियों पर टिकी है, 2023 के चुनाव का फैसला बीएसपी ही करेगी, लेकिन यह बीएसपी बहुजन समाज पार्टी नहीं है, यह बीएसपी राजस्थान की है, यह बीएसपी राजस्थान की जनता की है, यह है, बिजली, सड़क और पानी, जिसके कारण कांग्रेस पार्टी 2023 के चुनाव में पानी भी नहीं मांगेगी। मैंने बिजली का जिक्र किया, पानी का जिक्र किया।

मैं मुख्य मंत्री जी को इसलिए धन्यवाद दूंगा कि भले आदमी हैं, निरपेक्ष हैं, सबको एक नजर से देखते हैं। मेरे यहां जब सड़क टूटी तो लोगों ने मुझे कहा। सभापति महोदय, मैं साढ़े तीन किलोमीटर नंगे पैर चला। पिछले चार सालों से सदन में, सदन के बाहर अनेक अवसरों पर गुहार लगायी। दुनिया का हर तीसरा पर्यटक आमेर शहर में आता है। मैं आपको मुख्य सड़क

(श्री सतीश पूनियां)

की दशा की बात कर रहा हूं, चार वर्षों में डिमांड के बाद भी वह सड़क वैसी की वैसी है, लेकिन मैं यह तो नहीं कह सकता कि मुझे सुकून मिला, पर मैं ठीक जोधपुर से 15 किलोमीटर गया तो मुझे वैसा ही दृश्य मिला। मैंने अख़बार की हैडिंग पर देखा, अख़बार में ही छपा कि सवारियां जोर से चिल्ला रही थीं कि जोधपुर आ गया है। उस बस में सवारियों को गड्ढों के कारण इतने झटके लगे, तो मुझे लगा कि कितना भला चीफ मिनिस्टर है, कितने निरपेक्ष व्यक्ति हैं कि जिन्होंने उदारता से सबको एक जैसा, एक भाव से सम दृष्टि से रखा है।

माननीय सभापति महोदय, सरकार ने घोषणाएं खूब कीं। अभी दो-तीन घटनाएं एकदम से हुईं। एक तो राजीव गांधी शहरी खेल के लिए कहा कि हम करेंगे, कल रात को ही उसको निरस्त कर दिया। महिलाओं को फोन देने की पिछले बजट में घोषणा की और अभिभाषण में उसका उल्लेख नहीं है, इसका मतलब है कि मामला कहीं न कहीं गड़बड़ है।

माननीय सभापति महोदय, नि:शुल्क दवा की बात चलती है। मुझे एक रिप्रजेंटेशन मिला, जिसमें पेंशनर ने कहा, ऐसे 11 लाख लोग हैं, जिनको आरजीएचएस के जरिए दवाइयां देने की बात इसी सरकार ने स्वीकार की थी। माननीय सभापति महोदय, ऐसे 11 लाख लोगों की बीपी समेत 30 फ्री दवाइयां बन्द कर दीं, अब डाक्टर लिखेंगे और उसको बाहर से खरीदनी पड़ेगी। यह सरकार का कमिटमेंट था।

माननीय सभापति महोदय, 2019 के अभिभाषण में पाइंट 84 पर सड़क दुर्घटनाओं को रोकने की बात कही गयी। अब 2023 आ गया है और 2023 में भी स्थिति यह है कि सड़क दुर्घटनाओं में राजस्थान देश में पांचवें स्थान पर है।

एक प्रश्न के जवाब में राजस्थान के अधीनस्थ सेवा बोर्ड ने इस बात को स्वीकार किया है कि 29 परीक्षाएं होनी थीं, जिसमें से केवल 14 हुई हैं। यह डाक्यूमेंट है, जो कि सरकार ने अपनी तरफ से जारी किया है।

2019 के अभिभाषण में पाइंट नम्बर 24 पर संविदाकर्मियों और अन्य कार्मिकों के समाधान के लिए छह माह में गत सरकार के लिए गये निर्णय की समीक्षा के लिए राज्य सरकार अलग-अलग मंत्रीस्तरीय समितियों का गठन करेगी। 2019 का अभिभाषण है, सरकार आने के बाद का है। 2020 निकल गया, 2021 निकल गया, 2022 निकल गया और 2023 आ गया, अभी भी

(श्री सतीश पूनियां)

इस सरकार ने संविदाकर्मियों की उन समस्याओं के निराकरण की बात नहीं की।

माननीय सभापति महोदय, मैं अपनी बात को समाप्त करने से पहले सरकार से यह जरूर चाहूंगा कि कम से कम जो बात जन-घोषणा पत्र में कही, जो पब्लिक के डोमेन में कही, जो सदन में कही गयी, कम से कम उन बातों पर राजस्थान की जनता के, राजस्थान के किसानों के, राजस्थान के नौजवानों के, राजस्थान की महिलाओं के, राजस्थान के दलितों और वंचितों के हक और कल्याण के लिए कम से कम असत्य वचन से एवं इस पाप से बचें। जो बचा-खुचा समय है, उस समय में निराकरण करने का काम करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

**श्री सभापति**: श्री खुशवीरसिंह।

**श्री खुशवीरसिंह** (मारवाड़ जंक्शन): सभापति महोदय, आपने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अवसर प्रदान किया, उसके लिए धन्यवाद। मैं अपनी बात प्रारम्भ करूं और इस पुस्तिका को सरसरी तौर पर देखा उससे पूर्व एक-एक योजना मेरे जेहन में थी। यह सोची समझी रणनीति के तहत राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को रोका गया, उसमें खलल डाली गई, ताकि राज्यपाल महोदय का अभिभाषण राजस्थान की जनता कल यू-टयूब के माध्यम से देख लेती तो हम प्रतिपक्ष वाले सकते में आ जाते। प्रतिपक्ष का काम है, वह अपना काम करेगी, सत्ता पक्ष सरकार अपना काम करेगी। अगर प्रतिपक्ष अपनी बात को सरकार के साथ बात मिलाकर कह देगी तो उस दिन लोकतंत्र इस देश में सकते में आ जाएगा। उस सोच के साथ हमें विरोध करना चाहिये, सकारात्मक सोच के साथ।

अभी पेपर लीक की चर्चा हो रही थी। मैं अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा, उन्होंने बहुत सटीक सुझाव दिया। हम तो माइलेज ले रहे थे, उसमें कमी निकालनी, उसमें कमी निकालनी। किसकी सरकार में आज दिन तक नहीं हुआ, कहां-कहां नहीं हुआ? इसको कैसे निकालें, उसका सुझाव अध्यक्ष महोदय ने बहुत सटीक दिया कि पूर्व में जिला स्तर पर जो भर्तियां हो रही थीं। सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा मेरा क्षेत्र पश्चिमी राजस्थान शैक्षणिक दृष्टि से बहुत पिछड़ा क्षेत्र है। बहुत पिछड़ा क्षेत्र है पाली, जालौर, सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर। वहां पर हमारी जितनी भी भर्तियां होती हैं उसमें दूसरे ज़िले के युवा लोग आ जाते हैं, वह पढ़े-लिखे होशियार हैं, ज्यादा शिक्षित हैं, हमारे वालों का नम्बर कहीं नहीं आता, वह वहां के वहां ठहरे हुए

(श्री खुशवीरसिंह)

हैं। यह पूर्व की भांति अध्यक्ष महोदय ने जो सुझाव दिया और कोर्ट के आदेश से, हमने कोर्ट में जाकर पैरवी नहीं की, हम बात करते कि आज जो हालात हो रहे हैं उसके पीछे कारण क्या है, उस कारण में जाएंगे, हम तो आरोप-प्रत्यारोप लगाते रहेंगे। मैं आपको कह रहा हूं इससे आने वाले समय में बहुत बड़ी विषमता पैदा होने वाली है, विरोध होगा, आंदोलन होगा। हमारे पश्चिमी राजस्थान के जनजाति से आने वाले भाई हैं, मैं परसों ही मारवाड़ जंक्शन सुमेरपुर गया था, वहां के पूर्व प्रधान हरिशंकर जी, गुलाब सिंह जी ने मुझे बुलाया, वहां के जनजाति भाइयों ने मुझे बुलाया और अपनी बात कही कि, आज दिन तक हमें आरक्षण का लाभ नहीं मिला। हम वहां के वहां हैं। हमारे पटवारी, कांस्टेबल, इस लेवल के भी हैं, वह दूसरे ज़िले से आते हैं, चार महीने ज्वाइन करके ट्रान्सफर कराकर चले जाते हैं और हमारे पद खाली के खाली रह जाते हैं तो यह विषमता है, इसको कैसे किया जाए? सभापति महोदय, मैं आपको आज बात कह रहा हूं, एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा, कहीं यह मांग नहीं उठने लग जाए कि हमारे मरु प्रदेश को राजस्थान से अलग किया जाए। अगर यह बात बढ़ती गई तो हमारे युवाओं में बहुत आक्रोश है।

आज हम ट्राइबल एरिया सब प्लान की बात करें, उसका भी लाभ नहीं मिल रहा है। माडा का लाभ नहीं मिल रहा है। माडा के अन्दर ऐसा क्राइटेरिया बना दिया 10 हजार की जनसंख्या या वहां की जनसंख्या की आधी जनसंख्या ट्राइबल की हो तो उनको लाभ मिलेगा। हमारे यहां तो बिखरी जनजाति क्षेत्र है, कहीं 2 घर हैं, कहीं 4 घर हैं। बाड़मेर, सिरोही, पाली, आप उनकी स्थिति देखें, उनके क्या हालात हैं। उनको हम वह लाभ भी नहीं दे पा रहे, उसमें भी ऐसा क्राइटेरिया बना दिया। उनको विद्युत कनेक्शन में आरक्षण नहीं मिल रहा, लाभ नहीं मिल रहा।

मैं आज अख़बार में पढ़ रहा था कि ट्राइबल सब एरिया में शत-प्रतिशत सौर ऊर्जा में अनुदान दिया जाएगा, तो हमारे वाले ट्राइबल को क्यों नहीं दिया जाएगा, उन्होंने कौनसा गलत काम कर दिया? उनकी स्थिति देखिये कि उस क्षेत्र का एक भी व्यक्ति आरपीएस और आरएएस नहीं बन पाया। आज दिन तक उनको आरक्षण का कोई लाभ नहीं मिला। मुझे कहा कि यह आरक्षण, 75 वर्षों में हम कुछ नहीं कर पाए, तो इसका कोई पता नहीं है, जिस तरीके से प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, तो हम क्या करेंगे? हम तो जहां हैं वहीं रह जाएंगे।

(श्री खुशवीरसिंह)

सभापति महोदय, मैं जिलेवार भर्तियों की मांग इसलिये कर रहा हूं कि आम युवाओं को इसका लाभ मिलेगा। विशेषकर शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, उनको लाभ मिलेगा। मेरा सरकार से पुरजोर अनुरोध है कि हमारे अध्यक्ष महोदय ने आज जो सुझाव दिया, उस पर हमें, पक्ष-प्रतिपक्ष को गौर करना चाहिये। हम किस तरह भविष्य में सुधार करें, क्षेत्रवाद की बात आने लग जाएगी, मांग आने लग जाएगी, उससे पूर्व हम इनकी मांगों को पूरा करें। अभी प्रतिपक्ष के साथी, हम तो पक्ष के हैं न प्रतिपक्ष के हैं, हम उस स्थान पर खड़े हैं, सम दृष्टि से देखने वाले हैं। अगर पक्ष में कुछ है तो वह भी बात कहेंगे और प्रतिपक्ष में कुछ है, तो वह भी बात करने की क्षमता रखते हैं।

सभापति महोदय, अभी मैं एक बात कहना चाहूंगा ईआरसीपी, मुख्य मंत्री जी अपने स्तर पर कर रहे हैं ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट को। मैं कहना चाहूंगा कि इस पर केन्द्र सरकार सहयोग करे। मैं इसलिये यह कहना चाहूंगा कि ईस्टर्न राजस्थान तो है लेकिन वेस्टर्न राजस्थान के हालात बहुत ही खराब हैं। मैं पहली बार 27 जनवरी, 2004 को विधायक चुनकर आया, मेरे भाषण में मैंने यह बात कही थी कि चम्बल का पानी भीलवाड़ा ज़िले होते हुए जहां से हमारे मंत्री महोदय विराजमान हैं, राजसमंद होते हुए, राष्ट्रीय राजमार्ग-8 के समानान्तर पाली, जालौर, सिरोही, बाड़मेर ज़िलों में लाया जाए, तो यह उपयोगी होगा। पैसा कोई मायने नहीं रखता, आज पानी की सख्त आवश्यकता है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा। मैं पांच वर्ष तक सदन में रहा, इस बात को कहता रहा, दोहराता रहा और मेरे पूर्व राजस्थान में यह मांग किसी ने नहीं की, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। कोई रिकार्डेड तथ्य किसी के पास नहीं है। मैंने सबसे पहले यह बात कही। मैं मुख्य मंत्री जी को, मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा, रामलाल जी को, यहां विराजमान हैं। इनका प्रयास रहा और भीलवाड़ा होते हुए आज भीम तक वह पानी आ गया। मैंने 2004 में यह बात कही थी। मैं चाहूंगा कि अब तो ढलान ही उतारनी है हमें अरावली की पहाड़ियों से। वहां पन बिजली भी पैदा हो सकती है। पश्चिमी राजस्थान का कायाकल्प हो जाएगा। आज जो संसाधन हैं, मशीनी युग है, उसके अन्दर असम्भव कुछ भी नहीं है, सभी चीज सम्भव हैं।

सभापति महोदय, मैं बिन्दु संख्या 68 पढ़ रहा था। मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरा नाम खुशवीरसिंह और आगे जोजावर लगता है। जब मैंने बिन्दु

(श्री खुशवीरसिंह)

संख्या 68 पर मेरे गांव का नाम जोजावर देखा तो खुशी से मेरा सीना 156 इंच का हो गया। दावे के साथ कहता हूं, मैं मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। (व्यवधान)

**श्री सभापति**: कृपया शान्त रहें। प्लीज, विराजिये आप। माननीय सदस्य।

**श्री खुशवीरसिंह** (मारवाड़ जंक्शन): इसका भी जवाब दूंगा आपको।

**श्री सभापति**: आप अपनी बात कहें।

**श्री खुशवीरसिंह** (मारवाड़ जंक्शन): मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि जिस व्यक्ति ने जीवन में कभी राजनीति के अन्दर धर्म की आड़ में कभी वोट नहीं लिया, जिस व्यक्ति ने कभी ऐसी कोई बात नहीं कही जिससे विपक्ष उन पर व्यक्तिगत अंगुली उठा सके। हां, विपक्ष का काम है, वह करेंगे, नहीं करेंगे तो कौन पूछेगा? मैं मुख्य मंत्री को धन्यवाद दूंगा, आप इस पुस्तिका को पढ़ लेना, 15 बिन्दु ऐसे हैं, जो हमने गाय के नाम पर वोट बटोरे। जय गौ माता के गले में डालकर जाते हैं और गाय के नाम पर वोट बटोर कर आते हैं, आज तक हमने क्या स्थायी समाधान किया? गोशाला बनना स्थायी समाधान नहीं है गाय का। उसके बावजूद मैं मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं 6 महीने से 9 महीने, राशि बढ़ा दी, इतना बड़ा काम किया, उससे भी बड़ी एक क्रांति घटा दी। इस देश के अन्दर मुख्य मंत्री जी ने और मेरे गांव का नाम जैसे ही मैंने इस पुस्तिका में पढ़ा, मुझे बहुत खुशी हई। वह योजना नहीं है, वह मुख्य मंत्रीजी की क्रांति है। मैं इस बारे में पक्ष और प्रतिपक्ष के साथियों को कहना चाहूंगा कि उसको आप जानें, समझें कि पहला भ्रूण प्रत्यारोपण केन्द्र देशी नस्ल की गाय जो हमारी गिर नस्ल गुजरात से ब्राजील जाती है, साउथ अमेरिका में, वहां 25 से 40 लीटर दूध देती है देशी गाय। वह ब्राजील तो जा रही है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? मैंने पिछली बार यह मांग मुख्य मंत्री महोदय से की थी कि यह केन्द्र आप जोजावर के अन्दर दें, तो मुझे अधिकारियों द्वारा कहा गया कि यह तो वेटरिनरी कालेज और सम्भाग स्तर का मामला है। मैंने कहा कि मैं अनपढ़ आदमी हूं, कुछ नहीं समझता हूं। मैंने तो पढ़ा और कह दिया कि दस जगह जाकर आया हूं और देखकर आया हूं। मैं मुख्य मंत्रीजी के विशाल हृदय को धन्यवाद दूंगा, मैं उनको और उनकी सोच को सेल्यूट करता हूं कि उन्होंने जोजावर के अन्दर ईटी सेन्टर दिया और 15 तारीख को मैंने शुभारम्भ कर दिया। मैं बताना चाहता हूं कि ईटी सेन्टर क्या

(श्री खुशवीरसिंह)

है, यह भ्रूण प्रत्यारोपण केन्द्र है। सांड की कीमत एक से डेढ़ करोड़ रुपये है, गिर नस्ल की गाय की कीमत है चार से आठ लाख रुपये और वह 25 से 40 लीटर दूध देती है। हमारी जो बेसहारा घूम रही गायें हैं, जिनके नाम पर हम वोट लेते हैं, उनके नाम पर अपनी रोटियां सेकते हैं, उन गायों के अन्दर भ्रूण प्रत्यारोपण हमने करवाया 15 तारीख को। इसका 9 साल का साइकिल पीरियड है। हम गौ माता कहते हैं फिर भी हमारी गायें गलियों में बेसहारा घूम रही हैं। मैं आपको कह रहा हूं कि अगर आपने भ्रूण प्रत्यारोपण समझ लिया और अपने-अपने विधान सभा क्षेत्रों में आपने शुरुआत कर दी तो मात्र 5 से 6 साल के अन्दर एक भी गाय...

**श्री जोगेश्वर गर्ग** (जालौर): डाक्टर्स तो हैं क्या?

**श्री सभापति**: विराजिए। विराजिए। आप अपनी बात कहिए।

**श्री खुशवीरसिंह** (मारवाड़ जंक्शन): धन्यवाद। आपने अपना काम किया, मैं मेरा काम कर रहा हूं। डाक्टर्स नहीं हैं वह भी बात मैं करूंगा, आप बेफिक्र रहें।

मैं यह कह रहा हूं कि यह शतप्रतिशत सक्सेस होगा। अगर यह हो गया तो यह क्रांति है, सभापति महोदय। योजना नहीं है, क्रांति है, जितनी भी हमारी गौशाला हैं, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि वह डेयरी में तब्दील हो जायेंगी। हमने बचपन में पढ़ा था कि हिन्दुस्तान के अन्दर दूध, दही और घी की नदियां बह रही थीं। वह वापस नहीं बह जाएं तो मुझे आप कह देना। मैं तो रहूं या नहीं रहूं मैं बीमारी से जूझ रहा हूं लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि यह साइकिल पीरियड पूरा होते ही हमारे यहां दूध और दही की नदियां बहेंगी।

सभापति महोदय, मैं मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद दूंगा, अभी बिजली के बिल के करंट की बात चल रही थी, मुख्य मंत्रीजी ने अपने प्रशासन गांवों के संग अभियान में हमें यह हिदायत दी थी कि जहां पर भी जाओ और मेरे योग्य जो भी सुझाव हों, आप ढूंढ कर लेकर आना। हम सभी उन कैम्पों में गये। पचासों मांगें थीं लेकिन दो मुख्य मांग थी। एक मांग तो वह थी कि बीपीएल के वह परिवार जो दो रुपये किलो गेहूं से वंचित रह गये, उनको जुड़वाया जाए। उनकी जगह हो सकता कि पैसे वालों का नाम जुड़ गया हो, लोकतंत्र में हम कटवाने की हिम्मत नहीं कर सकते लेकिन वंचित रह गये। दूसरी मांग थी, मैं जिस गांव में गया, गांव वालों ने मुझे कहा कि हमारे

(श्री खुशवीरसिंह)

बिजली के बिल में करंट आता है। मैंने समझा वायर शोर्ट होगा। अधिकारियों को पूछा। उन्होंन कहा कि वायर शोर्ट नहीं है, बिजली का बिल ज्यादा आता है। ये दोनों ही बातें मैंने और हमारे सभी साथियों ने मुख्य मंत्रीजी को कहीं। हमने कहा कि इस कागज में जो करंट आ रहा है, इस करंट को मिटा दो आप, तभी समझ में आयेगा। अभी मैं बीमारी की स्थिति में भी पिछले पांच दिनों में एक-एक गांव और ढाणी में जाकर आया। उन माताओं और बुजुर्गों से मैंने पूछा कि आपने जो हमें कहा था कि बिजली के बिल में जो करंट आता था, उसके बारे में मुझे बतायें। ईमानदारी से कहता हूं हाथ खड़ा करके 80 से 90 प्रतिशत लोगों ने कहा कि हमारा बिजली का बिल माफ हो गया। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? आपके पास कोई मुद्दा नहीं है। कई मायनों में आप अपनी बात सही करते हो। मैं कह रहा हूं। मैं प्रधान मंत्रीजी का विरोध नहीं कर रहा हूं। उन्होंने 56 और 156 इंच की बात कही। मैं उनका विरोध नहीं कर रहा हूं, उनमें कई गुण हैं। उन्होंने भी देश के लिए क्रांतिकारी काम किये हैं। ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने कुछ नहीं किया है। साथियों, एक बात जरूर है।

सभापति महोदय, दो बात कहकर मैं मांगें रखूंगा। मैं निवेदन कर रहा था पक्ष और विपक्ष की। हम सब जगह एक दूसरे का विरोध करते हैं। सोचो अपने दिल पर हाथ रख कर। हम यहां सदन के अन्दर आते हैं, शपथ लेते हैं, शपथ पत्र भरते हैं चुनाव के बाद में, इतने लाख, इतने हजार, इतने सौ रुपये खर्च हुए। अपने दिल पर हाथ रख कर सोचो कि क्या वह पैसे सही मायने में भरे हमने? मैंने भी गलत भरा, मैं कह रहा हूं। हम सबने गलत भरा है। उसके आगे मैं आपको और कह रहा हूं कि जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं उन पार्टियों को चन्दा कहां से आता है? उसके बारे में कोई पूछने वाला नहीं है हमें। नाराज मत होना। चाहे बड़े-बड़े आफिस बना लो, बड़े-बड़े कार्यालय पचास मंजिल के बना लें हम। किसी की जरूरत नहीं है। न्यायालय को छोड़ो। कोई व्यक्ति पूछ नहीं सकता है कि यह पैसा हम राष्ट्र को गिरवी रखकर ला रहे हैं? यह पैसा कहां से अर्जित कर रहे हैं? हम उस दायरे से बाहर हैं।

इन्दिराजी को धन्यवाद दूंगा, उन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। 1971 में राजाओं के प्रिविपर्स को समाप्त किया। राजाओं के विशेषाधिकार समाप्त किए। यह दूसरा कौनसा प्रिविपर्स है? यह कौनसा विशेषाधिकार है? राजाओं का तो आपने खतम कर दिया। हमने उनको कोस-कोस कर बहुत वोट ले लिए, बहुत सत्ता में आ गये। उनके त्याग, बलिदान और तपस्या की

(श्री खुशवीरसिंह)

तस्वीर को बदलकर प्रस्तुत किया वोट पाने के लिए। सभापति महोदय, यह कौनसा विशेषाधिकार है हमारे पास में? वहां आप और हम दोनों नहीं बोलेंगे। कोई नहीं बोलेगा वहां पर। सबकी बोलती बन्द है, उस स्थान पर आकर खड़े होते हैं। इसके बारे में सोचेंगे? नहीं तो तीसरी आंख देख रही है। इस लोकतंत्र को तीसरी आंख देख रही है। हो सकता है कि मैं रहूं या नहीं रहूं। आप सबके सामने हैं, आपको पता चल जायेगा।

सभापति महोदय, मुख्य मंत्रीजी ने इतना दिया है, मैं जितना कहूं कम है। आप मेरे मारवाड़ जंक्शन विधान सभा में आइये। आज से पाँच साल पहले लोग कहते थे कि गड्ढ़े देखने हों तो आप मारवाड़ जंक्शन में जाओ, आज कहते हैं कि सड़कों का विकास हो गया है, सड़कों का जाल बिछ गया है। एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, पांच-पांच, छह-छह स्टेट हाई-वे, मेगा हाई-वे, मिसिंग लिंक सड़कों का जाल बिछ गया है। तीन चार सड़कें रहीं हैं और उनके लिए मैंने इस बजट में मुख्य मंत्रीजी से मांग की है। सड़कों की दृष्टि से, पेयजल की दृष्टि से। लोग कहते हैं भारत सरकार ने पैसा दिया है जेजेएम के अन्दर। हमको पहले मुख्य मंत्रीजी ने ड्राफ्ट बनाकर दिया कि पहले आप जाकर यह जमा करवाओ पचास प्रतिशत, तब भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय से वह पैसा आया, तब ये स्वीकृतियां जारी हुई हैं। मात्र भारत सरकार से नहीं हुई हैं।

सभापति महोदय, मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की कुछ मांगों के बारे में कहना चाहूंगा। अभी घंटी बज जायेगी। मुझे चिकित्सा के क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में, पेयजल में, बिजली में बहुत कुछ दिया लेकिन हमारी मांग और विकास अनन्त होता है। उसका कोई अन्त नहीं है, अन्तहीन है। मुझे तो ऐसा अवसर मिला है इस बार भी। न्याय के क्षेत्र में आप देख लें रानी के अन्दर एक मुंसिफ कोर्ट खोला है। देसूरी के अन्दर अपग्रेडेशन किया है और इस बार मारवाड़ जंक्शन में भी अपग्रेडेशन की मैंने मांग की है कोर्ट की। वह भी मिलेगा ताकि हमारे साथी भाइयों को इधर-उधर भटकना नहीं पड़े, दूर जाना नहीं पड़े।

सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्री महोदय को मांगें रखूंगा। इस बार मैंने कुछ नई चीजें मांगी हैं। हम एमएसपी की बात करते हैं। मैं चाहता हूं कि किसान को को-आपरेटिव बेस से इजरायल के आधार पर जोड़ा जाए ताकि हम एमएसपी की मांग नहीं करें। हमारी क्रोप में हम वैल्यू एडिशन कैसे कर

(श्री खुशवीरसिंह)

सकें। कब तक हम वैसाखियों का सहारा लेंगे। इस बार मैंने फूड पार्क की मांग की है। प्रोसेसिंग यूनिट लगनी चाहिए और उस यूनिट में हमारी वैल्यू एडिशन हो जायेगी चाहे टमाटर की खेती है, चाहे गेहूं है, चाहे प्याज है, चाहे लहसुन है। हर चीज की वैल्यू एडिशन उस प्रोसेसिंग यूनिट के माध्यम से हो। मैंने मेरे क्षेत्र के अन्दर मिनी फूड पार्क की मांग की है, मैं मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वह भी मुझे दिया जाए।

मेरी कुछ सड़कें रह गयीं चौड़ाईकरण में, मुख्य मंत्रीजी को मैंने दी हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में कुछ बातें रह गयीं, वह भी हैं।

विशेषकर युवाओं को, (व्यवधान) मंत्री जी तो महान हैं।

**श्री सभापति**: अपनी बात जारी रखें। माननीय सदस्य, समाप्त करें।

**श्री खुशवीरसिंह** (मारवाड़ जंक्शन): मंत्री जी के यहां से फाइलें बड़ी मुश्किल से निकलती हैं।

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य, प्लीज।

**श्री खुशवीरसिंह** (मारवाड़ जंक्शन): मंत्री महोदय, लम्बे समय तक पड़ी रहती हैं। मुझे पीड़ा है। मैं तो उस स्थान पर खड़ा हूं, इधर-उधर देख लेता हूं। दोनों तरफ से ही बात कहता हूं।

सभापति महोदय, मैंने इस बार युवाओं के लिये नवीन ऊर्जा और नवीनीकरण ऊर्जा एक्सपीरिएंस सेंटर मेरे पहाड़ी क्षेत्र में मांगा। उसमें 5-7 पंचायतें आती हैं। यह जो ऊर्जा है, यह ऊर्जा तो अस्थायी है, लेकिन स्थायी ऊर्जा की मैंने मांग की है। विंड मिल्स की मांग की है, पवन चक्की वाली। उसके केन्द्र की भी मैंने मांग की है।

सभापति महोदय, इसके साथ ही मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे स्टार्ट अप उद्यमियों के लिये इन्क्यूबेशन सेंटर की भी मैंने मांग की है। हमारे मंत्री महोदय विराजमान हैं, बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र था, मैंने बजट में भी दिया है, आप मुझे वह भी दें।

सभापति महोदय, मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के बारे में कहना चाहूंगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की एक बहुत बड़ी पीड़ा है, उनको मोबाइल दिये गये हैं। बहुत खुशी की बात है, लेकिन मोबाइल एप के साथ उनको जोड़ दिया गया है। इतने अल्प वेतन में कितना उनको भटकना पड़ता है, कहां-कहां तक जाना पड़ता है। उनकी रिकार्डिंग तो हम करते हैं। लेकिन उनको हम दे क्या रहे हैं? मैं मुख्य मंत्री महोदय से चाहूंगा, विशाल हृदय के मुख्य मंत्री हैं, आंगनबाड़ी

(श्री खुशवीरसिंह)

बहनों ने मुझे बुलाकर कहा कि हमें एक व्यक्ति पर ही विश्वास है और उसका नाम है अशोक गहलोत। मुझे विश्वास है।

मुख्य मंत्री जी ने उन बुजुर्गों को, मैं जहां भी जाता हूं तो बुजुर्ग कहते हैं कि मेरा सपूत बेटा तो एक ही है, जो हमें चारों धामों की यात्रा करवाता है। कभी धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगे फिर भी चारों धाम की यात्रा करवाता है। हमारा एक बेटा, सपूत बेटा, वह है अशोक गहलोत। मुझे कहा कि अशोक गहलोत हमें यात्रा करवाता है। साथियों, यह बात तो हम भी कर सकते थे ... (व्यवधान)

**श्री सभापति**: कृपया शांत रहें, प्लीज।

**श्री खुशवीरसिंह** (मारवाड़ जंक्शन): आप मुझे बोलने दीजिये।

**श्री सभापति**: आप अपनी बात जारी रखें। समाप्त करें।

**श्री खुशवीरसिंह** (मारवाड़ जंक्शन): आपके प्रधान मंत्री जी की तारीफ करता हूं। प्रधान मंत्री जी ने यह काम अच्छा किया है और उनका भाषण भी मैंने सुना है।

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य, अपनी बात समाप्त करें।

**श्री खुशवीरसिंह** (मारवाड़ जंक्शन): सर, दो मिनट। अब इन्होंने बात ही छेड़ दी।

**श्री सभापति**: आप इधर देखिये न, उधर इनवाइट क्यों करते हैं?

**श्री खुशवीरसिंह** (मारवाड़ जंक्शन): प्रधान मंत्री जी ने बहुत अच्छा भाषण दिया था। उन्होंने एक बात कही थी कि आज कोई वार्ड पंच भी एक महीने पहले त्यागपत्र नहीं दे सकता है लेकिन उन राजाओं को मैं सैल्यूट करता हूं जिन्होंने सब कुछ होते हुए 1947 में देश के लिये सब कुछ समर्पित कर दिया। उनका म्यूजियम गुजरात में बनाया गया है। उस स्थान का नाम मुझे याद नहीं आ रहा।

**श्री सभापति**: कोई बात नहीं, आप तो आगे रखें अपनी बात।

**श्री खुशवीरसिंह** (मारवाड़ जंक्शन): मैं धन्यवाद देता हूं। इसके लिये धन्यवाद देता हूं प्रधान मंत्री जी को। प्रधान मंत्री जी ने वह काम किया है। उसके लिए धन्यवाद दे रहा हूं।

अंत में मैं मेरी बात समाप्त करूं, उससे पूर्व मैं मुख्य मंत्री महोदय को मेरे हृदय की अंत:गहराई से करबद्ध निवेदन करूंगा कि आपने विशाल हृदय

(श्री खुशवीरसिंह)

दिखाते हुए मारवाड़ जंक्शन विधान सभा क्षेत्र को जितना दिया है वह बहुत दिया है। हमारी मांगें अनंत हैं, लेकिन इस बार भी मुझे बहुत कुछ मिलेगा। मंत्रिमंडल विराजमान है। मैं जिस परिस्थिति में हूं, मेरी परिस्थितियों को देखते हुए, शायद क्या होगा, कल क्या होगा किसने देखा, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि इस बार भी मुझे आप दें।

सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

**श्री सभापति**: श्री अशोक लाहोटी।

**श्री अशोक लाहोटी** (सांगानेर): सभापति महोदय, आपका धन्यवाद। चार साल में सरकार ने चौथी बार अभिभाषण माननीय राज्यपाल महोदय के मुंह से पढ़वाया। अब जाती हुई सरकार में, हमारे यहां मारवाड़ी में कहावत है कि जाते-जाते आदमी सच बोलता है लेकिन इस सरकार का कमाल है, सरकार को पता है कि यह अंतिम राज्यपाल अभिभाषण है, लेकिन सच बोलने की बजाय इस पूरे राज्यपाल अभिभाषण में यह 273 बिन्दु 61 पन्नों में हैं, एक भी जगह सत्ता पक्ष का कोई व्यक्ति बता दे कि यह बात ईमानदारी से सच लिखी हुई है। केवल जो 4 साल की असत्य घोषणाएं थीं, उन सारी बातों का इस अभिभाषण में राज्य सरकार ने संवैधानिक परम्पराओं का निर्वहन करवाते हुए माननीय राज्यपाल जी के मुंह से सारा बखान करवाया है।

सभापति महोदय, इस अभिभाषण की पोल आज का यह विज्ञापन खोलता है। आज यह मुख्य मंत्री जी का विज्ञापन था। उसमें आज राष्ट्रीय बालिका दिवस पर विज्ञापन था। एक तरफ तो यह राष्ट्रीय बालिका दिवस पर विज्ञापन था और दूसरी तरफ यह न्यूज है कि एक माता-पिता अपनी संविदा की नौकरी बचाने के लिये 3 माह की बेटी की हत्या कर देते हैं। यह संवेदनशीलता है। आज के इस विज्ञापन की, आज की इस न्यूज ने 4 साल की सरकार की एक लाइन में पोल खोल दी कि किस प्रकार से राजस्थान में बेरोजगारी बढ़ रही है, किस प्रकार से राजस्थान का नौजवान, राजस्थान का युवा बेरोजगारी को झेल रहा है, किस प्रकार से राजस्थान में अपराध बढ़ रहे हैं। उसके पीछे कहीं न कहीं यह बेरोजगारी तो कारण नहीं है? आज सुबह से सदन में चर्चा हो रही है। पेपर लीक पर चर्चा हुई, अन्य विषयों पर चर्चा हुई।

सभापति महोदय, मैं सदन का ध्यानाकर्षित करूंगा कि यह सारी चीजें कहां से पैदा हो रही हैं? सरकार ने कहा कि हमने इतनी घोषणाएं की हैं। मैं सत्ता

(श्री अशोक लाहोटी)

पक्ष के लोगों से कहूंगा कि इनके सर्वोच्च नेता राहुल गांधी जी आये थे राहुल गांधी जी के सामने खुद मुख्य मंत्री जी ने बोला और यह छपा है बहुत बड़ा-बड़ा कि प्रदेश में खनन माफिया बड़ी बीमारी है। यहां बड़े-बड़े माफिया हैं। इससे ज्यादा लाचार सरकार राजस्थान और देश के इतिहास में कभी नहीं आयी। जब राजस्थान का मुखिया यह कहता हो कि सरकार लाचार है। सरकार बेचारी है।

सभापति महोदय, दूसरा, राहुल गांधी जिस किसान के घर गये, उस किसान ने राजस्थान की सरकार की पोल खोली, जहां जाकर के उन्होंने चारा काटने की एक फोटो खिंचवायी, वहीं उसी किसान ने स्टेटमेंट दिया कि मुझे राजस्थान में किसी भी योजना का कोई लाभ नहीं मिला। सोच-समझकर लेकर गये होंगे, फोटो भी खिंचवाने का तय होगा, घर भी पहले तय किया होगा। आगे टीम चलती है, उसने ढूंढा होगा। उसके बावजूद यदि किसान यह कह रहा है तो यह 4 साल के राज्यपाल अभिभाषण जो आपने खुद ने तैयार किया, वह सच है या यह न्यूज सच है, जो राजस्थान की जनता बोल रही है।

सभापति महोदय, राजस्थान में बेरोजगारी की हालत, मैंने कहा कि पेपर लीक पर आज चर्चा हुई। पेपर लीक हो क्यों रहा है? उसकी जड़ में हम क्यों नहीं जाना चाहते? यह वही राजस्थान है जिसकी जन घोषणा को आपने एक डाक्यूमेंट माना था। उसमें आपने लिखा था कि राजस्थान के प्रत्येक पढ़े-लिखे नौजवान को साढ़े 3 हजार रुपये महीना बेरोजगारी भत्ता देंगे। बोलो, कहा था कि नहीं कहा था? उसके बाद आज 4 साल पूरे हो गये, साढ़े 4 साल होने आ गये। 6 महीने बाद हम चुनाव में चले जायेंगे। साढ़े 4 साल में सत्ता पक्ष के लोग अपनी-अपनी विधान सभा में, मैं यह नहीं कहता कि आप राजस्थान में करो, आप ढूंढकर बता दो कि कितने लोगों को ईमानदारी से नौकरी मिली है और कितने लोगों को बेरोजगारी भत्ता मिला है?

सभापति महोदय, मैं आपके सामने आंकड़ा रख रहा हूं। आज सुबह यहीं पर, इसी सदन में चर्चा हुई कि राजस्थान में 1 करोड़ 12 लाख विद्यार्थियों ने एग्जाम दिये हैं। यानी वह पढ़े-लिखे थे। उनको रोजगार की जरूरत थी, वह बेरोजगार थे। उस 1 करोड़ 12 लाख में से एक न्यूज में सर्वे आया कि इनमें से 67 लाख लोग कॉमन हैं। यानी राजस्थान में 67 लाख नौजवान युवा बेरोजगार हैं। सरकार के प्रश्न का जवाब है कि हम 1 लाख 60 हजार लोगों को अधिकतम, अभी तक हमने एक बार बेरोजगारी भत्ता दिया है। आपने बेरोजगारी भत्ता दिया है 1 लाख 60 हजार को और राजस्थान में

(श्री अशोक लाहोटी)

67 लाख बेरोजगार हैं और आप कहते हैं कि हमने राजस्थान में आदर्श स्थापित कर दिया। यही सबसे बड़ा कारण है कि राजस्थान में अपराधों के बढ़ावे का।

सभापति महोदय, आज जिस आरपीएससी की बात कर रहे थे, आज कोई बताये कि देश में सर्वाधिक बेरोजगारी दर 24.5 प्रतिशत राजस्थान में है। राजस्थान का नौजवान देश में सर्वाधिक बेरोजगार है। यह भी एक आंकड़ा है कि देश में 18 प्रतिशत स्नातकोत्तर बेरोजगार की श्रेणी में आते हैं। राजस्थान में 54 प्रतिशत जो ग्रेजुएट किये हुए हैं वह बेरोजगार की श्रेणी में आते हैं। इस ढंग से यह आंकड़ा बढ़ रहा है।

सभापति महोदय, आज पेपर लीक की बात हो रही थी। काफी सारी बातें आयीं। मैं तो केवल एक बात सदन के सामने पूछना चाहता हूं कि इस आरपीएससी में चेयरमैन कौन है? चेयरमैन वह व्यक्ति जब बनेगा, जो कल तक आपकी सुरक्षा, आपकी नौकरी कर रहा था और उस सुरक्षा की नौकरी के उपहार में आपने उसे आरपीएससी का चेयरमैन लगाया। वह आरपीएससी, जिसकी कोई आडिट नहीं होती, वह आरपीएससी, जिसमें हर प्रश्न के पांच पेपर छपते हैं। कौन-सा पेपर खुलेगा, यह चेयरमैन के अलावा किसी को पता नहीं होता। वह आरपीएससी, जिसका पेपर कहां छपेगा, यह आडिट इसलिए नहीं होती कि पेपर छपने की जगह न पता चल जाए। वहां से पेपर लीक हो जाता है। वह आरपीएससी, जिसका पेपर दो-दो तालों में रहता है, उस आरपीएससी का पेपर लीक हो जाता है।

सभापति महोदय, यह वही राजस्थान है जहां भाजपा की सरकार में पेपर लीक होने पर वसुन्धरा जी ने आरपीएससी चेयरमैन को केवल इसलिए हटा दिया था कि उसके समय में पेपर लीक हुआ था। आज मैं सदन में पूछना चाहता हूं, क्यों सरकार ने आरपीएससी चेयरमैन को बैठा रखा है? केवल इसलिए कि वे पहले मुख्य मंत्री जी की सुरक्षा में थे? क्या उनका यह उपहार राजस्थान के 66 लाख नौजवान, बेरोजगार, गरीब, युवा भुगतें?

सभापति महोदय, मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं कि राजस्थान में बहुत बड़ी-बड़ी घोषणाएं की गयीं। मैं ज्यादा पुरानी घोषणाओं पर नहीं जाता। अभी संविदाकर्मियों की बात आयी। क्या हुआ? 2019 में कल्ला जी की कमेटी बनी थी, कल्ला कमेटी हल्ला कमेटी हो गयी। आज तक उसका कोई रिजल्ट नहीं आया है। माननीय मंत्री जी अभी यहां बैठे थे। अब जब चुनावी साल आने लग गया तो संविदाकर्मियों के लिए फिर से बजट में कोई

(श्री अशोक लाहोटी)

न कोई लोक-लुभावन घोषणा करेंगे। मैं दावे से कह रहा हूं, राजस्थान की एक भी ऐसी घोषणा जो इस सदन में हुई हो और पूरी हो गयी हो, आप ढूंढकर बता दें।

जनता क्लीनिक की बात की थी। सबसे पहली और सबसे बड़ी घोषणा हुई थी राजस्थान में कि जनता क्लीनिक खोले जाएंगे। राजधानी जयपुर में अभी तक केवल 12 जनता क्लीनिक खोले गये हैं, जबकि 250 वार्ड्स हैं। खुद मुख्य मंत्री जी के जिले में केवल चार जनता क्लीनिक खुले हैं। यह राजस्थान में सबसे बड़ी घोषणा थी। घोषणा करना आसान बात है। घोषणाएं तो इस बार भी करेंगे। घोषणाएं पिछली बार भी कीं, लेकिन कितनी घोषणाओं को पूरा किया?

फिर अभी हमारे एक माननीय सदस्य गौमाता की बात कर रहे थे। इसी सदन में आपने पहले बजट में नन्दीशाला खोलने की घोषणा की थी और अभी इसी बजट में आपने यहां पर लिखा है कि केवल 17 जिलों में जो गौशालाएं चल रही हैं, उन्हें नन्दीशाला बनाकर हमने अनुदान देने का काम किया है। कितनी नन्दीशालाएं खोलीं, जबकि आपने घोषणा की कि हमारी पंचायत समिति में नन्दीशाला खोलेंगे।

सभापति महोदय, घोषणाएं करना आसान है लेकिन उन्हें पूरा करना बहुत बड़ी बात है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि घोषणाएं कम करें या ज्यादा, सरकार का यह दायित्व है, अब यह पांचवां साल है, पांचवें साल में पिछले चार सालों में की हुई घोषणाओं पर कितना काम हुआ, यदि वह आंकड़ा सामने रखें तो राजस्थान की जनता समझेगी, वरना जाती हुई सरकार कुछ भी घोषणा कर दे, राजस्थान की जनता बहुत समझदार है, वह जब देती है तो छप्पर फाड़कर देती है और जब लेती है तो झाड़ू मारकर लेती है। 21 पर सिमटा दिया, अबकी बार टैम्पो लायक छोड़ेंगे।

सभापति महोदय, इसी राजस्थान के जयपुर में ट्रोमा सेंटर खोलने की घोषणा की गयी थी। बजट में नागौर, झुंझुनूं, भरतपुर, धौलपुर, बीकानेर में ट्रोमा सेंटर खोलने की घोषणा की थी। मैं बाकी जिलों की नहीं कह रहा हूं, अकेले जयपुर में पिछले साल 2,500 लोगों की इलाज न हो पाने के कारण मौत हुई है, जो ब्रेन इंजरी के कारण ट्रोमा सेंटर में तो चले गये, लेकिन स्टाफ के अभाव में उनका इलाज नहीं हो पाया और 2,500 लोगों की मौत हुई है इसी राजस्थान की राजधानी जयपुर में। सभापति महोदय, सड़क हादसों में

(श्री अशोक लाहोटी)

राजस्थान में जयपुर का चौथा नम्बर है, जहां पिछले साल 17 हजार हादसे हुए और 6,073 लोगों की जानें गयीं और हम कह रहे हैं कि हम ट्रोमा सेंटर खोलेंगे।

सभापति महोदय, मेरे यहां सांगानेर विधान सभा क्षेत्र में भी एक सैटेलाइट हास्पिटल की घोषणा की गयी थी। आज तीन साल हो गये, सैटेलाइट हास्पिटल बनना तो दूर रहा, उसकी जमीन चिह्नित करना दूर रहा, यदि कागजों में भी बन गया हो तो मंत्री महोदय सदन में वे कागज पेश कर दें, मैं मान जाऊंगा। तीन साल हो गये, सरकार का यह पांचवां साल चल रहा है। सांगानेर में एक सैटेलाइट हास्पिटल की घोषणा की थी, तीन साल पूरे हो चुके हैं, जाने वाली सरकार है, अभी तक वह कागजों में भी नहीं बना है। किस प्रकार की ये घोषणाएं कर रहे हैं? सत्तापक्ष केवल घोषणाएं करके अपने संख्या बल के आधार पर यदि ताली बजवाकर खुश होता हो तो यह खुशी आपको मुबारक हो, राजस्थान की जनता आपको आईना दिखाएगी, यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं।

सभापति महोदय, राजस्थान में हालात क्या हैं? अभी यहां पर कालेजों की बात हुई। हमारे नोहर से आने वाले युवा साथी ने बड़ी-बड़ी बातें कीं कॉलेजों की। राजस्थान में कालेज खोलने के भी नियम हैं। सभापति महोदय, आप तो मंत्री रहे हैं, कालेज की पहले बिल्डिंग बनती है, इन्फ्रास्ट्रक्चर बनता है फिर कालेज खुलता है। यहां बिना जमीन के, बिना नक्शे के, बिना योजना के, बिना शिक्षकों के, बिना पाठ्यक्रम के कॉलेजों की घोषणा कर दी। मेरे विधान सभा क्षेत्र सांगानेर में दो कालेजों की घोषणा की। उन दोनों कालेजों की स्थिति क्या है? एक हायर सेकंडरी बच्चों के स्कूल में तीन कमरों में कालेज खुल रहा है। दूसरा, जो गर्ल्स की बड़ी स्कूल है, उसके तीन कमरों में कालेज चल रहा है। आज हम ग्लोबल एजुकेशन की बात करते हैं। युवाओं के पूरे विश्व में घूमने की बात करते हैं, युवाओं के पूरे विश्व में काम्पिटिशन की बात करते हैं। उस देश की बात करते हैं, जहां युवाओं के लिए कहते थे,

"**हम भारत के भरत खेलते शेरों की सन्तान से,**
**कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिन्दुस्तान से।**"

आज उस नौजवान की यदि हम बात करते हैं, उस युवा की बात करते हैं, वह युवा उन तीन कमरों में बैठकर हायर एजुकेशन ले रहा है। उन

(श्री अशोक लाहोटी)

तीन कमरों में बैठकर कालेज की क्लासेज लग रही हैं, जहां न बैठने की जगह है, न पीने का पानी है, न कमरे हैं, न शिक्षक हैं, न फैकल्टी है, न कम्प्यूटर है, न फर्नीचर है, न टॉयलेट है और हम हायर एजुकेशन की बात करते हैं?

सभापति महोदय, 18 प्रतिशत ग्रेजुएट्स को देश में नौकरी के लाले हैं। राजस्थान में यही संख्या 54 प्रतिशत है। ठीक इसी प्रकार, राजस्थान में नौकरी के लिए कतारें लग रही हैं। आप आश्चर्य करेंगे, अभी सुबह बताया कि सरकार ने 400 करोड़ रुपये राजस्थान के नौजवानों, युवाओं से केवल एग्जाम फार्म भरने की फीस जमा की। इससे भी ज्यादा, राजस्थान में आप देखेंगे ओबीसी का सर्टिफिकेट बनाने की बात बहुत छोटी-सी बात है, यहां बहुत सारे विधायक ओबीसी वर्ग से भी आते हैं, लेकिन 60 लाख ओबीसी के युवाओं को 180 करोड़ रुपये हर साल खर्च करने पड़ते हैं इस सर्टिफिकेट को रिन्यू करवाने के लिए। वह ओबीसी का नौजवान एक बार जिस घर में पैदा हो गया, यह ओबीसी का सर्टिफिकेट उसे जाति के आधार पर मिलता है, क्या उसे यह हर साल रिन्यू करवाने की आवश्यकता है? 60 लाख युवाओं को 180 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष सरकार को देने पड़ते हैं। यह सरकार की लूट नहीं तो क्या है?

हम राजस्थान के नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता नहीं दे रहे। हम राजस्थान के नौजवानों को नौकरी नहीं दे रहे। 29 परीक्षाएं शिड्यूल्ड थीं, आज तक 14 परीक्षाएं ही हुई हैं उनमें से ज्यादातर लीक हो गयीं। परीक्षाएं हो नहीं रही हैं, नौकरी मिल नहीं रही है। सर्टिफिकेट बनाने के पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। हजारों करोड़ रुपयों की सरकार आमदनी पैदा कर रही है और हम कहते हैं राजस्थान एक मॉडल स्टेट बन रहा है।

सभापति महोदय, मैं आपकी जानकारी में लाना चाहूंगा, कानून-व्यवस्था की बात हुई। बहुत सारी बातें यहां पर आयीं। आज राजस्थान में हालात क्या हैं? 2021 के मुकाबले अकेले जयपुर में 28 प्रतिशत अपराध बढ़े हैं। आज न राजस्थान का युवा सुरक्षित है, न महिला सुरक्षित है, न किसान सुरक्षित है, न बेरोजगार सुरक्षित है। माताएं-बहनें तो मंगलसूत्र पहनकर घर से बाहर नहीं निकल सकतीं। ये हालात हैं राजधानी के। आप राजधानी का जिस दिन का भी अख़बार उठाएंगे, उस दिन आपको मिलेगा कि महिलाओं, बहन-बेटियों के मंगलसूत्र तोड़कर ले गये। जब थाने में जाते हैं तो किसी पार्टी विशेष के लोग उन्हें बचाने के लिए आते हैं। यह भी राजस्थान के थानों का दृश्य है। क्यों? क्योंकि थानों में सिफारिश पर ट्रांसफर पोस्टिंग की जाती है।

(श्री अशोक लाहोटी)

राजस्थान में भू-माफियाओं के संरक्षण में थाने चल रहे हैं। ये राजधानी के हालात हैं। दिन-प्रतिदिन अपराध बढ़ रहे हैं। 28 प्रतिशत अपराध राजस्थान में बढ़े हैं। राजस्थान 2020-21 में जिन-जिन चीजों में टॉप पर है, वह रिपोर्ट मैं आपको बता रहा हूं। बलात्कार में सर्वाधिक मामले राजस्थान में आये। राजस्थान में 2021 में महिलाओं के खिलाफ एफआईआर। माननीय मंत्री महोदया, आप तो महिला मंत्री हैं। माननीय मंत्री महोदया, मैं आपसे ही कह रहा हूं, आप तो महिला मंत्री हैं। राजस्थान में सबसे ज्यादा महिलाओं के खिलाफ अपराध हो रहे हैं। 40,738 अपराध राजस्थान में हुए। राजस्थान महिला अपराध में देश का सिरमौर है। राजस्थान में एक रिपोर्ट के मुताबिक 2020-21 में 5,310 और 6,337 बलात्कार के मामले दर्ज हुए हैं। राजस्थान में बलात्कार के मामलों में 16.40 प्रतिशत की दर से प्रतिवर्ष बढ़ोतरी हो रही है। ये राजस्थान के मामले हैं। इन मामलों को ढकने के लिए राजस्थान के डीजीपी से सरकार प्रेस कान्फ्रेंस करवाती है कि ये 42 प्रतिशत मामले असत्य हैं। क्या यह राजस्थान की उन महिलाओं, उन बहन-बेटियों के साथ अन्याय नहीं है? मंत्री महोदय, आपका जिला अलवर तो सबसे आगे है। आपको ही गम्भीरता से सोचना पड़ेगा। सभापति महोदय, नाबालिग लड़कियों के एक हजार 453 मामले दर्ज हुए हैं और राजस्थान 2020 से रेप केस के मामलों में लगातार देश में नम्बर वन चल रहा है। ये राजस्थान के हालात हैं।

अभी यहां पर क्राइम की बात आई। सभापति महोदय, हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती, बाकी क्राइम की तो हम बात करते हैं, आज सबसे बड़ी चुनौती है, साइबर क्राइम। मैं सदन में पूछना चाहता हूं, सदन में घोषणा की थी की हर जिले में साइबर थाना खुलेगा, हर थाने में सीसीटीवी कैमरे लगेंगे, राजस्थान में अपने-अपने जिलों में बतायें, कहां-कहां खुल गये? अपने-अपने थानों में बतायें, कहां-कहां सीसीटीवी कैमरे लग गये? कहां-कहां बाजारों में कैमरे लग गये?

सभापति महोदय, मैं फिर कह रहा हूं कि घोषणा तो सरकार कर रही है, लेकिन एक भी घोषणा पूरी नहीं कर रही है। एक भी घोषणा, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, मंत्रीजी बैठे हैं, मुख्य मंत्रीजी जवाब देंगे, एक भी घोषणा सरकार ने जिस मंशा से की है, यदि वह पूरी कर दी हो तो।

सभापति महोदय, साइबर थाने लगातार राजस्थान में प्रत्येक जिले में खोलेंगे, पांच साल में कई गुना साइबर अपराध बढ़ गये हैं, 14 लाख से ज्यादा

(श्री अशोक लाहोटी)

साइबर घटनाएं राजस्थान में हुई हैं। मंत्रीजी, ये आंकड़े सुनो, जमीन खिसक जायेगी। 14 लाख से ज्यादा और आपके पड़ोस के क्षेत्र में सबसे ज्यादा टटलू कटते हैं। सबसे ज्यादा साइबर अपराध आपके क्षेत्र के पड़ोस में ही हो रहे हैं और इन्हीं के क्षेत्र के पड़ोस में जहां टटलू काटे जाते हैं। सभापति महोदय, रिपोर्ट के अनुसार 9 महीने में 160 करोड़ रुपये की ठगी राजस्थान में हुई है और पुलिस मात्र 15 करोड़ रुपये की ठगी को ही रिकवर कर पाई है।

सभापति महोदय, 80.1 प्रतिशत लोग राजस्थान में यह मानते हैं कि सबसे भयावह दृश्य है। 80.1 प्रतिशत लोग मानते हैं कि हमारा डाटा, जो सरकार ने हमसे लिया है, सरकार जो फार्म भरवाने के नाम पर डाटा लेती है, हमारा वह डाटा सरकारी सिस्टम से लीक हुआ है और आज 80 प्रतिशत लोग इस साइबर अपराध की श्रेणी में, उससे लुट रहे हैं। इसकी एकमात्र जिम्मेदारी किसकी है? राजस्थान की सरकार की है, क्योंकि सरकारी तंत्र से डाटा लीक हो रहा है। सभापति महोदय, यह सर्वे में है।

सभापति महोदय, इतना ही नहीं, जो मैंने आपसे कहा, बिजली की दरों की बात करें। सभापति महोदय, यह वही राजस्थान है जिस राजस्थान में दुनिया की सबसे सस्ती बिजली पैदा होती है, 2 रुपये 90 पैसे प्रति यूनिट और इस बार तो शायद टेंडर में 2 रुपये 76 पैसे आ गया है, 2 रुपये 76 पैसे, 2 रुपये 80 पैसे, 2 रुपये 90 पैसे में जहां बिजली पैदा होती हो और ये वही राजस्थान है जहां सबसे महंगी बिजली बिकती है।

मंत्री महोदय, आपके लिए तीन घंटों की बिजली कटौती की और राजस्थान में 13 हजार 500 बड़े उद्योग बन्द कर दिये गये हैं, केवल और केवल बिजली कटौती के लिए और आप राजस्थान की आर्थिक उन्नति की कल्पना कर रहे हैं। 10 दिन बाद इसी सदन में बैठकर मुख्य मंत्री महोदय अपने श्रीमुख से पिछली घोषणाओं की तरह कई घोषणाएं करेंगे, राजस्थान में एक काल्पनिक दृश्य पैदा करेंगे। राजस्थान के एफआरबीएम एक्ट का उल्लंघन करेंगे और कहेंगे इतनी ग्रोथ हो रही है, 11.10 प्रतिशत की दर से और फिर इस दृश्य को भी आप देख लें।

सभापति महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि राजस्थान में 96 इंडस्ट्रियल एरिये घोषित हुए। 13 हजार 500 हैक्टेयर पर 96 इंडस्ट्रियल एरिये घोषित हुए, 10 लाख करोड़ के एमओयू हुए, कितने एमओयू धरातल पर आये? कितनी यूनिट लगी? कितने पर उत्पादन शुरू हुआ? कितने लोगों को रोजगार मिला?

(श्री अशोक लाहोटी)

सभापति महोदय, जो मैंने कहा कि घोषणा करना आसान है, लेकिन उन घोषणाओं को पूरा करने की इस राजस्थान की सरकार की बूते की बात नहीं है। 96 इंडस्ट्रियल एरिये घोषित हुए हैं और इस नवें महीने की रिपोर्ट तक मात्र 3 इंडस्ट्रियल एरिये धरातल पर आये हैं और उनमें भी केवल सात इंडस्ट्रीज का काम शुरू हुआ है केवल सात।

मंत्री महोदय, क्यों असत्य बोल रहे हो। आज ही छोटा-मोटा भूकम्प आया था, धरती खिसक जायेगी।

## सदन की कार्यवाही

### विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

**श्री महेन्द्र चौधरी** (सरकारी उप मुख्य सचेतक): लाहोटी जी, एक मिनट।

सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घंटा बढ़ाकर 6 बजे तक कर दिया जाए।

**श्री सभापति**: सदन का समय एक घंटा बढ़ाया जाए?

**(स्वीकृत)**

सदन का समय एक घंटा बढाया गया।

## अभिभाषण

### राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

**श्री अशोक लाहोटी** (सांगानेर): सभापति महोदय, मैं अब ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैंने कहा कि सरकार ने कई घोषणाएं कीं। चार साल का सरकार का आईना, पांचवें साल में भी यदि सरकार घोषणाएं करे तो यह मान लेना चाहिए कि अब सरकार के बूते की बात नहीं है।

सभापति महोदय, मैं जो बात कह रहा था, सैटेलाइट हास्पिटल की। मैं इस सदन के माध्यम से सुझाव दे रहा हूं कि सांगानेर में एक खुली जेल है वह खुली जेल शहर के बीच में आ गयी है, उसको बाहर शिफ्ट करने का प्रस्ताव लम्बे समय से पेंडिंग है। सरकार उस खुली जेल को शिफ्ट करके वहां पर सैटेलाइट हास्पिटल बनाये। वह सबसे ज्यादा उपयोगी जगह होगी और सांगानेर ही नहीं पूरे जयपुर के लिए सैटेलाइट हास्पिटल उपयोगी होगा और

(श्री अशोक लाहोटी)

चारों दिशाओं में जो सैटेलाइट हास्पिटल खोलने का काम था, वह एक दिशा का काम भी पूरा हो जायेगा।

सभापति महोदय, इसी प्रकार से सांगानेर एक सब-हब है। शहरों की बढ़ती हुई आबादी को कंट्रोल करने के लिए, जो जगह-जगह सरकारी आफिसेज चल रहे हैं, इसी खुली जगह में यदि एक मिनी सैक्रेटेरिएट बनाकर सारे आफिसेज को वहां पर लाया जाए और यदि सरकार इस घोषणा को पूरी करे तो निश्चित रूप से इससे बड़ा फायदा होगा और सब वहां पर आयेगा।

सभापति महोदय, आपने कल एक रिपोर्ट पढ़ी होगी कि जयपुर में 5 लाख करोड़ का काम एक्सपोर्ट का हो रहा है और सांगानेर प्रिंट और सांगानेर की कुर्ती, इनका सबसे बड़ा काम हो रहा है, हैण्डमेड पेपर का काम हो रहा है। मैं सरकार के माध्यम से यह सुझाव देता हूं, जो आपकी पुरानी घोषणा थी कि सांगानेर क्षेत्र में घर-घर में कुटीर उद्योग, एमएसएमई उद्योग, हथकरघा उद्योग के रूप में तीन सौ साल पुराना प्रिंटिंग का काम चल रहा है। मंत्रीजी, लगभग 2 हजार यूनिट्स वहां पर काम कर रही हैं। यदि आप इंडस्ट्रीज को, इस क्षेत्र को इंडस्ट्रीज-मिक्स्ड यूज्ड घोषित कर दें, इन उद्योगों को इंडस्ट्रीज का दर्जा दे दें तो आये दिन पोल्यूशन डिपार्टमेंट सहित जो सरकारी विभाग परेशान कर रहे हैं, वह परेशानी खतम होगी।

इसके साथ-साथ एक बहुत बड़ा काम यहां पर होगा और दिल्ली हाट की तर्ज पर सांगानेर खुली जेल में एक सांगानेर हाट का डवलपमेंट किया जाए और हाट में वहां पर एक कम्युनिटी सेंटर, एग्जीबिशन सेंटर, शाप्स, माल्स, दुकानें और इस तरह का बनाया जाए और रियायती दरों पर व्यापारियों को दिया जाए तो जयपुर के उद्योग में चार चांद लगेंगे और जयपुर का उद्योग तीन गुना रफ्तार से आगे बढ़ेगा। यह मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं।

सभापति महोदय, यहां पर यदि हम बात करें जयपुर मेट्रो की और द्रव्यवती की, सरकार ने घोषणा की। यहां पर एक अमानीशाह का नाला चलता था। लगभग 2 हजार करोड़ रुपये, शायद इतनी बड़ी कोई योजना जयपुर में नहीं आई, 2 हजार करोड़ की योजना से जयपुर शहर में पूरे विदेशों की तर्ज पर वसुन्धरा जी ने उस समय यहां पर द्रव्यवती नदी का काम किया था। द्रव्यवती नदी जयपुर की लाइफ लाइन बनी और आज क्या हालात हैं? आप जहां एमएलए क्वार्टर में रहते हो, बगल में द्रव्यवती नदी है, 1,500 करोड़ रुपये खर्च हो गये, मात्र सौ-डेढ़ सौ करोड़ का काम बचा है, आज वहां पर कूड़े

(श्री अशोक लाहोटी)

के ढेर लग रहे हैं, कचरे के ढेर लग रहे हैं, पानी का ट्रीटमेंट नहीं हो रहा, फिल्टर प्लांट बन्द पड़े हैं और केवल और केवल सरकारी अनदेखी के कारण दो हजार करोड़ रुपये का नुकसान और जयपुर में डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग फैल रहे हैं, भयंकर बदबू आ रही है। आपको भी मैं कह रहा हूं। आप जाते हुए गाड़ी का शीशा खोल लेना, जैसे ही मानसरोवर में घुसोगे या द्रव्यवती क्षेत्र में घुसोगे तो आपको नाक बन्द करनी पड़ेगी। ये राजधानी के हालात हैं। हम छोटी-छोटी चीजें, कोटा में मंत्रीजी बड़ा काम कर रहे हैं, यदि कल सरकार बदली और वहां का रिवर फ्रंट बन्द हो गया तो यही हालात कोटा में भी पैदा हो जायेंगे।

सभापति महोदय, ठीक इसी प्रकार से जयपुर मेट्रो की बड़ी बात हुई। मेट्रो सेकण्ड फेज की बात आई, मेट्रो की और बड़ी-बड़ी बातें कीं। मैं केवल एक छोटा-सा, जो मैंने मांग की थी, आज भी मैं आपको सुझाव दे रहा हूं, बजट सामने आने वाला है, ये राजस्थान के लिए बहुत बड़ा काम होगा। इस मेट्रो को अजमेर रोड की तरफ बढ़ाया जा रहा है, जो यहां घोषणा की गई। राज्यपाल के अभिभाषण में इसका उल्लेख किया गया है। अजमेर रोड की तरफ भी मेरा विधान सभा क्षेत्र है, वहां आबादी नहीं है, आबादी सांगानेर की तरफ है। यदि डिग्गी-मालपुरा रोड पर ले जाकर मुहाना मण्डी तक मेट्रो आगे ले जाएं अजमेर रोड की बजाय, बराबर खर्चा आयेगा, उतना आगे ले जाएं तो कम से कम तीन लाख यात्रियों का भार बढ़ेगा, कर्ज में डूबी हुई मेट्रो, जो घाटे में चल रही है, वह प्रोफिट में आ जायेगी। जयपुर के परकोटे में जितना व्यापार होता है, वह पूरा सांगानेर पर निर्भर है। सांगानेर का व्यापार और जयपुर का परकोटा जुड़ने से जयपुर के टूरिज्म को चार चांद लगेंगे। टूरिस्ट बढ़ेगा, आबादी के साथ-साथ वहां पर पर्यटन बढ़ेगा, उद्योग बढ़ेगा और सबसे बड़ी बात दिल्ली मेट्रो या लंदन मेट्रो की बात करें, ट्यूब्स की भी हम बात करें तो सब-हब्स को जोड़ने का काम मेट्रो के माध्यम से किया जाता है। यदि कस्बे जुड़ेंगे तभी मेट्रो कारगर होगी। यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

सभापति महोदय, यहां बजट में यह उल्लेख हुआ था, संवेदनशीलता का, डवलपमेंट का, 10 करोड़ रुपये की सड़कों का। मैं यहां सदन में जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, इसी सदन में राजस्थान की 200 विधान सभा क्षेत्रों के लिए समान घोषणा हुई थी कि 10 करोड़ की सड़कों के काम होंगे, सांगानेर में

(श्री अशोक लाहोटी)

भी हुई। जब बजट खतम हुआ 22 मई को, मैंने उन सभी सड़कों की अनुशंसा करके पीडब्ल्यूडी विभाग को भेज दी। 22 मई को भेजी हुई अनुशंसा आज लगभग 9 महीने से ज्यादा हो गया, और नया बजट आने वाला है, फिर घोषणाएं

**(समय: 17.00 बजे)**

आने वाली हैं, सभापति महोदय, आज तक टेंडर नहीं लगे और लगे हों तो मंत्री जी अभी यहां बैठे थे, उनसे कागज मंगवाकर पूछ लो कि टेंडर लग गये क्या?

2021 के बजट में सोलर पम्प की घोषणा की थी। पीएचईडी मंत्री महोदय यहां बैठे थे। 10-10 सोलर पम्प की हर विधान सभा क्षेत्र में घोषणा की थी। सांगानेर में आज तक सोलर पम्पों के टेंडर नहीं हुए, आज 2 साल बीत गये। सभापति महोदय, घोषणाएं कोई भी कर सकता है, चौराहे पर खड़े होकर मैं भी कर दूं, कोई भी आदमी कर सकता है लेकिन राजस्थान का यह पवित्र सदन जहां सरकार घोषणा करती हो और यदि वह घोषणाएं चार साल तक पूरी नहीं हों तो मैं यह समझता हूं कि यह राजस्थान की साढ़े सात करोड़ जनता के साथ मजाक है।

सभापति महोदय, मैं एक आंकड़ा आपके सामने रखता हूं, यह राजधानी का आंकड़ा है। हम आजादी के 75 वर्ष बाद यह बात कर रहे हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर की सांगानेर विधान सभा में 690 कालोनियों में सीवरेज और नालियां नहीं हैं। इससे ज्यादा मूलभूत आवश्यकता नहीं होती। पानी की निकासी नहीं है, घुटनों-घुटनों तक पानी भर जाता है। लोग नरक में जीवन जीने को मजबूर हैं और डेंगू, चिकनगुनिया जैसी मौसमी बीमारियों से लोग परेशान हैं। यह राजधानी के हालात हैं, हम नरक में जी रहे हैं। सभापति महोदय, 317 कालोनियों में चलने के लिए सड़क नहीं है। पीने के लिए पानी नहीं है, सीवरेज नहीं है, लाइटें नहीं हैं। मैं पार्क और अन्य सुविधाओं की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, यह राजधानी के हालात हैं। हरेक की नगरपालिका होगी, हरेक विधान सभाओं में कस्बे होंगे, जिस प्रकार से शहरी आबादी के साथ जो सरकार का मजाक है, उस मजाक की चिंता करें, यह आने वाले चुनाव में सबको भुगतना पड़ेगा। सभापति महोदय, 317 कालोनियों में चलने के लिये सड़क नहीं है। 690 कालोनियों में नालियां नहीं हैं। यह फिर भी बात करते हैं कि हमारी संवेदनशील सरकार है।

सभापति महोदय, मैं आपसे आखिर में एक और बिन्दु पर बात

(श्री अशोक लाहोटी)

करूंगा। बहुत बड़ी-बड़ी बात हुई, इंग्लिश मीडियम स्कूलों की बात हुई। मंत्री महोदय बैठे हैं। माननीय विधायक महोदय, दो मिनट मंत्री जी को छोड़ दें, थोड़ी हमारी भी सुन लेंगे, आप तो चैंबर में चले जायेंगे।

सभापति महोदय, इंग्लिश मीडियम स्कूलों की घोषणाएं हुईं मैं पूरे राजस्थान की बात नहीं करता, मंत्री जी, मैं केवल आपसे सांगानेर विधान सभा क्षेत्र की बात कर रहा हूं। हमारे यहां 50 सरकारी स्कूल हैं, इन 50 सरकारी स्कूलों में 12 इंग्लिश मीडियम स्कूल की। इन 12 इंग्लिश मीडियम स्कूलों की हालत क्या है? मैं वीडियो लाया हूं, अगर सभापति महोदय इजाजत दें तो मैं ऑन करके दिखा दूं। इंग्लिश मीडियम स्कूल का केवल नाम बदला, गोल्यावास राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय का नाम बदला, रंग करने का पैसा भी आपने नहीं भेजा, वह भी वहां के लोगों ने अपनी जेब से करवाया। केवल नाम अंग्रेजी माध्यम स्कूल किया है, एक भी अंग्रेजी का शिक्षक आपने नहीं दिया। एक स्कूल में दरी नहीं दी, स्कूल में टॉयलेट नहीं दिया, पीने का पानी नहीं दिया, किताबें नहीं दीं। आपने क्या किया, स्कूल ड्रेस दी, उसको सिलने के पैसे नहीं दिये और स्कूल ड्रेस में क्या-क्या दिया? मंत्री जी, डिबेट कर लेना, खड़े सोच समझ कर होना, मैं अभी भी कह रहा हूं ...(व्यवधान)

**श्री बुलाकी दास कल्ला** (शिक्षा मंत्री): हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने 200 रुपये ...(व्यवधान)

**श्री अशोक लाहोटी** (सांगानेर): ...(व्यवधान) आप मुझे बीच में बोलते हुए रोक रहे हो। मैं आपसे यहां डिबेट करने को तैयार हूं।(व्यवधान)

**श्री बुलाकी दास कल्ला** (शिक्षा मंत्री): ...(व्यवधान) आप गलत तथ्य दे रहे हैं। (व्यवधान)

**श्री अशोक लाहोटी** (सांगानेर): मैं इसी सदन में डिबेट करने को तैयार हूं। (व्यवधान) सभापति महोदय, मैं यह आंकड़े साथ में लाया हूं। मंत्री जी, सुनने का माद्दा रखो। आपने एक भी शिक्षक अंग्रेजी माध्यम का दिया हो तो बता दो। आप ईमानदारी से बता दो, मुझे पता है आप सच बोलोगे, सौगंध खाकर बता दो, आप बच्चों की सौगंध खाकर बता दो, आपने एक भी शिक्षक दिया हो। सभापति महोदय, राजस्थान में 66 प्रतिशत सरकारी स्कूलों में पद खाली पड़े हैं। (व्यवधान) यह हालत है, अंग्रेजी माध्यम विद्यालय कर दिये।

**श्रीमती शकुन्तला रावत** (उद्योग मंत्री): सभापति महोदय, बच्चों की सौगंध और यह क्या है? (व्यवधान) इस तरह से थोड़े ही बोला जाता है।

**श्री सभापति**: समाप्त करें।

**श्री अशोक लाहोटी** (सांगानेर): सभापति महोदय, मैं सिर्फ दो मिनट और लूंगा। (व्यवधान) मंत्री जी, आपका डिपार्टमेंट पूरा हो गया, आप तो विराजो, आप तो बड़ी बहन हो।

**श्रीमती शकुन्तला रावत** (उद्योग मंत्री): ...(व्यवधान) सरकार से संबंधित योजना ...(व्यवधान) बाल बच्चों की सौगंध क्यों खा रहे हो? (व्यवधान)

**श्री सभापति**: प्लीज विराजिए, विराजिए, विराजिए।

**श्री अशोक लाहोटी** (सांगानेर): सभापति महोदय, मैं डिबेट करूंगा। मंत्री जी, आप इजाजत लो, मैं एक घंटे की डिबेट करूंगा, चिंता क्यों कर रहे हो? मैं तो लड़ने के लिए ही आया हूं, भागने के लिए नहीं आया। आप चिंता क्यों कर रहे हो? आप सभापति महोदय से टाइम लो।

**श्री सभापति**: अब समाप्त करें।

**श्री अशोक लाहोटी** (सांगानेर): सभापति महोदय, यह मैं नहीं कह रहा, यह रिपोर्ट कह रही है कि राजस्थान की 68 हजार स्कूलों में महिलाओं के लिये टॉयलेट नहीं है। राजस्थान की 29 हजार स्कूलों में बिजली का कनेक्शन नहीं है।

**श्री बुलाकी दास कल्ला** (शिक्षा मंत्री): यह गलत कह रहे हैं।

**श्री अशोक लाहोटी** (सांगानेर): मैं गलत कह रहा हूं? आप शपथ लिख दो, मैं भी शपथ कर रहा हूं। मैं यह इस सर्वे की रिपोर्ट पढ़ रहा हूं। सभापति महोदय, राजस्थान में मुख्य मंत्री जी ने खुद ने माना कि 200 रुपये में ड्रेस नहीं सिल सकती। जब मुख्य मंत्री जी खुद कह रहे हैं कि 200 रुपये में ड्रेस नहीं सिल सकती और आप ड्रेस सिलवा रहे हो। इस ड्रेस का आधा पैसा केन्द्र सरकार ने दिया है। आपने मुख्य मंत्री जी की फोटो लगा दी, मैं आज उस विषय पर नहीं जाऊंगा, वह ध्यानाकर्षण में बात करूंगा। उस फोटो का क्या किया, कैसे फोटो हटाई, कैसे किसकी फोटो लगवाई और आपकी पार्टी के नेता जाये, उनके कर्मचारी जाये, पीए जाये, नौकर जाये, स्कूलों में बैठकर शिक्षा की जिस तरह से अवमानना आज पहली बार राजस्थान में हुई है, वह देश के इतिहास में कभी नहीं हुई। सभापति महोदय, यह शर्म की बात है।

सभापति महोदय, मैं लास्ट में एक बात और करूंगा कि राजस्थान में सबसे बड़ा काम हुआ वह मुख्य मंत्री जी ने भी कहा, अभी यहां पीठासीन सम्मेलन में भी कहा कि चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम हुआ है। आपने

(श्री अशोक लाहोटी)

कहा कि चिरंजीवी योजना में बड़ा काम हुआ है। 10 लाख रुपये का काम आपने चिरंजीवी योजना में दिया। सभापति महोदय, ईमानदारी से हो क्या रहा है, आप किसी भी प्राइवेट हास्पिटल में चले जाओ, आप तो मंत्री हैं किसी को भेज कर देख लो, वह जाकर यदि हास्पिटल में कहेगा कि मेरा पेट दुख रहा है, तो वह कहेंगे कि हम तो चिरंजीवी में केवल माथे का इलाज करते हैं। दूसरा आदमी भेज कर देख लो कि मेरा सर दर्द कर रहा है, तो वह कहेंगे कि हम तो केवल टांग टूटने का इलाज करते हैं। यह चिरंजीवी योजना की सच्चाई है, यह धरातल है। जो दवा मांगोगे, वह दवा मिलेगी नहीं और मर्ज का इलाज मिलेगा नहीं। सभापति महोदय, मिलावट की बात कर रहा हूं।

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

**श्री अशोक लाहोटी** (सांगानेर): सभापति महोदय, बस अब समाप्ति पर ही है। सभापति महोदय, राजस्थान में मिलावट की क्या स्थिति है, जब भी कोई त्यौहार आता है तो मुख्य मंत्री जी की फोटो के साथ एक विज्ञापन छपता है 'शुद्ध के लिये युद्ध' शुरू हो गया है। सभापति महोदय, 2025 का WHO का जो सेंसेक्स जारी हुआ है, उसमें लगभग 50 प्रतिशत बीमारियां कैंसर युक्त बीमारी हैं और उस कैंसर का सबसे बड़ा कारण मिलावट है, चाहे वह आटा, दूध, चावल, चीनी की मिलावट हो, चाहे वह घी की मिलावट हो, चाहे दवाओं की मिलावट हो, चाहे मिठाई की मिलावट हो। सभापति महोदय, 20 दिन तक 'शुद्ध के लिये युद्ध' चला, मुख्य मंत्री जी की फोटो लगी हुई थी, और हुआ क्या? 900 सैम्पल लिये, एक भी सैम्पल की जांच रिपोर्ट अभी तक नहीं आई, एक भी चालान पेश नहीं हुआ, एक भी व्यक्ति दोषी नहीं पाया गया और सारी मिठाई बाजार से खतम हो गई। सभापति महोदय, कहां गई वह अथोरिटी जो मिलावट के लिये बनने वाली थी?

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य, समाप्त करें, प्लीज सहयोग करें।

**श्री अशोक लाहोटी** (सांगानेर): कहां गये वह लैब, वह लैब नहीं बने।

सभापति महोदय, दो और आंकड़े आपके सामने रखना चाहूंगा। राजस्थान में 23.75 लाख लोगों को राजस्थान की सरकार के कारण, जिन गरीबों को मोदी जी जो मुफ्त में अनाज भेज रहे हैं, वह अनाज नहीं मिल पा रहा है क्योंकि 23.75 लाख लोगों का नाम पिछले दो साल से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा परिवारों में जन आधार के कारण नहीं जोड़ा जा रहा है। यह राजस्थान की उस जनता के साथ धोखा है। यह पैसा तो आपका भी नहीं लग रहा, यह

(श्री अशोक लाहोटी)

पैसा प्रधान मंत्री जी दे रहे हैं। सभापति महोदय, अभी एक आंकड़ा आया है कि देश में सर्वाधिक महंगाई राजस्थान में है। यह राजस्थान सरकार की पारदर्शिता है।

**श्री सभापति**: समाप्त करें।

**श्री अशोक लाहोटी** (सांगानेर): सभापति महोदय, आपने मुझे मौका दिया, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूं कि, मंत्री जी, हर चीज को दलीय रूप में मत तोलो। जब चुनाव आये तब आप 10 दिन दलीय रूप से भाषण दे लेना, तब जितनी कुश्ती लड़नी हो, वह लड़ लेना लेकिन आज राजस्थान की साढ़े सात करोड़ जनता की भलाई के लिये जो चार साल में घोषणाएं की हैं, ईमानदारी से उनको पूरा कर दो। बहुत-बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, जय हिन्द।

**श्री सभापति**: प्लीज विराजिए आप, विराजिए। अंकित नहीं होगा। माननीय मंत्री महोदय, आप कुछ कहना चाह रहे थे?

**श्री बुलाकी दास कल्ला** (शिक्षा मंत्री): अभी सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो आंकड़े प्रस्तुत किये, वह बताएं कि कौनसी तारीख के हैं? आज राजस्थान की एक-दो स्कूलों का नाम बता दो जहां बिजली का कनेक्शन नहीं है। ऐसी स्कूल का नाम बताएं जहां पर टॉयलेट फैसेलिटीज नहीं हैं। (व्यवधान)

**श्री सभापति**: प्लीज विराजिए आप। माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, विराजिए।

**श्री बुलाकी दास कल्ला** (शिक्षा मंत्री): मुझे कहने का अधिकार है ... (व्यवधान) मेरे विभाग के बारे में बोला है ...(व्यवधान)

**श्री सभापति**: विराजिए, विराजिए ...(व्यवधान) मैं अलाउ नहीं करूंगा ...(व्यवधान) विराजिए आप, विराजिए। प्लीज सहयोग कीजिए। विराजिए, विराजिए ...(व्यवधान)

माननीय सदस्य, विराजिए आप लोग। (व्यवधान) मैं अलाउ नहीं करूंगा। प्लीज आप विराजिए।

**श्री अशोक लाहोटी** (सांगानेर): 000

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य, आप विराजिए। अंकित नहीं हो रहा है। आप विराजिए। आप जब बोल रहे थे, मैंने आपको इंटरवीन किया? माननीय

(श्री सभापति)

मंत्री महोदय अपना रिप्लाई दे रहे हैं, जब आपके नेता, प्रतिपक्ष बोलेंगे, तब अपना रिप्लाई दे देंगे। यह कौन-सा तरीका हुआ? आप विराजिए। (व्यवधान) अलाउ नहीं करूंगा। मैं सदन की कार्रवाई स्थगित करता हूं। बोलने से वंचित रह जाएंगे तो मुझे मत कहना। बिलकुल अलाउ नहीं करूंगा मैं। यह कौनसा तरीका हुआ, एक साथ सब खड़े हो गये और बोलना शुरू कर दिया। जो माननीय सदस्य बैठकर बोलना चाहते हैं, आप उनको बोलने नहीं देंगे। माननीय मंत्री महोदय, आप अपनी बात बोलिए।

**श्री बुलाकी दास कल्ला** (शिक्षा मंत्री): सभापति महोदय, मैं ये ही कह रहा था कि इस सदन में जो भी बोलो, सत्य बोलो। गांधी जी ने बोला है कि 'सभा में या तो प्रवेश न किया जाए और यदि प्रवेश किया जाए ...(व्यवधान) तो बड़ी स्पष्ट और सच बात कही जाए।

**श्री सभापति**: मैं समाप्त कर रहा हूं। मैं ऐसे अलाउ नहीं करूंगा।

**श्री बुलाकी दास कल्ला** (शिक्षा मंत्री): क्योंकि वहां न बोलने से या गलत बोलने से दोनों ही स्थितियों में मनुष्य को पाप का भागी बनना पड़ता है। इसलिये ...(व्यवधान) गांधी जी को सामने रखकर बोलो।

**श्री सभापति**: आप नहीं बोलना चाहते हैं? आपके लोग नहीं बोलना चाहते? बीच में मैं अलाऊ नहीं करता। (व्यवधान) आप हर वक्त अपनी बात कहने के लिए खड़े हो जाएंगे, मैं अलाउ नहीं करता। माननीय मंत्री महोदय अपनी बात कहेंगे, कृपया शांति से सुनना चाहते हैं तो सुनिए वरना सदन की कार्यवाही स्थगित करता हूं मैं।

**श्री बुलाकी दास कल्ला** (शिक्षा मंत्री): आप स्वयं जानते हैं कि मैं इस सदन का बहुत पुराना सदस्य हूं और कभी गलत तथ्य सदन में प्रस्तुत नहीं करता। अभी सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने ये कहा, मैं कहता हूं सदन की टेबल पर रखिए। मैं देखता हूं कितने हजार स्कूलों के बारे में जो तथ्य उन्होंने बताया, वह सही है। यहां गलत बोलने पर प्रिविलेज मोशन आ सकता है। मैं बोलता हूं तो मेरे खिलाफ भी आ सकता है। इसलिए बहुत सावधानी से तथ्यपरक बात करनी चाहिए। धन्यवाद।

**श्री सभापति**: श्री गिरधारीलाल।

**श्री अशोक लाहोटी** (सांगानेर): 000

**श्री सभापति**: प्लीज, आप विराजिए। मैं अलाउ नहीं करता। श्री गिरधारीलाल। अंकित नहीं होगा।

**श्री अशोक लाहोटी** (सांगानेर): 000

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य, विराजिए। अंकित नहीं हो रहा है।

**श्री गिरधारीलाल** (डूंगरगढ़): आदरणीय सभापति महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया,...

**श्री बुलाकी दास कल्ला** (शिक्षा मंत्री): मेज पर रखता हूं तो सदन की मेज पर रख दीजिए।

**श्री अशोक लाहोटी** (सांगानेर): 000

**श्री सभापति**: माननीय उपनेता महोदय, मैं स्थगित कर रहा हूं कार्यवाही। बिलकुल अलाउ नहीं करूंगा। आप गम्भीर नहीं हैं तो छोड़िए आप। गिरधारीलाल जी बोल रहे हैं, मैं उसके बाद समाप्त करता हूं।

**श्री गिरधारीलाल** (डूंगरगढ़): राजस्थान के अंदर राज्यपाल महोदय का अंतिम भाषण, पक्ष व विपक्ष ने बहुत ही महत्वपूर्ण अभिभाषण में भाग लिया। मैं सबसे पहले मुख्य मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि राजस्थान के अंदर चिकित्सा, शिक्षा तमाम मुद्दों पर जो आम हितों की बात होती है, लगभग जो पिछले बजट में घोषणा की गयी थी, मैं पहली बार देख रहा हूं कि वह बजट की घोषणा लगभग 90 परसेंट, 95 परसेंट लागू हो गयी है।

सभापति महोदय, अभी बात हो रही थी प्रजातंत्र के अंदर ये एक मंदिर है जिस मंदिर में हम बोलते हैं, तो एक सच्चाई के रूप में हम इस मंदिर को देखते हैं। मैं आपको बता दूं राजस्थान के अंदर सबसे पहले जितनी स्कूलें खुलीं, जितनी स्कूलें क्रमोन्नत हुईं सबसे ज्यादा राजस्थान में, भारत में चौथे नंबर पर राजस्थान है स्कूल खोलने में और क्रमोन्नत करने में। राजस्थान के अंदर भाजपा की गवर्नमेंट आयी। अभी कांग्रेस की गवर्नमेंट भी है। एग्रीकल्चर के अंदर लगातार किसान इंतजार कर रहे थे कट आफ डेट की। पिछले बजट में मुख्य मंत्री महोदय ने तमाम कट आफ डेट 2022 तक घोषित करके ये सिद्ध कर दिया कि हम किसानों के हित में काम करते हैं। लगातार किसान मांग उठा रहे थे कृषि कनेक्शनों की मगर जो भी सरकार आयी, कभी-भी वादे पूरे नहीं किये।

सभापति महोदय, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जितने भी

(श्री गिरधारीलाल)

कनेक्शन एग्रीकल्चर के किए, साथ में घरेलू कनेक्शन भी दिए, अभिभाषण में मैं ये सुझाव देना चाहता हूं ढाणियों के कनेक्शन जितने होने थे उतने नहीं हो पाये, मेरा सुझाव है कि विद्युत कनेक्शन कट आफ डेट के बाद, जितने भी हमारे पावर सब-स्टेशन बनने थे, 220 के, 132 के, 33 के जीएसएस बनने थे, ये सब-स्टेशन बनने से ही आम किसान को फायदा होगा।

सभापति महोदय, बजट में जितने भी उपखण्ड कार्यालय, तहसील कार्यालय, उप-तहसील कार्यालय, जितनी बजट में घोषणा की थी, वह पूरी शुरू हुई। ये मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद है। वर्ष 2022 में दिसम्बर तक 325 नवीन राजस्व गांव भी घोषित किए गए। जिन ढाणियों में आम सुविधा नहीं मिल रही थी, उनको ग्राम घोषित होने के बाद में तमाम आम सुविधा मिलने लगी।

जैसे हमारे प्रतिपक्ष के नेता या प्रतिपक्ष के भाई कह रहे हैं कि सदन में सच बोलना चाहिए, जनता के बीच में सच्चाई आनी चाहिए। मैं प्रतिपक्ष से यह पूछना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री महोदय ने कहा था कि 2022 के अंदर किसानों की आमदनी दुगुनी हो जाएगी। वर्ष 2022 गया, एक महीना ऊपर होने जा रहा है, क्या 2022 में किसानों की आमदनी दुगुनी हो गयी? (व्यवधान) देखिए, ऐसे हालात हैं कि लागत के दाम पूरे नहीं हो रहे हैं। सदन की बात कर रहे हैं तो मैं ये कह रहा हूं। जितनी भी सरकारें आयी हैं जब अपने-अपने सुझाव देती हैं..

**श्रीमती शकुन्तला रावत** (उद्योग मंत्री): सभापति जी, बीच में टोक रहे हैं। विधायक महोदय सीधे-सादे हैं तो इसका मतलब ये थोड़े ही है कि आप बीच में टोकेंगे।

**श्री सभापति**: माननीय मंत्री महोदय, विराजिए।

**श्री गिरधारीलाल** (डूंगरगढ़): देखिए, मैं दिखने में सीधा जरूर हूं मगर इसका पूरा जवाब दे दूंगा मैं।

सभापति महोदय, आपने देखा कि आज भी राजस्थान के अंदर भाईचारा जितना बना हुआ है, जितने भी इन्होंने आंकड़े पेश किए हैं, जितने भी अंग्रेजी स्कूल खुले, आज पूरे देश के अंदर अगर राजस्थान में है तो अंग्रेजी मीडियम खोलने का श्रेय मुख्य मंत्री जी और राजस्थान सरकार को है। रही बात हमारे साथी कह रहे थे कि टीचर नहीं हैं, मैं कह रहा हूं मेरे विधान सभा क्षेत्र में जितने इंग्लिश स्कूल खुले हैं, उनमें अभी निश्चित रूप से तमाम टीचर

(श्री गिरधारीलाल)

हैं। मैं सच्चाई कह रहा हूं। जो स्कूल क्रमोन्नत किए गए हैं जो स्कूल नये बनाए गए हैं, कुछ पद रिक्त हैं, तो मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि आने वाले समय में आप निश्चित रूप से पद भरेंगे और आने वाले समय में शिक्षा को और बढ़ावा देंगे। यही कहते हुए धन्यवाद।

**श्री सभापति**: श्री बाबुलाल खराड़ी।

**श्री बाबुलाल** (झाडोल): माननीय सभापति महोदय, आज महामहिम राज्यपाल द्वारा इस साल के सरकार के अंतिम अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद।

सभापति महोदय जी, मैं अपनी बात शुरू करूं उससे पहले सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों ने इस अभिभाषण का गुणगान किया। माननीय सत्ता पक्ष के प्रथम वक्ता ने अपना धन्यवाद प्रस्ताव रखा। काफी सदस्यों ने सरकार की बहुत प्रशंसा भी की है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा, मैं गांव का आदमी हूं, मैं ज्यादा लम्बी-चौड़ी बात भी नहीं करूंगा और पूरे राजस्थान की बात भी नहीं करूंगा, लेकिन मैं उस क्षेत्र की बात करूंगा जिस क्षेत्र से जीतकर आता हूं।

सभापति महोदय, आपने इस अभिभाषण में बिजली के विषय में जो बातें कही हैं पैरा नम्बर 45 में, राजस्थान में पहले 13 मेगावाट उत्पादन होता था लेकिन आज हम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं। अब मुझे पता नहीं, आप गांव में गये होंगे, वहां से शिकायतें भी आती होगी, बिजली कब आती है कब जाती है, कुछ पता नहीं। सभापति महोदय, हमें लोग रात को फोन करते हैं कि हमारे यहां बिजली नहीं है। जब हम अधिकारियों से पूछते हैं, कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, सरकार ने बन्द कर दी। सभापति महोदय जी, आपको सुनकर आश्चर्य होगा, उस व्यक्ति का जीवन किस प्रकार चलता होगा, शाम को 5 बजे से 9 बजे तक बिजली बन्द। अब वह समय महत्वपूर्ण है। उस व्यक्ति द्वारा खाना बनाना व खाना, दूध निकालना व बच्चों के पढ़ने का समय। अब मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि आपको यही समय मिला जब बिजली बन्द करने का?

आपने बहुत बड़ी-बड़ी बातें कीं कि हम किसानों का भला कर देंगे। बिजली के विषय में मैं आपको घोषणाओं के बारे में बताऊंगा। पिछले बजट में मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की कि कोटड़ा में, मैंने भी मांग की थी, मैंने भी मेज़ थपथपाई थी, 132 केवी जीएसएस की घोषणा की। मुझे प्रसन्नता हुई आज उस घोषणा का क्या हुआ? केवल और केवल जमीन लेकर, उसकी

(श्री बाबुलाल)

बाउण्ड्री खींचकर उसको छोड़ दिया। अधिकारियों से पूछते हैं तो कहते हैं कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। अब क्या होगा? आप रात को बिजली देते हैं। वहां जानवर भी है। मैं क्षेत्र में जाता हूं, कई लोग कहते हैं कि यहां रात को बिजली देते हैं, आती है, जाती है, हम बिजली चालू करके जाते हैं, वापस बिजली चली जाती है, फिर आती है, फिर जाते हैं। वहां पर जंगली जानवरों के काटने से लोगों की मौत हो गई। सरकार क्या चाहती है, क्या वह लोग सरकार को राजस्व नहीं देते? सरकार बहुत बड़ी-बड़ी बातें करती है।

आपके पास सरकारी कर्मचारी तो कम हैं लेकिन आपने ठेका प्रथा पर, बहुत समय पहले, वर्षों पहले आपने ठेका कर्मियों को लिया। अब वह लोग विद्युत की ठीक से सप्लाई मिले, उसकी मेहनत दिन-रात करते हैं। उनका मानदेय आपने तय किया कि इतना ही मानदेय मिलेगा। जब चाहे उनको बुला लिया जाता है, क्योंकि वह ठेका कर्मी हैं, अगर वह नहीं करेंगे तो उनको निकाल देंगे। अब उनकी मांग है कि हमें इतने वर्ष हो गए, हमें अनुभव भी हो गया, हमने काम भी किया, तो हमें नियमित किया जाए। मैं सरकार से चाहूंगा कि आप इन गरीब लोगों को भी नियमित करेंगे।

दूसरा, आपने कृषि के क्षेत्र में बहुत सारी बातें कीं। मुख्य मंत्री जी ने कृषि का पिछली बार अलग से बजट भी पेश किया। हमको भी लगा कि अब कृषि के क्षेत्र में बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन होने वाला है लेकिन कृषि के विषय में आपने और हमने, सबने देखा है। आजकल तो सोशल मीडिया पर भी आता है, अख़बारों में भी आता है, टीवी पर भी आता है। हमारे जनजाति क्षेत्र में व्यक्ति खाद के लिये लम्बी-लम्बी लाइनों की कतार लगाता है। पहली बार तो खाद मिलता नहीं है। थोड़ा बहुत है तो वह लाइन में लगता है एक कट्टे के लिये। वही खाद कालाबाजारी में जाकर, जब यूरिया का 260 या 270 रुपये का बैग है, वही बैग 500, 550, 700 या 800 रुपये में मिलता है। इस प्रकार उन किसानों का पैसा अनावश्यक रूप से लगाने का काम सरकार कर रही है। 2-2 हजार में डीएपी लिया है। कृषि के क्षेत्र में आप क्या करना चाहते हैं?

मैं नरेगा श्रमिकों के विषय में बात करूंगा, वहां काफी मजदूर हैं। नरेगा बहुत बड़ी योजना है। आपने कहा कि यह दुनिया की सबसे बड़ी योजना है। आपने एक कंडीशन लगाई कि हम ऑनलाइन हाजिरी लेंगे। सभापति महोदय जी, मैं सरकार से पूछना चाहता हूं उस गांव में नेटवर्क नहीं है, नेटवर्क नहीं होने के कारण वहां मजदूर जाता है, अब वह गया है तो कहता है कि

(श्री बाबुलाल)

मेरी हाजिरी लगाओ। वहां नेट आता नहीं है और उनकी हाजिरी नहीं होती है, तो वह सरपंच से, सचिव से कहता है कि मेरी मजदूरी दो। क्या हालत कर दी है? यही चलेगा क्या? उस आदिवासी क्षेत्र में आपने आम अवाम को तकलीफ देने के अलावा कोई काम नहीं किया है।

सभापति महोदय जी, शिक्षा के क्षेत्र में अभी मंत्री जी काफी उत्तेजित भी हुए थे। सत्य बात सबको कड़वी लगती है लेकिन मैं जहां से आता हूं मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे यहां दो महाविद्यालय हैं और दो महाविद्यालयों की स्थिति क्या है, वहां पढ़ाने वाला लेक्चरर नहीं है। वहां के बच्चों की मांग है कि हमारे यहां संकाय खोलो, विज्ञान पढ़ना चाहता है, गणित पढ़ना चाहता है, वह अपना कैरियर बनाना चाहता है, लेकिन वह भी आप खोलेंगे नहीं।

आपने अध्यापकों की कमी के विषय को लेकर कहा, तो आप उस जनजाति क्षेत्र की विद्यालयवार सूची मंगाकर देख लेंगे, तो मैं आपसे कहूंगा कि कोई भी विद्यालय ऐसा नहीं होगा जहां आपका पूरा स्टाफ होगा। बच्चे पढ़ना चाहते हैं, वहां जाकर वह दीवारों को पढ़ेगा क्या? पढ़ाने वाला कौन है? बच्चे स्कूल जाते हैं, अध्यापक नहीं हैं, ताला लगाकर रोड पर आकर बैठते हैं, हड़ताल करते हैं। दो-तीन जगह पर मुझे भी जाने का अवसर मिला। शिक्षा विभाग का एक भी अधिकारी जाकर उनको जवाब नहीं देता, उनकी बात नहीं सुनता है, इस प्रकार के हालत हैं शिक्षा विभाग के।

आपने मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना चलाई। उसमें आपने नि:शुल्क पोशाक देने का काम किया कि हम कपड़ा देंगे, सिलाई का पैसा आपके खाते में डालेंगे। मंत्री जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस योजना में कक्षा 1 से 8 तक की आप पोशाक देंगे और मुख्य मंत्री जी ने ऑनलाइन उसका उद्घाटन भी कर दिया, उदयपुर में। इतना बड़ा उदयपुर है, आपने यूनिफार्म कितनी भेजी, सिर्फ 400, अगर 400 को ब्लाक वाइज बांटा गया तो एक-एक ब्लाक में 10-10 पोशाक आई, अब किस स्कूल में देंगे? यह नवम्बर की रिपोर्ट है, बाद में आपने भेजी हो तो मुझे पता नहीं।

सड़कों को लेकर मैं आपसे कहना चाहूंगा कि सड़कों की स्थिति क्या है, अभी हमारे पार्टी के मुखिया और आमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था।

**श्री सभापति**: कृपया अपनी बात समाप्त करें।

**श्री बाबुलाल** (झाडोल): सड़कें हैं तो पता नहीं लगता कि सड़कें खड्डे में हैं या खड्डों में सड़कें हैं। उन सड़कों का नवीनीकरण करने की काफी आवश्यकता है लेकिन कोई करने वाला नहीं है, क्योंकि आपके पास बजट नहीं है। मैं आपसे कहना चाहूंगा नालवा से डया सड़क है, लोगों ने ज्ञापन भी खूब दिए, प्रदर्शन भी किए, डी.एम.एफ.टी. में पैसा स्वीकृत था, कलेक्टर साहब ने मुझे कहा, साल भर से हम सुन रहे हैं, अभी तक तो हुआ नहीं।

आपने यह बात भी कही थी कि हम पंचायतों में खेल मैदान बनाएंगे। कितने खेल मैदान बनाए, यह भी बताएं? आप जल्दी भी कर रहे हैं, मुझे कुछ और भी कहना था। शुभ शक्ति योजना श्रमिकों के लिए है। इस योजना में सामाजिक कल्याण के लिए, मजदूरों के बच्चों को हम छात्रवृत्ति देते हैं। छात्रवृत्ति कितनी दी? मैं आपको आंकड़े दूंगा तो बड़ा ताज्जुब होगा। आपने 15 लाख मज़दूरों के बेटे-बेटियों को वंचित रखा है और इसमें 4 लाख 86 हजार, इतने बच्चे थे उस समय।

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

**श्री बाबुलाल** (झाडोल): उनमें से 3 लाख 90 हजार को आपने मदद नहीं की। 02 लाख 33 हजार 122 आवेदन आपने निरस्त कर दिए। अब आप बताएंगे, इन योजनाओं का क्या होगा?

**श्री सभापति**: समाप्त करें।

**श्री बाबुलाल** (झाडोल): मैं एक बात और कहना चाहता हूं। पेयजल विषय को लेकर मैं अपनी बात खतम करूंगा। आप बोलने तो नहीं देंगे मुझे, इसलिए थोड़ी हड़बड़ाहट हो जाती है। पेयजल में घर-घर नल योजना जल शक्ति मिशन के अन्दर आई। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि ग्रामीण क्षेत्र में आपने कितने गांवों को, कितने घरों को नल से जोड़ा? जब रिप्लाई हो तब जवाब देना तो पता लगेगा। वहां पर आपने एक भी गांव को आज तक नहीं जोड़ा। मैं गुजरात का उदाहरण दूंगा, वहां मैं दो महीने रहा चुनाव में, प्रत्येक गांव को नल से जल पहुंचाने के लिए पाइपलाइन बिछ गई, कुएं खुद गए, टंकियां बन गई। धरोई का पानी कोटड़ा के पास आ रहा है, तो राजस्थान की सरकार जनता को शुद्ध पेयजल नहीं पिलाना चाहती क्या? केन्द्र सरकार ने आपको पैसा दे दिया, उस पैसे को लेकर आप बैठे हैं। (व्यवधान)

**श्री सभापति**: समाप्त करें।

**श्री बाबुलाल** (झाडोल): माननीय सभापति महोदय, एक तो मैं मां-बाड़ी योजना की बात कहना चाहता हूं।

**श्री सभापति**: श्री अमृतलाल मीणा।

**श्री बाबुलाल** (झाडोल): माननीय सभापति महोदय, एक ही बात कह कर मैं अपनी बात को खतम कर रहा हूं। एक हमारे क्षेत्र में मांबाड़ी योजना की माननीय वसुन्धराजी की सरकार में शुरुआत हुई थी और उन बच्चों को वहां पर शिक्षा देने का काम किया जो वंचित बच्चे थे। अब उन लोगों की मांग है कि हम लम्बे समय से यह काम कर रहे हैं तो हमको संविदा में लिया जाये, तो सरकार को उनको संविदा में लेना चाहिए।

आपने मुझे इस विषय पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

**श्री सभापति**: श्री अमृतलाल मीणा।

**श्री अमृतलाल मीणा** (सलूम्बर): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से हमारा जो 2023 का अंतिम बजट पेश हुआ, उसके विपक्ष में बोलना चाहूंगा। सरकार ने यह अंतिम बजट पेश किया है। (व्यवधान)

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** (नेता, प्रतिपक्ष): यह अभिभाषण है।

**श्री अमृतलाल मीणा** (सलूम्बर): हां। महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा जो अभिभाषण में बुलवाया गया, यह पूरे अभिभाषण की कापी मैंने पढ़ी है। 2019 से लेकर यह 2023 आ गया। झाडोल से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा था कि आप एक बार जनजातीय क्षेत्र में जाकर देखें कि उस क्षेत्र में कितनी पीड़ा है? स्कूलों की हालत क्या है? हास्पिटल्स की हालत क्या है? सड़कों की क्या स्थिति है?

उदयपुर जिले के हमारे प्रभारी मंत्रीजी यहां पर नहीं हैं, लेकिन उस क्षेत्र में हालात बहुत खराब हैं। कानून-व्यवस्था बिलकुल भी नहीं है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। आज पटवारी भी नहीं सुन रहा है। सचिव के अलग हाल हैं। बी.डी.ओ. अपने हाल में मस्ती से वसूल रहा है और भू-माफियाओं का इतना बोलबाला है कि वे जबरदस्ती जमीनों के ऊपर कब्जा कर रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को आगाह करना चाहूंगा कि पूरे राजस्थान में खनन माफिया पनप रहा है। पिछले सवा चार साल में 8 लाख 31 हजार से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज हुए। निर्दोष लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए। 6,550 से ज्यादा निर्दोष लोगों की हत्याएं हुईं। क्या सवा चार साल में सरकार की यही उपलब्धियां हैं?

(श्री अमृतलाल मीणा)

उदयपुर के हमारे कन्हैयालाल का सरे आम गला काट दिया जाता है। अलवर में चिरंजीलाल की हत्या हो जाती है। भीलवाड़ा में तापड़िया की हत्या हो जाती है। हमारे चित्तौड़ में सोनी जी की हत्या होती है। सरकार की कानून-व्यवस्था के नाम पर कोई निगरानी ही नहीं है।

महिलाओं के साथ भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। जब से यह सरकार आयी है, तब से पूरे राजस्थान की चाहे बहन-बेटियां हों, चाहे युवा हों, चाहे बुजुर्ग हों, उनके साथ अत्याचार हो रहा है और 27 हजार से ज्यादा हमारी महिलाओं के साथ बलात्कार हुए हैं, क्या यही सरकार की उपलब्धियां हैं?

माननीय सभापति महोदय, बजरी माफियाओं का तो हाल ही अलग ही है और कई चीजों में राजस्थान भारत में पहले नम्बर पर रहा है, जैसे- पेपर लीक करने पर पहला नम्बर, साइबर क्राइम में पहला नम्बर, बिजली के बिल बढ़ाने पर पहला नम्बर, और तो और महिला अत्याचार में भी पहला नम्बर।

माननीय सभापति महोदय, आपने यह कहा था कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, तो वह समय निकल गया। युवाओं को नौकरी देंगे, वह भी खतम हो गया। आपने 2018-19 में यह भी कहा था कि हम नन्दीशाला खोलेंगे। पंचायत समिति स्तर पर सारे सांडों को वहां पर ले जाकर रखेंगे।

इतना ही नहीं, सबसे ज्यादा परेशानी उस आदिवासी क्षेत्र में है। आपने वहां पर अभी खाद भी गायब कर दिया। वे खाद को पूर्वी राजस्थान में ले आये जहां हमारे कांग्रेस के बड़े नेता निकले हैं। 12 ट्रेन उदयपुर में आयीं तो भरकर सारा इधर गायब कर दिया। खाद-बीज को गायब किया। नरेगा की स्थिति बहुत खराब है।

माननीय सभापति महोदय, हमारे यहां पर उस एरिया में पहाड़ी इलाका है, अरावली की श्रृंखलाएं हैं। मेरे क्षेत्र में वहां पर दो महाविद्यालय हैं, दोनों महाविद्यालयों में एक भी लेक्चरर नहीं है। आप जांच कर लीजिए। हमारे उच्च शिक्षा मंत्रीजी यहां पर नहीं दिख रहे हैं।

जितना कैम्प हमारे अभी यहां प्रशासन गांवों के संग चला तो आप ईमानदारी से अपनी छाती पर हाथ रखकर यह कहें कि जितने भी कैम्प चले, जिसमें पट्टा देने का जो सिलसिला था, वह अभी तक भी नहीं दिया है। आप जांच करवा लीजिए। लोगों से अलग-अलग चौथ वसूली की जाती है। कर्ज माफ आपकी सरकार द्वारा हुआ भी नहीं है बल्कि उलटा हमारे को कर्ज में डाल दिया। पूरे राजस्थान को ही डाल दिया।

(श्री अमृतलाल मीणा)

सड़कों की हालत बहुत ही खराब है। सड़कों की इतनी हालत खराब है, आप वाहवाही जरूर ले रहे हैं कि दस-दस करोड़ रुपये एक-एक विधायक को दे दिये पर आपने वह नहीं दिये। (व्यवधान) नहीं दिये, यही तो बात मैं कह रहा हूं। आप देख लीजिए मेरे रिकार्ड को।

**श्री सभापति**: कृपया, आप अपनी बात को जारी रखें।

**श्री अमृतलाल मीणा** (सलूम्बर): कर रहा हूं, +++ कर रहा हूं। आप सबके ही +++ हो गये तो फिर करना ही है।

बिजली पूरे क्षेत्र में, आप सब ही 80 परसेंट किसान यहां पर आते हैं, माननीय मंत्रीजी, आप भी किसान हैं, मंत्री होने के नाते आपको जरूर देते होंगे बाकी हालत बहुत खराब है। अभी बाबुलाल जी खराड़ी साहब ने जो कहा कि सुबह आपकी बिजली काट देंगे छह बजे, नौ, दस, ग्यारह बजे भी नहीं आयेगी, रात को बिजली देंगे। कहीं पर तो सूअरों से भिड़ना पड़ता है, कहीं पर भालू से भिड़ना पड़ता है, कहीं पर शेर से भिड़ना पड़ता है। एक दिन आपको उस एरिया में पाणत में ले जायें, कुओं पर पाणत करते हैं न, रात को पिलाई करते हैं, उसमें ले जायें और किस प्रकार से किसान यह संघर्ष कर रहा है, यह बात आपको मालूम पड़ जायेगी।

**श्री सभापति**: दो मिनट में समाप्त करें।

**श्री अमृतलाल मीणा** (सलूम्बर): सर, बिलकुल करेंगे। आपके आदेश की पालना करेंगे। बिजली की दरें नौ बार बढ़ाई हैं। कौन कह रहा है कि नहीं बढ़ाई? तीन साल तक किसानों को जो देना था, वह नहीं देकर अभी पिछले महीने शायद यह बारह हजार किया है सब्सिडी का।

चिकित्सा के क्षेत्र में निवेदन है। माननीय मंत्रीजी यहां पर बैठे हैं, आपका एक भी डाक्टर ग्रामीण क्षेत्र में नहीं रुकता है। वह न तो रात को रुकता है और न ही दिन में रुकता है। इन्होंने वहां पर अपनी-अपनी बारी कर रखी है कि आज आप वहां पर रहोगे और कल मैं रहूंगा, तो इस प्रकार की स्थिति वहां पर है।

पेयजल के लिए जो 27 हजार करोड़ रुपये भारत सरकार से मिले हैं, उसमें एक तरफ पाइप इधर बिछा दिया, एक तरफ इधर बिछा दिया और बीच में बिलकुल पाइप बिछाया ही नहीं, जिसकी वजह से भी भारी समस्या है।

जनता क्लिनिक के लिए आपने कहा था कि हम हर पंचायत

(श्री अमृतलाल मीणा)

मुख्यालय पर खोलेंगे। यह घोषणा आपने बजट घोषणा में की थी लेकिन अभी तक भी यह काम नहीं हुआ है।

मेरा आपसे यही निवेदन है कि इस अभिभाषण की मैं घोर निंदा करता हूं और इसमें कुछ भी नहीं है सिवाय आपके गुणगान करने के और मैं यह भी कह रहा हूं कि नौ महीने के बाद आप यह देखेंगे कि आप एक टैक्सी में आएंगे, एक टैक्सी में, फॉर्च्यूनर में क्योंकि इनका जो रवैया है, एक तो काला कह रहा है तो दूसरा कह रहा है कि गोरा है यह, तीसरा कह रहा है इस प्रकार का है, ऐसे सरकार नहीं चलती है। धन्यवाद, जय हिन्द, जय राजस्थान।

**श्री सभापति**: श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी।

**श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी** (राजसमन्द): माननीय सभापति महोदय, सत्र के प्रारम्भ में माननीय राज्यपाल का अभिभाषण एक अवसर होता है प्रदेश की जनता के सामने राज्य की वास्तविक उपलब्धियों को बताने का और राज्य के समक्ष प्रस्तुत चुनौतियों एवं समस्याओं के बारे में उन्हें सचेत करने का। मुझे दुःख है कि प्रदेश सरकार ने अभिभाषण में उपलब्धियों को बढ़ा-चढ़ा कर बताया है और प्रदेश की समस्याओं एवं चुनौतियों के बारे में पूरी तरह मौन साधा गया है। राजस्थान को एक आदर्श राज्य, दूसरे प्रदेशों के लिए अनुकरणीय राज्य बताना धरातल की सच्चाई से मुंह मोड़ना है।

आदरणीय सभापति महोदय, पूर्व वक्ताओं ने भी अपनी बात बहुत अच्छी तरीके से रखी है। कुछ बातें मैं राजसमन्द के हिसाब से और सबसे पहले चूंकि शिक्षा की बात हो रही थी और यह बात हुई कि बच्चियों की टॉयलेट, महिलाओं के लिए टॉयलेट नहीं हैं किसी भी स्कूल में, तो मैं आपको यह बताना चाहूंगी, मंत्री महोदय, कि कांकरोली के बीच कांकरोली में बालकृष्ण स्कूल जो कि सबसे पुराना स्कूल है, वहां के टॉयलेट्स की यह स्थिति है कि वहां पर बच्चियों के लिए टॉयलेट नहीं हैं। आप जानना चाहते थे कि कहां पर नहीं है? एक स्कूल का नाम तो मैंने आपको बता दिया।

माननीय मंत्री महोदय, आपने शिक्षा के मामले में इसमें बहुत बड़ी-बड़ी बातें कहीं। करीबन 1,300 इंग्लिश मीडियम स्कूल्स की घोषणा हुई राजस्थान में और इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में टीचर्स नहीं हैं। सिर्फ एक नाम देने के लिए कि अब हमारे यहां पर इंग्लिश मीडियम स्कूल होगा, उससे बच्चे पढ़ाई नहीं करते। बच्चों को अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ-साथ अच्छे टीचर्स की बहुत सख्त जरूरत है। आज परिस्थिति यह है कि दस हजार टीचर्स की कमी है पूरे

(श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी)

प्रदेश में। अगर मैं सिर्फ राजसमन्द की बात करूं तो हर स्कूल के अन्दर, कहीं दो टीचर्स हैं, कहीं तीन टीचर्स हैं और उनसे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। विशेषज्ञ टीचर्स नहीं हैं। मैथ्स के टीचर्स नहीं हैं, साइंस के लिए टीचर्स नहीं हैं। उन बच्चों का परिणाम ठीक नहीं है। मेरे यहां की विधान सभा का पिछली बार का मार्च में जब रिजल्ट आया था तो एक पंचायत है पिपरड़ा, उसके अन्दर मैथ्स में बहुत बच्चे फेल हुए थे क्योंकि वहां पर टीचर्स नहीं थे। आपका इन सबके बारे में क्या कहना है, यह मैं जरूर जानना चाहूंगी।

इस अभिभाषण में तो बहुत सारी बातें कही हैं। 63 पेज का यह अभिभाषण है। एक-एक पाइन्ट पर अगर हम बात करें तो शायद एक रात भी कम है क्योंकि हर पाइन्ट में सिर्फ और सिर्फ लोक-लुभावनी भाषा, जैसाकि आपका मैनिफेस्टो था वैसा ही अभिभाषण है। उसके अलावा और कुछ भी नहीं है।

सभापति महोदय, अगर हम बिजली की बात करें तो इस बारे में इतनी बड़ी-बड़ी बातें कही गयी हैं कि हम बिजली की दरें कम कर देंगे लेकिन बिजली की दरें तो आपने बढ़ाई हैं और बिजली कम की है। किसानों को राजसमन्द के अन्दर कभी तो सुबह 4 बजे और कभी 5 बजे लाइट मिलती है। इस ठण्ड में जब कलेक्टर बच्चों के स्कूल की छुट्टियां करते हैं तो वह यह बोल कर करते हैं कि बहुत ठण्ड है, बच्चे सुबह तैयार कैसे होंगे, तो फिर वह किसान क्या इन्सान नहीं हैं? सुबह 4 बजे वह किस तरीके से उठ कर सिंचाई करेंगे? उन किसानों का दु:ख इस सरकार ने देखा ही नहीं है। इसमें सिर्फ इतनी बड़ी-बड़ी बातें की हैं।

पेज नम्बर 33 को आप पढ़ेंगे तो उसके अन्दर बहुत क्लियरली लिखा है कि हमने बहुत सारे नवाचार किये हैं। नयी-नयी बातें कही हैं। हमने यह बात कही है कि किसानों के लिए मानवीय आधार पर 5 घंटे, 6 घंटे बिजली देंगे। इसके अन्दर यह लिखा है लेकिन अभी की स्थिति यह है कि सुबह 4 बजे, सुबह 5 बजे, कभी सुबह 3 बजे, इस तरीके से बिजली दी जाती है। अगर पावर कट होता है तो वह ऐसे टाइम पर होता है जब बच्चों को स्कूल जाना है, सबको अपने-अपने काम पर जाना है, सुबह साढ़े सात-आठ बजे। इस तरीके के अमानवीय समय पर पावर कट करते हैं।

एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इण्डस्ट्री को बिजली तो आप 24 घंटे देते हैं, आज 40 परसेंट लोगों का एम्प्लायमेंट एग्रीकल्चर बेस्ड है

(श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी)

लेकिन उसके बावजूद भी उनको नजरअन्दाज किया जाता है, इन लोगों को मूलभूत सुविधाओं से अलग रखा जाता है। बिजली की दरें तो आपने बहुत बढ़ायी और बिजली देने का समय बहुत कम किया। मैं आपसे यह जानना चाहूंगी, आप इतनी बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं कि हमने किसानों के लिए बहुत कुछ किया है, कृषि महाविद्यालय खोले हैं, 29 नये कृषि महाविद्यालय खोले गये, आपने यह भी कहा कि हम किसानों को अच्छी एजुकेशन देंगे ताकि वह बढ़ोतरी कर सकें, उन कृषि महाविद्यालयों की क्या स्थिति है? क्या आप बता सकते हैं हमें? उन कृषि महाविद्यालयों की यह स्थिति है कि वहां पर दो टीचर्स भी नहीं हैं। महाविद्यालयों में जो सुविधाएं होनी चाहिए, वह भी नहीं हैं। सिर्फ नाम के लिए आपने 29 कृषि महाविद्यालय खोले हैं लेकिन आज तक वहां पर कुछ भी नहीं हो रहा है।

बिजली के बारे में एक और बात है। आप हमेशा यह बात बोलते रहते हैं कि हमारे यहां पर कोयला नहीं है, कोयले की कमी के कारण आप बिजली प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं तो एक बात आप मुझे बताइये कि कोयला आपने छत्तीसगढ़ से मांगा, वहां पर आपकी सरकार है, वहां पर कांग्रेस की सरकार है। जहां पर कांग्रेस की सरकार है वहां से आप कोयला नहीं मांग पा रहे हैं, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट में आपको प्ली दायर करनी पड़ी। अजमेर विद्युत निगम ने सुप्रीम कोर्ट में यह प्ली दायर की है कि छत्तीसगढ़ हमें कोयला प्रोवाइड करे तो आप मुझे यह बताइये कि आपके दो नेता जुड़े हुए नहीं, आपके दो राज्य जुड़े हुए नहीं, आप भारत जोड़ो की बात करते हैं। किस तरीके से आप यह बात करते हैं? यह मेरे समझ से बहुत परे है।

कल एक इन्टरव्यू में किसी ने मुझे कहा कि आपका एक्सपीरिएंस कितना है? डेफिनेटली मेरा एक्सपीरिएंस तो दो-ढाई साल का ही है यहां पर एक विधायक के तौर पर, लेकिन इतनी एजुकेशन मेरे पास है कि मैं इसको पढ़ कर कोट कर सकती हूं कि यहां पर सिर्फ और सिर्फ छोटी बातें हैं कि हम यह करेंगे, हम ऐसा करना चाहते हैं।

मंत्री महोदय, एक और अच्छी बात यहां पर लिखी है महिलाओं के लिए, हम वर्क फ्रोम होम के माध्यम से महिलाओं को कुछ न कुछ अच्छा देंगे, जिसके लिए आपने 17 हजार महिलाओं का पंजीकरण किया है और इसमें यह लिखा गया है कि 20 हजार महिलाओं का और इसमें आप पंजीकरण करेंगे। मुझे कुछ ऐसा याद आता है कि कुछ पंजीकरण तो बेरोजगारों के लिए भी हुए

(श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी)

थे। करीबन 16 हजार पंजीकरण हुए थे। उसमें से कितने बेरोजगारों को भत्ता मिला? पता नहीं। यह वर्क फ्रोम होम के लिए जो आप महिलाओं का पंजीकरण करेंगे, सबसे पहले तो आप यह सोचिए कि वह महिला जो अपने घर के अन्दर सिलाई करती है, वह महिला जो अपने घर में हैण्डीक्राफ्ट का काम करती है, वह महिला जो अपने घर पर ब्यूटी पार्लर चलाती है, उन महिलाओं की सुविधाओं के लिए आपने कुछ सोचा या नहीं सोचा? आज तक हम महिलाओं के लिए यही सोचते रह गये। राजस्थान में महिलाओं की जो स्थिति है, इस सरकार में हुई है, वैसी पहले कभी भी नहीं हुई। जिस तरीके से रेप केसेज बढ़ते जा रहे हैं, पिछली बार 5 हजार थे, इस बार 6 हजार 300 हैं। आप यह कहते हैं कि कानून व्यवस्था हमने सुचारु कर ली है। कहां है वह कानून व्यवस्था? ये रेप केसेज बढ़े क्यों? यह तो कम होने चाहिए।

आपने एक बात और कही कि एफआईआर दर्ज करने के लिए आते हैं तो हमने उसके लिए रिसेप्शन बनाया है, अलग से एक कक्ष बनाया है जहां पर आराम से आयें और एफआईआर दर्ज करायें। यहां पर और माननीय सदस्य हैं, मेरी बात से सहमत होंगे कि जब कोई व्यक्ति एफआईआर दर्ज करवाने जाता है तो उसकी सबसे पहले तो एफआईआर तक दर्ज नहीं होती है। उसको यह बोला जाता है कि आप रुको, अभी हम देखते हैं। दो-दो, तीन-तीन दिन तक नहीं होती। उसके लिए विधायक को कॉल करना पड़ता है कि इस बन्दे की एफआईआर दर्ज करो, तब जाकर एफआईआर दर्ज होती है क्योंकि आपको आंकड़े दिखाने हैं, सिर्फ और सिर्फ असत्य आंकड़े दिखाने हैं। यह परिस्थिति आज राजस्थान की है।

**श्री सभापति**: दो मिनट में समाप्त करें।

**श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी** (राजसमन्द): मैं सम्पर्क पोर्टल के बारे में बात करना चाहती हूं। आपने अभिभाषण के सेकण्ड लास्ट पेज पर यह लिखा है कि 'राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर 01 जनवरी, 2022 से दिसम्बर, 2022 तक 23 लाख 40 हजार परिवेदनाएं प्राप्त हुईं, जिनमें से लगभग 21 लाख 83 हजार परिवेदनाओं का निस्तारण किया जा चुका है। ऑनलाइन परिवेदना निस्तारण में हम सम्पूर्ण देश में प्रथम स्थान पर हैं।' बहुत बड़ी बात कही। मैं आपको एक छोटे-से गांव का एग्जाम्पल देना चाहती हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक छोटा-सा गांव है गंगाज, जवासिया पंचायत में। वहां पर एक व्यक्ति ने एक परिवेदना लिखी और उसको ऑनलाइन पोर्टल पर डाला कि

(श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी)

हमारी पाइप लाइन में यह प्रोब्लम है, इसका सोल्यूशन कब होगा? वहां पर अधिकारी आते हैं और उनको बोलते हैं कि इसका अभी सोल्यूशन नहीं हो सकता, इसको तो हम देखेंगे, इसको हम 6-7 महीने बाद करेंगे। वह कहते हैं कि ठेकेदार के परिवार में किसी की डैथ हो गयी। अभी माननीय मंत्री महोदय ने बताया कि कभी दिवाली मना रहे हैं, कभी शादी में जा रहे हैं और कभी किसी की डैथ हो गयी, पर काम किसी को नहीं करना है। बस यह जवाब देकर पोर्टल में बोल देते हैं कि हम उस व्यक्ति से मिले। डेफिनेटली मिले। अधिकारी गया, उस व्यक्ति से मिला लेकिन ग्राउण्ड लेवल पर क्या उस व्यक्ति की समस्या का समाधान हुआ? यह बात मैं जानना चाहती हूं। सिर्फ नाम के लिए पोर्टल पर डालते हैं कि हम इतने व्यक्तियों से मिले लेकिन उनकी समस्या का निराकरण आज तक नहीं हुआ। इसमें आप यह बतायें कि सम्पर्क पोर्टल के द्वारा एक्चुअल में कितने लोगों को मदद की है? एक्चुअल में किसको सुविधा मिली? एक्चुअल में किसका काम हुआ?

पीडब्ल्यूडी की सड़कों की बात की गई। माननीय अशोकजी लाहोटी ने भी यह बात कही थी कि 10 करोड़ की सड़कों के लिए हम लोग मेज नहीं थपथपा रहे थे तो आप लोगों ने बोला कि थपथपाओ, 10 करोड़ की सड़कें तो आपको भी मिली हैं। सभापति महोदय, उन सड़कों में से सिर्फ दो सड़कें 15 दिन पहले इस डर के कारण चालू हुईं मेरे राजसमन्द में कि वापस बजट सैशन आ रहा है और मैडम यह बात उठायेंगी।

**श्री सभापति**: समाप्त करें। श्री नरेन्द्र नागर।

**श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी** (राजसमन्द): बहुत सारी बातें हैं, माननीय सभापति महोदय, दो मिनट में समाप्त करूंगी। माननीय सभापति महोदय, मैं सबसे छोटी विधायक हूं आपके सदन की, आप मुझे थोड़ा-सा ज्यादा टाइम दे सकते हैं।

भ्रष्टाचार पर बात करें तो यह बात जरूर कहूंगी कि बहुत बड़ेबड़े दावे आप करते हैं कि भ्रष्टाचार में जीरो टोलरेंस पर हैं, लेकिन जीरो टोलरेंस कहां पर है? इतने बड़े पेपर लीक की बात, आदरणीय नेता, प्रतिपक्ष जी ने भी यह बात बोली कि यह होना क्यों चाहिये? हमें इसी बात का जवाब चाहिये। हो गया, आप क्या उसके साथ करें, आप एस.ओ.जी. से जांच करा रहे हैं, सी.बी.आई. से निष्पक्ष जांच होनी चाहिये, लेकिन वापस से यह नहीं हो। इसके बारे में आज तक कुछ भी नहीं किया गया, इस बात की पीड़ा आज के युवा को है।

(श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी)

माननीय सभापति महोदय, मुझे पता है आप मुझे देख रहे हैं। मुझे महिला रेप केसेज और बहुत सारी बातें आपके समक्ष रखनी थीं, लेकिन मैं आपको यही बात कहना चाहूंगी कि यह जो अभिभाषण है, इस अभिभाषण में आपने जो बात लिखी है और आपके अधिकारियों ने जो बात लिखी है, उन अधिकारियों को आप बोलिये कि जनता भोली-भाली नहीं रही है और जनता को बेवकूफ बनाना बंद करें। इसमें जो मेनिपुलेटेड भाषा, शुगर कोटेड भाषा जिसको कहते हैं, उस तरीके से जो आपने लिखी है, उसकी जगह हम बेसिक चीजों पर ध्यान दें, उनका जो बेसिक अधिकार है, उस पर ध्यान दें। बिजली, पानी, कानून, रोजगार इस पर ध्यान दें तो आई थिंक, कहीं न कहीं हम जिम्मेदार होने का और जिस वजह से हम यहां पर आज बैठे हैं, वह काम कर पायेंगे। इसी बात से मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए आपको धन्यवाद देती हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

**श्री सभापति**: श्री नरेन्द्र नागर।

**श्री नरेन्द्र नागर** (खानपुर): माननीय सभापति महोदय, अब तो बहुत कम समय बचा है। माननीय सभापति महोदय, आपने राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, मैं पूरे राजस्थान पर न जाकर सिर्फ अपने क्षेत्र की कुछ बात करके अपना वक्तव्य खतम करूंगा, क्योंकि छह बजने में सिर्फ आठ मिनट बाकी हैं।

माननीय सभापति महोदय, बिजली की बात चल रही थी कि राज्यपाल के अभिभाषण में बिजली के लिये तारीफ हुई थी। पूर्व में मुख्य मंत्री महोदय द्वारा राजस्थान के लिये घोषणा की गयी थी कि राजस्थान में हम किसानों को दिन में बिजली देंगे। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान की छोड़कर मेरे विधान सभा क्षेत्र और मेरे जिले के जो वर्तमान में हालात हैं, वहां दिन में बिजली आती है, दिन में दो फीडर की जगह इन्होंने एक फीडर बना रखा है, उसमें 9.00 से 3.00 बजे तक बिजली आती है और इन छह घंटों में से मुश्किल से दो घंटे बिजली आती है और वह दो घंटे भी पूरे नहीं आती है। उस बिजली की पूर्ति यह रात को करते हैं और रात को भी किसी दिन करते हैं, किसी दिन नहीं करते। यह हालात वर्तमान में बिजली के हैं। यह सबके सामने हैं। किसानों को अन्नदाता कहते हैं, उसके हालात यह हैं।

माननीय सभापति महोदय, जले हुए ट्रांसफार्मर जो पहले 72 घंटे में

(श्री नरेन्द्र नागर)

बदले जाते थे, उनकी स्थिति यह है कि अभी वर्तमान में तो बदल रहे हैं, पर आज के 15 से 20 दिन पहले यह स्थिति थी कि आठ-आठ दिन तक नहीं बदले जाते थे। घरेलू की स्थिति यह है कि 15-15 दिन तक गांव का आदमी कहता रहता है, यहां शहर में तो ट्रांसफार्मर जलने के बाद दो घंटे में ही ट्रांसफार्मर बदल दिया जाता है, पर उस गांव के आदमी का ट्रांसफार्मर 15-15 दिन में भी नहीं बदला जाता। यह हकीकत मैं आपको बता रहा हूं। स्थिति यह है कि वर्तमान में जितने भी GSS हैं, वह ठेके पर हैं। ठेके पर जो कर्मचारी हैं, हर GSS के 34 हजार रुपये सरकार की तरफ से उस ठेकेदार को दिया जाता है, वह मुश्किल से 15 से 16 हजार रुपये में कर्मचारी रखता है और आई.टी.आई. वाले कर्मचारी भी नहीं रखकर चाहे जिसको रखता है। जो सबसे कम पैसे लेता है, उनका रखता है और रात को शराब पीकर इधर-उधर घूमते रहते हैं और उनका कोई पता नहीं रहता है। उनको समय पर तनख्वाह नहीं दी जाती है। उनके पास पर्याप्त संसाधन नहीं है। आप देखते हो, एक दिन, दो दिन छोड़कर कहीं न कहीं कैजुअलिटी होती रहती है और वह 33 केवीए के चिपककर मर जाता है। ऐसे हालात इस राजस्थान के हैं। अब किस प्रकार से इस अन्नदाता को मजबूत किया जाये, यह सरकार के ऊपर डिपेंड करता है।

माननीय सभापति महोदय, सड़क की स्थिति यह है कि वर्तमान समय में पिछले बजट में, उसके पहले के बजट में जो घोषणा हुई थी, वहां अभी तक भी रोड में डामरीकरण नहीं हुआ है, यह हालात हैं। पूर्व की वसुन्धरा राजे जी की सरकार में जो घोषणा थी, जो काम चल रहे थे, वह काम भी अभी तक चार साल तक पूरे नहीं हुए हैं। कुछ उदाहरण मैं बताऊं, मेरे बुराड़खेड़ा, खेड़ली सड़क अभी तक पूरी नहीं हुई, गणेशपुरा अभी तक पूरा नहीं हुआ, करणवास से मालनवासा अभी तक पूरा नहीं हुआ और पिछले तीन साल में बाढ़ में जितनी भी पुलियाएं टूटी हैं, पिछले दो सालों में एक रुपया भी पुलिया के नाम से मेरे विधान सभा क्षेत्र में नहीं मिला। उसमें मिट्टी डालकर किस प्रकार से वहां के लोग निकल रहे हैं, यह हालात मेरे विधान सभा क्षेत्र के हैं।

माननीय सभापति महोदय, आगे मैं चिकित्सा की बात कहूंगा। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की बात करें, माननीय मुख्य मंत्रीजी, माननीय मंत्रीजी भी बैठे हैं, बहुत वाहवाही लूटी, वास्तव में वाहवाही मिलनी भी चाहिये। पहले साढ़े 3 लाख रुपये जब भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना में मिलते थे, उसको आपने 5 लाख किया और उसके बाद 10 लाख किया। आप पाबंद करो

(श्री नरेन्द्र नागर)

प्राइवेट अस्पतालों को कि कोई भी स्वास्थ्य के लिये पेशेंट जाये तो उसका इलाज वह कर दे। बस इतना कर दो ताकि जिसका पात्रता सूची में नाम है, आपकी जो चिरंजीवी योजना है, उसका उसमें इलाज हो जाये ताकि वह आदमी इलाज कराकर घर आ जाये। बिना सिफारिश के कोई भी प्राइवेट अस्पताल वाला इलाज नहीं करता है और यह हालात हैं। यह मैं नहीं कह रहा, जोधपुर में जहां से अशोक गहलोत आते हैं, वहां की दिव्या मदेरणा को खुद को धरने पर बैठना पड़ा। इससे बुरे हालात क्या हो सकते हैं, यह मैं आपसे कहना चाहता हूं। यह स्थिति स्वास्थ्य के बारे में पूरे राजस्थान में है।

माननीय सभापति महोदय, पेयजल की स्थिति यह है कि जल जीवन मिशन के तहत आप रेंग-रेंगकर आगे बढ़ रहे हो। पता नहीं प्रधान मंत्रीजी का नाम इसमें नहीं आ जाये, केन्द्र की योजना है, इससे उनका नाम नहीं हो जाये। ऐसे तो एस्टीमेट बना है गांव की पुरानी लाइनों को जोड़ा जा रहा है, माननीय सभापति महोदय, और जो गांव कम्पलीट हो गये हैं, उनको पीएसपी से तो फिर भी अच्छा पानी मिल जाता था, पर वर्तमान में हालात खराब हैं। गांव को जोड़ने के लिये ठेकेदार कम हैं। एक ही ठेकेदार दस-दस गांवों में, लाइन खोदकर डाल रखी है और वहां से आदमी निकल नहीं पाते हैं, यह हालात वहां हो रहे हैं। वहां पर एक्सीडेंट हो रहे हैं। रात को माताएं-बहनें वहां से निकल नहीं पातीं क्योंकि बिजली शाम को आती नहीं है। कैसे हालात आज जल जीवन मिशन के हैं और कैसी स्थिति करके रखी हुई है, यह आप सबको पता है।

माननीय सभापति महोदय, मैं सिंचाई की बात करूं। सिंचाई में बरसों से हमारे यहां परवन डैम की वसुन्धरा जी की पूर्व सरकार में घोषणा हुई थी और 2022 में पूरा होना था। अभी वर्तमान में क्या हालात हैं और वर्तमान के अलावा जिन गांवों को पुनर्स्थापित करना था, जिन गांवों को मुआवजा देना था, जिन परिवारों को मुआवजा देना था, इन्होंने जो सर्वे किये हैं, वह आंशिक सर्वे किये हैं। एक ही गांव में, एक ही घर, एक ही परिवार, एक घर के पास दूसरा परिवार, एक घर को आप मुआवजा दे रहे हैं और एक घर को छोड़ रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, अब वह वहां पर कैसे रहेगा, यह आप सब समझते हैं।

मेरे यहां एक दोलाड़ा गांव हैं, जिसका प्लेस सराउंडेड बाई, जिसे अपन

(श्री नरेन्द्र नागर)

आइलैंड कह सकते हैं, उस गांव की पूरी जमीन डूब में आ गयी और डूबने के बाद तीन जगह से पानी से घिर जायेगा, उसको भी आपने आंशिक लेकर छोड़ दिया। आपने कलेक्टर से रिपोर्ट मांगी, कलेक्टर ने खुद ने रिपोर्ट दे दी कि वास्तव में वहां रहने की स्थिति में नहीं है, यहां रह नहीं सकते। उनको भी आप मुआवजा नहीं देना चाहते, तो वह कहां जाएंगे? जब उनके पास जमीन नहीं है, उनको आप कुछ देना नहीं चाहते, तो वह भगवान भरोसे उनको सरकार छोड़ना चाहती है। आगे आने वाले समय में क्या स्थिति होगी, वह कितनी दुआएं आपको देंगे, यह आप सबके सामने है।

माननीय सभापति महोदय, परवन के बाद कोई योजना हमारे हाड़ौती में नहीं है। यह सबसे बड़ी योजना है और जब हमने इस योजना का शिलान्यास किया था वसुन्धराजी की सरकार में, जब हमसे अधिकारियों ने कहा था कि आपके विधान सभा क्षेत्र की एक इंच जमीन भी असिंचित नहीं रहेगी। हालात यह है कि अभी कुछ दिन पहले जानकारी मिली कि कुछ गांव आपने छोड़ दिये हैं। यह तो पता नहीं क्यों आपने छोड़ दिये? छोड़ने वाले गांवों का मैं बता रहा हूं हरिगढ़ बोरदा, बड़ग्वाला ऐसे गांव हैं, जिनके आने वाले समय में कोई चांस नहीं है। आपने ऐसी स्थिति करके छोड़ रखी है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आगे बात करता हूं राजस्व विभाग की। राजस्व विभाग में झालावाड़ जिले में तहसीलें पिछली बार खोलीं। सरकार की मंशा एस.डी.एम. कोर्ट खोलने की थी कि एस.डी.एम. कोर्ट खोलें, पर पिछली बार भी मेरे साथ यह हुआ कि हमारे जहां तहसील भी थी, वहां पर एस.डी.एम. कोर्ट खोल दी गयी 2008 से 2013 में, पर 25 पंचायतें होने के बाद भी राजस्थान में सबसे अच्छी जगह, जहां एस.डी.एम. कोर्ट खुलनी चाहिए, मैं चाहता हूं वहां पर निश्चित रूप से एसडी.एम. कोर्ट की घोषणा हो ताकि निश्चित रूप से वहां की जनता को लाभ मिले।

माननीय सभापति महोदय, शिक्षा के क्षेत्र में निश्चित रूप से आपने स्कूल खोले हैं, पर अंग्रेजी स्कूल खोलने के नाम पर सरकार ने कोई बजट नहीं दिया है। यदि अंग्रेजी स्कूलों के नाम से मंत्रीजी, आप भर्ती करते, उनके नाम से आप भवन देते तो मैं निश्चित रूप से अशोक गहलोतजी की सरकार को और माननीय मंत्रीजी, मैं आपको धन्यवाद देता। स्थिति यह है कि जहां पर आपने अंग्रेजी स्कूल खोले, वहां पर कहीं न कहीं आपने कोई न कोई सरकारी स्कूल बन्द किया है। ज्यादातर मेरे विधान सभा क्षेत्र में आपने

(श्री नरेन्द्र नागर)

बालिका स्कूल बन्द किया है। बालिकाओं का सीनियर सेकण्डरी स्कूल अलग था, बालिकाएं अलग पढ़ती थीं, उनका स्कूल बन्द करके आपने अंग्रेजी स्कूल खोला। अब वह बालिकाएं कहां पढ़ेंगी? इस तरह के यह हालात हैं। जहां पर अंग्रेजी स्कूल खोला है, अब अंग्रेजी स्कूल में जब टीचर नहीं हैं, जब भवन नहीं है तो किस प्रकार का वातावरण वहां होगा, यह आप सबको पता है। स्थिति यह है कि आज पूरे राजस्थान में, अभी पूर्व माननीय सदस्यों ने भी कहा कि शौचालय नहीं हैं। वहां पर बिजली होनी चाहिये, वहां पर शौचालय होने चाहिये, वहां पर पर्याप्त कक्षा-कक्ष होने चाहिये, तब जाकर निश्चित रूप से शिक्षा का स्तर बढ़ेगा। आज स्थिति यह है कि भारत जोड़ो यात्रा जब निकल रही थी तो मैं बड़े दु:ख के साथ कह रहा हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के और पूरे झालावाड़ जिले से लगभग 85 अध्यापकों को उठाकर उनका ट्रांसफर भरतपुर कर दिया गया। अब भरतपुर इसलिये किया गया कि भरतपुर की जनता कहीं इस यात्रा में विरोध नहीं कर ले, क्योंकि झालावाड़ की जनता विरोध करे तो करे, वहां पर पहले भी भारतीय जनता पार्टी के चारों विधायक थे।

**एक माननीय सदस्य**: कर दिये।

**श्री नरेन्द्र नागर** (खानपुर): कर दिये, वह तो कोर्ट से स्टे ले आये, पर मंत्रीजी ने ऐसे हालात कर दिये। जहां पर पहले से टीचर नहीं हैं, जहां दूसरे विषय के टीचर नहीं है, वहां के भी सारे स्कूल आपने खाली कर दिये और खाली करने के बाद यह नहीं कि झालावाड़ से बारां लगाओ तो फिर भी माने। (व्यवधान)

**श्री सभापति**: सदन की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 30 जनवरी 2023 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

**(तदनन्तर सदन की बैठक 18.00 बजे सोमवार, दिनांक 30 जनवरी 2023 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)**

# अनुपस्थित सदस्य का तारांकित प्रश्नोत्तर

## कोटा सम्भाग में कोचिंग छात्रों के आत्महत्या के प्रकरण

**1. श्री पानाचन्द मेघवाल** (बारां-अटरू): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) कोटा सम्भाग में विगत चार वर्षों में स्कूल, कालेज एवं कोचिंग सेन्टर के विद्यार्थियों द्वारा आत्महत्या किये जाने के कितने प्रकरण दर्ज हुए? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) कोटा शहर में विद्यार्थियों द्वारा आत्महत्या के प्रमुख कारण क्या रहे तथा सरकार द्वारा विद्यार्थियों की काउन्सलिंग और उनकी सुरक्षा के लिए क्या-क्या प्रयास किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) कोटा सम्भाग में विगत चार वर्षों (2019 से 2022) में स्कूल कालेज एवं कोचिंग सेन्टर के विद्यार्थियों की आत्महत्या के कुल 53 प्रकरण दर्ज हुए हैं जिनका वर्षवार संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट-अ पर अंकित है।

(2) कोटा शहर में विद्यार्थियों द्वारा आत्महत्या के प्रमुख कारण निम्न हैं:-

1. कोचिंग छात्र कोचिंग सेन्टर में होने वाले टेस्ट में छात्रों के पिछड़ जाने के कारण उनमें आत्म-विश्वास की कमी उत्पन्न होना।
2. माता-पिता की छात्रों से उच्च महत्वाकांक्षा होना।
3. छात्रों में शारीरिक/मानसिक एवं पढ़ाई संबंधी तनाव उत्पन्न होना।
4. आर्थिक तंगी/ब्लैकमेलिंग/प्रेम प्रसंग इत्यादि।

स्कूल शिक्षा (ग्रुप-5) विभाग द्वारा कोटा शहर एवं उच्च शिक्षा विभाग द्वारा कोटा सहित प्रदेशभर में संचालित कोचिंग सेन्टरों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को मानसिक सम्बल एवं सुरक्षा प्रदान करने हेतु क्रमश: दिनांक 13.06.2018 एवं 11.11.2022 को दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं, जिनकी प्रतियां क्रमश: परिशिष्ट-ब व स पर संलग्न है।

कोचिंग संस्थाओं पर नियंत्रण हेतु कानून बनाने के लिए "The Rajasthan

(गृह मंत्री)

Coaching Institutes (Control and Regulation) Bill 2023'' लाया जाना प्रक्रियाधीन है।

**(विवरण व प्रतियां पुस्तकालय में रखे गये)**

# समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर

## राजस्थानी भाषा को संवैधानिक मान्यता

**13. डा. राजकुमार शर्मा** (नवलगढ़): क्या कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा राजस्थानी भाषा को संवैधानिक मान्यता दिलाने हेतु केन्द्र सरकार को पत्र लिखा गया है? यदि हां, तो पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार राजस्थानी भाषा को संवैधानिक मान्यता दिलाने हेतु विशेष प्रयास करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व कब तक तथा नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) जी हां। राजस्थानी भाषा को संवैधानिक मान्यता दिलाने हेतु राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार को समय-समय पर अर्द्धशासकीय पत्र प्रेषित कर निवेदन किया गया है। लिखे गये पत्रों की तिथिवार प्रतियां परिशिष्ट-क पर संलग्न हैं।

(2) जी हां। राजस्थानी भाषा को संवैधानिक मान्यता दिलाने हेतु राजस्थान विधान सभा में 25 अगस्त, 2003 को संकल्प पारित किया गया है। तदुपरान्त समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार से अनुरोध किया जाता रहा है। संवैधानिक मान्यता दिलाये जाने सम्बन्धी विषय केन्द्र सरकार का है, अतः अग्रिम कार्रवाई केन्द्र सरकार के स्तर से ही की जानी है।

**(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)**

## गंगापुर में आवासन मण्डल द्वारा अधिग्रहित भूमि का मुआवजा

**14. श्री रामकेश** (गंगापुर): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) आवासन मण्डल द्वारा विधान सभा क्षेत्र गंगापुर में कालोनी निर्माण हेतु खातेदारों की कितनी भूमि अधिग्रहित की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री रामकेश)

(2) क्या सरकार द्वारा उक्त अवाप्ताधीन भूमि का मुआवजा प्रभावित खातेदारों को देकर भूमि का कब्जा ले लिया गया है? यदि हां, तो आवासन मण्डल कालोनी का निर्माण कब तक करने का विचार रखता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) गंगापुर विधान सभा क्षेत्र में कालोनी निर्माण हेतु ग्राम खानपुर बड़ौदा, तहसील गंगापुरसिटी, जिला सवाईमाधोपुर में 58.77 है. भूमि अवाप्त की गई है। अवाप्त भूमि का अवार्ड दिनांक 08.02.2012 को जारी किया गया है, जिसके खातेदारों का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। खातेदारों से सम्पूर्ण भूमि का कब्जा प्राप्त होने के उपरांत दो माह में आवासन मण्डल द्वारा मौके पर आवासीय योजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जा सकेगा।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## पाली की औद्योगिक इकाइयों में ट्रीटमेंट प्लान्ट की स्थापना

**15. श्री ज्ञानचंद पारख** (पाली): क्या पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) पाली स्थित पुनायता एवं मंडिया रोड औद्योगिक क्षेत्र की किस-किस औद्योगिक इकाइयों द्वारा राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल में स्थापना एवं संचालन सम्मति हेतु कब-कब कितनी-कितनी के.एल.डी. हेतु आवेदन किये गये? उक्त में से किन-किन इकाइयों को किन-किन कारणों से सम्मति नहीं दी गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त में से किस-किस इकाई को सी.ई.टी.पी. द्वारा के.एल.डी. जारी की गई थी किन्तु मंडल द्वारा किन-किन कारणों से सम्मति नहीं दी गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त में से ऐसी कौन-कौनसी इकाइयां हैं जिन्हें इकाई स्थापित करने हेतु रीको द्वारा बाद में भूखंड आबंटित किये गये किंतु ट्रीटमेंट प्लान्ट की क्षमता नहीं होने के कारण इन्हें सम्मति नहीं दी गई? क्या सरकार जिन औद्योगिक इकाइयों में संयंत्र स्थापित कर लिये हैं उन्हें संचालन सम्मति जारी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल में दिनांक 01.04.2020 से 18.01.2023 के दौरान पाली जिले में स्थित उच्छिष्ट स्रावित करने वाली कपड़ा औद्योगिक इकाइयों के जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अंतर्गत स्थापना एवं संचालन सम्मति हेतु कुल 820 आवेदन पत्र प्राप्त हुए। इनमें से पुनायता औद्योगिक क्षेत्र एवं मंडिया रोड औद्योगिक क्षेत्र में स्थित कुल 538 इकाइयों के आवेदन प्राप्त हुए जिनमें से 26 आवेदन प्रावधानों के अनुरूप निरस्त किये गये। निरस्त किये गये आवेदनों का विवरण निम्नानुसार है:-

| **क्षेत्र** | **प्राप्त आवेदन** | **स्थापना सम्मति** | **संचालन सम्मति** | **कुल निरस्त आवेदन** |
|---|---|---|---|---|
| पुनायता औद्योगिक क्षेत्र, पाली | 288 | 7 | 7 | 14 |
| मंडिया रोड औद्योगिक क्षेत्र, पाली | 250 | 6 | 6 | 12 |
| कुल आवेदन | 538 | 13 | 13 | 26 |

निरस्त किये जाने के कारणों एवं निरस्त किये गये 26 आवेदनों का विवरण परिशिष्ट-अ पर सलंग्न है।

(2) उक्त समस्त 26 इकाइयों को सी.ई.टी.पी. द्वारा के.एल.डी. जारी की गई थी परन्तु राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा सम्मति आवेदन पत्र निरस्त किये गये। निरस्त किये गये आवेदनों एवं कारणों का विवरण परिशिष्ट-अ पर सलंग्न है।

(3) उद्योग एवं वाणिज्य विभाग से प्राप्त सूचना अनुसार ट्रीटमेन्ट प्लान्ट स्थापित होने के पश्चात् रीको द्वारा औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने हेतु 11 भूखण्ड आबंटित किये गये हैं। विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

तथापि दिनांक 01.04.2020 से 18.01.2023 तक राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा पाली स्थित पुनायता औद्योगिक क्षेत्र एवं मंडिया रोड औद्योगिक क्षेत्र की कुल 8 इकाइयों की नये उद्योग की स्थापना अथवा क्षमता में बढ़ोतरी के कारण जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अंतर्गत किये गये आवेदन निरस्त किये गये।

(पर्यावरण मंत्री)

उक्त 8 इकाइयों में से 3 इकाइयों ने सी.ई.टी.पी. द्वारा जारी के.एल.डी. अनुसार नया उद्योग स्थापित करने हेतु आवेदन किया था एवं अन्य 5 इकाइयों द्वारा राज्य मंडल से पूर्व में प्राप्त संचालन सम्मति में उल्लेखित के.एल.डी. से अधिक के.एल.डी. हेतु आवेदन किया गया था। निरस्त किये गये आवेदनों एवं कारणों का विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न हैं।

तथापि औद्योगिक इकाई द्वारा पूर्ण क्षमता का ट्रीटमेंट प्लान्ट स्थापित नहीं होने के कारण इन्हें सम्मति नहीं दिये जाने का कोई भी प्रकरण वर्तमान में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के पास लम्बित नहीं हैं।

यदि किसी औद्योगिक इकाई ने स्वयं के स्तर पर उच्छिष्ट उपचार संयंत्र (ट्रीटमेंट प्लान्ट) राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल से जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अंतर्गत स्थापना सम्मति प्राप्त कर स्थापित किया है तो राज्य मंडल द्वारा औद्योगिक इकाई को संचालन सम्मति हेतु आवेदन करने एवं स्थापना सम्मति में उल्लेखित शर्तों की पालना सुनिश्चित होने पर संचालन सम्मति जारी की जाती हैं। इस प्रकार का कोई भी प्रकरण वर्तमान में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के पास लम्बित नहीं हैं।

**(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)**

## खोह दरीबा एवं मोतीवाड़ा (थानागाजी) को उप तहसील बनाने की कार्ययोजना

**16. श्री कान्ति प्रसाद** (थानागाजी): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र थानागाजी के ग्राम खोह दरीबा एवं मोतीवाड़ा को उप तहसील बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

वर्तमान में ग्राम खोह दरीबा एवं मोतीवाड़ा में उप तहसील कार्यालय खोलने संबंधी कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

## ऋषिकेश मंदिर आबूरोड का जीर्णोद्धार

**17. श्री जगसी राम** (रेवदर): क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री जगसी राम)

(1) माउन्ट आबू में विगत चार वर्षों में कितने देशी-विदेशी पर्यटकों का आगमन हुआ तथा पर्यटकों से कितनी आय प्राप्त हुई? पर्यटकों का वर्षवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) माउन्ट आबू एवं माउन्ट आबू की तलहटी आबूरोड क्षेत्र में विगत चार वर्षों में देशी-विदेशी पर्यटकों को लुभाने के लिये कितनी-कितनी राशि की कौन-कौनसी कार्ययोजना बनाकर क्या-क्या कार्य कराये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार आबूरोड के सांतपुर व तलहटी के तालाब तथा ऋषिकेश मंदिर का जीर्णोद्धार कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) विगत चार वर्षों में माउन्ट आबू में आये देशी-विदेशी पर्यटकों का विवरण निम्नानुसार है:-

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022 | 33.35 लाख | 1079 |
| 2 | 2021 | 13.84 लाख | - |
| 3 | 2020 | 13.14 लाख | 375 |
| 4 | 2019 | 43.47 लाख | 3669 |

पर्यटकों के आगमन से पर्यटन व्यवसाय से जुड़े विभिन्न सेवा प्रदाताओं को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से आय प्राप्त होती है। विभाग द्वारा इस प्रकार प्राप्त होने वाली आय संबंधी सूचना का संकलन नहीं किया जाता है।

(2) विगत 4 वर्षों में माउन्ट आबू एवं माउन्ट आबू की तलहटी आबूरोड क्षेत्र में पर्यटन के विकास हेतु कराये गये कार्यों का विवरण परिशिष्ट-अ तथा परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) नगर सुधार न्यास, आबूरोड के द्वारा सांतपुर व तलहटी के तालाब के सौन्दर्यीकरण के कार्य हेतु कार्यवाही की जा रही है। विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

ऋषिकेश मंदिर का जीर्णोद्धार करने हेतु राशि रुपये 49.15 लाख का प्रस्ताव स्वीकृति हेतु प्रक्रियाधीन है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)**

## परबतसर में फसल खराबे का मुआवजा

**18. श्री रामनिवास गावड़िया** (परबतसर): क्या आपदा प्रबन्धन एवं सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में फसल खराबे के मुआवजे के लिए क्या मापदण्ड निर्धारित हैं? विधान सभा क्षेत्र परबतसर में उक्त मापदण्डों के तहत वर्ष 2020-21 व 2021-22 में कितने किसानों को फसल खराबे का मुआवजा दिया गया तथा कितने किसान मुआवजे से वंचित हैं? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में फसल खराबे के मुआवजे से वंचित रहे किसानों को मुआवजा देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) प्राकृतिक आपदा से फसल खराबा होने पर भारत सरकार के निर्धारित मापदण्ड (एसडीआरएफ नोर्म्स) के अनुसार आदान-अनुदान वितरण किया जाता है। असिंचित काश्तकारों को प्रति हैक्टेयर 6,800/- अधिकतम दो हैक्टेयर तक (दो हैक्टेयर तक राशि 13,600/-) एवं सिंचित काश्तकारों को 13,500/- प्रति हैक्टेयर अधिकतम दो हैक्टेयर तक (दो हैक्टेयर तक राशि 27,000) दिये जाने का प्रावधान है।

विधान सभा क्षेत्र परबतसर में फसल खरीफ फसल संवत् 2078 में बाढ़ से फसल खराबा से प्रभावित काश्तकारों, लाभान्वित एवं शेष रहे काश्तकारों का विवरण निम्नानुसार है। वर्ष 2020-21 में विधान सभा क्षेत्र परबतसर में प्राकृतिक आपदा से फसलों को नुकसान नहीं हुआ तथा वर्ष 2021 -22 में बाढ़ से हुए फसल खराबा एवं लाभान्वितों की सूचना निम्नानुसार है:-

| **क्र. सं.** | **तहसील का नाम** | **प्रभावित काश्तकार 7-डी के अनुसार** | **लाभान्वित काश्तकार** | **शेष** |
|---|---|---|---|---|
| 1 | परबतसर | 104213 | 24392 | 79821 |
| 2 | मकराना | 771 | 241 | 530 |
| **योग:-** | | **104984** | **24633** | **80351** |

(2) जी हां। भुगतान से शेष रहे कृषकों को दस्तावेज उपलब्धता के आधार पर नियमानुसार भुगतान हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

## देवली-उनियारा में नवीन गौण कृषि उपज मण्डी की स्थापना

**19. श्री हरीश चन्द्र मीना** (देवली-उनियारा): क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा में विगत चार वर्षों में कितनी गौण कृषि उपज मंडियां कहां-कहां खोली गईं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त मंडियों हेतु भूमि आबंटन एवं भवन निर्माण का कार्य पूर्ण हो गया है? यदि हां, तो कहां-कहां? मण्डीवार स्वीकृत राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में नवीन गौण कृषि उपज मंडियां खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कहां-कहां व कब तक तथा नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा में विगत 4 वर्षों में गौण मण्डी नहीं खोली गई है।

(2) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा में विगत 4 वर्षों में गौण मण्डी नहीं खोली गई है।

(3) विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा के ग्राम सौंप, कंकोड, आवां तथा नासिरदा में नवीन गौण मण्डी स्थापना के प्रस्ताव परीक्षणाधीन है।

## बगरू में खेल स्टेडियम की स्थापना

**20. श्रीमती गंगा देवी** (बगरू): क्या युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार को विधान सभा क्षेत्र बगरू के बगरू मुख्यालय पर खेल स्टेडियम के निर्माण हेतु क्षेत्रीय जनता, खिलाड़ियों, युवा वर्ग व जन प्रतिनिधिगण एवं क्षेत्रीय विधायक की ओर से मांग पत्र प्राप्त हुए हैं? यदि हां, तो उक्त पर की गई कार्रवाई का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार बगरू मुख्यालय पर वित्तीय वर्ष 2023 में खेल स्टेडियम निर्माण कराने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) जी हां। माननीया विधायक श्रीमती गंगा देवी, विधान सभा क्षेत्र

(राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल)

बगरू से बगरू मुख्यालय पर खेल स्टेडियम निर्माण के प्रस्ताव दिनांक 07/02/2022 को प्राप्त हुए हैं जिस पर माननीय मुख्य मंत्री महोदय की बजट घोषणा वर्ष 2022-23 में बगरू (जयपुर) में स्टेडियम निर्माण एवं विकास कार्य की घोषणा की गई है, जिसके क्रम में विभाग द्वारा A&F Sanction No. 2223-DS999969-16 Dated 02/01/2023 को राशि रुपये 150.00 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति कार्यकारी एजेन्सी सार्वजनिक निर्माण विभाग के पक्ष में जारी की जा चुकी है।

स्टेडियम हेतु बगरू-जयपुर में भूमि को चिह्नित कर राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद्/जिला क्रीड़ा परिषद्, जयपुर के नाम स्थानान्तरण या एनओसी उपलब्ध करवाये जाने हेतु आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को दिनांक 12/10/2022 को पत्र लिखा गया है।

(2) माननीय मुख्य मंत्री महोदय की बजट घोषणा वर्ष 2022-23 में बगरू (जयपुर) में स्टेडियम निर्माण एवं विकास कार्य की घोषणा की गई है, जिसके क्रम में विभाग द्वारा A&F Sanction No. 2223-DS999969-16 Dated 02/01/2023 को राशि रुपये 150.00 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति कार्यकारी एजेन्सी सार्वजनिक निर्माण विभाग के पक्ष में जारी की जा चुकी है।

## श्री प्रेम सिंह सिंघवी राजकीय महाविद्यालय, छीपाबड़ौद के कार्मिकों का बकाया वेतन

**21. श्री प्रताप सिंह** (छबड़ा): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि श्री प्रेम सिंह सिंघवी राजकीय महाविद्यालय छीपाबड़ौद, जिला बारां में कार्यरत कार्मिकों का वेतन बकाया चल रहा है? यदि हां, तो किन-किन कार्मिकों का कितना व कब से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त महाविद्यालय में कार्यरत कार्मिकों को बकाया वेतन का भुगतान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) श्री प्रेम सिंह सिंघवी महाविद्यालय, छीपाबड़ौद में राज्याधीन किये

(राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा)

जाने से पूर्व प्रबंध समिति द्वारा लगाए गए कार्मिकों के वेतन का भुगतान आदेश दिनांक 22.12.2020 के बिन्दु संख्या 08 के अनुसार इन कार्मिकों की नियुक्ति के संबंध में निर्णय/आदेश जारी होने तक प्रबंध समिति द्वारा किया जाना है। इस संबंध में प्रबंध समिति को निर्देशित कर दिया गया है। फिर भी इन कार्मिकों के बकाया वेतन के संबंध में यथाशीघ्र जानकारी प्राप्त कर नियमानुसार यथोचित कार्रवाई की जावेगी। (संलग्न परिशिष्ट)

(2) उपर्युक्तानुसार।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

# अतारांकित प्रश्नोत्तर

## जालौर में हत्या के दर्ज प्रकरण

**1. श्री छगनसिंह** (आहोर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला जालौर में जनवरी, 2019 से दिसम्बर, 2022 तक हत्या के कितने मामले दर्ज हुए? विधान सभा क्षेत्रवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त दर्ज प्रकरणों में से कितने मामलों में चालान प्रस्तुत किया गया? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार जिला जालौर में अपराधों की रोकथाम हेतु सीओ सर्किल, थाना, चौकियां व पुलिस बल बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) जिला जालौर में जनवरी, 2019 से दिसम्बर, 2022 तक हत्या के 157 प्रकरण दर्ज हुए हैं, जिनका विधान सभा क्षेत्रवार संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) उक्त प्रकरणों में कुल 89 प्रकरणों में चालान प्रस्तुत किया गया है, जिनका विधान सभा क्षेत्रवार संख्यात्मक विवरण संलग्न परिशिष्ट-अ के कॉलम संख्या 4 पर अंकित है।

(3) जी नहीं। वर्तमान में जिला जालौर में पुलिस सीओ सर्किल, पुलिस थाना, पुलिस चौकियां खोले जाने एवं पुलिस बल बढ़ाये जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

भविष्य में क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, जनसंख्या अपराध एवं कानून व्यवस्था की स्थिति, वित्तीय संसाधनों तथा पुलिस नफरी की उपलब्धता के आधार पर विचार किया जा सकेगा।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## बाड़मेर के भवन विहीन थाने

**2. श्री मेवाराम जैन** (बाड़मेर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में स्थित पुलिस थाना रीको, पुलिस थाना महिला, पुलिस थाना ग्रामीण एवं एएसपी महिला कार्यालय के स्वयं के भवन नहीं हैं? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री मेवाराम जैन)

(2) क्या सरकार उक्त के भवन निर्माण हेतु बजट आबंटित कर भवन निर्माण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में पुलिस थाना रीको, पुलिस थाना महिला, पुलिस थाना ग्रामीण एवं एएसपी महिला कार्यालयों के भूमि व भवन के संबंध में विवरण निम्नानुसार है -

1. पुलिस थाना रीको वर्तमान में पुलिस चौकी रीको के भवन में संचालित किया जा रहा है तथा उक्त थाने के निर्माण हेतु जिला मुख्यालय बाड़मेर में खसरा संख्या 3576/118 रकबा 3 बीघा 08 बिस्वा 08 बिस्वांसी किस्म गैर मुमकिन जो तहसील कार्यालय एवं आवास हेतु राजस्व विभाग के नाम से आबंटित हैं, में से सम्पूर्ण रकबा 3 बीघा 08 बिस्वा 08 बिस्वांसी का राजस्व विभाग को किया गया आबंटन निरस्त कर माननीय मुख्य मंत्री महोदय की बजट घोषणा 2022-23 में नवसृजित पुलिस थाना रीको हेतु 2000 वर्गमीटर भूमि आबंटन की गई है।
2. महिला थाना बाड़मेर वर्तमान में परिवहन विभाग के भवन में संचालित है एवं भूमि आबंटन हेतु कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
3. पुलिस थाना बाड़मेर ग्रामीण वर्तमान में महिला एवं बाल विकास के भवन में संचालित है तथा भूमि आबंटन हेतु कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, महिला अपराध एवं अनुसंधान सैल बाड़मेर वर्तमान में पुलिस लाइन के अपर सबोर्डिनेट आवासीय भवन में संचालित किया जा रहा है। पुलिस चांदमारी रेंज में खसरा संख्या 163 भूमि रकबा 639 बीघा 04 बिस्वा भूमि पुलिस विभाग को आबंटित की गई है, जिसमें से उक्त कार्यालय के प्रशासनिक भवन निर्माण हेतु मापदण्डानुसार भूमि आबंटन का निर्धारण किया जायेगा।

(2) गृह विभाग की स्वीकृति संख्या 152/2022-23 दिनांक 18.01.2023 द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महिला अपराध एवं अनुसंधान सैल, बाड़मेर के भवन निर्माण हेतु राशि रुपये 91.18 लाख एवं पुलिस थाना रीको बाड़मेर के भवन निर्माण हेतु राशि 343.89 लाख रुपये की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। कार्यकारी एजेन्सी

(गृह मंत्री)

आरपीआईडीसीएल द्वारा निविदा आमंत्रित कर यथाशीघ्र कार्यादेश जारी किये जायेंगे।

इसके अतिरिक्त पुलिस थाना बाड़मेर ग्रामीण एवं महिला थाना बाड़मेर के भवन निर्माण का प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है। भविष्य में भूमि आबंटन करा बजट की उपलब्धता के आधार पर आनुपातिक रूप से बजट आबंटन कर निर्माण कार्य कराये जायेंगे।

## सुमेरपुर में नवीन प्राथमिक विद्यालय खोलने की कार्ययोजना

**3. श्री जोराराम कुमावत** (सुमेरपुर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर के राजकीय स्वामी विवेकानन्द मॉडल विद्यालय में कक्षा 6 से 12 तक कितने विद्यार्थी अध्ययनरत हैं तथा उक्त में कौन-कौन से व कितने पद स्वीकृत हैं? क्या सरकार उक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विद्यालय हेतु कितनी भूमि आबंटित की गई तथा भवन कब स्वीकृत हुआ तथा निर्माण पर कितनी राशि व्यय हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विद्यालय में प्राथमिक स्तर के सेक्शन हेतु भवन निर्माण की कितनी-कितनी राशि कब-कब स्वीकृत की गई? क्या भवन निर्माण का कार्य अपूर्ण है? क्या सरकार उक्त के भवन निर्माण के कार्य को पूर्ण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त विद्यालय में प्राथमिक कक्षाओं को प्रारम्भ करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर में स्थित राजकीय स्वामी विवेकानन्द मॉडल विद्यालय में शाला दर्पण के अनुसार कक्षा 6 से 12 तक कक्षावार नामांकन निम्नानुसार है -

(शिक्षा मंत्री)

| कक्षा | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | कुल |
| 84 | 87 | 84 | 80 | 76 | 67 | 73 | 551 |

मॉडल विद्यालय सुमेरपुर में शाला दर्पण के अनुसार स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है-

| **क्र.स.** | **पदनाम** | **स्वीकृत पद** | **रिक्त पद** |
|---|---|---|---|
| 1 | प्रधानाचार्य | 01 | 0 |
| 2 | व्याख्याता | 07 | 01 |
| 3 | वरिष्ठ अध्यापक | 12 | 0 |
| 4 | प्रयोगशाला सहायक | 03 | 0 |
| 5 | पुस्तकालय अध्यक्ष | 01 | 0 |
| 6 | वरिष्ठ सहायक | 01 | 0 |
| 7 | कनिष्ठ सहायक | 01 | 01 |
| 8 | सूचना सहायक | 01 | 01 |
| | **कुल योग** | **27** | **03** |

134 मॉडल विद्यालयों मे विभिन्न संवर्गों के रिक्त पदों पर कार्मिक लगाने हेतु आयोजित साक्षात्कार में योग्य व इच्छुक अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर रिक्त पदों को भरने की कार्रवाई की जायेगी।

(2) विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर में स्थित राजकीय स्वामी विवेकानन्द मॉडल विद्यालय सुमेरपुर में भवन निर्माण के लिए प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति क्रमांक 290 दिनांक 01.08.2011 राशि रुपये 280 लाख की जारी की गई एवं संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति क्रमांक 3014 दिनांक 19.02.2015 राशि रुपये 679.60 लाख की जारी की गई। इस कार्य पर राशि रुपये 645.86 लाख रुपये का व्यय किया गया। उक्त विद्यालय के लिये 4 हैक्टेयर भूमि आबंटित की गई। प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति का विवरण परिशिष्ट 1 तथा आबंटित भूमि का विवरण परिशिष्ट 2 पर संलग्न है।

(3) इस विद्यालय में कक्षा 1 से 5 वीं तक प्राथमिक स्तर के सेक्शन

(शिक्षा मंत्री)

हेतु प्रथम चरण में समग्र शिक्षा अन्तर्गत वर्ष 2018-19 में राशि 75.58 लाख स्वीकृत हुए जिसका कार्य पूर्ण हो चुका है। इस भवन के लिये द्वितीय चरण में NABARD-XXV में राशि 55.00 लाख रुपये स्वीकृत हुए। यह कार्य 15.06.2022 को पूर्ण हो चुका है। कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(4) सभी 134 स्वामी विवेकानन्द मॉडल विद्यालयों के नवीन प्राथमिक भवनों का निर्माण पूर्ण होने पर गुणावगुणों के आधार पर एवं वित्तीय उपलब्धता के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं का संचालन किया जा सकेगा।

**(विवरण व कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र पुस्तकालय में रखे गये)**

## विद्याधर नगर में संचालित विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पद

**4. श्री नरपत सिंह राजवी** (विद्याधर नगर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र विद्याधर नगर में वर्तमान में कहां-कहां पर कुल कितने राजकीय माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं? वार्डवार संख्यात्मक सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त संचालित विद्यालयों में छात्र-छात्राओं की नामांकन संख्या कितनी-कितनी है? विद्यालयवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त संचालित विद्यालयों में शिक्षकों के पद रिक्त हैं? यदि हां तो कौन-कौनसे विद्यालयों में कौन-कौनसी श्रेणी के कितने-कितने पद रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) विधान सभा क्षेत्र विद्याधर नगर में कुल 21 उच्च माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं जिनका वार्डवार विवरण परिशिष्ट-क पर संलग्न है।

(2) प्रश्नोत्तर के इस भाग की सूचना परिशिष्ट-क में सम्मिलित है।

(3) जी हां। प्रश्नोत्तर के इस भाग की सूचना परिशिष्ट-क में सम्मिलित है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## बून्दी नगर परिषद् को आबंटित बजट

**5. श्री अशोक डोगरा** (बून्दी): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) नगर परिषद्, बून्दी को जनवरी, 2021 से दिसम्बर, 2022 तक कितनी राशि कौन-कौनसे मद में आबंटित हुई व मदवार कितनी-कितनी राशि व्यय की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त आबंटित राशि का उपयोग आबंटन से पूर्व के किसी कार्य के भुगतान के लिये किया गया है? यदि हां, तो क्या यह नियमानुसार है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा आबंटन के विपरीत अन्य कार्यों में राशि का उपयोग लिये जाने पर जिम्मेदार अधिकारी से उक्त राशि वसूल करने हेतु कोई कार्रवाई की गई है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) नगर परिषद्, बून्दी को जनवरी, 2021 से दिसम्बर, 2022 तक कुल 876850772/- रुपये का आबंटन किया गया है तथा आबंटित राशि में से कुल 791381760/- रुपये व्यय हुए हैं। मदवार आबंटित तथा व्यय राशि का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) नगर परिषद् बून्दी द्वारा आबंटित राशि का उपयोग आबंटन के उपरान्त ही किया जा रहा है, किन्तु नगर परिषद् बून्दी में सफाई कार्मिकों की हड़ताल होने के कारण सफाई कार्मिकों के 06 माह के बकाया वेतन में से 01 माह का वेतन 15वें वित्त आयोग की राशि में से भुगतान किया गया है, जिसे नगर परिषद् की निजी आय से समायोजित कर दिया गया है।

(3) जी नहीं।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## सांगानेर की आवासीय योजनाओं में पट्टों का वितरण

**6. श्रीमती निर्मला सहरिया** (किशनगंज): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विगत तीन वर्षों में प्रशासन शहरों के संग अभियान में कीर्तिनगर को-आपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड, जयपुर (रजिस्ट्रेशन नम्बर: 2446/एल) की किन-किन आवासीय योजना में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा पट्टे जारी किये गये हैं? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्रीमती निर्मला सहरिया)

(2) क्या यह सही है कि ग्राम गोल्यावास तहसील सांगानेर (जयपुर) में स्थित उक्त सोसायटी की आवासीय योजना "तिरूपति विहार" का जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा पट्टे दिये जाने हेतु नियमानुसार परीक्षण किया गया है? यदि हां, तो परीक्षण उपरान्त पट्टे जारी नहीं किये जाने के क्या कारण रहे? सरकार द्वारा अब कब तक पट्टे जारी कर दिये जाएंगे? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) विगत तीन वर्षो में कीर्तिनगर को-आपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड, जयपुर (रजिस्ट्रेशन नम्बर 2446/एल) की निम्न योजनाओं में जारी पट्टों का विवरण निम्नानुसार है:-

| क्र. सं. | जोन संख्या | योजना का नाम | विगत 3 वर्षो में जारी पट्टों की संख्या |
|---|---|---|---|
| 1. | 05 | कीर्ति नगर | 03 |
| 2. | 07 | कनक विहार स्कीम नंबर 2 | 11 |
| 3. | पीआरएन दक्षिण-I | आदिनाथ नगर | 10 |
| 4. | पीआरएन दक्षिण-I | श्री राम चन्द्र नगर | 03 |
| 5. | पीआरएन दक्षिण-II | सुखीजा विहार-ई | 05 |
| 6. | पीआरएन दक्षिण-II | श्री गोपाल नगर | 81 |
| 7. | पीआरएन दक्षिण-II | बाबू नगर | 09 |
| 8. | पीआरएन दक्षिण-II | परसराम नगर | 68 |
| 9. | पीआरएन दक्षिण-II | धनराज सिटी | 89 |
| **कुल** | | | **279** |

(2) जी हां। परन्तु तिरूपति विहार योजना जिन खसरा नम्बर में सृजित है, उन पर माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर-द्वितीय द्वारा स्थगन आदेश होने के कारण नियमन की कार्रवाई नहीं की जा रही है। स्थगन आदेश खारिज होने के पश्चात् प्रकरण में नियमानुसार अग्रिम आवश्यक कार्रवाई की जावेगी। स्थगन आदेश की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

**(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)**

## माण्डलगढ़ में एडीजे कोर्ट की स्थापना

**7. श्री गोपाल लाल शर्मा** (माण्डलगढ़): क्या विधि एवं विधिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ में माण्डलगढ़ कोर्ट को वर्ष 2020 में राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा स्थायी एडीजे कोर्ट खोलने की स्वीकृति दी जा चुकी है? यदि हां, तो सरकार एडीजे कोर्ट कब तक खोलने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

जी हां। यह सही है कि माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा में संचालित अपर जिला एवं सेशन न्यायालय के कैम्प कोर्ट को नियमित अपर जिला एवं सेशन न्यायालय में परिवर्तित करने का प्रस्ताव रजिस्ट्रार जनरल, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के पत्र दिनांक 11.02.2020 के द्वारा राज्य सरकार को प्राप्त हुआ था।

किसी स्थान पर नियमित अपर जिला एवं सेशन न्यायालय की स्थापना माननीय उच्च न्यायालय से परामर्श/प्रस्ताव प्राप्त होने पर, निर्धारित मानदण्ड के अनुसार उस क्षेत्र के 1000-1200 प्रकरण लम्बित होने पर तथा वित्तीय संसाधन की उपलब्धता होने पर ही की जा सकती है।

तत्समय माण्डलगढ जिला भीलवाड़ा में संचालित कैम्प कोर्ट में लम्बित प्रकरणों की संख्या 764, निर्धारित मानदण्ड से कम होने के फलस्वरूप तथा वित्तीय संसाधन की उपलब्धता नहीं होने के कारण माण्डलगढ़ में नियमित अपर जिला एवं सेशन न्यायालय की स्थापना नहीं हो सकी है।

भविष्य में माण्डलगढ़ क्षेत्र के लम्बित प्रकरणों की संख्या मानदण्ड के अनुसार होने पर माण्डलगढ़ में नियमित अपर जिला एवं सेशन न्यायालय की स्थापना हेतु राज्य सरकार द्वारा विचार किया जा सकेगा।

## कनवास रेंज तहसील सीमल्या में विकास हेतु व्यय राशि

**8. श्री भरत सिंह कुन्दनपुर** (सांगोद): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा कनवास रेंज के सीमल्या तहसील के कनवास गांव में राशि रुपये 50 लाख खाली पड़ी भूमि के विकास हेतु वर्ष 2022-23 में स्वीकृत की गई थी? यदि हां, तो क्या उक्त राशि में से 10 लाख 50 हजार रुपये खड्ढे करवाने पर व्यय की गई है?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त प्रकरण की शिकायत प्रमुख शासन

(श्री भरत सिंह कुन्दनपुर)

सचिव को प्राप्त हुई है? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त खड्ढ़े करवाने का कार्य कोटा के किस मण्डल वन अधिकारी द्वारा करवाया गया? क्या मौके पर 50 हजार पौधे लगे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) जी हां। वर्ष 2021-22 में उप वन संरक्षक, कोटा अन्तर्गत कनवास रेंज अधीन सीमल्या ग्राम में 106 है. वन क्षेत्र में अग्रिम कार्य हेतु राशि रुपये 51.361 लाख आबंटित की गई तथा 53000 खड्ढ़े खुदवाये गये। इसी कार्यस्थल हेतु वर्ष 2022-23 में अवशेष अग्रिम कार्य तथा पौधारोपण कार्य हेतु 67.59 लाख रुपये का बजट आबंटित हुआ तथा 54400 खड्ढ़े खुदाई का कार्य करवाया गया जिस पर 10.90 लाख रुपये का व्यय हुआ।

(2) जी हां। क्रम संख्या 1 के संबंध में प्राप्त शिकायत में प्रकरण की जांच हेतु प्रमुवसं के पत्रांक 875 दिनांक 02.08.2022 द्वारा उप वन संरक्षक बूंदी को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था। जांच अधिकारी द्वारा दस्तावेज उपलब्ध करवाने हेतु उप वन संरक्षक, कोटा को पत्रांक दिनांक 27.10.2022 एवं 28.12.2022 प्रेषित किये गये जो अपेक्षित है। अत: जांच कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

(3) खड्ढ़े करवाने का कार्य श्री रवि कुमार मीणा, तत्कालीन उप वन संरक्षक कोटा द्वारा करवाया गया था। वित्तीय वर्ष 2022-23 में मानसून में 107400 खड्ढ़ों में वृक्षारोपण कार्य करवाया जा चुका है।

## पारोली उपखण्ड कोटड़ी का तहसील भवन

**9. श्री गोपी चन्द मीणा** (जहाजपुर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) उपखण्ड कोटड़ी की ग्राम पंचायत पारोली का उप तहसील कार्यालय किस भवन में संचालित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त उप तहसील कार्यालय का नवीन भवन निर्माण होने के उपरान्त भी वर्तमान में उक्त कार्यालय पुराने भवन में ही संचालित है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त कार्यालय को नवीन भवन में संचालित करने

(श्री गोपी चन्द मीणा)

का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) उपखण्ड कोटड़ी की ग्राम पंचायत पारोली के अन्तर्गत उप तहसील कार्यालय पूर्व में तहसील कोटड़ी में संचालित की जा रही थी।

(2) जी हां। उप तहसील पारोली में नायब तहसीलदार का पद रिक्त होने एवं नायब तहसीलदार कोटड़ी के पास उक्त पद का अतिरिक्त कार्यभार होने के कारण उप तहसील कार्यालय पारोली, तहसील कोटड़ी भवन में संचालित था।

(3) जी हां। जिला कलेक्टर भीलवाड़ा के आदेश क्रमांक 15064 दिनांक 20.01.2023 द्वारा नायब तहसीलदार कोटड़ी को सप्ताह में दो दिवस यथा मंगलवार व गुरुवार को नियमित रूप से कार्यालय उप तहसील पारोली में उपस्थित रहकर कार्य संपादन करने हेतु निर्देशित किया जा चुका है। (आदेश प्रति संलग्न परिशिष्ट "अ")।

**(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)**

## चेचट (रामगंज मण्डी) उप तहसील का क्रमोन्नयन

**10. श्री मदन दिलावर** (रामगंज मण्डी): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) उप तहसील को तहसील में क्रमोन्नयन करने के क्या मापदण्ड निर्धारित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार रामगंज मण्डी तहसील की उप तहसील चेचट को तहसील में क्रमोन्नयन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त तहसील की ग्राम पंचायत सुकेत को नवीन उप तहसील बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) प्रदेश में नवीन तहसील/उप तहसील सृजन हेतु राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा निर्धारित नियम व मापदण्डों की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(राजस्व मंत्री)

(2) जी नहीं। वर्तमान में उप तहसील चेचट को तहसील में क्रमोन्नत करने संबंधी कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(3) जी नहीं। वर्तमान में ग्राम पंचायत सुकेत को नवीन उप तहसील बनाने संबंधी कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

**(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)**

## अनूपगढ़ में कृषि कार्य करते हुए मृत्यु पर सहायता

**11. श्रीमती संतोष** (अनूपगढ़): क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि कृषि कार्य करते हुए किसान की मृत्यु होने पर सहायता राशि दिए जाने का प्रावधान है? यदि हां, तो अनूपगढ़ विधान सभा क्षेत्र में विगत तीन वर्षों में कितने परिवारों को सहायता राशि दी गई? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त सहायता राशि को बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितनी व कब तक तथा नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) जी हां। कृषि कार्य करते हुए दुर्घटना में किसान की मृत्यु हो जाने पर कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना के अन्तर्गत सहायता राशि दिए जाने का प्रावधान है।

अनूपगढ़ विधान सभा क्षेत्र में विगत 3 वर्ष 2019-20 से 2022-23 (माह दिसम्बर 2022 तक) योजना के अन्तर्गत मृतक किसान के 34 आश्रित/ परिजनों को दी गई सहायता राशि का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी नहीं।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## खेलों को प्रोत्साहन देने की कार्ययोजना

**12. श्री हमीर सिंह भायल** (सिवाना): क्या युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

सरकार द्वारा प्रदेश में खेलों को प्रोत्साहन देने हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर युवाओं के लिये कौन-कौनसी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

ग्राम पंचायत स्तर पर निम्नलिखित योजनाएं संचालित की जा रही हैं:-

ग्राम पंचायत पर चरणबद्ध रूप से खेल मैदान विकसित करने के लिए समन्वित स्टेडियम (आधारभूत खेल संरचनाएं) विकास कार्यक्रम-2015 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर प्रचलित At Least one Outdoor Game का मैदान बनाये जाने का प्रावधान है, जिसे स्थानीय स्तर पर मनरेगा योजना के तहत जिला परिषद् के माध्यम से बनाये जा सकते हैं।

माननीय मुख्य मंत्री महोदय की बजट घोषणा वर्ष 2021-22 की घोषणा संख्या 62 की अनुपालना में ग्राम स्तर पर खेल प्रतिभाओं की खोज कर आगे लाने के लिए राज्य खेलों की तर्ज पर ग्राम पंचायत स्तर, ब्लाक स्तर, जिला स्तर एवं राज्य स्तरीय राजीव गांधी ग्रामीण ओलम्पिक 2022 का आयोजन किया गया है।

## विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा देय अनुदान

**13. श्री सुभाष पूनिया** (सूरजगढ़): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या प्रदेश में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों को अनुदान दिया जाता है? यदि हां, तो वित्तीय वर्ष 2020-21 व 2021-22 में कौन-कौनसी संस्था को कितनी-कितनी राशि दी गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अवधि में कौन-कौन से महाविद्यालयों को किस-किस रिसर्च कार्य के लिये कितनी-कितनी राशि उपलब्ध कराई गई व कितने रिसर्च कार्य पूर्ण व कितने शेष हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा भी ऐसी कोई ग्रांट संस्था को दी गई है? यदि हां, तो किस संस्था को कितनी व नहीं, तो क्या भविष्य में ऐसी राशि की स्वीकृति दी जानी प्रस्तावित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) जी हां। वित्तीय वर्ष 2020-21 व 2021-22 में किसी भी राजकीय महाविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कोई अनुदान प्राप्त नहीं हुआ है।

कुछ विश्वविद्यालयों को यूजीसी से राशि प्राप्त हुई है, जिसका विवरण परिशिष्ट-01 पर संलग्न है।

(राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा)

(2) वित्तीय वर्ष 2020-21 व 2021-22 में किसी भी राजकीय महाविद्यालय को रिसर्च कार्य के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कोई राशि उपलब्ध नहीं करवाई गई है।

(3) सरकार द्वारा केन्द्र प्रवर्तित राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान योजनान्तर्गत (केन्द्रांश 60 प्रतिशत, राज्यांश 40 प्रतिशत) उक्त अवधि में आर. आर. राजकीय महाविद्यालय, अलवर को रूसा योजना के द्वितीय चरण में रिसर्च कार्य, उपकरण क्रय आदि हेतु 250 लाख की राशि उपलब्ध करवायी गई है। सभी रिसर्च प्रोजेक्ट प्रक्रियाधीन हैं।

विश्वविद्यालयों को राज्य सरकार द्वारा वेतन मद के अंतर्गत ब्लाक ग्रांट जारी की जाती है। विश्वविद्यालयों को रिसर्च आदि कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 व 2021-22 में उपलब्ध करवायी गई राशि का विवरण परिशिष्ट-01 के कालम संख्या-04 में उपलब्ध है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## राजस्थान विश्वविद्यालय में मनोवैज्ञानिक परामर्शदाता के पद का सृजन

**14. श्री गजराज खटाणा** (बांदीकुई): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या राजस्थान विश्वविद्यालय में मनोवैज्ञानिक परामर्शदाता (Psychologist Counsellor) के पद स्वीकृत हैं? यदि हां, तो कितने व नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार कोरोना महामारी के कारण छात्रों को मानसिक तनाव से मुक्ति के उपाय संबंधी मार्गदर्शन एवं सलाह हेतु राजस्थान विश्वविद्यालय में मनोवैज्ञानिक परामर्शदाता (Psychologist Counsellor) के पदों का सृजन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) राजस्थान विश्वविद्यालय के अशैक्षणिक संवर्ग में मनोवैज्ञानिक परामर्शदाता (Psychologist Counsellor) के नाम से एक पद स्वीकृत है जो रिक्त चल रहा है।

(राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा)

(2) राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर में मनोवैज्ञानिक परामर्शदाता (Psychologist Counsellor) का एक पद पहले से सृजित है। सृजित पद को भरने की अनुमति हेतु विश्वविद्यालय से प्रस्ताव प्राप्त होने पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।